सप्तम माला, खंड 32, अंक 5, शुक्रवार, 8 अक्तूबर, 1982/16 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(दसवां सत्र)

सत्यमेव जयते

[खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 5, शुक्रवार, 8 अक्तूबर, 1982/16 आश्विन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2-22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 83, 86 से 89, 95 और 92	2-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	208
तारांकित प्रश्न संख्या : 82, 85, 90, 91, 93, 94 और 96 से 99	22-31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 876 से 914, 916 से 975, 977 से 992, 994 से 1029, 1031 से 1090 और 1092 से 1105	207
सभा पटल पर रखे गये पत्र	212-214
राज्य सभा से सन्देश	214
लोक लेखा समिति	215
117वां, 118वां और 119वां प्रतिवेदन	215
सभा का कार्य	215-221
समिति के लिए निर्वाचन	221
राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	221
औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक	221
विचार करने का प्रस्ताव	221
श्री रामलाल राही	221
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	224
श्री रवीन्द्र वर्मा	229
श्री मूलचन्द डागा	238
श्री गिरधारी लाल व्यास	242
श्री रामावतार शास्त्री	246
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 49वां प्रतिवेदन	250
विधेयक पुरःस्थापित	250
(एक) प्रो० मधु दण्डवते का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, (धारा 3 का प्रतिस्थापन)	250
(दो) प्रो० मधु दण्डवते का तिलहन और खाद्य तेल उत्पादन विधेयक	250
(तीन) श्री समर मुखर्जी का ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) संशोधन विधेयक (धारा 1 आदि का संशोधन)	251

* किसी नाम पर अंकित * चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) श्री हरीश रावत का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 10 ख आदि का अन्तःस्थापन)	251
(पांच) श्री ए० टी० पाटिल का परिवार कल्याण विधेयक	252
(छः) श्री ए० टी० पाटिल का नारीत्व सम्मान रक्षा विधेयक	252
(सात) श्री राम जेठमलानी का प्रवासी भारतीय (निर्वाचनों में मतदान का अधिकार) विधेयक	253
(आठ) श्री अजय विश्वास का अगरतला में उच्च न्यायालय की स्थापना विधेयक	253
(नौ) श्री सत्यगोपाल मिश्र का भवन तथा अन्य निर्माण कार्य कर्मकार (नियोजन की शर्तें) विधेयक	253
(दस) श्री अर्जुन सेठी का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक	254
(ग्यारह) श्री अर्जुन सेठी का संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन)	254
(बारह) श्री अर्जुन सेठी का संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन)	254
श्री जी० एम० बनातवाला का संविधान (संशोधन) विधेयक	255
अनुच्छेद 338 आदि का प्रतिस्थापन	255
विचार करने का प्रस्ताव	255-288
श्री जी० एम० बनातवाला	255
श्री मूलचन्द डागा	266
श्री चित्त बसु	270
श्री रामविलास पासवान	273
श्री अमल दत्त	278
श्री जगपाल सिंह	286

लोक सभा

शुक्रवार, 8 अक्तूबर, 1982/16 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को श्री चेगीरेड्डी बाली रेड्डी तथा श्री कृष्ण अग्रवाल के निधन की सूचना देता हूं। श्री चेगीरेड्डी बाली रेड्डी 1957-62 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के गाजीपुर चुनाव क्षेत्र से दूसरी लोक सभा के सदस्य थे।

श्री बाली रेड्डी एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे और स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान जेल गये थे।

वे आन्ध्र प्रदेश के एक प्रमुख किसान नेता थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों और भूमि सुधार में विशेष रुचि ली। उन्होंने 1947-48 में जेनेवा में खाद्य तथा कृषि संगठन और कृषि उत्पादकों की अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति से भी सम्बद्ध थे। उन्होंने आन्ध्र में रायलटिफक में अकाल राहत कार्य चलाया। वे एक जाने माने पत्रकार भी थे और अनेक अंग्रेजी तथा तेलगु दैनिक समाचारपत्रों तथा साप्ताहिकों से सम्बद्ध रहे।

श्री रेड्डी की पिछले महीने आन्ध्र प्रदेश में बोम्पेल स्थान पर 65 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई।

श्रीकृष्ण अग्रवाल मध्य प्रदेश के महालमुद चुनाव क्षेत्र से 1971-77 के दौरान पांचवी लोक सभा के सदस्य रहे थे।

श्री अग्रवाल ने हरिजनों तथा जनजातियों के कल्याण में विशेष रुचि ली और पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को राहत पहुँचाने का काम किया। वे डाक तथा तार सलाहकार बोर्ड भोपाल और दक्षिणी पूर्वी रेलवे की क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति से सम्बद्ध रहे।

उनका 1 अक्तूबर, 1982 को 55 वर्ष की आयु में राजपुर में निधन हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर अपना हार्दिक शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनायें पहुँचाने में मेरे साथ है सभा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़ी हो।

तत्पश्चात अध्यक्षगण कुछ क्षण मौन खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 82—श्री कमल मिश्र मधुकर।

श्री सतीश अग्रवाल : श्री बवल किशोर शर्मा के प्रश्न संख्या 81 का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह अगली तारीख के लिए आस्थगित कर दिया गया है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेशनल इंस्ट्टीयूट आफ पब्लिक फाइनेन्स द्वारा काले धन का मूल्यांकन

*83. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**
श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स को देश में काले धन का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) क्या काले धन के कारणों को दूर करने के लिए वांचू समिति के निष्कर्षों पर गहराई से विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेन्स को यह कार्य सौंपे जाने की जल्दी क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (पट्टाभिरामराव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मन्त्री महोदय के उत्तर से मालूम होता है कि वे आम आदमी की कमर तथा देश के आयोजन तथा विकास को क्षति पहुँचाने वाले काले धन को कितना महत्वहीन समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझती हैं कि उत्तर इतना हल्का था ?

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : वांचु समिति इस समस्या की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि जो बे हिसाब धन प्रचलन में है, वह चुनाब में होने वाले खर्च से पैदा होता है।

समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं :—

(1) चुनावों में राज्य धन लगाये।

(2) कर ढांचे को सरल बनाना।

(3) विमुद्रीकरण ।

मैं पूछना चाहूंगी : (क) क्या मन्त्री महोदय गृह मंत्रालय से चुनाव में सरकार पैरक लगाने की सिफारिश करेंगे, (ख) यदि विमुद्रीकरण के निर्णय की घोषणा करना सम्भव नहीं तो क्या मंत्री महोदय सभी सौ रुपये के नोटों के स्थान पर सिक्के चलाने पर विचार करेंगे ताकि राशि का जो ढेर तथा वजन होगा उस से अवैध सौदों पर रोक लग सके ?

श्री पट्टाभिरामराव : मेरे विचार में विमुद्रीकरण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वित्त मंत्रियों ने अनेक बार विमुद्रीकरण को अस्वीकार किया है और उनकी नीति अब भी यही है ।

जहां तक आपके पहले प्रश्न का सम्बन्ध है। मैं आपकी बात ठीक ढंग से नहीं सुन सका ।

श्री सतीश अग्रवाल : चुनावों के लिए सरकार द्वारा पैरक लगाना ।

श्री पट्टाभिरामराव : इसकी सिफारिश गृह मंत्रालय से कर दी गयी है ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : विमुद्रीकरण सम्बन्धी वांचु समिति की सिफारिश की क्या स्थिति है ?

श्री पट्टाभिरामराव : विमुद्राकरण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सिफारिश का प्रश्न कहां है ?

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : मैंने चुनाव पर सरकार द्वारा पैरक लगाने के बारे में पूछा है। मंत्रालय नहीं कर सकता, लेकिन सिफारिश कर सकता है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसी सिफारिश की जायेगी ।

दूसरा प्रश्न मैंने सो रुपये के नोटों के स्थान पर सिक्के जारी करने के बारे में पूछा है। आपने इसका उत्तर नहीं दिया ।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है। इस मामले पर चर्चा हो चुकी है और प्रश्न केवल हमारे मन्त्रालय द्वारा दूसरे मन्त्रालय से सिफारिश करने का नहीं है, इसकी ऐसी व्यापक तथा राजनैतिक उलझनें हैं जिसके बारे में हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि क्या हमारी जैसी परिस्थितियों में व्यवहार्य है और इस बारे में कई बार कई प्रकार के विचार भी प्रकट किये गये हैं ।

जहां तक विमुद्रीकरण का सम्बन्ध है । मेरे सहयोगी इसका उत्तर दे चुके हैं। उनके सुझाव का तात्पर्य यह हो सकता है कि क्या यह एक व्यावहारिक और व्यवहार्य प्रस्ताव है। ऐसी बातें आप अनेक तरीकों से कर सकते हैं क्योंकि इसके परिणाम सामने आयेंगे और निश्चय ही.....

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती दंडवते उन्हें बैग में ले जाती हैं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : वे वजन ले जाने के लिये तैयार हैं। लेकिन आप किसी ऐसी बातों की दोहरी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते। मैं वकील नहीं हूं। यह एक बड़े वकील का एक ऐसा बड़ा प्रश्न है कि आपने अपनी पत्नी को पीटना कब छोड़ा। अतः किसी भी रूप से मैं इसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। कर ढांचे सम्बन्धी तीसरे प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य जानती हैं कि आयोग के तुरन्त बाद एक प्रश्न समिति का गठन किया गया और उस समिति ने कई सिफारिशों तथा पहलुओं पर विचार किया। उसके बाद कर सम्बन्धी कानूनों का संशोधन किया गया और यदि मुझे ठीक याद है तो जब में सातवें दशक में एक कनिष्ठ मन्त्री था। उस समय मैंने विधेयक पेश किया था।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : यद्यपि धारक बांड योजना को समाप्त कर दिया गया है। फिर भी इस योजना ने बेईमानी तथा काले धन को प्रोत्साहन दिया है। यह काले धन वालों को इस आशा के साथ काला धन जमा करने का आश्वासन था कि किसी दिन यह सरकार उन्हें काले धन को अतिरिक्त ब्याज सहित सफेद धन में बदलने का अवसर देगी। क्या इस देश में इज्जतदार होना अपराध बन गया है ?

सरकार ईमानदार कर दाताओं को इनाम देने तथा काला धन बनाने वाले बेईमान लोगों को सजा देने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : प्रश्न का पहला भाग केवल उनका विचार है और यही विचार उस समय भी प्रकट किये गये थे जब सभा में प्रस्ताव विशेष पर चर्चा हुई थी।

काले धन की उत्पत्ति तथा प्रचलन के बारे में विभिन्न विचार किये गये हैं। एक ऐसा उपाय छापों, तलाशियों तथा माल जब्त करने में तेजी लाना है। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं छापों तथा तलाशियों के बारे में कुछ आंकड़े दे सकता हूं। (व्यवधान)

मैं इस सम्बन्ध में भूतपूर्व राजस्व मंत्री के विचार जानना चाहता हूं क्योंकि जो उत्तर मैं अभी दे रहा हूं उसके बारे में उन्होंने भी ऐसा ही किया था और मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या आप श्री सतीश अग्रवाल के बारे में कह रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जी हां।

श्री सतीश अग्रवाल : सरकार एक निरन्तर प्रक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : नई बोतल में पुरानी शराब।

श्री सतीश अग्रवाल : उत्तराधिकारी उसी घर में रह रहे हैं जिसमें मैं रहता था।

श्री प्रणव मुखर्जी : वर्ष 1981-82 के दौरान आयकर विभाग ने 4282 तलाशियां लीं, इसमें कुल 30.66 करोड़ रुपये की रकम अन्तर्ग्रस्त थी। (व्यवधान)। इस वर्ष सितम्बर तक 1675 तलाशियां ली गयीं और 12.20 करोड़ रुपये की कीमत की सम्पत्तियां जब्त की गयीं।

इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्य तस्करों तथा विदेशी मुद्रा के घोटाले करने वालों के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। हमने उनकी सम्पत्ति जब्त करने के लिए एक कानून भी पास किया। दुर्भाग्यवश हम इस काम में आगे न बढ़ सके और उस बारे में मेरे मित्र श्री अग्रवाल मेरे से सहमत होंगे कि सभी मामलों में, प्रत्येक मामले में न्यायालय का रोकादेश सामने आता है। हमारे भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी हम रोकादेशों को उठाने में सफल नहीं हुए और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : और आपके राज्य में—कलकत्ता में आसानी से रोकादेश लिया जा सकता है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं अपने राज्य के उच्च न्यायालय पर टिप्पणी नहीं करना चाहता।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। यह केवल है... (व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : अन्य बातों के अलावा, कुछ मामलों में वांचू समिति ने सिफारिशें की थीं कि क्या हम ऐसा कर ढांचा बना सकते हैं जिसमें करों की दरें यथार्थ हों। हर वर्ष, वित्त विधेयक द्वारा और बचत प्रस्तावों हम इसे यथार्थ बनाने की कोशिश करते आये हैं। एक ओर तो कर ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसमें लोग ईमानदार होने के लिए प्रोत्साहित हों और कर दें और साथ साथ ऐसे लोग भी होंगे जो अपवंचन करना चाहेंगे और टालना चाहेंगे। उनके प्रति कार्यवाही करने के लिए एनफोर्समेंट मशीनरी है।

श्री के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर हम देखते आये हैं कि इस देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेशी धन प्राप्त करती रही हैं और इसका उपयोग उस कार्य के लिए नहीं किया जाता जिसके लिए वह धन आता है। क्या इससे काले धन में वृद्धि होती है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने उस मामले में विशेष अध्ययन नहीं किया है। यदि माननीय सदस्य के पास कुछ सूचना हो तो निश्चय ही मैं उस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे स्वयं इस प्रस्ताव से सहमत हैं कि.....

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रोफेसर साहब को नाराज नहीं करना चाहता।

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि मुझे आपके द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने हैं। इसलिए आपको मेरी बात सुननी चाहिये।

श्री के० राममूर्ति : इस पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। प्रश्न श्रीमती दंडवते का है और श्री दंडवते को बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुभव नहीं करते कि उन्हें, उनकी मदद करनी पड़ती है।

प्रो० मधु दंडवते : यदि ये अनुभव करते हैं कि हम एकाधिकार कर रहे हैं तो हमारा मामला एम० आर० टी० पी० कमीशन को भेजा जाये।

चूंकि मंत्री महोदय स्वयं इस बात से सहमत हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का दबाव है, इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि क्या कालडोर सिद्धांत से या किसी अन्य तरीके से उन्होंने देश में प्रचलित काले धन का कोई अनुमान लगाया है और यदि उन्होंने कोई मूल्यांकन किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि देश में कितनी राशि का काला धन प्रचलन में है।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह भी जानना चाहूंगा कि, चूंकि उन्होंने प्रचलन को बढ़ने से रोकने के लिए मुद्रा देश में ऋण प्रतिबन्ध लागू किए हैं ताकि मुद्रा स्फीति रोकी जा सके, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या काले धन की वृद्धि से काले धन वालों द्वारा ब्याज की सुविधाजनक दरों पर गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के लिए रास्ता खुलता है जिससे कि ऋण पर रोक लगाने की सारी प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, क्या काले धन वालों की कमर तोड़ने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी नहीं है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : प्रो० दण्डवते के निष्कर्ष के बारे में कोई दो राय नहीं हैं कि प्रश्न के रूप में जो सुझाव दिया है वह भारतीय अर्थव्यवस्था पर काले धन का प्रभाव है उनके इस विशेष प्रश्न के बारे में कि क्या हमने कोई मूल्यांकन किया है, मुझे आशंका है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रचलन की मात्रा के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन करने का साहस नहीं कर सके। कतिपय अर्थशास्त्रियों ने कुछ अध्ययन किया है। यहां तक कि वांचू आयोग ने 1961-62 के कराधान ढांचे के आधार पर कुछ मूल्यांकन किया है और आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य आंकड़ों से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आँकड़े कहीं अधिक है। अतः हमने कोई प्रयास नहीं किया है, क्योंकि यह सम्भव नहीं था। काला धन केवल नोटों की शक्ल में विद्यमान नहीं है। यह वास्तविक सम्पदा के रूप में, सोने के रूप में, सामान और सामग्री के रूप में विद्यमान है।

जहां तक ऋण नीति का सम्बन्ध है, कभी-कभी इससे प्रभाव कम हो जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते। इससे पूर्व कि आप कुछ कहें मैं यह बताना चाहता हूँ कि 1968-69 में वांचू आयोग के प्रतिवेदन में निर्धारण-योग्य आय तथा निर्धारित आय का निर्धारण करके उन्होंने यह अनुमान लगाया कि 1968-69 में काला धन 7000 करोड़ रुपये था। यदि 1968-69 में यह 7000 करोड़ रुपये था तो मुझे विश्वास है कि आपने तब से अब तक बहुत प्रगति की होगी और अब क्या स्थिति होगी ?

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं इसे माननीय सदस्य के अनुमान पर ही छोड़ रहा हूं। वांचू आयोग के एक सदस्य ने 7000 करोड़ रुपये बताए होंगे। आयोग का अपना अनुमान इतना नहीं था। मेरे विचार में उसका अनुमान 1400 करोड़ रुपये था। सही आंकड़े मुझे याद नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह कर अपवंचित आय के आधार पर था। आय पांच गुणा थी। अतः ऐसे कारोबारों में लगभग 7000 करोड़ रुपये लगे होंगे जिनमें काला धन लगा होगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक ऋण नीति का सम्बन्ध है, कुछ हद तक इसका अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा स्फीति पर कम प्रभाव रहा है। यह निष्कर्ष निकालना कठिन होगा कि काले धन के प्रचलन से ऋण नीति लगभग खतम हो रही है। किसी सीमा तक यह अर्थव्यवस्था पर मुद्रा स्फीति के प्रभाव को निश्चय ही कम कर रहा है।

पर्यटन नीति बनाना

*86 श्री मूलचन्द डागा : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए कोई पर्यटन नीति बनाई गई है ताकि इसके दूरगामी प्रभावों को ध्यान में रखकर स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटन का उचित विकास किया जा सके ?

पर्यटन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : जी, हां। स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटन के महत्व को पहचानते हुए, यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करके पर्यटन के विकास की एक विस्तृत स्कीम तैयार की गयी है जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के संसाधनों को एकत्र करते हुए अवस्थानुसार ढंग से 61 परिपथों, जिनके अन्तर्गत 441 केन्द्र आते हैं, के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, भारत में पर्यटन के, स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के, विकास के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों को एक ऐसे नीति सम्बन्धी पेपर में समाविष्ट करते हुए प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो मंत्रालय के विचाराधीन हैं और शीघ्र ही संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के सबसे बड़े पर्यटक आप हैं। मैं समझता हूं कि आपके मुकाबले में कोई दूसरा पर्यटक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नौकर आपके हैं न।

श्री मूलचन्द डागा : भारत जैसे देश में, जहां बर्फीली पहाड़ियां हों, झरने हों, बड़े-बड़े रेगिस्तान हों—हमारे उपमन्त्री भी रेगिस्तान के इलाके से आए हुए हैं···

अध्यक्ष महोदय : बड़े मंत्री जी को भी जेठ के महीने में वहां ले जाएं।

श्री मूलचन्द डागा : जहां पुरानी कला कृतियां हों,···

एक माननीय सदस्य : और जहां श्री मूलचन्द डागा हों।

श्री मूलचन्द डागा :···वहां 35 साल के बाद भी पर्यटन नीति नहीं बनी है। सरकार ने यह टारगेट फिक्स किया है कि हम 1990 में पर्यटन से 50 अरब रुपये कमायेंगे। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के लिए 1 अरब 37 करोड़ रुपया रखा गया है, जो कि कुल योजना का केवल 0.18 प्रतिशत है। उत्तर में कहा गया है :—

"इसके अलावा भारत में पर्यटन के स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों के विकास के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों को एक ऐसे नीति सम्बन्धी पेपर में समाविष्ट किया जा रहा है, जो मंत्रालय के विचाराधीन हैं और शीघ्र ही संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।"

इसका क्या मतलब है ? इस नीति को कब तक सदन की मेज पर रख दिया जाएगा, ताकि हम उस पर विचार कर सकें ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इतने साल तक पर्यटन नीति न बनाए जाने का क्या कारण है।

पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं देश की पर्यटन नीति के बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं। निस्सन्देह नीति बनायी जा रही है।

मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि यह नीति वर्तमान सत्र के दौरान सभा पटल पर रखी जाएगी।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि 1952 से, जब से हमने पर्यटन को एक संगठित रूप से आरम्भ किया था अब तक उसने बहुत प्रगति की है।

1952 में केवल 17000 विदेशी पर्यटक इस देश में आए थे जबकि 1981 में यह संख्या 10 लाख को पार कर गई है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बोले तो बहुत स्वाभिमान और हिम्मत के साथ हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया में अगर पर्यटक कहीं कम आते हैं तो वे हिन्दुस्तान में 1980-81 में पर्यटन के लिए 3.20 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन उसमें से केवल 59 परसेंट खर्च किया जा सका। मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय यात्री आवास विकास समिति का निर्माण कब किया गया है, उसमें कितनी धनराशि केन्द्र लगाएगा, कितनी धनराशि स्टेटस लगाएंगी और कितनी धनराशि प्राईवेट सैक्टर लगाएगा और उसके कारण कितने यात्री निवास, सराय, मुसाफिर खाने, जनता होस्टल और यूथ होस्टल बन जाएंगे।

श्री खुर्शीद आलम खां : सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि यात्री आवास विकास समिति का यूथ होस्टल से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह केवल धर्मशालाओं और मुसाफिरखानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।

इस समिति की स्थापना हाल ही में की गई है और हमने 10 लाख रुपये उस समिति को पहले ही दे दिए हैं और दो धर्मशालाएं एक चित्रकूट पर तथा दूसरी वृन्दावन में बनाई जाएंगी जिनके लिए इस महीने और ज्यादा से ज्यादा अगले महीने के प्रथम सप्ताह में नींव रखी जाएगी।

श्री मूल चन्द डागा : राज्यों और गैर-सरकारी क्षेत्र से कितना योगदान मिला है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि 70% खर्चा हम करेंगे तथा राज्य को निःशुल्क भूमि तथा विद्युत, सड़कें, पीने के पानी आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी तथा कुछ निजी संगठन भी अपना योगदान देंगे ।

श्री सन्तोष मोहन देव : दार्जिलिंग, काजीरंगा, शिलांग तथा मणिपुर के कुछ भागों सहित पूर्वी क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों हेतु कई आकर्षक स्थल हैं परन्तु उपर्युक्त क्षेत्र में विदेशियों के जाने पर प्रतिबन्ध के कारण वहां पर्यटक नहीं जाते हैं । इसे ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र से इस प्रतिबन्ध को हटाने की मांग की गई है । क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस क्षेत्र में विदेशियों को जाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में वह क्या कदम उठा रही है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : सामरिक हितों का क्या होगा ?

श्री खुर्शीद आलम खां : निस्सन्देह इस क्षेत्र में प्रतिबन्धित इलाके हैं और इनके कारण पर्यटक के स्वच्छन्द आवागमन में कुछ कठिनाइयां हैं । यह मंत्रालय, निस्सन्देह, इस शर्त में ढील देने के पक्ष में रहा है । परन्तु यह सुरक्षा से सम्बन्धित मामला है इसलिए गृह मंत्रालय को ही इस सम्बन्ध में निर्णय लेना होगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जैसा कि श्री सन्तोष मोहन देव ने कहा है कि पूर्वी क्षेत्र देशी और विदेशी दोनों पर्यटन के विकास के मामलों में उपेक्षित क्षेत्र है । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन के विकास हेतु वह क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं और क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय समन्वित ढंग से कार्य करेंगे ताकि और अधिक विदेशी एयरलाइनें कलकत्ता होकर गुजरें और पूर्वी क्षेत्र की ओर अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय और इस मत्रालय के बीच निकट सहयोग और समन्वय होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए । माननीय सदस्य इस बात के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा निकट सहयोग रहेगा । जहां तक पर्यटन विकास का सम्बन्ध है, हमने पश्चिमी बंगाल सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की है । हमने सभी सुविधाएं जुटायी हैं और हम अधिकाधिक सुविधाएं जुटाने जा रहे हैं । पश्चिमी बंगाल में एक होटल है । हम असम में एक होटल का निर्माण कर रहे हैं । हम पूर्वी क्षेत्र में छः यूथ होस्टल, प्रत्येक राज्य में एक होस्टल का निर्माण कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : और अधिक एयरलाइनें कलकत्ता से होकर जाएं, इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ? आपने इस भाग का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री खुर्शीद आलम खां : मुझे खेद है, एयरलाइनों के सम्बन्ध में यह प्रश्न मेरे साथी से पूछा जाए।

श्री राजेश कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व में आगरे का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सारी दुनिया के पर्यटक आगरा में ताज और फतेहपुर सीकरी को देखने के लिए जाते हैं लेकिन आगरे की व्यवस्था बड़ी ही दयनीय है। माननीय मन्त्री जी वहां गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि स्टेशन एकदम गन्दा है और जो भी सुविधाएं वहां पर होनी चाहिएं वह नहीं हैं। जैसा हाल्दर साहब ने भी यहां पर बतलाया है, फ्लाइट के सम्बन्ध में हमने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी आपके पास लिखकर भेजा है कि आगरा में चार्टर्ड प्लेन लैंडिंग की व्यवस्था की जाए लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। जब भी कोई विदेशी हिन्दुस्तान आता है तो ताजमहल देखने के लिए जाता है। लेकिन आज आगरे की सड़कें टूटी हुई हैं। केन्द्रीय सहायता जो भी गई है उस पर आज तक पूरा अमल नहीं हुआ है। आप एशियाड 82 की बातें कर रहे हैं लेकिन जब वे लोग आगरा देखने के लिए जायेंगे तब देखेंगे कि वहां की क्या हालत तो इसके बारे में मन्त्री जी कुछ विचार कर रहे हैं या नहीं ?

श्री खुर्शीद आलम खां : इस सिलसिले में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते आगरा में हमने मीटिंग की थी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मन्त्री भी आए हुए थे। आगरा में 45 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का इन्तजाम किया गया है और जितने वहां पर मानुमेन्ट्स हैं उनकी सफाई का भी इन्तजाम है। फतेहपुर सीकरी में बर्बरींग की वजह से जो नुकसान पहुँच रहा था उसकी भी रोकथाम की गयी है। इसी तरह से आगरा स्टेशन के सामने जो छोटी-छोटी दुकानें, खोखे बन गए हैं उनके सिलसिले में भी वहां की म्युनिसिपैलिटी और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से कहा गया है कि उनका कोई अच्छा इन्तजाम होना चाहिए ताकि वहां पर जाने वाले टूरिस्ट्स को इन किस्म की चीजें देखने को न मिलें।

विश्व बैंक को अपने ऋणों को आर्थिक प्रतिलाभ से जोड़ने की नई नीति

*87. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का विचार विभिन्न देशों को दिए जाने वाले ऋणों को, संबंधित देशों के आर्थिक प्रतिलाभ से जोड़ने की नई नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक के इस नए विचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विश्व बैंक के समूह प्रायः उन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण देता है जिनमें आर्थिक और वित्तीय प्रतिलाभों की दरें संतोषजनक होती हैं। यह एक सुस्थापित नीति है, और जहां तक सरकार की जानकारी है, इसमें कोई परिवर्तन करने की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

प्रो० मधु दण्डवते : इसी विषय पर मैंने आज एक नोटिस दिया था। उसकी प्रत्याशा में कुछ प्रश्न पूछूंगा।

हाल ही में एक समाचार व्यापक रूप से प्रकाशित हुआ है कि विश्व बैंक ने भारत सहित विभिन्न देशों को ऋण प्रदान करने की नीति का पुनरीक्षण किया है और उन्होंने निर्णय लिया है कि भविष्य में विभिन्न देशों को उदारता से ऋण नहीं दिए जायेंगे परन्तु इसके विपरीत ऋण की मात्रा संबंधित देशों को पहले से दी गई सहायता से उपलब्ध प्रतिलाभ पर निर्भर करेगी। मैंने विदेश में समाचारपत्र में दी गई आपकी यह प्रतिक्रिया पढ़ी है कि आप इस नीति विशेष को पसन्द नहीं करते। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप यह ठोस वचन देने के लिए तैयार हैं कि हम विश्व बैंक द्वारा लगाई गई केवल मूल शर्तों का पालन करेंगे और हम लगाई जा रही नई शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे विशेषरूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम अभी हाल में ही अधिक मात्रा में ऋण लेने लगे हैं और व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् ऋण शर्तों को अन्तिम रूप दिया गया है तथा हम और शर्तें लगाये जाने की अनुमति नहीं देंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम आदेश कैसे दे सकते हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे मूल रूप में पूछे गये प्रश्न का उत्तर देना है। परन्तु 7 सितम्बर को टोशेन्टो में अपने विचार व्यक्त करते हुए मैंने यह चिन्ता प्रकट की थी कि विश्व बैंक में ही एक नई प्रवृत्ति पनप रही है तथा उन पर दबाव डाला जा रहा है। उदाहरण के लिए एक नया विचार रखा जा रहा है कि "फंड बैंक" के पास केवल अन्त में जाना चाहिए। यहां तक कि तेल और गैस जैसे आर्थिक कार्यों के लिए भी वे कहते हैं कि केवल वाणिज्यिक ऋण ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा बैंक की निधि उपलब्ध नहीं करायी जानी चाहिए। अन्य विकासशील देशों की भांति हमने भी यही कहा कि इस प्रकार के दृष्टिकोण से बचा जाना चाहिए और हम इससे सहमत नहीं हैं। परन्तु मैंने प्रश्न का यही उत्तर दिया है कि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और मानदण्डों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विश्व बैंक समूह पर दबाव डाला जा रहा है और हमने अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : एक प्रश्न और है जिसका सीधा संबंध विश्व बैंक से नहीं है परन्तु जिस प्रकार हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त करते हैं, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। निस्सन्देह यह विश्व बैंक के ऋण के संबंध में है। परन्तु जब हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त किया-पहली किस्त प्राप्त की, जब इस पर चर्चा की गई थी, जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर चर्चा की गई थी। तब हमने सरकार के ध्यान में यह बात ला दी थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कुछ शर्तों के लिए आग्रह कर रहा है और उन शर्तों के आधार पर हो सकता है विश्व बैंक भी साहस बटोर ले और अपने ऋण देते समय इन्हीं शर्तों के पालन के लिए आग्रह करे। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि दबाव डालने के इस नये तरीके से, जैसा कि उन्होंने स्वयं अभी स्वीकार किया है कि औपचारिक मान-

दण्ड अभी नहीं बनाए गए हैं, परन्तु विभिन्न देश नए मानदण्ड अपनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं और यदि वह दबाव बढ़ता जाता है, तो क्या विश्व बैंक इन दबावों को डालने का साहस कर रहा है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सम्बन्ध में हमने कुछ शर्तें स्वीकार की हैं।

प्रणव मुखर्जी : हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के बारे में कोई शर्त स्वीकार नहीं की है जो नई और अनोखी बात है। इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है और अब मैं पुनः दोहरा रहा हूं। इसके साथ ही हमने अपनी बात बिलकुल स्पष्ट कर दी थी कि शर्तें लगाते समय प्राप्त करने वाले देशों की मौजूदा स्थिति जैसे कि उनका सामाजिक आर्थिक ढांचे तथा उनके संस्थागत ढांचे को अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर यदि कोई मुझे शर्त के रूप में सुझाव देता है कि मुझे खाद्यान्नों अथवा उर्वरकों पर अथवा कतिपय क्षेत्रों में जिन्हें हमारी राष्ट्रीय योजना के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त है, राज सहायता बिलकुल खतम करनी होगी, तो प्राप्त करने वाला देश निश्चय ही इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होगा। अतः ये दो मुद्दे बिलकुल भिन्न हैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें मौजूद हैं परन्तु उनमें नयी बात कोई नहीं है। हमने कोई शर्त स्वीकार नहीं की है। इसी कारण विश्व बैंक से विभिन्न क्षेत्रों से दबाव डाला जा रहा है। मैं इसी कारण सभी नामों का उल्लेख नहीं करूंगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अपनी स्वतन्त्र शर्त है जिसका हम पालन कर रहे हैं।

श्री नीरेन घोष : महोदय, हमने विश्व बैंक तथा अन्य जगहों से ऋण प्राप्त किए हैं। जब हम उनसे प्रतिवर्ष कुछ राशि ऋण के रूप में लेते हैं तो इसका पचास प्रतिशत ऋण भार में चला जाता है। केवल शेष पचास प्रतिशत को हम इस्तेमाल कर पाते हैं। यही हिसाब है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के सम्बन्ध में कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है हम आयात बाजार में जाने को विवश हो गए हैं कई देशी उद्योग ठप्प हो रहे हैं अथवा भारी हानि उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में ऋण लेते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री प्रणव मुखर्जी : भावी ऋणों के संबंध में हम बहुत सावधान हैं। सर्वप्रथम ऋण सेवा के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि ऋण भार की दर 50% है, ठीक नहीं है। आज इस समय तक हमारा ऋण भार हमारी निर्यात आय का 11 प्रतिशत है। मेरे विचार में इतने बड़े देश के लिए यह अधिक नहीं है। दूसरे, हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए यद्यपि वे एक ही समूह से सम्बन्ध रखते हैं—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक समूह विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन इनको भिन्न पैमाना है और भिन्न कार्य-चालन है। अतः एक की शर्तें दूसरे की शर्तें नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर जब हम अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण लेते हैं, तो माननीय सदस्य पूर्णतया जानते है कि पश्चिम-बंगाल में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय वि० सं० सहायता से कुछ राज्य परियोजनायें चल रही हैं। वहां पर यह मुख्य रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्र को विशेषकर दिया गया है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इसका उपयोग कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ब्याज की दर बहुत ही कम है। व्यावहारिक दृष्टि से ब्याज की कोई दर ही नहीं है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय निकास संघ का सम्बन्ध है, सेवा प्रभार केवल 75% है और भुगतान की अवधि 50 वर्ष है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का सम्बन्ध है, उनकी ब्याज की दर 11.6% है और वह एक विशिष्ट परियोजना से आबद्ध है। हम सदैव इसे एक विशिष्ट परियोजना से आबद्ध करने का प्रयास करते हैं और हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि इस परियोजना के पूरा होने पर हम उसको वापिस लौटाने की स्थिति में भी हों। कम से कम उस मामले पर माननीय सदस्य को इस बात की हमारी सराहना करनी चाहिए कि जहां तक हमारे उधार लेने का सम्बन्ध है, आज तक सभी सरकारों ने अधिक धन नहीं लिया है।

प्राइवेट पूंजी बाजारों से उधार लेना कम करना

*88. **श्री गुफरान आजम :**
कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कथनानुसार यदि भारत प्राइवेट पूंजी बाजारों से बहुत अधिक उधार लेता है तो इसकी ऋण लेने की साख पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो प्राइवेट पूंजी बाजारों से उधार लेने में कमी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विश्व बैंक द्वारा "आई० डी० ए० इन रेट्रोस्पेक्ट" नामक शीर्षक से किये गए अध्ययन में कहा गया है कि हालांकि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक सफलता प्रभावशाली रही है जिससे गैर-सरकारी पूंजी उधार लेने के लिए उसकी साख बन गई है, लेकिन गैर-सहकारी पूंजी बाजारों का बहुत ज्यादा सहारा लेने से उसकी मौजूदा साख कमजोर हो सकती है।

(ख) सरकार विदेशी सहायता की आवश्यकता को उत्तरोत्तर रूप से कम करने के लिए बहुत से उपाय कर रही है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के काम और उत्पादन को बढ़ाना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी करना।

(2) सीमेंट, उर्वरकों, अलौह धातुओं, इस्पात आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता उपयोग में सुधार करके तथा अतिरिक्त क्षमता का सृजन करके आयात प्रतिस्थापना करना;

(3) आधारभूत ढांचे की रुकावटों को, विशेष रूप से बिजली, परिवहन और पत्तन के

क्षेत्रों की रुकावटों को दूर करने, उत्पादन बढ़ाकर निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर वस्तुएं उपलब्ध कराने, भारतीय उद्योगों में प्रतियोगिता और कार्यकुशलता को बढ़ाने के साथ-साथ प्रोत्साहनों की व्यवस्था कर निर्यात के लिए अधिक माल उपलब्ध कराना जिससे लाभकारिता को बढ़ाया जा सके और गतिशील तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्रों आदि में निर्यात को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिल सके।

(4) विदेशों में रह रहे भारतीय राष्ट्रिकों को ज्यादा रकमें भेजने के लिये प्रोत्साहित करने के उपाय करना।

(5) ऐसी विदेशी वित्त नीति अपनाना जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक अनिवार्य आयातों विशेष रूप से विकास कार्यक्रमों के लिए किए जाने वाले आयातों के मार्ग में कोई कठिनाई न आए, विदेशों के लिए जाने वाले ऋणों की लागत को कम से कम किया जा सके तथा ऋण परिशोधन दायित्वों को विवेकशील सीमाओं के अन्दर-अन्दर रखा जा सके। विदेशी साधनों की लागत को यथासंभव कम से कम स्तर तक सीमित रखने के विचार से सरकार की यह नीति है कि अन्य स्रोतों से धनराशियों की उपलब्धता तथा ऋण परिशोधन दायित्वों को विवेकशील सीमाओं के अन्दर-अन्दर बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध रियायती सहायता का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए तथा वाणिज्यिक ऋणों का चयनात्मक आधार पर उपयोग किया जाए।

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि क्या यह सच है कि दिनांक 9 सितम्बर, 1982 के 'पैट्रियाट' में भारत द्वारा प्राइवेट बारोइंग" (निजी उधार) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और यदि हाँ, तो इसका पैरावार ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न स्रोतों से भारत को कितनी सहायता मिली है और क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के अनुसार प्रतियों की तुलना में भारत कम उधार दे रहा है, इसलिए भारत में निजी बाजार से उधार लेना पड़ रहा है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक उधार लेने के प्रति हमारे दृष्टिकोण का सम्बन्ध है मैं अपने पहले के प्रश्न में पहले ही उत्तर दे चुका हूं। जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के आंकड़े मैं प्रस्तुत कर सकता हूं :

वित्तीय वर्ष	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ
1980	1250 लाख डालर	15350 लाख डालर
1981	4300 ,, ,,	12810 ,, ,,
1982	12648 ,, ,,	9500 ,, ,,

जहां तक वाणिज्यिक उधार का सम्बन्ध है, हमारा दृष्टिकोण बिलकुल स्पष्ट है कि हमें उस सीमा तक उधार लेना पसन्द नहीं करेंगे जो हमें जहां तक ऋण सेवाओं की बात है, कठिन परिस्थिति में ऐसा करने योग्य बनायेगा। दूसरी ओर, अपने विकासीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए हमें अधिक उधार की आवश्यकता है और उस सम्बन्ध में हम विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ में हमारा परम्परागत शेयर 40% है जो कि घट कर 33% रह गया है और चीन के इसमें भागीदार बन जाने से सम्भवतया हमारा शेयर कम हो सकता है। इससे कई समस्याएं उठ खड़ी होंगी। अतः इस सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है। मेरे प्रश्न का यह भाग (क) है। भाग (ख) इस प्रकार है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने भविष्य में अदायगी के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है विशेषकर आजकल विदेशी भुगतानों की कठिनाइयों को देखते हुए ? जैसा कि हम चाहते थे हमारा निर्यात बढ़ नहीं रहा है और उल्टे हमारी अकांक्षाओं के विपरीत हमारा आयात बढ़ रहा है। स्वाभाविक है विदेशी ऋणों का भुगतान तो विदेशी मुद्रा में ही करना होगा, आन्तरिक संसाधनों को जुटा कर नहीं। क्या भविष्य में इन ऋणों के भुगतान या ऋण भार के सम्बन्ध में सरकार ने कोई योजना बनाई है ? क्या आपने आगामी 10 वर्षों के लिए कोई योजना तैयार की है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं जहां तक प्रथम भाग का सम्बन्ध है, हमने अपना मत बता दिया है और हम यह कह चुके हैं कि हमारा शेयर परम्परागत 40% से कम नहीं किया जाना चाहिये। यह कोई दान नहीं है। जब छठवें दशक में इसकी स्थापना की गई थी तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने जो शर्तें बनाई थीं उन सभी उद्देश्य मापदण्डों और शर्तों को पूरा कर दिया गया है। वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ में हमारा शेयर 56 या 57 प्रतिशत होना चाहिये परन्तु हमने इसे 40 प्रतिशत तक सीमित रखा।

श्री सतीश अग्रवाल : अब यह घट कर 33% रह गया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : गत वर्ष यह 34% था। चीन के भागीदार बनने पर निश्चित रूप से स्थिति बदल जायेगी। कोष तो वही है। यदि कोष को नहीं बढ़ाया जाता है और यदि ऐसे देशों की संख्या में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है कि ऋण लेने वालों का अंश घट जायेगा। इसलिए हमारा यह मत रहा है कि यदि चीन इसमें आता है तो हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। यदि चीन अन्तर्राट्रीय विकास संघ से सहायता मांगता है तो यह हमारी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यह एक मुद्दा है जिसे हमने अपनाया था और जिसके लिए हमने उन पर दबाव डाला था। और कुछ विकसित देशों सहित बहुत-से विकासशील देश हमारे मत से सहमत हैं।

दूसरे, जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 6 का सम्बन्ध है, चीन इसको अवधि में प्रवेश नहीं ले रहा है।

श्री सतीश अग्रवाल : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ—7।

प्रणव मुखर्जी : अं० वि० संघ—7 जो हैं, वे उसमें जा रहे हैं। वास्तव में यही

कारण है कि हम उनसे अं० वि० संघ को दुगुना करने के लिए कह रहे हैं। परन्तु, यदि फिर भी उसे दुगना नहीं किया जाता है तो हमें आशा है कि उसमें पर्याप्त वृद्धि की जायेगी। परन्तु अभी भी हमें असमंजस में रहना पड़ेगा।

मात्र (ख) के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि यह नीति का मामला है। एक ओर तो हमें अपने निर्यात को बढ़ाना होगा और दूसरी ओर जहां कहीं भी सम्भव होगा हमें अपने आयातों को घटाना होगा। उदाहरणतया, मैं आपको तेल की खोज का उदाहरण दे सकता हूं। इससे पहले, हमारा तेल का कुल स्वदेशी उत्पादन प्रतिवर्ष 400 से 500 लाख टन रहा है। गत वर्ष हमने 180 लाख टन का उत्पादन किया। इस वर्ष हम लगभग 210 लाख टन का उत्पादन करने जा रहे हैं। मोटे तौर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए आयात प्रतिस्थापन है। इसी के साथ-साथ, अपने पहले के वचन को पूरा करने के लिए, हमें अपने निर्यात को बढ़ाना होगा और इसके लिए जोरदार निर्यात करने की आवश्यकता है।

श्री अमल दत्त : सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य में अनेक उपायों का उल्लेख किया गया कि आन्तरिक संसाधन कैसे जुटाये जायेंगे, आयात का प्रतिस्थापन कैसे किया जायेगा और किस प्रकार देश के आधार-भूत ढांचे में सुधार किया जायेगा, आदि जिसमें हमारी विदेशी मुद्रा में वृद्धि होनी है। मैं यह मान लेता हूँ कि ये सब सुविचारित उपाय हैं। परन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे आयातों की कीमत में वृद्धि का इन उपायों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे आयातों की मूल्य वृद्धि दो प्रकार से हो सकती है : एक है, हमारे निर्यातों की मात्रा में वृद्धि। दूसरा है निर्यात के इकाई मूल्य में वृद्धि। ऐसा लगता है कि सरकार ने इस पर सही ढंग से विचार नहीं किया है। इनमें से एक कारण जो मुझे जंचता है वह यह है कि जब पूर्वी क्षेत्र की बात आती है तो प्राथमिकताओं के प्रति सरकार उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती है और स्वतंत्रता के समय—आप मुझे याद दिलाने की अनुमति देंगे—अर्थात 1947-50 के दौरान, भारत के निर्यात की 50%से अधिक वस्तुएं अर्थात परम्परागत निर्यात मदें जैसे, पटसन चाय आदि भारत के पूर्वी भाग में बनती थीं। अब उन वस्तुओं का मूल्य पर्याप्त रूप में गिर चुका है और कम से कम मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखते हुए उसमें वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में चाय की कीमतें काफी गिर गई हैं और अब यह उत्पादन लागत से भी कम हो गई हैं। अब मैं चाहता हूं कि सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या इस दिशा में उचित संवर्धन प्रयास करके इन परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए उन्होंने कोई नीति बनाई है और इस सम्बन्ध में मुझे पता है कि चाय के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास बहुत ही कम हुए हैं और दूसरे, क्या सरकार अन्य प्रमुख उत्पादक देशों से समझौता करके इन वस्तुओं के इकाई मूल्यों में वृद्धि करेगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : पहले मैं उस गलत धारणा को दूर करना चाहूंगा जो कि माननीय सदस्य के मन में है कि हम इस दिशा में कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। वास्तव में, जब मैं वाणिज्य मन्त्रालय में था और अब वाणिज्य मन्त्रालय में मेरे साथी पटसन और चाय के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौता करने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं प्रतिशत-

बार जाना नहीं चाहता हूं। सम्भवतया यह एक सही नीति है कि प्राथमिक वस्तुओं और कच्चे माल के निर्यातकों से यदि हम तैयार माल के निर्यातकों को बढ़ावा देते हैं तो यह वांछनीय होगा। अत: स्थिति यह है कि जब भारत अभियान्त्रिकी वस्तुओं, रसायन मदों या निर्मित मदों का निर्यात नहीं करता था तो यह केवल पटसन, चाय आदि जैसा कच्चा माल निर्यात करता था। अत: निर्यात के प्रतिशत का एक बड़ा अंश चाय, पटसन आदि था। परन्तु अभियान्त्रिकी के माल के निर्यात का मूल्य 1100 करोड़ रुपये है, हीरों और आभूषणों के निर्यात का मूल्य लगभग 600 से 700 करोड़ रुपये है। स्वभावत: प्रतिशत के अनुसार तो पटसन और चाय का शेयर कम होगा। परन्तु इसी के साथ-साथ, वास्तव में यह सही है कि हम इन मदों के उत्पादक देशों के बीच किसी प्रकार का समझौता करने में असफल रहे हैं। परन्तु यह केवल हम पर ही निर्भर नहीं करता है। प्रत्येक देश की अपनी समस्याएं हैं। मैं उन देशों के नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। यदि हम निर्यात की इस मात्रा के साथ, अपने कुल चाय-उत्पादन में स्वेच्छा से किसी प्रकार की कटौती करना चाहते तो हम कुछ और अधिक ही कमा लेते। परन्तु हम अन्य चाय उत्पादक देशों को संतुष्ट नहीं कर सके। मैं देश का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उनकी अपनी ही विशिष्ट समस्याएं हैं। यही स्थिति पटसन की भी है। माननीय सदस्य ने यह समाचार तो अवश्य पढ़ा होगा कि सही समस्या क्या है। कल मैंने बंगला देश के मन्त्री महोदय से भी बातचीत की थी और उनकी कुछ समस्याएं थी। हमें यह भी पता करना होगा। परन्तु हम वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरे, कभी-कभी यह होता है कि जहां तक उस मद का प्रश्न है मात्रा तो बढ़ती है परन्तु मूल्य प्राप्ति घट जाती है। कभी-कभी मूल्य बढ़ जाता है परन्तु मात्रा स्थिर रहती है या कभी-कभी घट जाती है। परन्तु समग्र प्रतिशत के सन्दर्भ में गत वर्ष की अपेक्षा निर्यात में 26% की वृद्धि हुई है। परन्तु मैं अभी भी असमंजस में हूं कि वर्ष के अन्त में अन्तिम आंकड़े क्या होंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : आत्म सन्तुष्ट न बनिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं आत्मसन्तुष्ट नहीं बनूंगा। इसलिए मैंने कहा है कि मैं अभी भी असमंजस में हूं।

निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए चलते फिरते रसोईघर

*89. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निम्न आय वर्ग के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम मूल्यों पर भोजन और नाश्ता सुलभ कराने हेतु कुछ चलते फिरते रसोईघर आरम्भ किए गए; यदि हां तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना के बावजूद बड़ी संख्या में सड़क के किनारों पर अनधिकृत और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ सप्लाई करने वाले स्टाल चल रहे हैं जो लोगों को विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों को खाद्य पदार्थ और अन्य पका हुआ भोजन बेचते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि सरकार की पर्याप्त मात्रा में सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ सप्लाई करने वाले स्टाल खोलने की योजना नहीं बनाई जाती तो एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए इन अनधिकृत और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ सप्लाई करने वाले स्टालों में वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) प्रयोग के तौर पर भारत पर्यटन विकास निगम ने उचित कीमतों पर पौष्टिक जलपान मुहैया कराने के लिए दो चलती-फिरती कैटरिंग वैन चालू की हैं। एशियाई खेलों के दौरान यात्रियों के लिए सड़कों पर चलते-फिरते खान-पान की सुविधाओं के एक पूरक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाएगा।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की यह स्कीम मौजूदा प्रबन्ध के एवज में नहीं है, बल्कि एशियाड सम्बन्धी जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हुए, मौजूदा प्रबन्ध के पूरक के रूप में है। हालांकि दिल्ली नगर निगम द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, उन्होंने यह बताया है कि राजधानी में सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में खान-पान के अनधिकृत और अस्वास्थ्यकर स्टाल मौजूद हैं। म्युनिसिपल हैल्थ डिपार्टमैंट समय-समय पर "फूड हाईजीनिक रेड" करते हैं और ऐसे अस्वास्थ्यकर भोजन को, जिस पर धूल गिर रही होती है और मक्खियां भिन-भिना रही होती हैं, नष्ट कर देते है।

(घ) दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्यटन मंत्रालय की, सड़कों के किनारों पर खान-पान सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए कोई उपाय करने सम्बन्धी योजनाएं नहीं हैं।

श्री डूमर लाल बैठा : उत्तर में यह बताया गया है कि उन्होंने केवल दो चलती-फिरती कैटरिंग वैन चालू की हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इन्हें सड़कों पर उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं को हटाने के लिए लाया गया है अथवा वे इन सुविधाओं की पूरक हैं।

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मेरे सहयोगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन्हें सड़कों में उपलब्ध वर्तमान स्टालों और खोमचों के बदले में नहीं लाया जा रहा है, हमने तो ये दो वैन केवल वर्तमान सुविधाओं में वृद्धि के लिए चलाई हैं। इन वैनों द्वारा विद्यमान सुविधाओं का स्थान लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री डूमर लाल बैठा : सम्भवत: एशियाई खेलों के समय दिल्ली में आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या इस प्रकार की वैनों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है।

श्री खुर्शीद आलम खां : हमारा ऐसा अनुमान है कि लगभग दस हजार लोग एशियाई खेलों के सम्बन्ध में यहां आयेंगे। इन दो वैनों को एक विशेष—उपाय के रूप में चालू किया गया है, ये सड़कों की कैटरिंग की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती हैं।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या ये दो वैन लाभ कमा रही हैं और क्या इस योजना को सरकार की स्वीकृति मिली हुई है।

श्री खुर्शीद आलम खां : अभी यह कहना ठीक नहीं है कि यह सक्षम है या नहीं। यह सब भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धक ने किया है और इसलिए उन्होंने इसकी अनुमति दे रखी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या—90 श्री जयपाल सिंह कश्यप···अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 91—श्री नरसिंह मकवाना···अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 92—श्री धर्मदास शास्त्री···अनुपस्थित।

आज लगातार तीन सदस्य अनुपस्थित हैं।

श्री भीखा भाई : श्री शास्त्री ने मुझे प्रश्न संख्या 91 पूछने को प्राधिकृत किया है।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरे दौर के अन्त में लिया जायेगा। प्रश्न संख्या—93—श्री आर० एन० राकेश···अनुपस्थित। प्रश्न संख्या-94—श्री मोहन लाल पटेल···अनुपस्थित। आश्चर्य है।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह डेंगू ज्वर का कमाल है।

श्री सतीश अग्रवाल : अनुपस्थित सदस्यों से 10/- रुपये का अंशदान लिया जाना चाहिये—उनके मंहगाई भत्ते का 20% हितकारी कोष में जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : केवल 10/- रुपये ? 25/- रुपये होने चाहिये।

अगला प्रश्न।

राहत विमान को जम्मू हवाई-अड्डे पर उतरने की अनुमति नही दिया जाना

†95. श्री राम विलास पासवान :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जम्मू हवाई-अड्डे के प्रबन्धक ने उस राहत विमान को जम्मू हवाई-अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं दी जिसे अगस्त, 1982 में अपहृत विमान के यात्रियों को अमृतसर से दिल्ली वापस लाने के लिए भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो राहत विमान को वहां उतरने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) जम्मू हवाई-अड्डे के प्रबन्धक के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। 4 अगस्त, 1982 को दिल्ली से अमृतसर के लिये एक सहायता विमान भेजा गया था। इस विमान को जम्मू नहीं जाना था, बल्कि यात्रियों को अमृतसर से दिल्ली जाना था।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) तथापि स्टेशन प्रबन्धक, जम्मू के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है क्योंकि वह 4 अगस्त, 1982 को एक देरी से परिचालन कर रही अनुसूचित सेवा को लेने के लिये विमान क्षेत्र पर उपलब्ध नहीं था।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है : "4 अगस्त, 1982 को दिल्ली से अमृतसर के लिए एक सहायता विमान भेजा गया था। इस विमान को जम्मू नहीं जाना था, बल्कि यात्रियों को अमृतसर से दिल्ली लाना था" विमानों के सम्बन्ध में सभी स्तरों पर गड़बड़ियां हो रही हैं। सरकार बाद में कहती है कि हम अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं। सरकार ने इसके लिए पहले से विजिलेंस कमेटी बनाई हुई है, जो इन बातों पर नजर रखती है। यदि यह बात सही है, तो क्या यह उसका दोष नहीं है और इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न तो सीधा यह है कि यह रिलीफ प्लेन जम्मू में उतरने नहीं दिया गया। बात यह है कि उस दिन 4 अगस्त को अमृतसर में हाइजैकिंग हो गया था। उसके बाद बर्ड-हिट हो गया। उसके बाद बर्ड-हिट हुआ। उसके बाद वह प्लेन अमृतसर में ग्राउन्डेड हो गया। उस प्लेन को ठीक करने के लिए रिलीफ प्लेन यहां से भेजा गया अमृतसर, कि वह ठीक करके ले आए। उस दिन बर्ड-हिट होने के कारण, दूसरा प्लेन जो श्रीनगर जाने वाला था वह नहीं आ सका। इसलिए उस प्लेन को उस दिन कैंसिल किया गया। फिर जब चार बजे चलाया तो जम्मू के मैनेजर ने उस प्लेन को लेने से इन्कार नहीं किया बल्कि दूसरा प्लेन गया था, जिसकी खबर उनको नहीं थी, वह डिलेड फ्लाइटथी। इसलिए इस प्रश्न का यह सीधा उत्तर है कि ऐसी कोई बात उस दिन हुई ही नहीं।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन मन्त्री जी ने इसमें कहा है कि स्टेशन प्रबंधक, जम्मू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है···

अध्यक्ष महोदय : वह तो दूसरे के लिए थी।

श्री भागवत झा आजाद : दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जब यह प्लेन अमृतसर गया, ग्राउन्डेड हो गया तो जो प्लेन अमृतसर में आया, उसको दिल्ली जाना था, उसको अमृतसर से श्रीनगर वापिस कर दिया इसलिए कि हमारे पास एक प्लेन रहा नहीं जोकि हाईजैक हो गया था। इसलिए उस प्लेन को शुरू में तीन बजे कैंसिल किया, हमारी लाचारी थी, हमारे पास और प्लेन था नहीं लेकिन अन्त में हमारे पास 126 पैसेंजर थे श्रीनगर में, जिनको लाने के लिए हमने फ्लाइट की री शेड्यूलिंग की। अमृतसर वाले को श्रीनगर वापिस भेजा और उसको फिर जम्मू होते हुए वापिस लाए तो उस वक्त स्टेशन मैनेजर, जो पहले कहा गया था कि अब नहीं जायेगा, इसलिए वह आश्वस्त होकर घर चला गया। जब चार बजे हमने कहा कि इसको फिर री-शेड्यूल करेंगे तो उसने अपनी असमर्थता प्रकट की जब प्लेन जम्मू लैंड किया तो वे आ चुके थे परन्तु उनके असमर्थता जाहिर करने के कारण उनके ऊपर डिसीप्लीनरी ऐक्सन लिया गया है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आपने जो कार्यवाही की है वह कब तक पूरी हो जायेगी। क्या ऐक्शन ले लिया है या लिया जा रहा है। अगर लिया जाएगा तो कब तक इस सदन को उससे अवगत करा दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कोई खास बात नहीं है। वे जानना चाहते हैं कि एक्शन की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी।

श्री भागवत झा आजाद : जल्दी ही आ जायेगी।

दुबई में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं को घाटा

*92. भीखाभाई, क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुबई में भारतीय बैंकों की शाखाओं को भारी घाटा हुआ था।

(ख) क्या यह भी सच है कि एक बैंक के चेयरमैन ने हाल ही में मद्रास में यह बताया है कि दुबई में भारतीय बैंकों को कुल कितना घाटा हुआ था और उन्होंने यह भी बताया है कि उनके बैंक को कितना घाटा हुआ था और मद्रास के अनेक समाचारपत्रों ने दिनांक 12 सितम्बर 1982 के अपने अंकों में ये आंकड़े प्रकाशित किये थे;

(ग) क्या उक्त बैंक के चेयरमैन को वर्तमान नियमों का उल्लंघन करके यह ब्यौरा देने के लिए प्राधिकृत किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) केवल एक बैंक अर्थात्, बैंक ऑफ बड़ौदा की दो शाखाएं दुबई में हैं। यह सूचित किया गया है कि गत वर्ष तथा 30.6.1982 को समाप्त होने वाली छमाही में इन दोनों शाखाओं को लाभ हुआ है।

(ख), (ग) और (घ) : मद्रास में समाचारपत्रों ने अपने 12 सितम्बर, 1982 के अंक में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में समाचार प्रकाशित किए थे। समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ "एजेंटों के माध्यम से दुबई से की जाने वाली प्रेषणाओं के संदर्भ में बैंकों को हुई हानियों के बारे में जिक्र किया गया था। इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के अनुसार, यह वक्तव्य उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेन्स एंड एक्सचेंज कारपोरेशन (आई० एफ० ई० सी०) आफ दोहा (कतार) के संदर्भ में दिया था जिसने अपना परिचालन 31 मार्च, 1982 को अचानक बंद कर दिया था इस मामले की ओर सरकार ध्यान दे रही है आई०एफ०ई०सी० के कारबार का परिसमापन करने के लिए स्थानीय

न्यायालय ने एक सरकारी परिसमापक नियुक्त किया था । इस बीच, सम्बन्धित भारतीय बैंकों ने भी सरकारी समापक के पास कुल मिलाकर 8.48 करोड़ रुपए के अपने अलग-अलग दावे प्रस्तुत किए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जैसे ही आपके बोलने बात आई इधर समय समाप्त हो गया ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वायुदूत सेवा को घाटा

* 82. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायुदूत सेवा अब भी घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार वायुदूत सेवा की आवश्यकताओं के उपयुक्त वायुयान ढूंढने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये थे ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) वायुदूत को हुई हानि के लिए उत्तरदायी मूल कारण निम्न प्रकार हैं :—

(i) कुछ सेक्टरों पर यात्रियों का कम भार अनुपात ।

(ii) विमान क्षेत्र परिसीमाओं के कारण आय भार प्रतिबन्ध ।

(ग) और (घ) : विमान क्षेत्रों के आकार तथा उन प्रदेशों जिनमें वायुदूत परिचालन कर रही है तथा भविष्य में परिचालन करने की आशा है, को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ वायुदूत परिचालनों के लिए अधिक उपयुक्त विमानों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है ।

समुद्री तटों का विकास

*85. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन के प्रयोजनार्थ देश में समुद्री तटों के विकास के लिए कौन सी योजनायें विचाराधीन है;

(ख) क्या हमारे समुद्री तटों और तटीय परिस्थितिक पद्धति के संरक्षण और विकास के लिए विख्यात पर्यावरण विशेषज्ञों और समुद्र-तट विहार-स्थल के विशेषज्ञों से भी परामर्श करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, कोवलम और गोवा के समुद्र-तट विहार-स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम की, राज्य सरकारों राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के रूप में पुरी, कोणार्क और पांडिचेरी में होटलों का निर्माण करने की योजनाएं हैं। भारत पर्यटन विकास निगम का महाबलीपुरम में मौजूदा आवास में विस्तार करने का भी प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री द्वारा तटवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों को नवम्बर, 1981 में भेजे गए पत्र के अनुसरण में, जिसमें हमारे समुद्र-तटों को सुरक्षित बनाए रखने और पर्यावरण सम्बन्धी समुचित आयोजना सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था, स्थल/मैरिन इंटरफेस इकोसिस्टम का अध्ययन करने के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा 1 सितम्बर, 1982 को एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है ताकि समुद्र-तटों पर अथवा उनके आस-पास पर्यावरण के प्रबन्ध और विकास के लिए उचित दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकें। इस कार्यकारी दल के अध्यक्ष केन्द्रीय जल प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन है और इन्स्टीच्यूट आफ ओशनोग्राफी, नगर व ग्राम आयोजन संगठन, पर्यावरण विभाग के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, कलकत्ता विश्वविद्यालय के जूओलाजिकल विभाग का एक प्रतिनिधि और पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधि इस दल में हैं। यह आशा की जाती है कि यह कार्यकारी दल दिसम्बर, 1982 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

थोक और खुदरा मूल्य सूचकांक में वृद्धि

*90. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में थोक मूल्य सूचकांक और खुदरा मूल्य सूचकांक आज तक किस अंक तक पहुँच गया है और मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) मूल्यों में उक्त वृद्धि से सरकारी योजनाएं कितने प्रतिशत तक प्रभावित होंगी और उन योजनाओं पर सरकार को कितनी अतिरिक्त राशि खर्च करनी होगी; और

(ग) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं और कब तक कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 18 सितम्बर, 1982 को समाप्त हुए सप्ताह (अद्यतन उपलब्ध) के लिए थोक मूल्य सूचकांक 290.3 था और यह 2 जनवरी, 1982 को समाप्त हुए सप्ताह के 279.5 से 3.9 प्रतिशत अधिक था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो अगस्त 1982 के लिए 488 था (अद्यतन उपलब्ध) जनवरी 1982 के 459 से 6.3 प्रतिशत अधिक था।

(ख) छठी पंचवर्षीय आयोजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में, जो अभी किया जा रहा है, अन्य बातों के साथ-साथ, मूल्य वृद्धि और जनवरी 1981 में आयोजना को अंतिम रूप दिये जाने के बाद से हुई अन्य घटनाओं के संदर्भ में आयोजना के लिए वित्तीय संसाधनों का पुनर्निधारण किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि जिन वार्षिक आयोजनाओं के माध्यम से छठी आयोजना कार्यान्वित की जाती है इनमें मूल्य वृद्धि सहित विद्यमान आर्थिक नीति के सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है।

(ग) सरकार ने सर्वदा मुद्रा स्फीति नियंत्रण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है और पूर्ति पक्ष तथा मांग पक्ष दोनों पक्षों के सम्बन्ध में कई उपाय किये गये हैं। मूल्य स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाती है ताकि और आगे आवश्यक उपाय किये जा सकें। मुद्रास्फीति निरोधक उपायों के परिणामस्वरूप थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 5 जनवरी 1980 के 22.5 प्रतिशत से घटा कर 3 जनवरी, 1981 को 14.0 प्रतिशत और 2 जनवरी, 1982 को 7.6 प्रतिशत पर लाई गई है। 18 सितम्बर, 1982 को समाप्त हुए सप्ताह में मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 2.0 प्रतिशत थी।

वित्त मंत्री के विदेशी दौरे की उपलब्धियां

*91. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मन्त्री के गत महीने के विदेशी दौरे के क्या परिणाम निकले;

(ख) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किन शर्तों को वित्त मंत्री ने अस्वीकार कर दिया ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रमंडल के वित्त मन्त्रियों की 29 अगस्त से 31 अगस्त, 1982 तक लन्दन में हुई बैठकों में शामिल हुआ। इस प्रतिनिधिमण्डल ने '24 के समूह' विकास समिति, अन्तरिम समिति की बैठकों और पहली सितम्बर, से 9 सितम्बर, 1982 तक टोरटों में हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड के संयुक्त वार्षिक विचार-विमर्श में भी हिस्सा लिया।

ये बैठकें विश्व की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में हुई थीं। इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को सुदृढ़ बनाने और उन उपायों पर काफी जोर दिया गया जिससे ये संस्थाएं विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार करने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान कर सकें। इन बैठकों में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के पुनर्भरण, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में संशोधन और विशेष आहरण अधिकारों (एस० डी० आर०) का आवंटन शामिल हैं। अधिकांश दाता देश अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण में राजकोषीय वर्ष 1983 के लिए अपना पूरा अंशदान करने के लिए सहमत हो गए। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के लिए राजकोषीय वर्ष 1984 के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सातवें पुनर्भरण के लिए औपचारिक बातचीत 1982 का वर्ष समाप्त होने से पहले शुरू की जानी चाहिए और उसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का संबंध है, अधिकांश देशों ने वास्तविक अर्थ में इनका विस्तार किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे में काफी वृद्धि करने के पक्ष में मोटेतौर पर मतैक्य था। इन बैठकों में विशेष आहरण अधिकारों (एस० डी० आर०) के नए आवंटन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

चूंकि इन बैठकों में चर्चित विषयों का स्वरूप मोटेतौर पर नीति के संबन्ध में था, इसलिए किन्हीं विशेष शर्तों और सामान्य शर्तों को स्वीकार किए जाने अथवा अस्वीकार करने की कोई बात नहीं थी जो आमतौर से विशिष्ट कार्यक्रमों से जुड़ी होती हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों में स्वच्छता

*93. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा राजधानी में संचालित होटलों में विशेष रूप से रसोईघरों तथा शौचालयों में, स्वच्छता और सफाई की हालत बिगड़ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अप्रशिक्षित तथा गैर-अनुभवी कर्मचारियों के कारण काफी समय से इस सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में विशेषकर आगामी एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए, सुधार करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के मैनेजमेंट द्वारा उनके होटलों की रसोईघरों और शौचालयों में स्वच्छता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है।

(ख) समर्थ, अनुभवी और प्रशिक्षित स्टाफ नियोजित किया गया है और स्थिति संतोषजनक है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में स्वच्छता के स्तर में और सुधार लाने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के मैनेजमेंट से प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है। मैनेजमेंट को यह भी निर्देश दिया गया है कि इस दिशा में सुधार लाने के लिए और विशेष रूप से आगामी एशियाई खेलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सघन और आकस्मिक निरीक्षणों के रूप में विशेष अभियान चलाए जाएं।

तम्बाकू के उत्पादन और निर्यात का अध्ययन

*94. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मन संघ गणराज्य और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया है और देश में तम्बाकू के उत्पादन और उसकी निर्यात क्षमता का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इसका व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय तम्बाकू की क्वालिटी तथा प्रतियोगी क्षमता को ध्यान में रखते हुए भारत से जर्मनी संघीय गणराज्य यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों को तम्बाकू को निर्यात बढ़ाने की संभाव्यता अभिज्ञात की गई। इस पर सहमति हुई कि खरीद के लिए तम्बाकू की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए भारतीय तम्बाकू के नमूने सूक्ष्म परीक्षण के लिए आयातकों के पास भेजे जाने चाहिए और विदेशी विनिर्माताओं द्वारा उनका अध्ययन किया जाना चाहिए।

(ग) तम्बाकू बोर्ड, भारत तथा विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेकर बाजार सर्वेक्षण करके, विदेशों में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेज कर तथा विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों आदि को बुला कर भारत से तम्बाकू के निर्यात बढ़ाने के लिए पहले ही कदम उठा रहा है।

व्यापक रबड़ नीति

*96. **श्री ईरा अनबारासू** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम रबड़ दोनों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही व्यापक रबड़ नीति का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या आयातित प्राकृतिक रबड़ की कीमत, जो विदेशों में बहुत कम मूल्य पर मिल जाता है, स्वदेशी प्राकृतिक रबड़ के बराबर है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी कोई मांग है कि आयातित कृत्रिम रबड़ पर सीमा-शुल्क बढ़ा दिया जाये ताकि कृत्रिम रबड़ का उत्पादन करने वाले स्वदेशी एकक रुग्ण न हो जाएं ; और

(घ) क्या टायरों के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों का, जो प्रमुख टायर निर्माताओं द्वारा बढ़ाये जाते हैं, कृत्रिम रबड़ और प्राकृतिक जैसे आदान की कीमत से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क), (ख) तथा (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि० ने अभ्यावेदन किया है कि आयातित सश्लिष्ट रबड़ पर सीमाशुल्क बढ़ाया जाए ।

विवरण

(क) प्राकृतिक रबड़ सम्बन्धी व्यापक नीति का लक्ष्य रबड़ उपजकर्ताओं तथा रबड़ का माल बनाने वालों दोनों के हितों का संरक्षण करना है । अन्तः मन्त्रालय परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से मांग तथा पूर्ति की सतत मानिटरिंग के आधार पर प्राकृतिक रबड़ का आयात विनिर्माताओं की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है । प्राकृतिक रबड़ का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सारणीबद्ध है और ऐसे ढंग से किया जाता है जिससे कि आयातित रबड़ देश में प्राकृतिक रबड़ के लिए कम उत्पादन सीजन के दौरान रबड़ मल उद्योग को उपलब्ध कराया जाए । सरकार आयातों पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में रबड़ उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से रबड़ उपजकर्ताओं के कल्याण के लिए रबड़ बोर्ड के माध्यम से विभिन्न विकासपूरक स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है ।

जहां तक संश्लिष्ट रबड़ का सम्बन्ध है, इस मद के उत्पादन का संबंध पेट्रोलियम विभाग से है । दो संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र हैं अर्थात् मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि०, बरेली तथा इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लि० बड़ौदा । सरकार की नीति देश में संश्लिष्ट रबड़ उत्पादन बढ़ाने तथा इसके आयात न्यूनतम करने की है । ब्यूटाइल रबड़, नियो-प्रीन/क्लोरोप्रीन, वी० पी० लेटेक्स, हाइपैलोन, विटोन, पीटी एफ, ई तथा ई० पी० डी० एम० के सिवाए सश्लिष्ट रबड़ के आयात को अनुमति 1982-83 की आयात नीति के परिशिष्ट 5 के अन्तर्गत है । इन मदों के आयात की अनुमति ओ० जी० एल० के अन्तर्गत है ।

(ख) रबड़ माल विनिर्माताओं को रिलीज के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित प्राकृतिक रबड़ को बिक्री कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा मुख्य नियन्त्रक आयात तथा निर्यात की अध्यक्षता में एक कीमत निर्धारण समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है । बिक्री कीमत का निर्धारण करते समय माल की लागत, भाड़ा लागतों, आयात शुल्क, एस० टी० सी० के लिए न्यायोचित लाभ मार्जिन आदि को भी ध्यान में रखा जाया है ।

(घ) मोटरगाड़ी टायरों की कीमत पर कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक नियन्त्रण नहीं है । टायर विनिर्माताओं द्वारा बार-बार की जाने वाली कीमत वृद्धियों के प्रश्न पर विचार

करने पर औद्योगिक विकास विभाग ने मामला आटोमोबाइल टायर विनिर्माताओं के दावों का यह अध्ययन करने के लिए कि कीमत वृद्धियां लागत पहलुओं की वजह से जरूरी हो जाती है और आगे समुचित कदमों पर सरकार को सलाह देने के लिए औद्योगिक लागत तथा कीमत ब्यूरो को भेजा। औद्योगिक विकास विभाग को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और यह उनके विचाराधीन है। इस अवस्था में इसके अंश प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

हवाई अड्डों पर "मेटल डिटेक्टर" (धातु की वस्तुओं का पता लगाने वाले उपकरण) लगाना

*97. श्री निहाल सिंह : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हवाई अड्डों पर "मेटल डिटेक्टर" लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च करने की संभावना है; और

(ग) ऐसे हवाई अड्डों के नाम क्या हैं और उन पर ये उपकरण कब तक लगा दिये जायेंगे ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1982-83 के अन्त तक, इस पर 45.19 लाख रुपये के खर्च होने की संभावना है।

(ग) 71 विमान क्षेत्रों पर पहले ही हस्त-धारित मेटल डिटेक्टरों की पूर्ति की जा चुकी है। इन विमानक्षेत्रों की एक सूची लोक सभा-पटल पर रखी है।

47 विमान क्षेत्रों पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाने का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। 17 विमान क्षेत्रों पर ये लगाने का कार्य पूरा होने की संभावना है। इन विमान क्षेत्रों की भी एक सूची लोक सभा-पटल पर रखी है। भविष्य में इस प्रकार के उपकरण जमशेदपुर, गया, राउरकेला, लुधियाना तथा देहरादून पर भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

विवरण

(क) हस्त-धारित मेटल डिटेक्टर :

निम्नलिखित विमान क्षेत्रों पर पहले ही लगाये गये हैं।

1. बम्बई
2. कलकत्ता
3. दिल्ली
4. मद्रास
36. नागपुर
37. पुणे
38. इम्फाल
39. दीमापुर

5. हैदराबाद
6. भुन्तर
7. तिरूपति
8. विजयवाड़ा
9. विशाखापत्तनम
10. मोहनबाड़ी
11. जोरहाट
12. गोहाटी
13. लीलाबाड़ी
14. कुम्भीग्राम
15. तेजपुर
16. रांची
17. भुज
18. अहमदाबाद
19. जामनगर
20. केशोद
21. पोरबन्दर
22. राजकोट
23. वडोडरा
24. लेह
25. वेलगाम
26. कोचीन
27. मंगलौर
28. त्रिवेन्द्रम्
29. भोपाल
30. ग्वालियर
31. इन्दौर
32. जबलपुर
33. खजुराहो
34. रायपुर
35. औरंगाबाद
40. भुवनेश्वर
41. जयपुर
42. जोधपुर
43. उदयपुर
44. कोयम्बतूर
45. मदुरै
46. त्रिचिरापल्ली
47. अगरतला
48. आगरा
49. इलाहाबाद
50. गोरखपुर
51. कानपुर
52. लखनऊ
53. वाराणसी
54. पोर्ट-ब्लेयर
55. चंडीगढ़
56. डबोलिम
57. बागडोगरा
58. जम्मू
59. श्रीनगर
60. अमृतसर
61. पटना
62. बंगलौर
63. भावनगर
64. बारापानी
65. कैलाशहर
66. तेजू
67. जमशेदपुर
68. गया
69. राउरकेला
70. लुधियाना
71. देहरादून

(ख) डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर ।

निम्नलिखित विमान क्षेत्रों पर पहले ही लगाए गए हैं :—

1. त्रिवेन्द्रम
2. वाराणसी
3. हैदराबाद
4. अमृतसर
5. पटना
6. तिरूचिरापल्ली
7. जम्मू
8. श्रीनगर
9. अहमदाबाद
10. बम्बई
11. जयपुर
12. इम्फाल
13. अगरतला
14. गोहाटी
15. नागपुर
16. आगरा
17. लखनऊ
18. डबोलिम (गोवा)
19. कोचीन
20. उदयपुर
21. मद्रास
22. दिल्ली (पालम)
23. कलकत्ता
34. मदुरै
25. कोयम्बतूर
26. पुणे
27. मंगलौर
28. बेलगाम
29. भावनगर
30. कैशोद
31. पोरबन्दर
32. बडोडरा (बड़ौदा)
33. राजकोट
34. जामनगर
35. इलाहाबाद (नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र)
36. औरंगाबाद
37. विशाखापत्तनम्
38. तिरुपति
36. विजयवाड़ा
40. जोधपुर
41. चंडीगढ़
42. ग्वालियर
43. खजुराहो
44. भोपाल
45. इंदौर
46. रायपुर
47. बंगलौर

लगाए जाने का प्रस्ताव है

1. बागडोगरा
2. जोरहाट
3. दीमापुर
4. कानपुर
5. लेह

6. पोर्ट-ब्लेयर
7. रांची
8. भुज
9. भुन्तर
10 गोरखपुर
11. कैलाशहर
12. तेजपुर
13. बारापानी
14. भुवनेश्वर
15. जबलपुर
16. सिल्चर
17. तेजू
18. जमशेदपुर
19. गया
20. राउरकेला
21. लुधियाना
22. देहरादून

5 पैसे के सिक्के की ढलाई

*98. **श्री अनन्त रोमुलु मल्लु :**

श्री के० मानिग्ना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पांच पैसे का सिक्का ढालने में घाटा हो रहा है;

(ख) क्या सरकारी टकसाल के अधिकारियों ने पांच पैसे के सिक्के का निर्माण बन्द करने के लिए केन्द्र की अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। हाल के वर्षों में लागतों में वृद्धि होने के कारण अब 5 पैसे के सिक्के की कुल औसत लागत 13 पैसे है।

(ग) जी, नहीं। टकसाल प्राधिकारियों ने 5 पैसे के सिक्के के निर्माण को बन्द करने का कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा है। ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

मेवाड़ काम्पलेक्स का विकास

*99 **श्री दीन बंधु वर्मा :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेवाड़ काम्पलेक्स का पर्यटन-विकास करने पर विचार किया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा पर्यटक रुचि के उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा विकास किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) से (घ) : पर्यटन मंत्रालय ने निर्माण तथा आवास मन्त्रालय के नगर व ग्राम आयोजन संगठन से हल्दीघाटी, चालन्द रकता-तलाई, गोकुंडा और कुम्भलगढ़ को शामिल करते हुए मेवाड़ कम्लैक्स की मास्टर प्लान (भूमि-उपयोग योजना) तैयार कारवाई थी जिसकी एक प्रति राज्य सरकार को अनुमोदन प्रदान करने और अधिसूचित करने के लिए भिजवाई गई है ।

राज्य सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वे कृपया यह बताएं कि सड़कों के पुनर्विकास, वन-रोपन, स्थल विकास, पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था, आदि जैसी मदों में से जो मास्टर प्लान में परिकल्पित हैं, कौन-कौन् सी मदों पर कार्रवाई प्रारम्भ करेंगे ।। इस सूचना के मिल जाने के बाद ही केन्द्रीय सेक्टर के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं निर्धारित की जाएंगी

केरल के मंत्री को कनाडा यात्रा हेतु अनुमति

876. **श्री ए० नोलालोहिथादसन नाडार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के विद्युत मंत्री ने कनाडा यात्रा करने के लिए भारत सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने इसके लिए स्वीकृत्ति दे दी है;

(ग) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) वित्त मंत्रालय ने पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के कितने मंत्रियों को विदेश यात्राओं पर आपत्ति की है और मंत्रियों के नाम और राज्यों के ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां । केरल सरकार के विद्युत मन्त्री ने अगस्त 1982 के दौरान कनाडा और जापान की यात्रा करने के लिए भारत सरकार की अनुमति मांगी थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) अपने मंत्रियों को विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है । इस सम्बन्ध में अपनाई गई व्यापक नीति के अनुसार उन विदेश यात्राओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है जिनका सम्बन्ध किसी अनुमोदित परियोजना से न होकर केवल सामान्य सूचना/जानकारी इक्ट्ठा करने से होता है ।

सितम्बर, 1982 में समाप्त हुए गत वर्ष के दौरान जम्मू तथा कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों से उनके आठ मन्त्रियों की यात्राओं के सम्बन्ध में अलग-अलग ऐसे सात प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनका अनुमोदन नहीं किया गया ।

सरकारी कर्मचारियों के विदेश दौरे

877. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकारी कर्मचारियों के परिहार्य विदेश दौरों के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; (इंडिया टुडे 15 अगस्त 1982)

(ख) क्या सरकार का विचार ये कार्य विदेशों में भारतीय मिशनों को सौंप कर विदेश दौर कम करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों में महत्वपूर्ण दूतावासों/उच्चायोगों में प्रशासनिक अधिकारियों के स्थान पर तकनीकी कार्मिक नियुक्त करने का है जैसा कि इस समय कृषि मन्त्रालय आदि जैसे मंत्रालयों के मामले में हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) : हालांकि "गवर्नमेंट जनकेटिंग मैनिया" नामक लेख में, जो कि 15 अगस्त, 1982 के 'इंडिया टुडे' में प्रकाशित हुआ था, दी गई सांख्यकीय सूचना आंशिक रूप से सही है, लेकिन उससे निकाले गए निष्कर्ष और लेख में की गई परिकल्पनाएं अधिकांश रूप से गलत हैं ।

(घ) इस आशय के अनुदेश पहले से विद्यमान हैं कि तब तक किसी प्रतिनिधिमण्डल प्रतिनियुक्ति को प्रायोजित न किया जाए जब तक यह स्पष्ट न हो कि मामले पर कार्यवाही विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा नहीं की जा सकती है ।

(ग) रक्षा, वाणिज्य, आपूर्ति रेलवे, पर्यटन और नागर विमानन आदि जैसे अधिकांश मंत्रालयों के विदेशों में महत्वपूर्ण दूतावासों/उच्चायोगों में या तो तकनीकी अधिकारी नियुक्त हैं और या विदेश में उनके शाखा कार्यालय हैं ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक पदार्थों का वितरण

878. **श्री आशफाक हुसैन** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1981, 1 अप्रैल 1981 से 31 मार्च 1982 तथा 1 मार्च 1982 से 30 सितम्बर 1982 की अवधि में भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पदार्थ-वार और राज्य-वार वितरित किए गए आवश्यक पदार्थों की कुल बिक्री का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सहकारी और गैर-सहकारी प्रणाली के माध्यम से कुल कितने मूल्य के रूप में पदार्थ वितरित किए गए;

(ग) क्या केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर आवश्यक पदार्थों के वितरण के निगरानी रखने तथा इस सम्बंध में सलाह देने के लिए सरकार ने किसी सलाहकार निकाय का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सलाहकार निकाय के कार्मिकों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) (क) और (ख) : राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) : राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे उचित दर की दुकानों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए जिला ब्लाक तथा ताल्लुका स्तर विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता सलाहकार समितियों का गठन करें। केन्द्रीय स्तर पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की समय-समय पर पुनरीक्षा करने के लिए नागरिक पूर्ति मंत्री जी की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसके सदस्यों में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री, अन्य केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य से सम्बन्धित अभिकरणों के प्रतिनिधि तथा दो संसद सदस्य (दोनों सदनों में से एक) शामिल हैं।

इन्सैट-1ए के काम न करने से मौसम विज्ञान विभाग को आघात पहुंचाना

879. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सैट-1 ए के काम न करने के कारण मौसम विज्ञान विभाग को तूफान संबंधी जानकारी रखने के सम्बन्ध में कोई आघात पहुँचा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इन्सैट-1ए की क्षति का सबसे अधिक प्रभाव चक्रवात-निगरानी पर पड़ा है।

(ख) इन्सैट-1ए से आवश्यकता होने पर प्रायः कम अंतरालों पर चक्रवातों का पता लगाने की सुविधा के साथ, हर आधे घंटे में पृथ्वी के बादलों के चित्र मिलने की आशा थी। फिलहाल यह संभव नहीं है।

सुपर बाजार द्वारा बासमती चावल की खरीद

880. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुपर बाजार ने बासमती चाव खरीद की थी और लेडी इर्विन कालेज में स्थित इसकी किस्म नियंत्रण-प्रयोगशाला ने इसे मती चाव न के रूप में बेचने के अनुपयुक्त घोषित कर दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि सुपर बाजार ने उसी चावल को बासमती चावल के 7.65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, जबकि सुपर बाजार ने इसे 5.40 रुपये प्रति ग्राम की दर से खरीदा था;

(ग) इस चावल को बासमती चावल के रूप में बेचने की अनुमति देने के जिम्म व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जबकि किस्म नियंत्रण-प्रयोगशाला ने इसे स्वीकृति प्रदान नहीं तथा उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सुपर बाजार में एक मूल्य-निर्धारण-समिति है और यदि हां, तो बा चावल, दालें, मसाले तथा अन्य उपभोक्ता और किराने की मदों जैसी वस्तुओं पर सुपर की लाभ की प्रतिशतता क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ (क) और बाजार में उपलब्ध बासमती चावल में आमतौर पर चावल की अन्य किस्में मिली हैं। सुपर बाजार द्वारा समय-समय पर खरीदे जाने वाले बासमती चावल को बेचने उनकी किस्म नियंत्रण प्रयोगशाला में जांच की जाती है। सुपर बाजार द्वारा बेचे जा चावल की किस्म खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अनुसार होती है।

(ख) जी, नहीं।

(घ) सुपर बाजार में एक मूल्य निर्धारण समिति गठित की गई है। बासमती दालों, मसालों जैसी वस्तुओं और किराने की अन्य मदों पर सुपर बाजार की लाभ क (मार्जिन) उनकी कुल बिक्री के अनुसार 5 से 10 प्रतिशत के बीच होती है।

माल-ढुलाई के लिए एक विदेशी एयरलाइन्स कम्पनी के साथ ठेका

881. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा क

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय/नागर विमानन विभाग ने हाल में अपने एयरलाइन्स, "एयर इंडिया" की उपेक्षा करते हुए देश के भीतर माल-ढुलाई के लिए एक विमान कम्पनी को ठेका दिया है;

(ख) "एयर इंडिया" की वरीयता में विदेशी एयरलाइन्स को ठेका देने के लि जिम्मेदार है; और

(ग) क्या उन्होंने इस मामले की जांच कराई है तथा स्थिति में सुधार के लिए और देश के धन को बाहर जाने से रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

एशियाई खेलों के लिए सरकारी होटलों की सजावट तथा साज सज्जा करना

882. **श्री कृष्ण चन्द पांडे**

श्री राम लाल राही : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाई खेलों से पहले सरकारी होटलों को सजावट और साज-सज्जा पर सरकार का 1.4 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी होटलों में अब तक लगभग नया फर्नीचर अपेक्षित स्तर का नहीं हैं; और

(ग) क्या इसके स्थान पर लगाए जाने वाला साज सज्जा का सामान आदि भारत-निर्मित होगा अथवा इसे विदेशों से आयात करने का विचार किया गया है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) आई० टी० डी०सी० ने दिल्ली में अपने विद्यमान होटलों की सजावट और साज-सज्जा के लिए एशियाई खेलों से पूर्व कोई विशेष स्कीमें प्रारम्भ नहीं की हैं। तथापि, समान्य रख-रखाव के एक अंग के रूप में चालू वित्तीय वर्ष (1982-83) के दौरान 60.00 लाख रुपये का व्यय होने की संभावना है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कांडला पत्तन से निर्यात की गई चीनी

883. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जनवरी, 1982 से सितम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान कांडला पत्तन से कुल कितनी चीनी का निर्यात किया गया तथा किन-किन देशों का किस-किस दर पर यह निर्यात किया गया;

(ख) जहाज पर चढ़ाते समय असावधानी बरते जाने के कारण कितनी और कितने मूल्य की चीनी खराब हो गई;

(ग) इसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) खराब चीनी का निपटान कैसे किया गया तथा उसकी बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जनवरी 1982 से सितम्बर, 1982 तक कांडला पत्तन से 59,800 मि० टन चीनी की मात्रा का निर्यात किया गया है। जिन देशों को यह चीनी निर्यात की गई वे हैं इण्डोनेशिया तथा चीन। यह संविदागत दरों पर निर्यात की गई हैं जो अलग-अलग खेप के लिये अलग-अलग है।

(ख) निर्यात के समय रख-रखाव में कोई चीनी खराब नहीं हुई है।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के सुपर बाजार में अधिक मूल्य होना

884. **श्री राम लाल राही** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के सुपर बाजार में चना, मटर, दालें आदि जैसी राष्ट्रीय जिन्सों के भाव उत्तर प्रदेश में इन जिन्सों के विद्यमान-भावों की तुलना में दुगने हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं; और

(ग) इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) (क) से (ग) : सुपर बाजार में बेची जाने वाली दालों, चने आदि के खुदरा मूल्य दिल्ली के स्थानीय महत्वपूर्ण बाजारों के खुदरा मूल्यों की तुलना में पूर्णतः प्रतियोगी हैं।

सुपर बाजार में एक परिवीक्षा सेल है जो बाजार मूल्यों पर नजर रखता है।

भारत और ईरान के बीच व्यापार समझौता

885. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1982 में ईरान के शिष्टमण्डल की भारत यात्रा के दौरान ईरान सरकार और भारत सरकार के बीच विदेश व्यापार के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई थी; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : ईरानी मजलिस के स्पीकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसमें ईरान के उप वाणिज्य मन्त्री शामिल थे, अगस्त, 1982 के दौरान भारत का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान हुए विचार-विमर्श के पश्चात् वाणिज्य मन्त्री ने 24 से 26 अगस्त, 1982 तक ईरान की यात्रा की। अपनी यात्रा के अन्त में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

कर्नाटक में विश्व बैंक अथवा इसकी एजेन्सियों द्वारा वित्तपोषित परियोजना

886. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में स्थापित ऐसी कौन-सी विभिन्न परियोजनाएं हैं जिन्हें विश्व बैंक अथवा इसकी ऐजेंसियों द्वारा वित्तपोषित किया गया है या किया जा रहा है;

(ख) इन परियोजनाओं का स्वरूप क्या है तथा राज्य में ये कहां-कहां स्थापित की गई हैं; और

(ग) विश्व बैंक से सहायता की कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा इन परियोजनाओं की स्थापना से अर्थ-व्यवस्था का कितना विकास हुआ है ?

वित्तमंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	ऋण की राशि लाख डालर	परियोजना का क्षेत्र	विवरण
1.	2.	3.	4.	5
1.	मैसूर कृषि ऋण परियोजना	400.00	सारा कर्नाटक राज्य	कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए।
2.	मैसूर कृषि बाजार परियोजना	80.00	—तदेव—	कृषि बाजार का विकास करने के लिए।
3.	सूखा आशंकित क्षेत्र परियोजना	350.00	बहुराज्यीय बीजापुर जिला	कृषि और संबंधित कार्यों के उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए।
4.	प्रथम जनसंख्या परियोजना	212.00	बहुराज्यीय बंगलौर, चित्रदुर्ग, कोलार, शिमोगा, और टुंकूर।	भारत के परिवार नियोजन सेवाओं के कार्यक्रम को पूरी तरह लागू करने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी पूरी

1	2	3	4	5
				मूलभूत और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए।
5.	कर्नाटक सिंचाई परियोजना	1176.40	कर्नाटक	ऊपरी कृष्णा योजना का विकास और मालप्रभा तथा घाटप्रभा के कमान क्षेत्र का विकास
6.	कर्नाटक तालाब सिंचाई	540.0	कर्नाटक	कर्नाटक में लघु सिंचाई कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता देने के लिए।
7.	कर्नाटक डेरी परियोजना	300.0	बंगलोर, मसूर, हासन, टुंकूर, चिकमगलूर, कोलार, मंडया और कुर्ग	कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में अमूल के नमूने पर एकीकृत दूध उत्पादन कार्यक्रम का विकास करने के लिए।
8.	दूसरी राष्ट्रीय बीज परियोजना	160.00	बहुराज्यीय सारा कर्नाटक	कर्नाटक सहित 5 राज्यों में बीज उद्योग का विकास करने के लिए
9.	काजू परियोजना	220.00	बहुराज्यीय दक्षिण कन्नड़	कर्नाटक सहित जहां 13,000 हैक्टेयर क्षेत्र में काजू के बाग लगाए जाएंगे, 4 राज्यों में काजू उत्पादन और सहायक सुविधाओं का विकास।
10.	संयुक्त कृषि विस्तार परियोजना	250.00	बहुराज्यीय सारा कर्नाटक	भाग लेने वाले राज्यों में कृषि उत्पादन में अल्दी और दीर्घकालीन सुधार करने के लिए।
11.	कर्नाटक रेशम कीटपालन परियोजना	540.00	कर्नाटक	यह परियोजना रेशम कीटपालन के एकीकृत विकास को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है।

1	2	3	4	5
11.	(क) इसके अतिरिक्त कर्नाटक में केन्द्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित हो चुकी हैं या कार्यान्वित की जा रही है ।			
12.	ग्रामीण विद्युतीकरण I		48.74	ग्रामीण विद्युतीकरण प्रणालियों का विस्तार और सुधार।
13.	ग्रामीण विद्युतीकरण II		81.60	—तदेव—
14.	दूसरा अनाज भंडारण	(कर्नाटक का हिस्सा उपलब्ध नहीं है)	1070.00	वसूली और वितरण दोनों के लिए अनाज का भंडार करने के लिए गोदामों का निर्माण ।

टिप्पणी : क्रम संख्या 1 से 4 तक और 12 की परियोजनाएं समाप्त कर दी गई हैं शेष परियोजना इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं ।

बिहार में बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों को ऋण न दिया जाना

887. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक आदि ने मधुबनी, बीरिपट्टी, दरभंगा, जली, बहेरी, मड़वाड़ा (सिहबारा), जय नगर तथा बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में अन्य स्थानों पर स्थित अपनी शाखाओं को स्वतः रोजगार सहित लघु औद्योगिक इकाइयों को कोई ऋण न देने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो थर्मामीटर, ईंट के भट्टे, तेल उत्पादक उद्योग, मुर्गीपालन, बकरी-पालन फार्मों आदि को ऋण अस्वीकार करने के क्या कारण हैं तथा क्या इस संबंध में उत्तर-दायित्व निर्धारित करने का विचार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इन चारों बैंकों ने सूचित किया है कि उन्होंने बिहार में अपनी शाखाओं को इस प्रकार के कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बिहार के मधुबनी तथा दरभंगा जिलों की शाखाओं सहित सभी बैंक शाखाओं को सलाह दी गयी है कि स्वयं नियोजन के तथा लघु एककों से प्राप्त अर्थक्षम प्रस्तावों पर समुचित विचार करें और आवश्यकता पर आधारित ऋण उपलब्ध करायें ।

इंजीनियरी सामान का निर्यात लक्ष्य

888. श्री नवीन रवाणी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-82 के लिए इंजीनियरी सामान के निर्यात का क्या लक्ष्य है;

(ख) किन-किन देशों को इंजीनियरी सामान का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) अप्रैल से जून, 1982 तक की अवधि (प्रथम तिमाही) के दौरान कितने मूल्य के इंजीनियरी सामान निर्यात किया गया; और

(घ) निकट भविष्य में इंजीनियरी सामान के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वर्ष 1982-83 के लिए इंजीनियरी माल के निर्यात का लक्ष्य 1400 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है।

(ख) इंजीनियरी माल का निर्यात विश्व के लगभग सभी देशों को किया जाता है : दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, पूर्व यूरोप, पश्चिम यूरोप, अमरीका, कैरेबियन द्वीप समूह, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड।

(ग) अप्रैल-जून, 1982 के दौरान इंजीनियरी माल के निर्यात का अनुमान 215 करोड़ रुपये है।

(घ) सरकार ने व्यापार प्रतिनिधिमण्डल, अध्ययन दल तथा बिक्री दल भेजने, विदेशों से प्रतिनिधिमण्डल बुलाने, विदेशों में सम्मेलन आयोजित करने, प्रचार अभियान बढ़ाने, विदेशों में कार्यालय खोलने तथा व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने में इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद जैसे निर्यात संवर्धन संगठनों की सहायता करने के अलावा, इंजीनियरी माल के निर्यात बढ़ाने के लिए दूसरे अनेक उपाय किये हैं। इन उपायों में से कुछ निम्नांकित प्रकार हैं :

(1) इंजीनियरी माल के निर्यातकों को प्राथमिकता के आधार पर इस्पात तथा कच्चे लोहे की सप्लाई की एक योजना चलाई जा रही है।

(2) फरवरी, 1981 में घरेलू इस्पात की कीमतों में वृद्धि हुई। यह निर्णय लिया गया है कि विद्यमान संविदाओं के सम्बन्ध में इस्पात तथा कच्चे लोहे की वृद्धि पूर्व तथा वृद्धि पश्चात के बीच के अन्तर की निर्यातकों की प्रतिपूर्ति की जायेगी। अन्य संविदाओं के बारे में यह निर्णय किया गया है कि निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर इस्पात की अपनी आवश्यकताएं प्राप्त करेंगे। घरेलू कीमत तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के बीच के अन्तर की निर्यात किये जाने के बाद निर्यातकों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(3) अधिक उत्पादन सुकर बनाने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात के लिए उत्पादन को औद्योगिक यूनिटों की लाइसेंसशुदा क्षमता के बाहर रखा जायेगा।

(4) आयात शुल्क छूट वाले अग्रिम आयात लाइसेंस जारी करने की एक योजना चलाई जा रही है जो निर्यात उत्पादन के लिए अपेक्षित आवश्यक कच्चे माल के आयात को सुकर बनाती है। इंजीनियरी माल के अपेक्षित बहुत सी मदें इस योजना में शामिल हैं।

(5) जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है प्रौद्योगिकों के आयात की अनुमति दी जाती है।

(6) जो यूनिट अपने पूरे उत्पादन का निर्यात करने का वचन देते हैं उन यूनिटों को आकर्षक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हाल ही में शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों की एक योजना आरम्भ की गई है।

छावनी के स्कूलों तथा दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में जूनियर बेसिक अध्यापकों की अधिकतम प्रवेश-आयु में असमानता

889 श्री भीखा भाई : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिल्ली छावनी के स्कूलों तथा दिल्ली प्रशासन स्कूलों में जूनियर बेसिक अध्यापकों की अधिकतम प्रवेश-आयु में असमानता बनी हुई है तथा छावनी के स्कूलों में यह आयु 30 वर्ष निर्धारित कर रही है, जबकि दिल्ली प्रशासन के स्कूलों के मामले में इसे 40 वर्ष निर्धारित कर रखा है।

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि इस असमानता के कारण अधिकांश अनुभवी अध्यापक छावनी के स्कूलों में नौकरी नहीं कर पाते तथा इससे छात्रों को उनके बहुमूल्य अनुभव से वंचित रहना पड़ता है;

(ग) क्या उनका विचार इस असमानता को दूर करने का तथा अनेक अनुभवी और मेधावी अध्यापकों की छावनी के स्कूलों में सेवा करने के योग्य बनाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

छावनी बोर्ड के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों और प्रथम नियुक्ति के समय प्रवेश की

अधिकतम आयु पर समय-समय पर यथा संशोधित छावनी निधि कर्मचारी नियम 1937 लागू होते हैं। इन नियमों के अधीन 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी व्यक्ति बोर्ड के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तथापि कमान का जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ अपने विवेक से उक्त आयु सीमा में सामान्यतया अथवा विशेषतया उस सीमा तक छूट दे सकता है जिसे वह विशिष्ट श्रेणियों अथवा खास छावनियों अथवा अलग-अलग मामलों में उचित समझे।

2. छावनी बोर्ड के स्कूलों तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूलों में काम कर रहे अध्यापकों पर उपर्युक्त नियम लागू होते हैं। इस बात का पता कर लिया गया है कि दिल्ली नगर निगम में सहायक अध्यापकों की भरती के लिए पुरुष अध्यापकों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तथा महिला अध्यापिकाओं के मामलों में 40 वर्ष है। प्रत्येक मामले के औचित्य और परिस्थितियों के आधार पर कमान का जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ उपर्युक्त सीमाओं में अपने विवेक से छूट दे सकता है इसलिए दिल्ली में छावनी बोर्ड के अध्यापकों की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

होटल कनिष्क (भारत पर्यटन विकास निगम) में चैम्बरमेड के लिए सप्लाई की गई वर्दी

890. **श्री एन० ई० होरो :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान होटल कनिष्क (भारत पर्यटन विकास निगम) में "चैम्बर-मेड" के लिए सप्लाई की गई बैलबाटम वाली उस वर्दी की ओर दिलाया गया है, जो यात्रियों के मन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं डालती; और

(ख) क्या सरकार का विचार साड़ी अथवा सूट सप्लाई करके "चैम्बरमेड" की ड्रेस को अधिक आकर्षित बनाने का है, ताकि कम से कम आगामी एशियाड-82 के दौरान अच्छा प्रभाव पड़ सके ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटल कनिष्क में "चैम्बर मेड्स" को उनकी ड्यूटीज के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से टेरीकाट के नेवी ब्लयू टाप्स और ट्राउसर्ज प्रदान किए जाते हैं। इस यूनिफार्म का, कुल मिलाकर, अच्छा स्वागत हुआ है तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति को देखते हुए इसे आरामदेह पाया गया है।

तमिलनाडु में महालेखाकार के कार्यालय में पेंशन-रूपान्तरण मामलों का निपटान

891. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान महालेखाकार, तमिलनाडु के कार्यालय में तमिलनाडु से कुल कितने पेंशन-रूपान्तरण मामले प्राप्त हुए है;

(ख) इनमें से कितने मामलों का अब तक निपटान किया जा चुका है तथा ऐसे कितने मामले अभी तक लम्बित पड़े है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे अनुरोधों के निपटान के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है?

वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 1982-83 के दौरान 31 अगस्त, 1982 तक पेंशन-संराशिकरण के 1871 मामले प्राप्त हुए थे।

(ख) 1055 मामलों में संराशिकरण अदायगियां प्राधिकृत की गई थीं। शेष 816 मामलों में से 619 मामलों मेंसरकारी विभागों से स्वीकृत्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है। शेष 197 मामलों में जिनमें सितम्बर, 1982 में स्वीकृत्तियां प्राप्त हुई थीं, अदायगियों को प्राधिकृत करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) ऐसे आवेदनों को निपटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्राधिकरण सरकार से प्राप्त होने वाली अन्तिम स्वीकृतियों पर निर्भर करता है। तथापि, विद्यमान अनुदेशों में यह अपेक्षा की गई है कि संराशिकरण के मामलों पर सभी स्तरों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

बैंकों के बोर्डों में नियुक्ति के लिए सम्भावित अधिकारी नामजद व्यक्ति

892. **श्री एस० एम० दोराई सेवस्तियन :**
श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध निदेशकों से बोर्डों में नियुक्ति के लिए सम्भावित अधिकारी-नामजद व्यक्तियों की सूची भेजने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की एसोसिएशनों का बोर्ड में अपने द्वारा चयनित व्यक्तियों की नामजदगी का अधिकार छिन गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अन्य कर्मचारियों के मामले में भी इसी पद्धति को अपनाने का विचार किया गया है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में कर्मकार और गैर कर्मकार कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा पूर्णत: राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1980 के उपबन्धों के अनुसरण में की जाती है। यह स्कीम अधिकारियों के परिसंघों (एसोसिएशनों) को, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अधिकारी निदेशकों के रूप में अपने प्रतिनिधि नामित करने का अधिकार नहीं देती।

आल इण्डिया सैकरीन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बम्बई की ओर से अभ्यावेदन

893. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को आल इण्डिया सैकरीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आयातित माल पर आयात शुल्क बढ़ा कर स्वदेशी उद्योग के संरक्षण का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में मुख्य बात यह थी कि स्वदेशी सैक्रिन, आयातित सैक्रिन के साथ होड़ नहीं कर सकती।

(ग) सैक्रिन (वर्ष 1982-83 के लिए आयात नीति के परिशिष्ट 4 में मद 57) निषिद्ध मदों की सूची में है। इस मद के आयात की अनुमति आर० ई० पी० लाइसेंसों पर ही दी जाती है। ये लाइसेंस कतिपय ऐसे विनिर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात के बदले जारी किये जाते हैं जिनके निर्माण में सैक्रिन का वस्तुतः इस्तेमाल किया गया हो। इस स्वदेशी उद्योग के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है, इसलिए सैक्रिन पर आयात-शुल्क की दर में वृद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सशस्त्र सेना के इंजीनियरी अधिकारियों को तकनीकी वेतन दिया जाना

894. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रक्षा मंत्री सशस्त्र सेना के इंजीनियरी-अधिकारियों को तकनीकी वेतन दिए जाने के बारे में वर्ष 1981-82 की उनके मंत्रालय से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 14 (पृष्ठ 110) के पैरा 24 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश कब तक जारी कर दिए जाएंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस सम्बन्ध में पहले ही किए गए निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत अनुदेशों को जारी करने में और कितना समय लगेगा ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छः महीने से अधिक के तकनीकी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद इस योजना के अन्तर्गत 100 रु० प्रति माह का तकनीकी वेतन मंजूर करने की

व्यवस्था है। इस ग्रुप में प्रत्येक अन्य पाठ्यक्रम को पूरा कर लेने पर 75/- रु० प्रति माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। तीन से छः महीने की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए 75/- रु० प्रति माह का तकनीकी वेतन दिया जाएगा। इस ग्रुप के प्रत्येक अन्य पाठ्यक्रम के लिए 50/- रु० प्रति माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रमों के लिए तकनीकी वेतन 250/- रु० प्रति माह की उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगा।

वायु सेना की वैमानिकी इंजीनियरी शाखा के तकनीकी दृष्टि से अर्हता प्राप्त अफसरों को 1-9-1981 से तकनीकी वेतन मंजूर किए जाने के लिए अप्रैल, 1982 में औपचारिक सरकारी आदेश जारी किए गए थे।

भारतीय वायु सेना की अन्य शाखाओं और थल सेना तथा नौ सेना के इंजीनियरिंग अफसरों को तकनीकी वेतन मंजूर करने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।

केन्द्रीय सरकार के पेंशन-प्राप्तकर्ताओ को महंगाई राहत दिया जाना

895. **श्री जैनल बशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1000/- रुपये प्रति माह से कम पेंशन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशन-प्राप्तकर्ताओं को मार्च, 1982 से रिलीज की गई महंगाई-राहत की पिछली किश्त के भुगतान के आदेश जारी किए जा चुके हैं; यदि हां, तो क्या वे उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे;

(ख) यदि नहीं, तो इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन आदेशों के जारी होने में अभी कितना समय और लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के पेंशन-भोगियों को महंगाई भत्ते की राहत की किश्त अप्रैल, 1982 में देय हुई थी और न कि मार्च, 1982 से। इस किश्त की अदायगी से सम्बन्धी आदेश 31 अगस्त, 1982 को जारी किये गए। इन आदेशों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं।

महाराष्ट्र में कुछ और रूटों पर वायुदूत सेवा शुरू करने का प्रस्ताव

896. **श्री वी० एन० गाडगिल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि बम्बई-रत्नगिरि-कोल्हापुर-बम्बई, नागपुर-अकोले-चन्द्रपुर-नागपुर, बम्बई-नासिक-जलगांव-औरंगाबाद-बम्बई रूटों पर तीसरे स्तर की विमान सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि इन रूटों पर वायुदूत सेवा ही शुरू कर दी जानी चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो वायुदूत सेवा द्वारा उपरोक्त उड़ानें कब शुरू कर दी जाएंगी ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा

897. **श्री भोकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाइलैंड, मलयेशिया, इण्डोनेशिया और सिंगापुर की यात्रा करने के बाद भारतीय शिष्टमण्डल ने रत्न और आभूषण सम्बन्धी भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मशीनरी पर से आयात शुल्क घटाने तथा भारतीय आभूषणों का खेप-आधार पर निर्यात करने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सरकार को रत्न तथा आभूषण निर्यात समर्थन परिषद के प्रतिनिधिमण्डल की, जिसने सिंगापुर, मलयेशिया, इण्डोनेशिया और थाइलैंड का दौरा किया था, रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) तथा (घ) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई ने कतिपय आयातित मशीनरी मदों पर शुल्क छूट के सम्बन्ध में हाल में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा। रत्न तथा आभूषण का निर्यात, जिसमें चांदी के आभूषण शामिल नहीं हैं, आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण आदेशों तथा सीमा शुल्क अधिसूचना के अध्यधीन खेप-आधार पर किया जा सकता है।

हीरा काटने और उस पर पालिश करने सम्बन्धी केन्द्र की स्थापना

898. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने सरकार से भारत में हीरा काटने और उस पर पालिश करने सम्बन्धी केन्द्र की स्थापना करने तथा मशीनरी पर से आयात शुल्क हटाने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) भारत में हीरा काटने और उस पर पालिश करने सम्बन्धी केन्द्र की स्थापना करने तथा इस सम्बन्ध में मशीनरी पर से आयात शुल्क हटाने के लिये रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई से कोई

प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पृथक रूप से परिषद ने हाल में मशीनरी की कतिपय मदों के बारे में आयात शुल्क छूट के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। शुल्क छूट के सम्बन्ध में निर्णय सभी संगत तथ्यों के आधार पर लिये जाते हैं।

गुजरात में कम मूल्य के सिक्कों की कमी

899. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कम मूल्य के सिक्कों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात के कुछ क्षेत्रों में छोटे सिक्कों की कमी के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। उपलब्ध स्टाक के अनुसार तेजी से आपूर्ति करने के लिये सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद को सितम्बर, 1982 के पिछले सप्ताह में अविलम्ब आधार पर 11.33 लाख रुपए के छोटे सिक्के राज्य में वितरित किए जाने के लिए भेजे जा चुके हैं।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ तथा कन्फेडरेशन आफ इटैलियन इंडस्ट्रीज के बीच करार

900. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ और कन्फेडरेशन आफ इटैलियन इंडस्ट्रीज ने गत मास के अन्त में रोम में अपने-अपने प्रतिनिधियों द्वारा किये गये करार के अनुसार संयुक्त व्यापार परिषद बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के लिये सरकार की पूर्वानुमति के बिना विदेशों के साथ ऐसे करार करना प्रथागत है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के प्रतिनिधि ने इस बारे में सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की थी और क्या उसने सरकार को औपचारिक रूप से इससे अवगत करा दिया था; यदि हाँ, तो कब ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत-इतालवी संयुक्त व्यवसाय परिषद की स्थापना करने वाले संलेख के अन्तर्गत व्यापारिक तथा विपणन स्थिति, भारत तथा इतालवी फर्मों के बीच आर्थिक, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय सहयोग तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को सुधारने के लिये प्रस्तावों

पर विचार तथा सम्बन्धित सरकारों को उन्हें प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में भारत तथा इटली के व्यावसायियों के बीच जानकारी के सीधे आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

(ग) तथा (घ) संयुक्त व्यवसाय परिषदों की स्थापना का लक्ष्य भारत तथा अन्य देशों के व्यावसायिक समुदायों में घनिष्ठ सम्बन्ध बनाना है। फिक्की को भारतीय व्यवसाय तथा उद्योग के एक शीर्ष तथा प्रतिनिधि निकाय के रूप में इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। एक भारत-इतालवी संयुक्त व्यवसाय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव पहले 31 मार्च से 2 अप्रैल, 1981 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित भारत-इतालवी संयुक्त समिति की बैठक में रखा गया और फिक्की से प्रस्ताव पर सक्रिय तौर पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया गया। अब रोम में फिक्की द्वारा संलेख पर हस्ताक्षर उन प्रयासों का परिणाम है।

"फिल्म प्रोड्यूसर क्रोनीस डिटेंड अंडर (कोफेपोसा)" शीर्षक समाचार

901. **श्री रामजी भाई मावणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई का एक फिल्म निर्माता और चार अन्य व्यक्ति तस्करी कांड में सक्रिय रूप में सम्मिलित पाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 26-9-82 के "इंडियन एक्सप्रेस" (दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक) में इस सम्बन्ध में "फिल्म प्रोड्यूसर्स क्रोनीस डिटेंड अण्डर कोफेपोसा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) उसमें सम्मिलित सभी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) 1-1-1982 से 15-9-82 तक बम्बई दिल्ली और गुजरात में ऐसे घोटालों की कितनी घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(च) ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) यदि संक्षेप में उल्लेख किया जाये तो मामले के तथ्य ये हैं कि दो विदेशी राष्ट्रिकों श्री क्लोस पीटर मार्टिने लारेन्ज और श्री वर्नर जुबलेर को 13-4-1982 को पालम हवाई अड्डे पर उस समय मार्ग में रोका गया जब वे गैर-कानूनी ढंग से 20 किलो हशीश का निर्यात करने वाले थे। जांच-पड़ताल करने पर श्री राबर्ट डिसूजा, श्री सत्य प्रकाश बहल और श्री विनोद कुमार अनेजा, निषिद्ध माल को हासिल कराने में, वित्त पोषण करने में और निषिद्ध माल को गैर-कानूनी ढंग से भिजवाने की व्यवस्था करने में उक्त विदेशी राष्ट्रिकों के सहयोगी पाये गये थे।

(घ) इस मामले में ग्रस्त सभी पांच व्यक्तियों को अर्थात् श्री राबर्ट डिसूजा (बम्बई के एक फिल्म-निर्माता), श्री कलौस पीटर मार्टिन लौरैन्ज, श्री वर्नर जुवलेर (विदेशी राष्ट्रिक), और श्री सत्य प्रकाश बहल और श्री विनोद कुमार अनेजा को, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा पारित दिनांक 21 सितम्बर, 1982 के नजरबन्दी आदेशों के अनुपालन में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 के अध्यधीन नजरबन्द कर लिया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अध्यधीन इन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की गई है।

(ङ) तथा (च) सरकार के पास उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 1-1-1982 से 15-9-1982 तक की अवधि में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अध्यधीन महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और गुजरात सरकार द्वारा क्रमश, 147,20 और 8। नजरबन्दी आदेश पारित किए गए हैं। ये नजरबन्दी आदेश इसलिए जारी किए गए हैं ताकि सम्बन्धित व्यक्तियों को माल की तस्करी करने से, माल की तस्करी को बढ़ावा देने से, तस्करी के माल को लाने ले जाने अथवा छिपाने अथवा रखने से अथवा तस्करी के माल का धंधा करने से रोका जा सके।

"पर्यटन दिवस" मनाना

902. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1982 में पूरे भारत में "पर्यटन दिवस" मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसे कैसे मनाया गया था तथा पर्यटकों को किस प्रकार विभिन्न तरीकों से विशेष सुविधाएं दी गईं थीं;

(ग) क्या उक्त दिवस विश्व पर्यटन दिवस का भी एक रूप था;

(घ) उक्त "पर्यटन दिवस" और "विश्व पर्यटन दिवस" को ध्यान में रखते हुए इसे लोकप्रिय बनाने के लिए किस प्रचार तन्त्र की मदद ली गई और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) देश के विभिन्न भागों में तथा विभिन्न वर्गों के कितने पर्यटकों ने इसका लाभ उठाया और उसके क्या परिणाम रहे ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) अप्रैल, 1982 में मैड्रिड में आयोजित विश्व पर्यटन संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) की एक्जिक्यूटिव कौंसिल में यह निश्चय किया गया था कि सभी सदस्य देशों को चाहिए कि वे 27 सितम्बर, 1982 को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाएं। डब्ल्यू० टी० ओ० द्वारा किए गए इस आह्वान के फल-स्वरूप पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से 27 सितम्बर, 1982 के दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया।

विश्व पर्यटन दिवस को मनाने के बारे में जो कदम उठाए गए उनमें विदेशी पर्यटकों का

भारतीय परम्परा के अनुसार स्वागत, फिल्म प्रदर्शनों, प्रदर्शिनियों, रेडियो और दूरदर्शन वार्ताओं, पैनल विचार-विमर्शों का आयोजन करना, प्रेस सम्मेलन बुलाना और उस दिन भारत में पहुँचने वाले विदेशी पर्यटकों को इनाम और उपहार प्रदान करना शामिल है। बैनर्ज, स्ट्रीमर्ज और स्टिकर्ज का प्रमुख रूप से डिस्पले किया गया।

"एशियाड" के लिए निर्मित होटलों का उपयोग करने की योजना

903. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एशियाड" के सिलसिले में दिल्ली में कौन-कौन से विभिन्न होटलों का निर्माण किया जा रहा है तथा इनमें से प्रत्येक होटल की क्षमता क्या होगी;

(ख) क्या सरकार ने "एशियाड" के बाद इन होटलों का उपयोग करने से सम्बन्धित कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खाँ) : (क) एशियाई खेलों के सिलसिले में दिल्ली में निर्माणाधीन होटलों के नाम और उनमें कमरों की संभावित क्षमता नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	होटल का नाम	निर्मित किए जाने वाले संभावित कमरों की संख्या
1.	एशियन होटल	588
2.	सूर्या इन्टरनेशनल	258
3.	सिद्धार्थ कान्टीनेंटल	156
4.	कनिष्क	300
5.	मौर्य शेराटन (विस्तार)	122
6.	ताज पैलेस	500
7.	सेन्टौर होटल	416
8.	सम्राट	300
9.	अशोक यात्री निवास	562
10.	भारत होटल	500
11.	मैरिडीयन होटल	425
12.	पार्क होटल	231

(ख) और (ग) 1980-85 की अवधि के दौरान पर्यटन की प्रत्याशित अभिवृद्धि से उत्पन्न होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए यह अनुमान लगाया गया है कि 1985 तक

20,000 अतिरिक्त होटल कमरों की जरूरत होगी। दिल्ली में जिस अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की जा रही है उससे इस जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। पिछले 2 वर्षों में पर्यटक यात्राकाल के दौरान आवास की अत्यधिक कमी महसूस की गई है। 1983 के मध्य तक इस अतिरिक्त क्षमता के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के लिए एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन और कांग्रेस स्थल के रूप में बढ़ती हुई दिल्ली की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा इस क्षमता का प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए इनमें से प्रत्येक होटल को ऐसे विशिष्ट देशों के साथ टाई-अप करने के लिये विशेष रूप से प्रयास किये जा रहे हैं जिन्होंने भारत की यात्रा करने में अपनी रुचि दिखाई है।

प्राकृतिक रबड़ का आयात

904. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राकृतिक रबड़ के आयात पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इससे प्राकृतिक रबड़ के उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) क्या और आयातों के खतरे से रबड़ (प्राकृतिक) का मूल्य अत्यधिक कम हो गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम के पास पड़े आयातित प्राकृतिक रबड़ शेष भाग से काम चलाने का है; और

(ङ) सरकार का विचार इस बारे में उत्पादकों की मदद किस प्रकार करने का है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) सरकार देश में समय समय पर मांग-सप्लाई स्थिति की सांवधिक समीक्षा के आधार पर प्राकृतिक रबड़ का आयात करने की अनुमति दे रही है। अतः प्राकृतिक रबड़ का आयात रबड़ उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। 1982-83 के दौरान, भारतीय राज्य व्यापार निगम को 40,000 मे० टन प्राकृतिक रबड़ का आयात करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

(ग) सितम्बर, 1982 में स्वदेशी रबड़ की कीमत में गिरावट आई है। यह मुख्यतः अधिक उत्पादन मौसम के आरम्भ हो जाने से सप्लाई स्थिति में सुधार हो जाने के कारण हुआ है।

(घ) सरकार देश में प्राकृतिक रबड़ की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखे हुए है। इस समय भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास रखा हुआ प्राकृतिक रबड़ का स्टाक, भारतीय राज्य व्यापार निगम के पास निर्माताओं द्वारा पंजीकृत किये गये इण्डैंटों के अनुसार बेचा जाएगा।

(ङ) सरकार मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने हेतु प्राकृतिक रबड़ के आयातों को सीमित कर रही है ताकि रबड़ उत्पादकों एवं रबड़ माल के विनिर्माताओं दोनों के हितों को संरक्षण दिया जा सके। सरकार देश में रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने, ताकि आयातों

पर हमारी निर्भरता को कम किया जा सके, के उद्देश्य से रबड़ उत्पादकों के कल्याण के लिये रबड़ बोर्ड के माध्यम से अनेक विकासात्मक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है।

चावल की भूसी तथा आम की गुठली आदि से तेल निकालने वाले कारखाने

905. श्री कुंभा राम आर्य : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन स्थानों पर चावल की भूसी, आम की गुठली, मक्का के सिट्टे से तेल निकालने वाले कारखाने चल रहे हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में जिन स्थानों में चावल की भूसी, आम की गुठली, मक्का से तेल निकालने के कारखाने स्थित हैं उनके नाम।

1. चावल की भूसी से विलायक निष्कर्षित तेल

आन्ध्र प्रदेश।

1. भीमावरम
2. विजयवाड़ा
3. वेस्ट गोदावरी
4. मछलीपट्नम
5. खम्माम
6. हैदराबाद
7. विजयानगरम
8. गुन्टूर
9. निजामाबाद
10. मंगलागिरी
11. नालगोंडा
12. चिराला
13. नेल्लौर
14. काकीनाडा

15. तांडपल्लीगुडम
16. अनन्तपुर
17. सामलकोट

असम :

1. तेजपुर
2. दारंग
3. गोहाटी

बिहार :

1. फोरबेसगंज
2. जमशेदपुर
3. रांची
4. किशनगंज

चंडीगढ़ :

1. चंडीगढ़

गुजरात :

1. अहमदाबाद
2. मानवदार
3. पंचमहल

* यह सूचना विलायक निष्कार्षिक तेलों की उपलब्ध विवरणियों पर आधारित है।

जम्मू तवी :

1. जम्मू

हरियाणा :

1. सोनीपत
2. करनाल
3. कुरुक्षेत्र
4. फरीदाबाद
5. सिरसा
6. कैथल
7. शाबाद मार्कंण्डा

कर्नाटक :

1. रायचूर

2. सिरसी
3. शिमोगा
4. टुम्कुर
5. बंगलौर
6. कुमारपटनम
7. होस्पेट

केरल :

1. अर्नाकुलम

मध्य प्रदेश :

1. रायपुर
2. दुर्ग
3. बिलासपुर

महाराष्ट्र :

1. बम्बई
2. कल्याण
3. जलगांव
4. कोलाबा
5. मलकापुर
6. थाना

पांडिचेरी :

1. यमन
2. मनतुपालायम
3. कट्टुकुप्पम

पंजाब :

1. अमृतसर
2. लुधियाना
3. कोटकपुरा
4. कपूरथला
5. भटिण्डा
6. पटियाला

7. माखु
8. संगरूर
9. वरयाना
10. फरीदकोट जिला

उड़ीसा :

1. बालासोर
2. गंजम
3. सम्बलपुर

राजस्थान :

1. फतेहनगर

तमिलनाडु :

1. तिरुचिरापल्ली
2. तिरुवरुर
3. साम्बानरकोआयल
4. डिंगीगुल
5. धर्मपुर
6. सालेम
7. ओमालूर
8. माथुर
9. रामनद

उत्तर प्रदेश :

1. सीतापुर
2. मैनपुरी
3. अलीगढ़
4. चन्दोसी
5. नैनीताल
6. बदायूं
7. सिकन्दराबाद
8. वाराणसी
9. बरेली

पश्चिमी बंगाल

1. बर्दवान
2. मिदनापुर
3. बीरभूम

आम की गुठली से विलायक निष्कार्षित तेल

आन्ध्र प्रदेश

1. तादेपल्लीगडम

महाराष्ट्र

1. खामगांव

मक्का से विलायक निष्कार्षित तेल

कर्नाटक

1. रायचूर

अमरीका से खाद्य तेल का आयात

906. श्री सुभाष यादव : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में कमी पूरी करने के लिए अमरीका सरकार से खाद्य तेल खरीदने का हाल ही में अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा में प्राप्त किया गया है और उसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार किन-किन देशों से खाद्य तेल खरीदा गया; और

(घ) प्रत्येक सौदे में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) व (घ) खाद्य तेलों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है और वह विश्वव्यापी निविदा आधार पर विश्व के बाजारों से उनकी खरीद करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किए गए खाद्य तेलों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वित्तीय वर्ष	मूल्य (लागत, बीमा और भाड़ा सहित) करोड़ रुपयों में
1979-80	610.48
1980-81	527.80
1981-82	498.37

इन खाद्य तेलों की खरीद संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप, ब्राजील, मलेशिया और इण्डोनेशिया से की गई थी।

"नो रूम फार फारेन टूरिस्ट इन एशियाड" शीर्षक समाचार

907. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या पर्यटन मन्त्री दिनांक 16 सितम्बर, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "नो रूम फार फारेन टूरिस्ट इन एशियाड" शीर्षक समाचार के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल शुरू होने तक विदेशी पर्यटकों के लिए कितना आवास उपलब्ध होगा;

(ख) कितने (होटल मालिकों को एशियाई खेलों के शुरू होने से पहले कतिपय आवास पूरा करने के विशेष आश्वासन पर स्वीकृति दी गई और उनके नाम क्या हैं तथा आवास की उपलब्धता की क्या स्थिति है; और

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े या प्राक्कलन हैं कि एशियाई खेल देखने के लिए कितने विदेशी पर्यटक भारत आयेंगे और इन आंकड़ों के सम्बन्ध में आवास के लिए क्या प्रस्तावित प्रावधान है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एशियाड के शुरू होने के समय तक, दिल्ली में 37 होटलों में विद्यमान 4031 कमरों के अतिरिक्त 12 नए होटलों, में, (जिनमें मौजूदा होटलों का विस्तार भी शामिल है) 2519 अतिरिक्त कमरों के उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है।

(ख) 12 नए (और विस्तार) होटलों ने उनके नामों के सामने दिखाई गई संख्या के अनुसार कमरे उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है :—

क्रम सं०	होटल का नाम	कुल क्षमता	एशियाड तक तैयार हो जाने वाले कमरों की सम्भावना
1.	एशियन होटल	588	300
2.	सूर्या इन्टरनेशनल	258	241
3.	सिद्धार्थ कांटीनेंटल	156	156
4.	कनिष्क	300	300

5. मौर्य शेरटन	122	122
6. ताज पैलेस	500	200
7. सैंटोर होटल	416	200
8. सम्राट	300	200
9. अशोक यात्री निवास	562	550
10. भारत होटल	500	100
11. मेरीडियन होटल	425	100
12. पार्क होटल	231	50

(ग) एशियाड को देखने के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या का ठीक-ठीक जायजा लगाना संभव नहीं है। परन्तु एशियाड के लिए काफी मात्रा में पर्यटकों के आकर्षित होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमोदित गेस्ट हाऊसों में 3000 से भी अधिक बैड्स उपलब्ध हो जायेंगे।

वनस्पति के उत्पादन में कटौती

908. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति निर्माताओं ने वनस्पति के उत्पादन में कटौती करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी, नहीं। चालू तेल वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान वनस्पति घी का उत्पादन, पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 8.6 प्रतिशत अधिक था।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन न किया जाना

909. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति क्रियान्वित न किये जाने की बात सरकार के ध्यान में आई है,

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय ने इस बारे में सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को क्या मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे हैं अथवा भेजने का विचार है;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) : भारत के संविधान में निहित उपबंधों के अनुसार सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों की आरक्षण नीति निर्धारित की गई है। इस नीति की अपेक्षाएं राष्ट्रपति की ओर से सरकारी उद्यमों को जारी किए गए निदेश पत्र में निर्दिष्ट हैं। चूंकि यह सरकार का निदेश है, अतः सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम द्वारा इस आरक्षण नीति लागू न किए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस निदेश पत्र के अनुसार सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में कुछ स्तर तक 15% और 7½% रिक्तियां क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। यद्यपि अधिकांश सरकारी उद्यमों ने निर्धारित कोटा पूरा कर लिया है फिर भी विभिन्न कारणों से कुछ उद्यमों में विशेष कर "क" तथा "ख" वर्ग के पदों में, कोटा पूरा करने में कुछ कमी रह गई है। सरकार इस नीति के कार्यान्वयन का पूर्ण परिवीक्षण कर रही है तथा ऐसे विभिन्न सदुपाय कर रही है, जिससे कोई कमी न रहने पाए।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां

910. श्री हरिकेश बहादुर : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत पर्यटन विकास निगम में चल रहे आन्तरिक (झगड़े) (इंडिया टुडे, दिनांक 15.8.1982) की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार मंत्रियों की स्वेच्छाचारिता तथा हस्तक्षेप को टालने के लिए सरकारी क्षेत्र में सभी नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बीच मन्त्रियों का वैयक्तिक मनमरजी के कारण व्याप्त वर्तमान स्वेच्छाचारिता की व्यापक भावना को टालने के लिये उनके लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तथा आचार संहिता जारी करने का है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम की कुछ शाखाओं (विंग्स) के असन्तोषजनक कार्यकरण के बारे में सरकार को जानकारी थी और जहां भी जरूरत थी स्थिति को दुरुस्त करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए गए थे।

(ख) और (ग) सार्वजनिक उद्यमों में सारी नियुक्तियां ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइसेज द्वारा निर्धारित गाइडलाइनों के अनुसार ही की जाती हैं न कि यू० पी० एस० सी० की सिफारिशों के आधार पर ये गाइडलाइनें निम्नलिखित हैं :—

उच्च पद :

ये पद पब्लिक इंटरप्राइसेज सलैक्शन बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार भरे जाते हैं।

अन्य पद :

(i) जब तक बाहर से सुस्पष्टतः अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तब तक रिक्तियां सार्वजनिक उद्यम के अन्तर्गत ही प्रोन्नति द्वारा भरी जाती हैं। ऐसी प्रोन्नतियों को सम्भव बनाने के लिए पब्लिक इंटरप्राइसेज सलैक्शन बोर्ड सार्वजनिक उद्यमों को संगठनात्मक संरचना अपनाने में उनकी सहायता करता है।

(ii) यदि आंतरिक उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो अन्य सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों को वरीयता दी जाती है; और

(iii) उपर्युक्त दोनों स्रोतों से उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर, सरकार, प्राइवेट सेक्टर, आदि में कार्यरत कर्मचारियों में से चयन कर लिया जाता है।

पटसन उद्योग की समस्याओं के बारे में पश्चिम बंगाल से ज्ञापन

911. श्री नीरेन घोष :

श्री चित्त बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को पटसन उद्योग की समस्याओं के बारे में पश्चिम बंगाल से ज्ञापन के साथ कोई टिप्पण मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या मुख्य बातें उठाई गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने समस्याएं दूर करने के लिए कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पश्चिमी बंगाल में पटसन उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार से अगस्त, 1982 के माह में एक नोट प्राप्त हुआ था।

(ख) नोट में दी गई मुख्य बातें पटसन उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में है जो आन्तरिक बाजार में मासिक कोटा रिलीज पद्धति द्वारा पटसन माल की उपलब्धता को विनियमित करने और पटसन माल की न्यूनतम कीमतें निर्धारित करने के बारे में है।

(ग) तथा (घ) सरकार पटसन उद्योग की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करने की इच्छुक है। वास्तव में सरकार ने पहले ही निम्नलिखित सुधार करने के लिए उपाय किये हैं जो यथा सम्भव पूर्ति-मांग स्थिति को सही करने हेतु मांग में तेजी लाने के लिए हैं :

(1) जूट माल के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता देना।

(2) भारतीय जूट निगम से कच्चे जूट की खरीद के साथ इसे जोड़ने के बाद अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत डी० जी० एस० एण्ड डी० की मार्फत मिलों से पर्याप्त मात्रा में जूट बोरों की खरीद ।

(3) सीमेंट पैक करने के लिए नये जूट बोरों का अनिवार्य प्रयोग ।

(4) उर्वरकों/चीनी तथा खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए अधिक जूट बोरे इस्तेमाल करने के लिए अन्य प्रयोक्ता विभागों को राजी करना ।

(5) नये उत्पादों के विनिर्माण के लिये शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक स्थापित करने के लिए आशय पत्र देना ।

(6) सार्थ संघ व्यवस्था के अंतर्गत टाट के निर्यात में एस० टी० सी० की सक्रिय भागीदारी ।

(7) जूट माल के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों के अनुरूप विश्वव्यापी मोर्चों पर सुधारात्मक कार्य करने के उद्देश्य से जूट तथा जूट उत्पादों की कीमतों तथा सप्लाइयों के स्थिरीकरण और एक अन्तर्राष्ट्रीय जूट संगठन के उपायों पर विचार करने के लिए क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्तः सरकारी विचार-विमर्शों में सक्रिय भागीदारी ।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों कार्यक्रम

912. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण से अच्छे परिणाम निकलने आरम्भ हो गये हैं;

(ख) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो ने इस बारे में कोई वित्तीय सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उद्योगवार ऐसे औद्योगिक एकक कौन-कौन से हैं जिन्होंने सुधार कर लिया है और ऐसे कौन-कौन से हैं जो अभी भी संघर्षरत हैं; और

(घ) लाभ न कमाने वाले एककों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम कार्यालय संसद के निदेशानुसार प्रतिवर्ष लोक उद्यम सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत करता है । 1980-81 का 'लोक उद्यम सर्वेक्षण" 24 फरवरी 1982 को संसद में प्रस्तुत किया गया था ।

वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन का विस्तृत मूल्यांकन

तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि सरकारी उद्यमों के वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप न दे दिया जाये तथा उनकी लेखा परीक्षा न हो जाये। अनेक केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के वर्ष 1981-82 के वार्षिक लेखे अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुये है। इसलिये उनके वर्ष 1981-82 के कार्यचालन परिणाम 'लोक उद्यम सर्वेक्षण" का कार्य पूरा हो जाने तथा उसे संसद में प्रस्तुत किये जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेंगे। तथापि वर्ष 1981-82 के अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा किये गये मूल्यांकन से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में गत वर्ष की उपेक्षा 1981-82 के दौरान सुधार हुआ है। 1981-82 और 1980-81 के दो वर्षों के दौरान इन सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई सारणी में दी गई हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	1981-82 (अनन्तिम)	1980 81
बिक्री	35853.96	28645.32
निवल लाभ	1173.44	572.32
(कम्पनियों की संख्या)	(99)	(93)
निवल हानि	(—) 769.74	(—) 754.33
(कम्पनियों की संख्या)	(70)	(75)
कुल निवल लाभ/हानि	403.70	(—) 182.01
(कम्पनियों की संख्या)	(169)	(168)
सकल लाभ	2482.06	1421.99
लगी पूंजी	21393.68	18230.76
लगी पूंजी की तुलना में सकल लाभ (%)	11.60	7.80

(ग) 1980-81 वर्ष में जिन प्रमुख उद्यमों ने हानि उठाई थी उसकी तुलना में 1981-82 वर्ष में अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर जो सम्भवत: लाभ कमाने वाले हैं; उनके नाम इस प्रकार हैं।

क्रमांक उपक्रम का नाम

1. नैशनल फर्टिलाइजरस लिमिटेड
2. बोंगइगाँव रिफाइनरिज एण्ड पैट्रो केमिकल लिमिटेड
3. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
4. एयर इंडिया
5. इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वर्ष 1981-82 के दौरान जिन प्रमुख उद्यमों को घाटा होने की संभावना है; उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. भारतीय पटसन निगम
2. नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन और इसकी कुछ सहायक कम्पनियाँ
3. भारी इंजीनियरी निगम
4. माईनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०
5. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजरस कारपो०
6. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी
7. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कान्ट्रेक्शन लिमिटेड
8. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०
9. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०
10. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम
11. दिल्ली परिवहन निगम
12. हिन्दुस्तान कोपर लि०
13. भारतीय उर्वरक निगम
14. भारतीय रूई निगम
15. जेरूप एण्ड कम्पनी लि०
16. स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड
17. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०
18. ब्रोथवेट एण्ड कम्पनी लि०
19. गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि०
20. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
21. भारत कोकिंग कोल लि०
22. इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि०

(घ) सभी उद्यमों को वर्ष 1982-83 में उत्पादन बढ़ाने और प्रचालन परिणामों को सुधारने हेतु अपनी कार्य योजनायें तैयार करने के लिये कहा गया है, ताकि सरकार उनके कार्य-निष्पादन का सार्थक मूल्यांकन कर सके। गत वर्ष सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की लाभकारिता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सदुपाय भी किये हैं :—

(1) विद्युत-प्रधान तथा विद्युत आधारित उद्यमों में निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की स्वीकृति प्रदान करना;

(2) होने वाले मजूरी करारों को शीघ्र तय करना।

(3) शीर्ष प्रबन्धक संवर्ग में रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई करना।

(4) अवस्थापना सम्बन्धी उद्योगों के कार्यनिष्पादन का शिखर स्तरीय सतत मूल्यांकन करना आदि।

(5) काम में आने वाली आधारभूत औद्योगिक सामग्री प्रदान करने वाले सरकारी उद्यमों के उत्पादों के लिए व्यावहारिक मूल्य निर्धारण नीति तैयार करना।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण

913. श्री भेरावदन के० गधावी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बैंक यह तर्क देते हुए कि एक बड़ी बकाया राशि राशि की वसूली की जानी है कमजोर वर्गों तक छोटे उद्यमियों को इतनी तत्परता से ऋण नहीं देते जितनी आंतरिक आपातकाल के समय देते थे;

(ख) यदि हां, तो कमजोर वर्गों तथा छोटे उद्यमियों के सम्बन्ध में पिछले 5 वर्षों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार का ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बनाने का विचार है यदि हां, तो इसकी योजनाएं तथा कार्यक्रम क्या हैं तथा उन पर किस प्रकार निगरानी रखी जा रही है; और

(घ) एक लाख से ऊपर की पेशगी राशि के मामलों में अनुसूचित बैंकों द्वारा कितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, नहीं। बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जिनमें छोटे ऋणकर्त्ता व्याप्त होते हैं अपनी ऋणों की मात्रा को बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सूचना दी गयी है कि 1981-82 के दौरान यह ऋण बढ़कर 10,667 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि के दौरान इनमें 2193 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। जबकि 1980-81 के दौरान, इसकी तुलना में, 1774 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के भीतर बैंकों की ऋण प्रदान नीति का मुख्य लक्ष्य ऋणकर्त्ताओं में से अपेक्षाकृत छोटे ऋणकर्त्ताओं को विशेषत: 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को अपने ऋणों की मात्रा बढ़ाने का रहता है, जिसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) भी शामिल है। उपलब्ध आकड़ों से ज्ञात होता है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा केवल समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन ही 1979-80 में 85.04 करोड़ रुपये और 1980-81 में 123.94 करोड़ रुपये के कुल ऋण संवितरित किये गये।

आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली में केवल किसानों को दिये गये सीधे वित्त की वसूली के बारे में सूचना उपलब्ध करायी जाती है। जून, 1980 के अन्त की स्थिति के मुताबिक वसूली 1979-80 (जुलाई-जून) के दौरान प्राप्य कुल राशि के 52 प्रतिशत के बराबर थी। वर्ष 1975-76 के दौरान भी अनुपात का स्तर यही था।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और छोटे ऋणकर्त्ताओं को ऋण मंजूर करने की शर्तों को और प्रक्रिया को आसान बनाने की, बैंकों की नीतियों को नया रूप देने के बारे में अनेक उपाय किये जा चुके हैं जिनमें ये शामिल हैं : ऋण आवेदन-एवं-साक्षात्कार फार्मों को सरल बनाना, मार्जिन, जमानत और गारंटी की अपेक्षाओं में छूट, शाखा प्रबन्धकों को समुचित शक्तियां प्रत्यायोजित करना, आवेदन-पत्रों के निपटारे के लिए समय सीमा निर्धारित करना आदि। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के जोकि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उन्मुख हैं, कार्यान्वयन की और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रति ऋण की मात्रा बढ़ाने के लक्ष्य के विषय में बैंकों की प्रगति पर सांविधिक विवरणों, चर्चाओं और समीक्षाओं के माध्यम से सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर नजर रखी जाती है।

(घ) बैंककारी कम्पनी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और उसके अधीन विहित तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा के फार्म में राष्ट्रीयकृत बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के बारे में किये गये उपबन्धों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट न करने के विषय में सुरक्षा प्रदान की गयी है। क्योंकि यह राशियां किये गये उपबन्धों में से अशोध्य ऋणों के रूप में बट्टा खाते डाल दी जाती हैं, इसलिए बट्टा खाते डाली गयी राशियों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

हाई वेट माल्यूलम स्टेपल फाइबर के निर्माण के लिये रत्नगिरि में एक संयंत्र की स्थापना

914. **डा० वसन्तकुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोदी उद्योग समूह को ब्रिटेन के हाईवेट कार-टाल्डस के सहयोग से आइपूलस स्टेपल फाइना के निर्माण के लिये रत्नागिरि (महाराष्ट्र) में 138 करोड़ रु० की लागत से एक संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त परियोजना से सम्बन्ध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री से विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो विचार-विमर्श का निष्कर्ष क्या निकला और इस परियोजना को तेज करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) : मैं० मोदी ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज ने ब्रिटेन के मैं० कोर्टोल्डस के सहयोग से माडल फाइबर का निर्माण करने हेतु महाराष्ट्र के एक पिछड़े क्षेत्र रतनगिरी में एक उपक्रम स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदनपत्र दिया है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने सम्भवतः अप्रैल, 1981 में वाणिज्य मंत्री के साथ एक बैठक में अन्य विषयों के साथ साथ राज्य में एच० डब्ल्यू० एम० फाइबर परियोजना के बारे में उल्लेख किया था। सरकार को इस आवेदनपत्र पर अभी अन्तिम निर्णय लेना है।

श्रीलंका से सीपियों का आयात

916. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल हस्तशिल्प विकास निगम पश्चिम बंगाल में कारीगरों के लिये सीपियां प्राप्त करने हेतु श्रीलका सरकार के साथ बातचीत कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त निगम ने श्रीलंका से सीपियों के आयात के लिये लाइसेंस हेतु दिल्ली स्थित आयात और निर्यात मुख्य नियन्त्रक को आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनको ऐसा लाइसेंस दे दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) निगम ने आयात व निर्यात के मुख्य नियन्त्रक को सूचित किया है कि उन्हें श्रीलंका से शंखों की खरीद के लिये एक आफर प्राप्त हुई है जो कलाकारों को वितरित किये जाएंगे।

(ख) निगम ने शंखों के लिये आयात लाइसेंस देने हेतु आयात व निर्यात के संयुक्त मुख्य नियन्त्रक, कलकत्ता से आग्रह किया है।

(ग) अभी तक आयात लाइसेंस दिया नहीं गया है।

(घ) निगम ने आयात लाइसेंस आवेदनपत्र फीस का भुगतान नहीं किया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे फीस का भुगतान कर दे जिसके प्राप्त होने पर लाइसेंस दिया जाएगा।

अफगानिस्तान को किये जाने वाले भारतीय निर्यातों में कमी

9'7. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफगानिस्तान को किये जाने वाले भारतीय निर्यातों में 1979-80 की तुलना में वर्ष 1980-81 में पाँच प्रतिशत से अधिक की कमी हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी, हां। यह सही है कि अफगानिस्तान को किये जाने वाले भारतीय निर्यातों में कमी आई है जो 1979-80 में 20 28 करोड़ रु० से घटकर 1980-81 में 19·27 करोड़ रु० के हो गये। इस प्रकार इसमें 5 प्रतिशत की गिरावट आई।

अफगान व्यापार प्रतिनिधिमण्डल के भारत के दौरे के दौरान हाल ही में दोनों देशों के बीच व्यापार की समीक्षा की गई। भारतीय निर्यातों में गिरावट को अफगान पक्ष के ध्यान में लाया गया और यह अनुरोध किया गया कि भारत से खरीदारियों को बढ़ाया जाए। इस सम्बन्ध

में, यह विनिश्चय किया गया है कि व्यापार जानकारी के दोतरफा प्रवाह को सुकर बनाने के लिये दोनों देशों में, केन्द्रीय बिन्दु बनाये जाएं । यह भी विनिश्चय किया गया है कि दोनों देशों के व्यापारियों के लिये सेवाओं में सुधार के वास्ते दोनों पक्षों के बैंकों को सीधे संचार सम्बन्ध/अभिकरण व्यवस्थाएं पत्र स्थापित करनी चाहिए ।

सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-योजना

918. **श्री रशीद मसूद :**

श्री बी० डी० सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र योजना लागू हुई है तब से इस पर जनता का क्या रुख रहा है;

(ख) यदि यह योजना प्रत्याशित जनता को आकर्षित नहीं कर पाई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस योजना को, विशेषकर ग्रामीण जनसमुदाय के लिये, अधिक आकर्षक बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सामाजिक सुरक्षा पत्र योजना के प्रति, जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए है, जनता की प्रतिक्रिया सन्तोषजनक रही है ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए ग्रामीण जनता को इस योजना के लाभों और इसके आकर्षक तत्वों को, जो उनके हित में इस योजना में शामिल किए गए हैं, जानकारी देने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं ।

गुजरात के समुद्री तटों पर होटल

919. **श्री भेरावदन के० मधावी :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन का विकास करने की भारी संभावनाओं को देखते हुए, सरकार ने गुजरात में भारत पर्यटन विकास निगम के माध्यम से कुछ होटल, मोटल और अन्य आवास सुविधाएं स्थापित करने पर विचार किया है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर अभयारण्य क्षेत्र में ही विद्यमान हैं, सरकार गुजरात में पर्यटन केन्द्र विकसित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजनाएं और कार्यक्रम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु, उड़ीसा और गोआ के कोवलम तट और

अन्य तटों की भाँति, मांडवी चोखड और चरत तटों पर कुछ होटल स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण और बाधाएं हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां): (क) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गुजरात में भारत पर्यटन विकास निगम की गतिविधियां

भारत पर्यटन विकास निगम की छठी योजना के अन्तर्गत गुजरात में होटलों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

2. इस समय भारत पर्यटन विकास निगम गुजरात में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कर रहा है :—

(क) ससनगीर में वन गृह

भारत पर्यटन विकास निगम केन्द्रीय पर्यटन विभाग की ओर से नवम्बर 1977 से ससन-गीर में एक वन गृह का परिचालन कर रहा है। सरकार द्वारा जो खर्च किया गया है वह 21.60 लाख रुपए आंका गया है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 1978-79 में 2 मिनी-बसों के लिए 2.20 लाख रुपए और 1980 में डीजल जीपों के लिए 1.30 लाख रुपए भी रिलीज किए थे। इस वन गृह में इस समय 24 कमरों/48 शय्याओं और 3-स्टार स्तर की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था है।

(ख) परामर्श सम्बन्धी और प्रबन्ध-व्यवस्था सम्बन्धी सेवाएं

1. भारत पर्यटन विकास निगम ने गुजरात औद्योगिक पूंजी-निवेश निगम लिमिटेड की ओर से बड़ौदा में एक होटल परियोजना के लिए एक टैक्नो-इकनामिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है।

2. इसी प्रकार, गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड को एक परामर्श सम्बन्धी कार्य के रूप में, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा छांछ महल को एक हालिडे रिसार्ट में बदलने के वास्ते एक व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।

3. भारत पर्यटन विकास निगम ने गुजरात औद्योगिक पूंजी-निवेश निगम लिमिटेड को अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट में उनके प्रस्तावित होटलों का उनकी ओर से निर्माण और प्रबन्ध करने के लिए भी पेशकश की है।

(ग) संयुक्त उद्यम स्कीम

राज्य सरकारों/निगमों के सहयोग से राज्यों में पर्यटन परियोजनाएं शुरू करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा तैयार की गई संयुक्त उद्यम स्कीम के अनुसरण में, भारत पर्यटन विकास निगम सोमनाथ, वेरावल और द्वारका में संयुक्त उद्यम यात्री निवासों की स्थापना करने के लिए संभावनाओं का पता लगा रहा है।

(घ) अहमदाबाद में ध्वनि-व-प्रकाश शो

भारत पर्यटन विकास निगम ने 1972 में केन्द्रीय पर्यटन विभाग की ओर से साबरमती आश्रम में गांधी जी पर एक ध्वनि-व-प्रकाश शो माउंट किया था। शो का संशोधित रूपान्तर अक्तूबर 1981 में चालू किया गया था। शो भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिचालित किया जाता है।

दिल्ली-चंडीगढ़ और लेह के बीच इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवा

920. श्री पी० नामग्याल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस हर सोमवार को दिल्ली-चंडीगढ़ और लेह के बीच सप्ताह में केवल एक बार बोइंग 737 विमान सेवा चलाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खराब मौसम या अन्य तकनीकी कारणों से उक्त सेवा को रद्द किए जाने पर यह सेवा अगले दिन या बाद के दिनों में या अगले सोमवार तक नहीं चलाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप उन यात्रियों को भारी असुविधा होती है जिन्हें दिल्ली या चंडीगढ़ में पूरे एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार निगम के लिए यह अनिवार्य करने का है कि रद्द की गई सेवा अगले दिन चलाई जाए और सेवा की व्यवस्था न होने की स्थिति में यात्रियों के लिए ऐसी सेवा उपलब्ध होने तक ठहरने और खान-पान की व्यवस्था की जाए; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। चंडीगढ़/लेह उड़ान के किसी भी कारण रद्द कर दिए जाने से रुके हुये यात्रियों के विमान से जाने के लिए अतिरिक्त उड़ानों का परिचालन किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

आर्मी एक्ट का पुनरीक्षण

921. श्री के० ए० राजन :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :
डा० ए० यू० आजमी :
श्री डी० डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान आर्मी एक्ट का पुनरीक्षण करने और कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध न्यायपालिका को अपील करने का प्रावधान करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए सुझाव (स्टेट्समैन 27-6-62) की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) थल सेना के 3 अफसरों द्वारा दायर की गई याचिका संख्या 1981 को 4903, 1979 और 1513 की 5930 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में यह सिफारिश की कि (क) कोर्ट मार्शल अपील न्यायालय की स्थापना की जाए और (ख) कोर्ट मार्शल को अपने फैसले के पक्ष में कारण बताए आदेश देने चाहिए।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 33 के प्रावधानों के प्रकाश में सरकार इस विषय पर थल सेना और अन्य सम्बन्धित विभाग के साथ परामर्श करने का विचार रखती है।

कपूर का आयात

922. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात के क्या कारण हैं कि कपूर का काफी मात्रा में आयात किया जा रहा है जब कि स्वदेशी कपूर का भारी स्टाक पड़ा हुआ है; और

(ख) देश में उपलब्ध कपूर के स्टाक को बेचने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) विद्यमान आयात नीति के अधीन कपूर पहले ही परिशिष्ट-3 के अन्तर्गत आ गया है जिसमें केवल सीमित मात्रा तक आयात करने के लिए अनुमेय मदों की सूची दी गई है। यह मद विशेष रूप से निर्यातों के आधार पर आयात नीति के परिशिष्ट-I7 में दी गई अनुमेय मदों में भी नहीं आती है।

(ख) इस मद का विपणन सामान्य व्यापार माध्यम से किया जाता है न कि सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जाता है।

संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरिन, ओमान, सऊदी अरबिया, मिश्र को तम्बाकू उत्पादों के निर्यात में वृद्धि

923. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में सबसे बड़ा तम्बाकू उत्पादक देश होने के बावजूद पश्चिमी एशियाई देशों को हमारे तम्बाकू उत्पादों के निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) क्या संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरबिया और मिश्र को सिगरेटों और तम्बाकू उत्पादों की खपत के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) इन देशों को भारतीय तम्बाकू उत्पादों का इस समय कितना निर्यात किया जाता है; और

(घ) इस क्षेत्र में भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पश्चिम एशियाई देशों को भारतीय तम्बाकू उत्पादों के निर्यात नीचे दिये गए हैं :

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु० में)
1978-78	4.44
1979-80	7.10
1980-81	8.39

(ख) जी, हां ।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान सं० आर० अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब व मिश्र को लगभग 8 करोड़ रु० मूल्य के भारतीय तम्बाकू उत्पादों के निर्यात हुए ।

(घ) इन देशों को भारतीय तम्बाकू उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिये गहन प्रचार अभियान की आवश्यकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन के कार्यक्रम के प्रसार हेतु राष्ट्रमंडल वित्त मंत्री सम्मेलन में भारत द्वारा जोर दिया जाना

924. **श्री चित बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन में हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल वित्त मंत्री सम्मेलन में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन के कार्यक्रम के प्रसार के लिए जोर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राष्ट्रमंडल के अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सातवें पुनर्भरण में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करने की जरूरत का, मोटे तौर पर, राष्ट्रमंडल के अन्य देशों के मंत्रियों ने समर्थन किया था ।

बैंक जमाराशियों में कमी

925. **श्री टी०एस० नेगी** :

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि देश में जमाराशियों में कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के लिये अपर्याप्त धनराशि हो गई है ("इंडिया टुडे", 15 अगस्त, 1982) ;

(ख) बैंक जमाराशियां जो 1977-78 में 26 प्रतिशत थीं कम होकर 1981-82 में लगभग 15 प्रतिशत रह गई है, बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अग्रेतर ऋण लेकर बैंक जमा राशियों में हुई कमी पूरी करने का है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष के पहले भाग में धीमी बढ़ोतरी के बाद, बैंक जमाराशियों में विशेष रूप से जून, 1982 के मध्य से गति आई है। 11 जून से 10 सितम्बर, 1982 के दौरान बैंक जमाराशियों में 2231 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसमें 1584 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। 17 सितम्बर 1982 तक के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक जमाराशियों में 3065 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जोकि पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में हुई 3211 करोड़ रुपये की वृद्धि से कुछ ही कम है। इस अवद्धि के दौरान, बैंकों की नकदी की स्थिति में भी सुधार हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक समझा जाता है वृद्धिशील जमाराशियों के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक जमाओं से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों की गहराई से जांच करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है।

(ग) : जी, नहीं।

एशियाड से पहले होटलों का निर्माण पूरा न करने के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही

926. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन मंत्री ने अगस्त में उन सभी होटलों को सूचित कर दिया था, जो एशियाड के लिये नये होटल और विस्तार परियोजनाएं आरंभ किये हुए हैं, कि वे अपने संविदा सम्बन्धी वचन पूरे करें या संविदाओं के खंडों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही का सामना करें;

(ख) यदि हां, तो किन-किन होटलों के कमरों संबंधी आवास प्रदान करने में जैसा कि नवम्बर, 1982 में प्रदान करने का संविदा किया गया था, चूक की है, उनका होटल-वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या (एक) भारत होटल (दो) मेरीडन होटल, (तीन) पार्क होटल, (चार) सेन्टोर होटल नवम्बर, 1982 में आश्वशसित आवास प्रदान करेंगे;

(घ) सरकार ने किन-किन चूककर्ता होटलों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की है;

(ङ) इन चूककर्ता होटलों ने भूमि सीमेंट, इस्पात, आयात-लाइसेंस और वित्तीय ऋण सहायता के आवंटन में क्या-क्या विशेष लाभ लिये; और

(च) इन असफलताओं के कारण सरकार किन-किन होटलों का अधिग्रहण करेगी;

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन होटलों से कहा गया है कि ये एशियाड के लिए प्रोजेक्ट किए गए आवास को नवम्बर 1982 में व्यवस्था कर दें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निर्माण सामग्री और अन्य सहायताएं जिनमें ऋण—सहायता शामिल है, सामान्य नियमों के अनुसार प्रदान की गई थीं।

(च) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री मत्स्य की उद्योग का विकास

927. **श्री राम सिंह यादव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री मत्स्यपालन उद्योग के विकास के बारे में 1981 में नियुक्त कृत्रिक बल ने 'राष्ट्रीय मत्स्य की विकास निगम' की स्थापना का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय के पास कतिपय प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं।

एशियाई खेलों के लिए वस्तुओं का आयात

928. **श्री चतुर्भुज** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के अवसर पर कौन-कौन सी कितने मूल्य की वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है; और

(क) भारत में कौन-कौन सी वस्तुएं आ चुकी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 49 दिनांक 24 सितम्बर, 1981 के अनुसार नवें एशियाई खेल, 1982 के संचालन के संबन्ध में भारत में माल का आयात बिना आयात लाइसेंस के किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे आयात सीमा-शुल्क के भुगतान से मुक्त हों।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली छावनी में सेना और पुलिस के बीच झगड़ा

929. श्री राम सिंह शास्त्र : क्या रक्षा मन्त्री दिल्ली छावनी में सेना और पुलिस के बीच झगड़े के बारे में 16 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1520 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले की जांच के लिए सेना प्राधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार न्यायिक अदालत की जांच कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) ; (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रिपोर्ट की थल सेना प्राधिकारियों द्वारा अभी जांच की जा रही है। सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद (ग) के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

अमृतसर में विमान अपहरणकर्ता की हत्या

930. श्री विजय कुमार यादव : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 29 अगस्त, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि अगस्त, 1982 में इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग विमान के अपहरणकर्ता को अमृतसर में मार दिया गया;

(ख) क्या समाचारपत्र में दिए गए तथ्यों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 176 के अधीन जांच करने के लिये, अमृतसर के उपायुक्त ने एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है।

(ग) कार्यकारी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

931. श्री मनमोहन टुडु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाये जाने की अच्छी क्षमता उपलब्ध है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गये हैं; और

(ग) समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए वर्ष 1982-83 के लिए क्या निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं :—

(1) निर्यातों में वृद्धि करने की दृष्टि से उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों को किराये पर लेने की अनुमति दी गई है और अभी तक छः पार्टियों को विदेशों से 51 जहाज किराये पर लेने के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं। इसके अलावा अन्तर्देशीय खारे पानी में झींगा मछली की फार्मिंग शुरू की गई है। खारे पानी में झींगा मछली के फार्मिंग के लिए दीर्घ स्तर के सर्वेक्षण केरल, कर्नाटक तथा उड़ीसा के तट पर किये गये थे और फार्म प्रचारकों को तकनीकी सहायता भी दी गई थी।

(2) समुद्री उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि करने के उद्देश्य से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने समुद्री उत्पादों के लिए बाजार सर्वेक्षण किये, विदेशी बाजारों को बिक्री-सह अध्ययन दल एवं समुद्री खाद्य प्रतिनिधिमण्डल प्रायोजित किये, विदेशों में महत्वपूर्ण व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया और विदेशों में व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन सहित विज्ञापन रिलीज किये।

(3) समुद्री उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने की दृष्टि से, एम० पी० ई० डी० ए० ने मिनी प्रयोगशालाएं, पीलिंग शेड्स तथा मछली उतारने के प्लेटफार्म की स्थापना के लिए उपदान योजनाएं लागू की हैं।

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए समुद्री उत्पादों के लिए 300 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

काले धन का राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान द्वारा सर्वेक्षण

932. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान ने कहा है कि काले धन का पता लगाने के अध्ययन में दो वर्ष का समय लगेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह सर्वेक्षण वित्त मन्त्रालय के कहने पर शुरू किया था; और

(ग) क्या संस्था ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई रिपोर्ट दी है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल ही में, देश में लेखा-बाह्य आय की मात्रा का अनुमान लगाने के लिये तथा अन्य बातों के साथ-साथ उन कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए, जिनसे काला धन उत्पन्न होता है और/अथवा उसकी उत्पति में मदद मिलती है, अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली को सौंपा है। उक्त संस्थान ने सूचित किया है कि अध्ययन पूरा होने में लगभग दो वर्ष लगने की संभावना है।

(ग) अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

आयकर अधिकारियों द्वारा सरकार को धोखा देना

933. श्री बाला साहिब विरले पाटिल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि आयकर विभाग के कुछ अधिकारी आयकर के वकीलों से मिलकर लाखों में हेराफेरी कर रहे हैं और इस प्रकार सरकार को लाखों रुपये के आयकर और सम्पत्ति कर की प्राप्ति से वंचित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने और न्यायालय में मुकदमा चलाने में काफी समय लग जाता है और प्रायः दोषी व्यक्ति कानूनी नोटिसों/खामियों के कारण बच जाते हैं; और

(घ) ऐसे अपराधों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया है और क्या विधि में कोई परिवर्तन करने का विचार है ताकि दोषी व्यक्ति को शीघ्र अदालती कार्यवाही से दण्डित किया जा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

निर्यात में वृद्धि की दर

934. श्री अटल बिहारी वाजपेयी

श्री सूरज भान : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय वाणिज्य मण्डल की इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि निर्यात की दर वर्ष 1978-79 में 5.9 प्रतिशत थी और वह 1978-80 में बढ़ कर 11.3 प्रतिशत हो गई थी परन्तु 1980-81 में यह कम होकर 3.7 प्रतिशत रह गई और इसके अतिरिक्त विश्व निर्यात में भारत का अंश 1938 में 2.9 प्रतिशत था जबकि 1970 में वह कम होकर 0.72 प्रतिशत और 1980 में 0.36 प्रतिशत रह गया;

(ख) तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है और ऐसा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारत का विश्व निर्यात में 1981-82 में क्या अंश है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1980-81 के दौरान भारत के समग्र निर्यातों में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 1979-80 में 12.8 प्रतिशत और 1978-79 में 6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 1980-81 के दौरान निर्यातों में वृद्धि पर 1979-80 तथा 1980-81 की पहली छमाही में सूखे के प्रभाव तथा उत्पादन के कम स्तर, उत्पादन के लिये अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव और घरेलू मुद्रा स्फीति की स्थितियों के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था का निष्पादन अच्छा न होने से 1980-81 के दौरान निर्यात वृद्धि में बाधा आई। परिणामी घरेलू कीमतों की वजह से आवश्यक वस्तुओं के अधिक आयात करने पड़े जिससे कि आयात बिल में वृद्धि हुई। विश्व में मन्दी, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के बने रहने और विकसित देशों द्वारा अपनाये गए नई किस्म के टैरिफ, गैर टैरिफ तथा अन्य संरक्षणवादी उपायों के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी निर्यातों में वृद्धि में सहायक नहीं थी।

विश्व निर्यातों में भारत के अंश में गिरावट विभिन्न कारणों से आई है। 1950 के दशक तथा 1960 के दशक के दौरान देश में औद्योगिक विकास की नीति के अन्तर्गत आयात प्रतिस्थापित पर विशेष जोर था। पहले कृषि आधारित स्वरूप की अनेक अपरिष्कृत तथा अर्ध-साधिता मदों का भारत से बड़ी मात्राओं में निर्यात होता रहा परन्तु विकास की प्रक्रिया में ऐसी मदों के निर्यात में गिरावट आई क्योंकि इनकी घरेलू उद्योग में खपत के लिए अधिक जरूरत है। परिणामस्वरूप, इन अवधियों के दौरान निर्यातों में वृद्धि दर में कमी आई। इनके अलावा, नये प्रतियोगियों का उभरना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न संश्लिष्ट प्रतिस्थपनाओं के विकास जैसे अन्य बाह्य कारण भी थे जिनका विश्व निर्यातों में भारत के अंश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, गत कुछ वर्षों में ईंधन, उर्वरकों, आदि के विश्व व्यापार में बहुत वृद्धि हुई जिससे भी विश्व व्यापार में भारत के अंश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तथापि, यह सन्तोषजनक बात है कि देश में औद्योगिक आधार के विस्तार के साथ इंजीनियरी तथा अन्य उत्पादों की अनेक नई मदें हमारे निर्यात व्यापार में उभरी हैं और उनके और बढ़ जाने से आशा की जाती है कि भारत के निर्यातों का अंश में आने वाले वर्षों में सुधार आयेगा।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों के अनुसार विश्व निर्यातों में भारत का अंश 1980 की तरह 1981 में 0.4 प्रतिशत था।

गैर-परम्परा गत निर्मित वस्तुओं के राज्य व्यापार निगम द्वारा किए जाने वाले निर्यात में कमी

935. श्री जी० बाई० कृष्णन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम के बाजारों में गैर-परम्परागत वस्तुओं के राज्य व्यापार निगम द्वारा किए जाने वाले निर्यात में कमी आई है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि फैशन के वस्त्र इंजीनियरी का हल्का सामान, जैसे कि 'कास्टिंग और फास्टनर' और चमड़े की पोशाक नहीं खरीदी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 के लिए प्रायः बनाई जाने वाली वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक उनका लक्ष्य कितना पूरा हुआ है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : जी हां ।

(ग) 1982-83 के दौरान गैर-परम्परागत विनिर्मित मदों के निर्यात के लिए लक्ष्य 165 करोड़ रु० का है । अप्रैल-सितम्बर, 1982 के दौरान 46 करोड़ रु० की उपलब्धि हुई ।

बैंकों में धन वितरण की उत्तम प्रणाली

936. **श्री डी० एम० पुतेगोडा :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन पश्चिम जर्मन फर्म (सीमेन्स) की जानकारी है जिसने लुटेरों द्वारा बैंक लूटने के प्रयासों को रोकने के लिए धन वितरण की एक उत्तम प्रणाली निकाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि यह नई प्रणाली कैशियर को सशस्त्र डाकुओं के हमले से सुरक्षा भी प्रदान करेगी;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के सभी बैंकों में यह प्रणाली शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उसे पश्चिमी जर्मनी की फर्म सीमेंस द्वारा किसी ऐसी वितरण प्रणाली विकसित किये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है जो बैंक डकैतों को बैंक लूटने से रोक सकेगी । अलबत्ता, इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

सड़े हुए गेहूं की बिक्री जिस पर 'पशुओं का खाद्य' लिखा है

937. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़ा हुआ वह आयातित गेहूं उचित दर की दुकानों पर बिक रहा है जिस पर "पशुओं का खाद्य" लिखा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राशन में मिलने वाले अनाज की कोटि में सुधार तथा इसकी आसानी से उपलब्धता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जैसा कि दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है, इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों दोनों द्वारा इस बात पर निगरानी रखी जाती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिये जाने वाले खाद्यान्न उपयुक्त किस्म के हों। उचित दर की दुकान को दिये गए खाद्यान्नों के स्टाक का सीलबन्द नमूना उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि हेतु दुकान में प्रदर्शित करने के लिए उचित दर की दुकान को दिया जाता है। जहां तक उपलब्धता का सम्बन्ध है, राज्यों को आवंटन केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक और सम्बन्धित राज्य द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

नन्गुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली में स्काईलार्क परियोजना की वर्तमान स्थिति

938. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नन्गुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु की स्काईलार्क परियोजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में परियोजना स्काईलार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। परियोजना को वास्तविक रूप से कार्यान्वित करने से पहले उसके तकनीकी ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

बैंक डकैतियां

939. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले दो वर्षों के दौरान पड़ी बैंक डकैतियों की संख्या राज्य-वार कितनी हैं और इन बैंकों से डाकुओं ने कुल कितनी धनराशि लूटी है; और

(ख) डाकुओं/लुटेरों के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1981 तथा 1982 (30.9.82 तक) के दौरान हुई बैंक डकैतियों/लूटपाटों की राज्यवार संख्या तथा इनमें अन्तर्ग्रस्त राशि और जिन मामलों में अपराधी पकड़ लिए गए हैं उनकी संख्या तथा उनसे बरामद की गई रकम को दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

विवरण-I

वर्ष 1981 में बैंक में हुई लूटपाटों/डकैतियों के मामले तथा इन मामलों में हुई प्रगति

राज्य	मामलों की संख्या	अन्तर्गत राशि (रुपये)	वसूल हुई राशि (रुपये)	उन मामलों की संख्या जिनमें अपराधी पकड़ लिए गए हैं	गिरफ्तार व्यक्ति
बिहार	3	6,42,318/-	—	2	8
दिल्ली	2	7,66,920/-	2,25,000/-	2	4
हरियाणा	1	43,660/-	—	1	1
केरल	1	—	—	—	—
कर्नाटक	2	44,637/-	—	—	—
मध्य प्रदेश	1	46,724/-	9,000/-	1	6
महाराष्ट्र	1	1 00,000/-	—	1	1
मणिपुर	1	2,89,452/-	—	—	—
उड़ीसा	1	3,000/-+40 लाख रु० मूल्य के स्वर्ण आभूषण	कुछ स्वर्ण आभूषण बरामद हुए	1	7
उत्तर प्रदेश	9	13,37,274/-+1.50 लाख रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण	13,580/-	5	10
पश्चिमी बंगाल	16	49,95,427/-+16.9 लाख रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण	10,28,950/- + 2.5 किलो ग्राम सोना	12	74
पंजाब	1	10,544/-	—	—	—
तमिलनाडु	1	76,600/-	76,600/-	1	1
जोड़	40	83.56 लाख रुपये+58.5 लाख रुपये मूल्य का सोना	13,53 लाख रुपये + सोना (2.5 किलो ग्राम और कुछ स्वर्ण आभूषण	26	112

विवरण-II

1.1.82 से 30.9.82 तक बैंकों में हुई लूटपाटों/डकैतियों के मामले तथा उनको हुई प्रगति

राज्य	मामलों की संख्या	ग्रस्त राशि (रुपये)	वसूल हुई राशि (रुपये)	उन मामलों की संख्या जिनमें अपराधी पकड़ लिए गए हैं।	गिरफ्तार किए गये व्यक्ति
दिल्ली	2	13,06,376	—	शून्य	शून्य
बिहार	13	16,91,124/-	1,83,328/-	6	21
हरियाणा	3	10,15,120	4,39,547/-	2	6
कर्नाटक	2	2.10,000/-	2,07,480/-	2	5
मध्य प्रदेश	1	1,58,403/-	1,58,005/-	1	3
महाराष्ट्र	1	89,220/-	23,220/-	1	5
उत्तर प्रदेश	11	10,64,448/-	52,000/-	2	शून्य-छः व्यक्ति गोली से मार दिए गए
पश्चिमी बंगाल	19	56,30,084/-+11.89 लाख रुपये मूल्य का सोना	3,85,000/-	6	17 इनके अलावा 6 व्यक्ति गोली से उड़ा दिए गए
पंजाब	5	5,68,944/-	9,500/-	2	5
राजस्थान	2	53,772/-	17,000/-	1	2
	59	117,87.491+11.89 लाख रुपये मूल्य का सोना	24,75,080	23	64

गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए राशि का आवंटन

940. श्री डी०पी० यादव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग और परिवहन मंत्रालय ने सुलतानपुर, जिला भागलपुर बिहार में गंगा नदी पर एक ऊंचा पुल बनाने के लिये वित्त मंत्रालय से धन राशि देने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या बिहार सरकार इस परियोजना को वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित योजनेत्तर स्कीम के रूप में आरम्भ करने की इच्छा व्यक्त की है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) वित्त मन्त्रालय को भागलपुर अथवा सुलतानगंज में गंगा नदी के ऊपर पुल के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव के बारे में जानकारी है। 1979 के मूल्य स्तर के आधार पर भागलपुर में पुल की लागत 33.50 करोड़ रुपये और सुलतान गंज में 31.45 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह सुझाव दिया गया था कि इस स्कीम को या तो छठी योजना में शामिल कर लिया जाए और इसके लिए एक विशेष व्यवस्था मंजूर कर दी जाए अथवा सरकार को इस परियोजना के लिए आयोजना भिन्न ऋण की व्यवस्था कर दी जाए। वित्त मन्त्रालय ने यह सुझाव दिया है कि जबकि पुल के स्थान और लागत अनुमान निश्चित करने के प्रश्न पर आगे विचार किया जा सकता है, लेकिन इस पुल पर प्रारम्भिक कार्य के लिए अल्पपरिव्यय मध्यावधि समीक्षा के सन्दर्भ में, राज्य की छठी योजना में शामिल कर लिया जाये और सातवीं योजना अवधि के दौरान इस पर पुरजोर कार्यवाही की जाए।

सरकारी क्षेत्र विभिन्न उपक्रमों में हस्ताक्षर किये गये मजूरी समझौता

941. भीखा भाई : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में 1977 से लेकर हस्ताक्षर किए गए मजूरी समझौतों के दौरान अनेक उपक्रमों के केन्द्र सरकार की मंहगाई भत्ता फार्मूला रखते हुए मंजूरी का संशोधन करने की अनुमति दी गई, यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं और अन्य उपक्रमों को उसी ढांचे का अनुसरण करने की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या 16 फरवरी 1982 को दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम तथा उसके कर्मचारियों के बीच केन्द्रीय सरकार महंगाई भत्ता ढांचा रखते इस मजूरी संशोधन के बारे में एक समझौता किया गया था और इस समझौते को 1 जनवरी, 1978 से लागू किया गया था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उर्वरक निगम मेला राष्ट्रीय ताप बिजली आदि के कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच हाल के समझौते में मजूरी संशोधन में 18 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक वृद्धि की गई हैं। यदि हां, तो उन उपक्रमों की सूची क्या है जिन्होंने 1 जनवरी 1977 के बाद मजूरी में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ग) : संभवतः माननीय सदस्य का आशय सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों से है जिन्होंने मजूरी समझौते द्वारा केन्द्रीय सरकार का मंहगाई भत्ता फार्मूला अपना रखा है। वर्ष 1977 से सरकार ने एक या दो अपवादस्वरूप मामलों को छोड़ कर ऐसे किसी मजूरी समझौते को अधिकृत नहीं किया है जिसमें निष्प्रभावन की दर केन्द्रीय सरकार के समान रखी गई हो।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान दिल्ली नगर निगम के अधीन है। सरकारी उद्यम कार्यालय इस उद्यम को मजूरी सम्बन्धी मार्गनिर्देश जारी नहीं करता है।

अगस्त, 1982 क पश्चात वायुदूत सेवा से जोड़े जाने वाले नए क्षेत्र

942. **श्री कमल नाथ : क्या नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1982 के पश्चात् वायुदूत से कौन-कौन से क्षेत्रों को जोडा गया है; और

(ख) चालू वर्ष की शेष अवधि में और कौन से क्षेत्रों को इस सेवा से जोड़े जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 15.9.1982 से बिहार में एक नए स्टेशन गया को निम्न प्रकार से विमान सेवा से जोड़ दिया गया है :—

कलकत्ता-जमशेदपुर-रांची-गया-पटना।

(ख) विमान और अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता होने पर हिसार (हरियाणा), कोटा (राजस्थान), पंतनगर (उत्तर प्रदेश), पूर्णिया (बिहार) को प्रावस्थाबद्ध रूप में विमान सेवा से जोड़े जाने की संभावना है।

अमेरिका के भारतीय वाणिज्य मण्डल की बैठक में दिया गया भाषण

943. **श्री पी०के० कोडियन :**

श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित की प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) उनके द्वारा 12 सितम्बर, 1982 को न्यूयार्क में अमेरिका के भारतीय वाणिज्य मण्डल की भोजन काल बैठक में दिए गए भाषण की एक प्रति; और

(ख) बैठक में भाग लेने वालों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) न्यूयार्क में 12 सितम्बर, 1982 को अमरीका के भारतीय वाणिज्य मण्डल की भोजन काल बैठक में वित्त मन्त्री ने कुछ तत्काल प्रस्तुत टिप्पणियां दी थीं। इन टिप्पणियों में भारत सरकार की विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित वर्त-

मान नीतियों को दोहराया गया था। मन्त्री महोदय ने भारतीय मूल के अनिवासियों द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश के सम्बन्ध में उन्हें दिए गए प्रोत्साहनों की भी पुनः चर्चा की।

(ख) इस बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने कोई प्रश्न नहीं पूछे। तथापि, उनमें से कुछ व्यक्तियों ने बाद में भारत सरकार की विदेश नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा के लिए वित्त मन्त्री से भेंट की।

पाराद्वीप बन्दरगाह से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के प्रयास

944. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री पारादीप बन्दरगाह से लौह अयस्क के निर्यात बढ़ाने के बारे में 30 जुलाई, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 322 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पारादीप बन्दरगाह से किए जाने वाले लौह अयस्क के निर्यात में कमी और इसके पश्चात् यह निर्यात रोक देने के क्या कारण हैं;

(ख) पारादीप बन्दरगाह से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी सरकारों से बातचीत के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) गत चार वर्षों में पारादीप पत्तन से लौह अस्यक का 1.63 मिलियन मै० टन से 1.81 मिलियन मै० टन के बीच निर्यात हुआ है। उस समय को छोड़ कर जब प्राकृतिक संकटों से पत्तन संचालनों पर प्रभाव पड़ा है, निर्यात नहीं रुके हैं।

(ख) तथा (ग) पारादीप पत्तन से लौह अयस्क उठाने के लिए विदेशी खरीदारों को आकर्षित करने के वास्ते सरकार ने पहले ही पारादीप पत्तन पर लदान सुविधाओं में सुधार की योजना अनुमोदित कर दी है। तथापि, विश्व में इस्पात उद्योग में लगातार मंदी रहने के कारण पारादीप पतन से लौह अयस्क के निर्यात बढ़ाने की संभाव्यताएं उज्ज्वल नहीं हैं।

ऊंचे दामों पर चीनी की खरीद

945. **श्री जगपाल सिंह** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु निगम तथा उत्तर प्रदेश से ऊंचे दामों पर पिछले वर्ष खरीदी गई चीनी की बहुत अधिक मात्रा नागरिक पूर्ति निगम, दिल्ली के पास अभी भी पड़ी हुई है; और

(ख) नागरिक पूर्ति निगम के पास पड़ी चीनी के निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से गत वर्ष खरीदी गई लगभग 2600 क्विंटल चीनी, इस समय

दिल्ली राज्य-नागरिक पूर्ति निगम के पास बिना बिकी रहती है। निगम द्वारा यह मात्रा सुपर बाजार के माध्यम से बेची जा रही और समाचार पत्रों में विज्ञापनों द्वारा जनता को भी इसकी पेशकश की गई है।

निर्यातकों को ऋण

946. श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री के० लकप्पा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के निर्यातकों को बैंकों द्वारा मांग के अनुसार पर्याप्त ऋण समय पर तथा रियायती दरों पर उपलब्ध नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं कि बैंक निर्यात वित्तपोषण के संबंध में काफी उत्साह दिखायें ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) निर्धारित अवधियों के वास्ते ब्याज की रियायती दरों पर, बैंक, निर्यातकों को, समुचित वित्त प्रदान कर रहे हैं। कुल बकाया निर्यात ऋण, जो दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के मुताबिक 1,191 करोड़ रुपए था, सितम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार, बढ़कर 1,833 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि वह समय-समय पर बैंकों को सलाह देता रहता है कि वे ये सुनिश्चित करें कि केवल समुचित और सामयिक ऋण के अभाव में निर्यातकों को कोई भी न्यायसंगत ऋण आवश्यकता पूरी हुए बिना न रह जाए।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का दबाव

947. श्री गुलाम रसूल कोंचक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का दबाव अब भी बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह कहा है कि स्थिति चिन्ताजनक नहीं है;

(ग) सरकार ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का दबाव रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं;

(घ) क्या औद्योगिक क्षेत्र में काफी मन्दी आई है; और

(ङ) सरकार भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रा स्फीति का दबाव रोकने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा मांग और पूर्ति दोनों दिशाओं में विभिन्न मुद्रा स्फीति-निरोधक उपायों के उठाए जाने के फलस्वरूप मूल्य स्थिति में

सुधार आया है। मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर थोक मूल्य सूचकांक के मान दण्ड के अनुसार, जो बिन्दु प्रति बिन्दु के आधार पर 1979-80 में 21.4 प्रतिशत थी 1980-81 में घट कर 16.7 प्रतिशत और 1981-82 में 2.1 प्रतिशत रह गई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (18 सितम्बर, 1982 तक) थोक कीमत सूचकांक में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.1 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 18 सितम्बर, 1982 को समाप्त हुए सप्ताह में 2 प्रतिशत की मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर पिछले वर्ष के इसी सप्ताह की 7.8 प्रतिशत की दर से काफी कम है। इस प्रकार यह प्रमाणित हो जाता है कि कीमतों की स्थिति पर पर्याप्त नियंत्रण है। और इसमें चिंता का कोई कारण नहीं तथापि, सरकार इससे सन्तुष्ट नहीं है और कीमतों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जाती है जिससे जब भी आवश्यक हो आगे कदम उठाए जा सकें।

1982 के प्रथम सात महीनों में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि कुछ उद्योगों ने अन्य कारणों से उत्पादन में कमी दिखाई है, फिर भी उपलब्ध आकड़ों से अर्थव्यवस्था में सामान्य मन्दी की स्थिति परिलक्षित नहीं होती। उभरती हुई स्थितियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जैसा आवश्यक होगा उचित कदम उठाए जायेंगे।

उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण

948. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसान को-आपरेटिव और उपभोक्ता को-आपरेटिव से सम्पर्क बनाकर उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण रखने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार राजधानी में कम से कम तीन लाख परिवारों के लिए वर्तमान बाजारों के अतिरिक्त 500 और खुदरा दुकानें खोलने का है;

(ग) यदि हाँ, तो उचित दर की दुकान पर कौन-कौन सी वस्तुओं की नियमित रूप से सप्लाई के लिए निर्धारित की गई हैं; और

(घ) ये कब शुरू की जायेंगी और इस तरीके से मूल्यों पर किस सीमा तक नियंत्रण हो सकेगा ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) देश में विपणन और उपभोक्ता सहकारी समितियों के बीच एक सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धितों अभिकरणों के परामर्श से एक समन्वित योजना की जाँच की जा रही है, जिससे कि उत्पादकों को बेहतर मूल्य और उपभोक्ताओं के लिए उचित दरें सुनिश्चित की जा सकें।

(ख) से (घ) निर्धारित वस्तुओं की आपूर्ति तथा मूल्यों को बनाये रखने की समूची योजना के तहत विभिन्न उपायों पर विचार किया जा रहा है। खुदरा बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या, सुपर बाजार तथा विभिन्न उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा चलाये जा रहे मौजूदा केन्द्रों, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ द्वारा खोले जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों, जिनमें चलती-फिरती दुकानें आदि भी शामिल हैं, को मिलाकर 500 के आस-पास होने की उम्मीद है, जिनसे दिल्ली में लगभग 3 लाख परिवारों को वस्तुएं मिल सकेंगी। इन सहकारी खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सप्लाई करने के लिए जिन विशिष्ट वस्तुओं को निर्धारित किया गया है उनमें ये शामिल है : प्याज, आलू, टमाटर, मटर, बंद गोभी, फूलगोभी, केले, अरहर, मूंग, चना, खाद्य तेल तथा अंडे। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने इनमें से कुछ वस्तुएं सहकारी बिक्री केन्द्रों को सप्लाई करनी आरम्भ कर दी हैं।

अफीम का उत्पादन

949. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अफीम की खेती के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा कुल कितने एकड़ भूमि पर इसकी खेती की जायेगी और किसानों को इसके क्या दाम दिये जायेंगे; और

(ख) देश में कुल कितनी अफीम का उत्पादन हुआ है और कितनी अफीम का निर्यात किया गया है और पिछले पाँच वर्षों में इसके मूल्य क्या रहे।

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) देश में वर्ष 1982-83 की फसल के लिए पोस्त की काश्त हेतु लगभग 31500 हेक्टेअर रकबे को लाइसेंस दिए जाने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि इस रकबे 90° गाढ़ता की लगभग 840 मीट्रिक टन अफीम मिलेगी। काश्तकारों को देय मूल्यों का स्तर वही रखा गया है जो वर्ष 1981-82 की फसल में था। ये मूल्य निम्नानुसार थे :—

प्रति हेक्टेअर उपज	70° गाढ़ता पर प्रति किलोग्राम के हिसाब से अदा किया गया अफीम का मूल्य	
	रु०	
प्रति हेक्टेअर 30 किलोग्राम से कम	130.00	इन खण्डों में निर्धारित मात्रा से अतिरिक्त मात्रा के सम्बन्ध में ही उच्चतर दर से भुगतान किया जाना है, न कि सम्पूर्ण मात्रा के लिए
30 किलोग्राम या उससे अधिक परन्तु 45 किलोग्राम से कम	240.00	
45 किलोग्राम या उससे अधिक परन्तु 60 किलोग्राम से कम	280.00	
60 किलोग्राम या उससे अधिक	300.00	

(ख) विगत पाँच वर्षों में देश में उत्पादित अफीम की कुल मात्रा और निर्यात की गई अफीम की मात्रा नीचे लिखे अनुसार थी :—

वर्ष	उत्पादन (90° गाढ़ता पर मी० टन में) (पूर्णांकित)	निर्यात
1977-78	1646	978
1978-79	1413	852
1979-80	969	796
1980-91	1162	444
1981-82	890 (अनंतिम)	585

उक्त अवधि में निर्यात मूल्य निम्नानुसार थे :

वर्ष	निर्यात मूल्य दर (प्रति यूनिट मार्फीन अमेरिकी डालर में)	
1977-88	6.0	
1978-79	6.0	
1979-80	6.0	कतिपय आधारी मात्राओं के बाद खरीदी गई अतिरिक्त मात्राओं पर 25 प्रतिशत की प्रोत्साहन छूट सहित।
1980-81	5.0	ऐसी मात्राओं के लिए 10 प्रतिशत प्रोत्साहन छूट, जिसके लिए साख-पत्र 31 अक्तूबर 1980 तक खोले गए थे और दिसम्बर 1980 तक माल उठा लिया गया था।
	4.5	1-1-1981 से 31-3-1981 तक
1981-82	4.25	पूर्ववर्ती 2 वर्षों में खरीदी गई औसत मात्रा के अतिरिक्त किन्हीं अतिरिक्त मात्राओं पर प्रति यूनिट मार्फीन 4.25 अमरीकी डालर के मूल्य पर 25 प्रतिशत की छूट दी जानी है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

950. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान बजट पेश किये जाने के पश्चात् इस बात का कोई मूल्यांकन किया है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आज तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं और सरकार ने मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर लगातार नजर रखे हुए है।

(क) मार्च, 1982 के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर सितम्बर, 1982 के तीसरे सप्ताह के अन्त तक पिछले 29 सप्ताहों के दौरान समस्त-वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वस्तुवार स्थिति विवरण में दी गई है।

कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतः अप्रैल-मई 1982 के दौरान देश के कुछ भागों में बे-मौसमी वर्षा होने, मई 1982 से कमी की अवधि शुरू हो जाने, बरसात के देरी से शुरू होने तथा वृष्टिपात कम होने के कारण हुई है।

मूल्यों के बढ़ने से रोकने और आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता में सुधार लाने के लिए सरकारी नीति में मुख्यत: इस बात पर बल दिया जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से वे जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं, का उत्पादन बढ़ाया जाये और आवश्यकता पड़ने पर देश में इनके उत्पादन की अनुपूर्ति आयात के माध्यम से की जाए। सरकार द्वारा किए जा रहे अन्य उपायों में ये शामिल हैं—आधार ढांचे सम्बन्धी में सुधार लाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के अंतर्गत जारी किए विभिन्न आदेशों को लागू कर रही है।

उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप 18-9-82 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर 2.0 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 1981 के इसी सप्ताह में मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 7.8 प्रतिशत थी।

विवरण

मार्च 1982 के प्रथम सप्ताह से शुरु होकर सितम्बर 1982 के तीसरे सप्ताह के अन्त तक पिछले 29 सप्ताहों के दौरान चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांको में आये उतार-चढ़ाव का प्रतिशत।

वस्तु	उतार-चढ़ाव का प्रतिशत	वस्तु	उतार-चढ़ाव का प्रतिशत
चावल	+ 15.3	मिट्टी का तेल	— 1.2
गेहूँ	+ 3.0	आटा	+ 15.8
ज्वार	+ 1.4	मैदा	+ 19.4
बाजरा	— 0.6	सूची	+ 19.5

जौ	+ 6.6	बिस्कुट	+ 2.6
मक्का	+ 4.2	डबलरोटी	+ 16.3
रागी	— 4.7	चीनी	— 8.0
चना	+ 2.6	खांडसारी	— 5.3
अरहर	+ 10.2	गुड़	+ 24.6
मूंग	— 1.4	वनस्पति	+ 0.1
मसूर	— 5.0	मूंगफली का तेल	+ 2.9
उड़द	+ 39.4	सरसों का तेल	+ 3.3
आलू	+104.1	नारियल का तेल	+ 27.6
प्याज	+ 11.9	जिंजली का तेल	+ 2.7
संतरे	— 37.7	करड़ी का तेल	+ 4.4
केले	— 9.5	बिनौले का तेल	+ 7.1
दूध	+ 8.4	नमक	— 5.3
अंडे	— 2.5	सिगरेट	— 1.8
मछली	+ 9.9	बीड़ी	एस
मांस	+ 5.1	सूती धागा	— 4.5
काली मिर्च	+ 13.2	सूती कपड़ा (मिल का)	+ 3.8
लाल मिर्च	— 1.9	खादी का कपड़ा	एस
हल्दी	+ 25.4	हथकरघा तथा बिजली	
चाय	+ 11.9	करघे का कपड़ा	+ 2.3
काफी	+ 0.6	कागज	+ 0.5
कोयला	+ 16.2	टायर	+ 5.4
कोक	+ 21.1	ट्यूबें	+ 4.5

वस्तु	उतार-चढ़ाव का प्रतिशत
सोड़ा राख	— 3.8
औषध तथा दवाइयां	+ 9.5
साबुन	एस
कृत्रिम अपमार्जक	एस
टूथ पेस्ट	एस
टूथ पाऊडर	एस
दियासलाइयां	एस
सीमेंट	+ 29.5
हरीकेन लालटेन	+ 9.5

ताले	+ 11.1
बिजली के लैम्प	एस
बर्तन	एस
रेजर ब्लेड	एस
शुष्क सैल	+ 35.6
समस्त वस्तुएं	+ 5.1

मिर्जापुर भदोई के कालीन उद्योग

951. **श्री उमा कान्त मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिर्जापुर-भदोई के श्रम-प्रधान और निर्यात-प्रधान कालीन उद्योग को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ख) कालीन उद्योग में वृद्धि के लिये प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जहां तक बैंक वित्त का संबंध है, लघु उद्योग के कार्य-क्षेत्र के अधीन आने वाले कालीन एककों प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है।

(ख) कालीन उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(क) हाल ही में एक निर्यात संवर्धन परिषद अलग से स्थापित की गई है,

(ख) भदोई में कालीन प्रौद्योगिकी के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किये जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है,

(ग) कालीन बुनाई में अग्रिम प्रशिक्षण को कालीन उद्योग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है,

(घ) नये बाजारों का पता लगाने और विद्यमान बाजारों में विस्तार करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

जीवन बीमा निगम का विभाजन

952. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के भूतपूर्व चेयरमैन श्री जोशी इसको पांच स्वतंत्र जोनल संगठनों में बांटने के हक में नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को जीवन बीमा निगम के विभाजन के विरुद्ध अभ्यवेदन प्राप्त हुये हैं और यदि हां, तो किससे ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : सरकार को श्री जे० आर० जोशी से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिसमें उन्होंने जीवन बीमा उद्योग के पुनर्गठन के संबंध में लिए गए निर्णय का विरोध किया हो।

(ग) हालांकि सरकार के इस निर्णय का व्यापक रूप से स्वागत किया गया है, लेकिन कुछ स्टाफ यूनियनों ने इस निर्णय के औचित्य को चुनौती दी है।

एयर-इंडिया के कार्यालय के बाहर विदेशी यात्रियों का "धरना"

953. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि 31 अगस्त, 1982 को 30 विदेशी यात्रियों ने, जिनके पास टिकट थे, एयर-इंडिया, नई दिल्ली के जनपथ आरक्षण कार्यालय में प्रबन्धक के कमरे के बाहर धरना दिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) इन यात्रियों को कब और कहां टिकट दिये गये ;

(घ) उन्हें बम्बई कार्यालय में कब सूचना मिली ;

(ङ) समय पर आरक्षण की जांच न करने के लिये कौन जिम्मेदार है ; और

(च) भविश्य में इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) : जी, हां।

(ख) : 29.8.1982 को एयर-इंडिया की उड़ान संख्या। 135 (बम्बई-दिल्ली-रोम-फ्रैंकफर्ट-पैरिस) पर यात्रा करने के लिये बुक किए गए 20 फ्रांसिसी पर्यटकों के एक दल को उनकी टिकटों की पुष्टि हो जाने के बावजूद भी सीटें प्राप्त नहीं हो सकी थीं।

(ग) : इन यात्रियों को पुष्टिकृत टिकटें 2.8.1982 को एयर-इंडिया के पैरिस स्थित कार्यालय द्वारा जारी की गयी थीं।

(घ) : 2.8.1982 को ही।

(ङ) : यह समस्या कम्प्यूटर से गुजरे बिना तथा केन्द्रीय अंतरिक्ष नियंत्रण की जानकारी के बिना दिल्ली में उड़ान-पूर्व सूची में सोलह जर्मन पर्यटकों के बढ़ जाने से उत्पन्न हुई। एयर-इंडिया को इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा गया है।

(च) : एयर-इंडिया ने अपनी बुकिंग प्रक्रियाओं को अधिक कारगर बना दिया है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋणों/पेशगियों की वसूली

954. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों द्वारा खरीद के लिये दिये गये बैंक ऋण पेशगी की कठोर उपायों द्वारा वसूली के लिये 1979-80, 1980-81 1981-82 तथा अब तक कितने ट्रैक्टरों तथा अन्य मशीनों की अन्तिम नीलामी की जा चुकी है;

(ख) व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों के ट्रैक्टरों तथा मशीनों के ऋणियों की संख्या कितनी है जिनके मामले में एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और उससे अधिक समय से ऋण बकाया है;

(ग) किसानों की ऋण अदायगी की अक्षमता तथा सूखे और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन ऋणियों को किस्तों का पुनर्निधारण तथा ऐसी किस्तों की अवधि बढ़ाकर कोई राहत प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके विवरण दें तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : बैंक साधारणतः ऋण-कर्ताओं की वास्तविक कठिनाइयों के मामले में ऋणों की वापसी अदायगी के लिए समयावधि को बढ़ा देते हैं। जब समझाने-बुझाने और अन्य उपायों से ऋणों की वसूली में सफलता नहीं मिलती है तो प्रतिभूतियों की बिक्री अथवा मुकदमे दायर करने जैसे उपायों का सहारा लिया जाता है। उन मामलों की संख्या, जिनमें बैंकों ने प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से अपने ऋणों की वसूली उपलब्ध नहीं है।

(ख) : ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि औजारों, मशीनों को खरीदने के लिए ऋण की अवधि, किये जाने वाले निवेश की किस्म तथा वित्तपोषित किसानों की ऋणों के वापसी अदायगी की क्षमता पर निर्भर होती है। वाणिज्य बैंकों के मामले में, उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैक्टरों, कृषि औजारों तथा मशीनों लिए मार्च, 1980 के अन्त की (ताजा उपलब्ध) स्थिति के अनुसार ऋणों की बकाया राशि 105 करोड़ रुपये थी। केवल उन्हीं किस्तों को अतिदेय रकम के रूप में माना गया है जो देय हो गई है परन्तु जिनकी वापसी अदायगी नहीं की गई है। अलबत्ता, सूचना प्रणाली में कृषि मशीनों के लिए अतिदेय राशियों की स्थिति के वास्ते अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि प्रयोजनों के लिए बैंक ऋणों के मामले में मांग की अतिदेय प्रतिशतता पिछले कुछ वर्षों में 45 प्रतिशत के करीब रही।

(ग) और (घ) : भारत सरकार द्वारा तैयार किये गए स्थायी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन, बैंकों को देश के विभिन्न भागों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदायों के पीड़ितों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने की सलाह दी गई है। बैंकों द्वारा सुलभ कराये जाने वाले सहायता उपायों में ऋणों की वसूली कार्यक्रम फिर से बनाना, फसली ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलना तथा चालू परिचालनों के वास्ते नये ऋण प्रदान

करना आदि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में बैंकों का ध्यान पुनः आकर्षित किया है और उनसे इस बात का सुनिश्चय करने को कहा गया है कि बैंक अधिकारी इस सम्बन्ध में क्षेत्र-स्तर (फील्डलेवल) पर तुरन्त कार्रवाई करें।

अलबत्ता, सहायता की किस्म तथा मात्रा, विशिष्ट परिस्थितियों तथा प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर होगी।

जे० सी० बी० फोटोलिथो प्रेस के लिए भर्ती नियम

955. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या रक्षा मंत्री जे० सी० बी० फोटोलिथो प्रेस के लिये भर्ती नियमों के बारे में 13 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले पर जो कि काफी लम्बे समय से विचाराधीन पड़ा है अधिक से अधिक और कितना समय लगायेगी ?

रक्षा मंत्रालय के उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। मामले पर विचार किया गया है और यह पाया गया कि जे० सी० बी०, फोटोलिथो प्रेस में इलेक्ट्रिशयनों का वेतनमास (320-400 रु०), इस पद पर भर्ती करने के लिये विहित अनिवार्य अर्हताओं और कार्य अनुभव के अनुरूप हैं इसलिए इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है।

लम्बित पेंशन दावे

956. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना के मामले में (एक) सेवा-निवृत्ति के परिणामस्वरूप (दो) अपंगता सहित चिकित्सीय आधार पर समय पूर्व सेवा-मुक्ति के परिणामस्वरूप पेन्शन सम्बन्धी दावों के कितने मामले (एक) 10 वर्ष, (दो) 5 वर्ष, (तीन) 3 वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या उनके मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कोई उपाय किए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या पेन्शन के निपटान सम्बन्धी पद्धति का विकेन्द्रीकरण और सरलीकरण करने का विचार किया जा रहा है ताकि सेवा-निवृत्त कार्मिक को अपनी सेवा-निवृत्ति के एक वर्ष के भीतर पेंशन मिल सके;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक कर लिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) पेंशन के बकाया दावे

	सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप	अपंगता सहित स्वास्थ्य कारों पर सेवा-मुक्त
10 वर्ष से अधिक	शून्य	शून्य
5 वर्ष से अधिक	शून्य	2
3 वर्ष से अधिक	1	13

(ख) रिकार्ड कार्यालयों से आवश्यक सूचना कागजात प्राप्त न होने के कारण उक्त मामले रुके हुए हैं। इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी को फिर लिखा गया है।

(ग) से (ङ) पेंशनों की मंजूरी और अदायगी की सारी प्रक्रिया की एक उच्चस्तर की समिति द्वारा अभी जांच की जा रही है, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है और उसकी सिफारिशें प्राप्त होने के बाद अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

ईक्विटी शेयरों के धारन के सम्बन्ध में विदेश के विदेशी कम्पनियों को दी जाने वाली छूट

957. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों को 51 प्रतिशत के स्तर पर ईक्विटी शेयरों के धारण की अनुमति देते हुए छूट देने का सरकार का निर्णय सरकार की घोषित नीति के अनुसार है (दिनांक 25 अगस्त, 1982 के इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार); और

(ख) इस मामले में सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा किस प्रकार करना चाहती है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जब कोई वित्तीय संस्था किसी कंपनी को दिए गए अपने ऋण को सामान्य शेयर पूंजी में परिवर्तित करती है, तब विदेशी शेयरधारियों द्वारा धारित शेयरों की प्रतिशतता अपने आप कम हो जाती है। जहां पर सरकार ने विदेशियों को विस्पष्टत: एक निर्धारित प्रतिशतता तक शेयर धारण करने की अनुमति प्रदान की हो, वहां पर वे उस प्रतिशतत: को बनाए रखने के लिए वैध रूप से अनुरोध कर सकते हैं। अब जब कि 'फेरा' कम्पनियों के भारतीयकरण की प्रक्रिया सम्पूर्ण हो चुकी है सरकार ने ठीक उसी तरह से जैसे किसी दूसरे विद्यमान भारतीय शेयरधारी को शेयर खरीदने की अनुमति दी जाती है, विदेशी शेयरधारियों को भी शेयर लाकर कम्पनी में विदेशी शेयरधारिता के विद्यमान अनुमत्य स्तर को कायम रखने के लिए शेयर खरीद लेने की अनुमति देने का निर्णय किया है, परन्तु शर्त यह है कि विदेशी इस तरह की खरीदारी भारत में लाई जाने वाली प्रेषणाओं के द्वारा करें। इसे कोई रियायत नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ऐसा अधिकार हर किसी भी शेयरधारी को प्राप्त है और इसके अलावा इसे इस कारण से भी रियायत नहीं समझा जा सकता

क्योंकि कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 के अन्तर्गत अपेक्षित आवश्यक विशेष संकल्प पारित करना पड़ेगा और विदेशी शेयरधारी को उक्त अभिग्रहन के समय लगभग प्रचलित बाजार मूल्य पर शेयर खरीदने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा नगदी के रूप में लानी होगी।

रेशम उद्योग के लिए निर्यात लक्ष्य

958. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम उद्योग के लिए 1985 तक 100 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में क्रमशः पूंजी निवेश कितना है;

(ग) रेशम की किस्मों के उत्पादन सहित उत्पादन में अपेक्षित वर्षवार वृद्धि तथा उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य; और

(घ) क्या पूर्वी तथा मध्य भारत में टसर रेशम उद्योग के विकास के लिये स्विटरजरलैंड से कोई समझौता किया गया है और यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग ने छठी योजना अवधि के दौरान रेशम उत्पादन हेतु राज्य क्षेत्र के लिये 136.30 करोड़ रु० और केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के लिए 31 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की सिफारिश की है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) 1981-82 के दौरान 10.50 करोड़ रु० के परिव्यय से, जिसमें स्विस सहायता के रूप में 2.50 करोड़ रु० भी शामिल हैं, एक अन्तर्राज्यीय टसर परियोजना (1981-86) आरम्भ की गई है। इसका उद्देश्य टसर खाद्य बागानों के उस 6000 हैक्टार को कवर करना है जो बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में 6000 जनजातीय परिवारों को लाभ पहुँचा रहे हैं। आशा की जाती है कि 1.00 लाख किग्रा अतिरिक्त टसर कच्चे रेशम का उत्पादन होगा।

विवरण

किस्म-वार कच्चे रेशम का उत्पादन लक्ष्य

वर्ष	(लाख किग्रा में)				प्रत्याशित समग्र उत्पादन
	शहतूत	टसर	एरी	मूगा	योग
1980-81	45.93	4.25	2.10	0.55	52.83	—
1981-82	52.50	4.70	2.20	0.60	60.00	7.17 प्रतिशत
1982-83	60.00	5.25	2.60	0.70	68.55	8.55 प्रतिशत
1983-74	70.00	6.00	2.62	0.73	79.35	10.80 प्रतिशत
1984-85	79.50	7.14	2.65	0.76	90.05	10.65 प्रतिशत

1982 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट

959. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ष 1982 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उसके ऊपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 1982 की वार्षिक रिपोर्ट में विश्व की अर्थव्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली सम्बन्धी घटनाचक्र का विश्लेषण किया गया है। इसमें कोष के क्रियाकलापों का इतिवृत्त भी दिया गया है।

रिपोर्ट में उत्पादन और विश्व व्यापार की वृद्धि के अभाव, बढ़ती हुई बेरोजगारी और संरक्षण के बढ़ते हुए दबाव का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इसमें तेल का आयात करने वाले विकासशील देशों की अत्यन्त कठिन परिस्थितियों पर भी प्रकाश डाला गया है जिनके चालू खाते के भारी घाटे के कारण अधिकतर प्रतिकूल विदेशी तत्व हैं।

सरकार ने हाल में सम्पन्न हुई अन्तरिम समिति और विकास समिति की बैठकों तथा कोष और बैंक की वार्षिक बैठकों में कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को विकासशील देशों से होने वाले आयात की रुकावटों को दूर करने, तेल का आयात करने वाले विकासशील देशों को रियायती दरों पर अधिक धन उपलब्ध कराने, कोष के कोटे में वृद्धि करने, चौथी मूलभूत अवधि में विशेष आहरण अधिकारों (एस० डी० आर०) के आवंटन को फिर से शुरू करने और कम आय वाले देशों की समायोजन और विकास सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के काम में कोष और बैंक को पहले से अधिक भूमिका निभाने में समर्थन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा बंगला देश को कोयले का निर्यात

960. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम बंगला देश को कोयला निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 के दौरान बंगला देश को कितना कोयला निर्यात किया जायेगा;

(ग) कोयले की वर्ग किस्म क्या है; और

(घ) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एम०एम०टी०सी० ने बंगला देश के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें बंगला देश को वर्ष 1982-83 में 100,000 मै० टन स्टीम कोयला श्रेणी बी (गैर कोकिंग कोयला) के निर्यात की व्यवस्था है।

इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया में आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण

961. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री सुभाष यादव : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर-इंडिया में आरक्षण के कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की विस्तृत रूप-रेखा क्या है;

(ग) यह यात्रियों के लिए कहां तक उपयोगी सिद्ध होगा; और

(घ) दोनों एयरलाइनों में यह पद्धति कब से प्रारम्भ की जायेगी ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एयर इंडिया में पहले से ही अभिकलित आरक्षण प्रणाली उपलब्ध है तथा इसके संसाधन और स्मृति की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया में अभिकलित आरक्षण प्रणाली से अधिक अच्छी यात्री सेवाएं उपलब्ध होंगी। यात्रियों को एयरलाइनों की समयावलियों के बारे में विस्तृत सूचना, सीट आदि के बारे में अद्यतन सूचना उपलब्ध करायी जाएगी। जोड़ने वाली और वापसी उड़ानों पर बुकिंग तथा अन्य नगरों में होटल आवास के लिए अनुरोध को भी अभिकलित प्रणाली द्वारा ही संसाधित किया जाएगा।

(घ) एयर इंडिया ने आरक्षण प्रणाली को पहले ही अभिकलित कर दिया है जिसके विस्तार क्षेत्र में धीरे-धीरे वृद्धि की जायेगी। इंडियन एयरलाइन्स में इस प्रणाली के 1984 की पहली तिमाही में चालू हो जाने की आशा है।

टोरंटो में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की बैठक

962. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1982 में टोरंटो में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय

पुनर्निर्माण और विकास बैंक की बैठक में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्तर्गत विकासशील देशों के छठे कार्यक्रम के अधीन ऋण देने के निर्णयों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर छठी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) फण्ड बैंक की सितम्बर, 1982 में टोरैन्टो में हुई वार्षिक बैठकों में मुख्य प्रयत्न अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण में धन संबन्धी संकट को दूर करने के लिए किए गए थे और अधिकांश दाता देश किसी न किसी रूप में राजकोषीय वर्ष 1983 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण में अपना पूरा अंशदान उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गए थे। इसी प्रकार अधिकांश दाता देश राजकोषीय वर्ष 1984 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण में अपने कुल अंशदान की लगभग तिहाई राशि के बराबर की रकम उपलब्ध कराने के लिए भी सहमत हो गए थे। इन निर्णयों के परिणामस्वरूप भारत सहित, तेल का आयात करने वाले विकासशील देशों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों की उपलब्धि में सुधार होने की आशा है।

(ख) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण के संकट को दूर करने के मामले में हुई प्रगति का स्वागत करती है। अब इस बात के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को कुल मिलाकर राशियों की उपलब्धि और उन राशियों में भारत का हिस्सा दोनों को यथासम्भव ऊँचे स्तर पर बनाए रखा जा सके।

मूल्यों में वृद्धि

963. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि 31 महीनों (जनवरी, 1980 से अगस्त, 1982 तक) के दौरान मूल्यों में 31 प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक (1970-71-100) 5 जनवरी, 1980 को समाप्त हुए सप्ताह के 227.8 से बढ़कर 28 अगस्त, 1982 को समाप्त हुए सप्ताह में 294.0 हो गया, यह 2 वर्ष 8 महीनों में लगभग 2% प्रतिशत वृद्धि है। 5 जनवरी, 1980 को समाप्त हुए सप्ताह में मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 22.5 प्रतिशत थी। इसे कम करके 28 अगस्त, 1982 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए 2.4 प्रतिशत पर लाया गया है। ऐसा सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए सुनियोजित प्रयत्न के परिणामस्वरूप हुआ है। वास्तव में इस अवधि में मुद्रा स्फीतिकारी दबावों में कमी करने में देश द्वारा कई विकासशील और विकसित

देशों की अपेक्षा बेहतर सफलता प्राप्त की गई है। मूल्य स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और मुद्रा स्फीति को नियंत्रित रखना देश की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रामीण आयोजना तथा ऋण विभाग की स्थापना

964. श्री सुधीर गिरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण आयोजना तथा ऋण विभाग नाम का एक नया विभाग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग के कार्य क्या हैं;

(ग) 1982-83 के दौरान कमजोर वर्गों के लिए ग्रामीण ऋण की अब तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(घ) क्या सरकार वर्ष 1983-84 में ऋण-प्रतिबन्ध नीति में ढील देने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस विभाग को सौंपे गये कार्य विवरण में दिये गये हैं।

(ग) 1982-83 के दौरान कमजोर वर्गों को जारी किये गये ग्रामीण ऋणों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध ताजा सूचना के अनुसार कृषि और लघु उद्योग क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को वाणिज्यिक बैंकों के ऋण दिसम्बर, 1980 की स्थिति के मुताबिक 493 करोड़ रुपये थे।

(घ) बैंक ऋण के संवितरण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति लचीली है और उसकी बराबर समीक्षा की जाती रहती है।

विवरण

1. जिला ऋण योजनाएं तैयार करने सम्बन्धित लीड बैंक स्कीम।
2. प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) जैसे विशेष कार्यक्रमों के अधीन कमजोर वर्गों को ऋण, विभेदी ब्याज दर योजना 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम आदि और ग्रामीण विकास योजनाएं।
3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं का उस सीमा तक अनुपालन जहां तक कि वह राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बद्ध है।
4. राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन सांविधिक विवरणियों को प्रस्तुतीकरण।

5. जमा राशियों और ऋणों की ब्याज दरों के बारे में राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नीति निर्देश।

6. वर्तमान और नये राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा उनकी शाखाओं को लाइसेंस प्रदान करना।

7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक को विशेषज्ञ मार्गदर्शन/सहायता तथा सामान्य ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराना।

8. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराने और ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की नीति अपनाने के सम्बन्ध में विशेष अध्ययन कार्य।

विदेशी एयरलाइनों द्वारा कलकत्ता विमान पत्तन पर उतरने की अनुमति की मांग

965. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई विदेशी एयरलाइनों ने कलकत्ता विमान पत्तन पर उतरने की अनुमति दिये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अनुमति की मांग करने वाली एयरलाइनों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या इस प्रकार की अनुमति दे दी गई है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एस० ए० एस० कलकत्ता के लिए एक साप्ताहिक सेवा का परिचालन करती है तथा उसने कलकत्ता के लिए अपनी सेवाएं बढ़ाकर सप्ताह में दो सेवाएं करने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध विचाराधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की ऋण शर्तें

966. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण की शर्तें जिनके अनुसार भारत को आयात में उदारता बरतनी होगी, छठी योजना में आयात में कम करने के उद्देश्यों के प्रतिकूल है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने भारत के दूसरे वर्ष (1982-83) विस्तारित व्यवस्था कार्यक्रम के सम्बन्ध में संसद के दोनों सदनों में 13 जुलाई, 1982 को पहले ही अपना वक्तव्य दे दिया है।

पूर्वी क्षेत्र से निर्यात को संवर्धन

967. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबकि देश को विदेश व्यापार में लगभग 5,700 करोड़ रुपये के घाटे का सामना कर रहा है, पूर्वी क्षेत्र से निर्यात संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि देश के निर्यात में पूर्वी क्षेत्र का अंश 1970-71 में 49.5 प्रतिशत से घट कर 1979-80 में 32 प्रतिशत रह गया है और केवल अभियांत्रिकी में ही वह 66 प्रतिशत से घट कर 16 प्रतिशत रह गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पूर्वी क्षेत्र से निर्यात मुख्यत: जूट के माल, चाय, इंजीनियरी माल, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों, अयस्कों तथा खनिजों आदि के होते हैं। पूर्वी क्षेत्र सहित भारत से इन मदों तथा अन्य मदों के निर्यात निष्पादन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और जैसे व जब आवश्यक होता है उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। उदाहरण के लिए, जूट से बने माल के मामले में सरकार ने जूट से बने माल के निर्यातों को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं जिनमें जूट से बने माल के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता का दिया जाना, नये उत्पादों के विकास के लिए अनुसंधान कार्य का संवर्धन आदि शामिल हैं। राज्य व्यापार निगम के अधिकाधिक सहयोग से परम्परागत तथा गैर-परम्परागत मदों के लिए नया बाजार प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। जूट के माल के क्षेत्र में शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक स्थापित करने के लिए अनेक आवेदनों को सरकार द्वारा क्लीयर कर दिया गया है। भारत जूट के माल की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए संयुक्त कार्यवाही के कार्यक्रम बनाने के लक्ष्य से अंकटाड, एस्केप, एफ० ए० ओ० आदि के तत्वाधान में जूट उत्पादक तथा उपभोक्ता देशों के बीच क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के परामर्श में भी भाग ले रहा है। मांग तथा पूर्ति पहलुओं, औद्योगिकीय सुधारों की दीर्घकालिक समस्याओं, बाजार संवर्धन तथा निर्यात नीति के सम्बन्ध में जूट के माल से सम्बन्धित टास्क फोर्स की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ख) इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के अनुमान के अनुसार भारत से इन्जीनियरी माल के समग्र निर्यात में पूर्वी क्षेत्र का अंश पिछले वर्षों में कम हुआ है। कारण यह है कि इन्जीनियरी क्षेत्र ने देश के विभिन्न भागों में, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक आदि का नाम उल्लेखनीय है, 15-20 वर्षों के दौरान अपने को काफी सुदृढ़ कर लिया है।

इंजीनियरी उद्योग के निर्यातों के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। पिछले वर्षों में, निर्यात होलो वेयर, तार उत्पादों, सैनिटरी कास्टिंग्स, फास्टनर्स आदि जैसी साधारण मदों तक ही सीमित थे जबकि अब कुल निर्यातों में से मोटे तौर पर 40 प्रतिशत पूंजीगत माल तथा टर्नकी परियोजनाओं के रूप में हैं। कागज, चीनी, वस्त्र आदि के लिए मशीनी औजार, औद्योगिक

मशीनरी बनाने वाले औद्योगिक एकक पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा कहीं और स्थित हैं। अतः समग्र निर्यातों में देश के कुछ अन्य क्षेत्रों का अंश बढ़ा है।

यह देखा गया है कि पूर्वी क्षेत्र से मूल्य की दृष्टि से इन्जीनियरी माल के निर्यात बढ़े हैं। 1979-80 में क्षेत्र का निर्यात निष्पादन पिछले वर्ष के निर्यात निष्पादन की अपेक्षा कम रहा था। यह स्थित कच्चे माल के अत्यधिक अभाव और उस वर्ष में इंजीनियरी माल के निर्यात में समग्र गिरावट के कारण उत्पन्न हुई।

काले धन की समस्या की जांच के लिए नियुक्त समिति

968. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काले धन की समस्या की जांच के लिए सरकार ने अब तक कितनी समितियां नियुक्त की हैं; और

(ख) प्रत्येक समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्, कर-कानूनों और कार्यविधियों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों और आयोगों में से केवल एक समिति, अर्थात् प्रत्यक्ष कर जाँच समिति (वांचू समिति) के विचारार्थ विषयों में काले धन की समस्या का विशिष्ट उल्लेख किया गया था।

(ख) एक टिप्पणी संलग्न है जिसमें काले धन के कारणों का, तथा उसकी संवृद्धि को रोकने और कर अपवंचन का मुकाबला करने के लिए उपायों के सम्बन्ध में उपर्युक्त समिति के मुख्य निष्कर्षों तथा उसकी सिफारिशों का और उन पर की गई कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। **(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5467/82)**

इस्पात, एल्यूमिनियम तथा उर्वरकों का आयात

969. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 सितम्बर 1982 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" के संपादकीय में इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरकों आदि के अन्धाधुन्ध आयात के विषय में दी गई चेतावनी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हाँ।

(ख) घरेलू उत्पादन तथा मांग की तुलना में आयातों की स्थिति की मानीटरिंग के लिए व्यवस्था है ताकि जहां भी आवश्यक हो, कार्यवाही की जा सके।

फिल्म उद्योग में काला धन

970. श्री अजित कुमार साहा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने फिल्म उद्योग में काले धन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : सरकार ने, फिल्म उद्योग में काले धन पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ वैधानिक उपाय किये हैं, जैसे, फिल्म उद्योग में संबद्ध लोगों के लिए लेखा-बहियां और कागजात रखना अनिवार्य कर दिया गया है जिससे कर निर्धारण अधिकारी सही आय की संगणना कर सके तथा फिल्म निर्माताओं के लिए 5,000/- रु० से अधिक की अदायगियों के ब्यौरे आय-कर अधिकारी को प्रस्तुत करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। फिल्म उद्योग से सम्बन्धित लोगों के मामलों को, कारगर जांच के लिए, फिल्म-परिमंडल अथवा सैण्ट्रल अधिकार क्षेत्र में केन्द्रित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध सूचना के आधार पर जिन मामलों में तलाशी और अभिग्रहण की आवश्यकता होती है उनमें आयकर प्राधिकारियों द्वारा ये कार्यवाहियां भी की जाती हैं।

अनावासी भारतीयों द्वारा डिबेंचरों में पूंजी निवेश

971. श्री रविन्द्र वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्पनियों के डिबेंचरों तथा प्राथमिकता शेयरों में पूंजी निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को सरकार ने क्या सुविधाएं प्रदान की हैं; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय राष्ट्रिकों/भारतीय मूल के अनिवासी व्यक्तियों तथा इस प्रकार के व्यक्तियों के कम से कम 60 प्रतिशत तक के स्वामित्व वाली विदेशी निकायों को भारतीय कंपनियों के शेयरों में पोर्टफोलियों निवेश तथा प्रत्यक्ष पूंजी निवेश करने की जो वर्तमान सुविधाएं प्राप्त हैं वे भारतीय कम्पनियों के ऋण-पत्रों (रूपान्तरणीय और अरूपान्तरणीय दोनों में) में भी पूंजी निवेश करने के लिए उपलब्ध कर दी गई हैं परन्तु ये सुविधाएं निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ उपलब्ध होंगी :—

(i) भारत में स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से रूपान्तरणीय और अरूपान्तरणीय दोनों प्रकार के ऋण पत्रों में अथवा भारतीय कम्पनियों के नए निर्गमों में बिना किसी सीमा के स्वदेश प्रत्यावर्तन सुविधा के आधार पर पूंजी निवेश करने की इजाजत है।

(ii) अरूपान्तरणीय ऋण-पत्रों में स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश करने तथा इस के साथ-साथ ऐसे ऋण-पत्रों के नए निर्गमों में सीधे निवेश करने की अनुमति, निवेशों पर बिना किसी मौद्रिक सीमा के, स्वदेश प्रत्यावर्तन के पूरे लाभों के साथ प्राप्त है।

(iii) प्रत्येक अनिवासी निदेशक को स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से रूपान्तरणीय ऋण-पत्रों में पोर्टफोलियो निवेश करने की अनुमति, सम्बद्ध कम्पनी द्वारा जारी किए गए रूपान्तरणीय

ऋण-पत्रों के कुल चुकता मुल्य के एक प्रतिशत तक के प्रत्यावर्तन लाभों सहित दी जाती हैं। रूपान्तरण के पश्चात निवेशक जितने शेयरों का अभिग्रहण कर सकेगा, वे शेयर उन सभी शेयरों के अलावा होंगे जिनको वह स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से, शेयरों संबंधी पोर्टफोलियो निवेश योजना के अन्तर्गत उसी कम्पनी को चुकता सामान्य शेयर पूंजी के 1 प्रतिशत अंश तक की मर्यादा के अंतर्गत खरीद सकेगा।

(iv) रूपान्तरणीय ऋण-पत्रों के नए निर्गमों में 40 प्रतिशत/70 प्रतिशत योजना के अन्तर्गत जारी ऋण-पत्र निर्गमों के 40 प्रतिशत अथवा 74 प्रतिशत (जैसी भी स्थिति हो) तक का प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति दी गई है किन्तु शर्त यह है कि निवेश प्राप्तकर्ता कम्पनी पूंजी निर्गम नियंत्रक तथा भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों से भी अन्य आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लें।

भारतीय राष्ट्रीयता/भारतीय मूल के अनिवासियों को तथा ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत की सीमा के स्वामित्व तक धारित समुद्रपारीय निकायों को, सामान्य शेयरों में पूंजी निवेश के लिए इस समय उपलब्ध विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन लाभ सहित अथवा प्रत्यावर्तन लाभ के बिना भारतीय कम्पनियों के तरजीही शेयरों में निवेश करने की अनुमति है।

(ख) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार रूपान्तरणीय ऋण-पत्रों के मामले में विदेशों से 398.43 लाख रुपए के बराबर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने सिद्धांत रूप से भारतीय कम्पनियों को 18.30 करोड़ रुपए तक के ऋण-पत्र/बांड जारी करने की अनुमति भी दे दी है। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत तरजीही शेयरों में निवेश करने के लिए अभी तक कोई अनुमोदन नहीं दिया गया है।

रिजर्व बैंक द्वारा फार्मेसिस्टों की भर्ती

972. **श्री सज्जन कुमार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक कुछ फार्मेसिस्टों की भर्ती करने पर विचार कर रहा है जिनकी नियुक्ति दिल्ली के औषधालयों में की जाएगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो फार्मेसिस्टों की भर्ती के प्रस्ताव के विवरण क्या हैं और उनकी भर्ती कब तक की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि, नई दिल्ली में उसके कर्मचारी आवासों में स्थापित किए जाने वाले औषधालयों के वास्ते, उसका विचार एक पूर्ण-कालिक और तीन अंश-कालिक फार्मेसिस्टों को भर्ती

करने का है। अब तक भर्ती के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किए हैं क्योंकि आवासों के निर्माण के कार्य में विलम्ब हो रहा है। इन पदों के लिए विज्ञापन यथासमय जारी किया जाएगा।

सर्प चर्म

973. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुलर्भ किस्म का सर्प चर्म बम्बई सीमाशुल्क के गोदामों में बड़ी मात्रा में पिछले दो वर्षों से बेकार पड़ा है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस चर्म के लम्बी अवधि तक भंडारों में पड़े रहने के परिणामस्वरूप उसकी किस्म में खराबी आ जाएगी;

(ग) क्या यह सच है कि भारत लैदर जिसे कि चर्म का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी अगले कुछ वर्षों में इसका उपयोग करने की स्थिति में नहीं है; और

(घ) क्या सरकार इसको विदेशी बाजार में निर्यात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को अनुमति देने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी, हां। सर्प चर्म की भारी मात्रा कस्टम्स के पास है।

(ग) भारत लैदर कारपोरेशन ने प्रक्रिया को अन्तिम रूप दे दिया है और प्रोसेसिंग तथा निर्यात के लिए कस्टम्स के पास पड़ी हुई चर्म को लेना आरम्भ कर दिया है।

(घ) मामला विचाराधीन है।

आयकर कर्मचारियों को वित्तीय सहायता

974. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर कर्मचारियों को अपना मकान बनाने हेतु दी जाने वाली पेशगी के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की क्या कोई अधिकतम सीमा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) चालू वित्त वर्ष में अब तक आवंटित की गई कुल राशि 150.72 लाख रुपये है।

(ख) जी, हां। किसी सरकारी कर्मचारी को भवन निर्माण पेशगी की अनुमत्य रकम 70,000/- रुपये अथवा आवेदक की 75 महीने के मूल वेतन अथवा निर्माण लागत फ्लैट की कीमत अथवा आवेदक की वापिस अदायगी की क्षमता, इनमें से जो भी सबसे कम हो, की सीमा तक सीमित है।

रक्षोन्मुखी अनुसंधान तथा विकास के उन्नत क्षेत्र में ब्रिटेन का सहयोग

975. **श्री दौलत राम सरन :**

डा० ए०यू० आजमी : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन रक्षोन्मुखी अनुसंधान तथा विकास के उन्नत क्षेत्र में सहयोग देने को सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कृपया उसके विवरण दें ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ख) रक्षा से सम्बन्धित और विकास के क्षेत्र में सहयोग करने की सम्भावनाओं पर अब तक भारत और ब्रिटेन विचार कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श अभी आरम्भिक स्तर पर चल रहा है और कोई निश्चित करार या कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है इसलिए इस बारे में अभी कोई ब्यौरे देना समयपूर्व होगा।

कम मांग के बावजूद एल्यूमिनियम का आयात

977. **श्री बी०डी० सिंह :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम मांग के बावजूद एल्यूमिनियम का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है जिससे क्षमता उपयोग तथा देशी उद्योगों के उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है और भारी मात्रा में स्टाक जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कम मांग के बावजूद आयात का सहारा लिए जाने के कारणों सहित विवरण दें; और

(ग) जमा स्टाक का निपटान किस प्रकार किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) एल्यूमिनियम का आयात खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत सरणीबद्ध है। 1982-83 के दौरान सरणीकरण अभिकरण ने अभी तक कोई आयात नहीं किया है। तथापि, आयात नीति में पंजीकृत निर्यातकों के लिए एल्यूमिनियम के सीमित मात्रा में आयात करने की व्यवस्था है। 1982-83 के दौरान (अगस्त, 1982 तक) एल्यूमिनियम के स्वदेशी उत्पादकों की क्षमता उपयोगिता 66 प्रतिशत थी जबकि 1981-82 में यह 64 प्रतिशत थी। 31-8-82 को उत्पादकों तथा सरणीकरण अभिकरण के पास 36,233 मै० टन का स्टाक था जबकि 30.6.82 को 37,312 मै० टन का स्टाक था।

(ग) उपलब्ध स्टाक का निपटान करने में सुविधा देने हेतु सरणीकरण अभिकरण ने 1982-83 के दौरान कोई आयात नहीं किया है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों के कर्मचारियों के लिए वर्दियां

978. श्री आर०एन० राकेश : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों के कर्मचारियों को दी जाने वाली वर्दियों में कोई एकरुपता नहीं है; और

(ख) यदि, हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में एकरुपता लाने के लिए कोई कदम उठाएगी ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जी, नहीं। आई०टी०डी०सी० होटलों में कर्मचारियों के विविध स्तरों और ग्रेडस के लिए वर्दियों के पेटर्न में कुल मिलाकर एकरुपता है तथापि होटलों की आंतरिक सजावट के आधार पर विविध होटल क्षेत्रों और होटलों के लिए अलग-अलग रंगों की स्कीमें अपनाई जाती हैं।

बीसवें समुद्रपार आयात मेले में प्राप्त किए गए आर्डर

979. श्री के० मालन्ना : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को हाल ही में बीसवें समुद्रपार आयात मेले में सिले सिलाये वस्त्रों, हस्तशिल्प की वस्तुओं, साज-सज्जा और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात के आर्डर प्राप्त थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बीसवें ओवरसीज आयात मेले में प्राप्त किए गए उत्पाद-वार आदेश निम्नोक्त प्रकार हैं :—

उत्पाद	मूल्य (मिलियन रु० में)
1. सिले-सिलाए वस्त्र	38.20
2. हस्तशिल्प की वस्तुएं	0.69
3. गृह साज-सामान	1.35
4. चमड़े की वस्तुएं	0.04
	40.28

कतिपय मदों के निर्यात में कमी

980. श्री मोहन लाल पटेल :

श्री नवीन रवाणी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कतिपय मदों के निर्यात में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो वे मदें कौन सी हैं और उनके निर्यात में कितनी कमी आई है और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) उन मदों के लिए बाजार का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हम अपने निर्यात लक्ष्य को प्राप्त कर सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) निर्यात सम्वर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों आदि द्वारा संकलित अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित प्रमुख मदों में, जिनके निर्यातों में चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून 1982 के दौरान गत वर्ष की उसी तिमाही की तुलना में कमी हुई, शामिल थी—चाय (—47%), काजू (—47%), मसाले (—15%), सूती फैब्रिक्स तथा तैयार वस्त्र (—10%), और जूट से बनी वस्तुएं (—33%)। तथापि, इस अवधि के दौरान अनेक मदों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ भागों में सूखे की स्थिति के कारण मुख्य रूप से चाय उत्पादन में कमी की वजह से चाय के निर्यातों में गतिरोध आया है। काजू के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में कुछ कमी आयी है। मसालों में होने वाली कमी के लिए उत्पादक देशों के बीच बढ़ती हुई प्रतियोगिता तथा साथ ही इस तथ्य को, कि घरेलू खपत अत्यधिक है, उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वस्त्र क्षेत्र में विकसित देशों में सामान्य मन्दी स्थिति तथा साथ ही बम्बई वस्त्र मिलों में अधिक से लम्बी हड़ताल के कारण सूती फैब्रिक्स तथा तैयार वस्त्रों के निर्यात प्रभावित हुए प्रतीत होते है। संश्लिष्ट प्रतिस्थापन माल और जूट माल का उत्पादन करने वाले अन्य प्रमुख देशों से प्रतियोगिता के कारण भारतीय जूट माल की विदेशी मांगों में कमी हुई है।

(ग) परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों बाजारों में हमारे निर्यात बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय शिष्टमण्डल की तेहरान यात्रा

981. श्री मोहन लाल पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय शिष्टमण्डल ने इस वर्ष अगस्त में तेहरान की यात्रा की थी;

(ख) भारतीय शिष्टमण्डल और ईरान सरकार के बीच हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कोई व्यापार करार किया गया, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के प्रतिनिधिमण्डल के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। इन विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप आपसी हित के क्षेत्रों का पता लगाया गया। इनमें ये शामिल हैं : दोनों देशों के सैन्ट्रल बैंकों के बीच सहयोग, परामर्शी सेवाओं में सहयोग तथा प्रौद्योगिकी अन्तरण और व्यापार बढ़ाने के लिए संयुक्त संस्थागत सम्बन्धों की स्थापना। इसके अतिरिक्त, उन विशेष मदों पर जिनका दोनों देशों के बीच व्यापार किया जा सकता है, विचार किया गया।

(ग) भारतीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के अन्त में दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

खाद्य तेलों का आयात

982. श्री मोहन लाल पटेल :

श्री सत्य नारायण जाटिया : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया था और आगामी वर्ष में कितना आयात करने की संभावना है और उक्त अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई तथा 1982-83 में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जायेगी; और

(ख) वनस्पति उद्योगों को वनस्पति के निर्माण के लिए कितने प्रतिशत आयातित तेल दिया गया और किस दर से ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) आयात किये गये खाद्य तेलों की मात्रा और उन पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा नीचे दी गयी है :—

वित्त वर्ष	मात्रा (मीटरी टन) लाख में	मूल्य
1979-80	10.91	61,048.73
1980-81	10.70	52,780.59
1981-82 (अनन्तिम)	10.23	49,338.97

आगामी वर्ष के दौरान आयात की जाने वाली मात्रा देशी तेलों तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों की उपलब्धता और उनके मूल्यों, देश में तेल की मांग, विदेशी मुद्रा की स्थिति आदि बातों पर निर्भर करेंगी।

(ख) इस समय 80 प्रतिशत आयातित तेल वनस्पति उद्योग को दिया जा रहा है, जिसमें

से 60 प्रतिशत 8500/- रु० प्रति मीटरी टन और 20 प्रतिशत 12000/- रु० प्रति मीटरी टन की दर से दिया जा रहा है।

मलयेशिया में संयुक्त उपक्रमों का कार्यकरण

983. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री भीकू राम जैन :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलयेशिया में भारतीय सयुक्त उपक्रमों की पहले भी आलोचना की गयी थी लेकिन इतनी नहीं जितनी कि इन उपक्रमों द्वारा क्वालालम्पुर में दिए गए रात्रि भोज में मलयेशिया के व्याप्तर और उद्योग मंत्री ने की है;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं और उनके साथ सहयोग कर रहे भारतीय व्यापारी अथवा उद्योगिक घराने कौन से हैं;

(ग) क्या मलयेशिया के मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि भारतीय व्यापारी समुदाय को उन समस्याओं का गहन अध्ययन करना चाहिए जो भारतीय उद्यमों को प्रभावित कर रहे हैं और भारत सरकार के परामर्श से उनका उपचार ढूंढ़ना चाहिए; और

(घ) उन उपक्रमों को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मलयेशिया में स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों द्वारा क्वालालम्पुर में 8 सितम्बर, 1982 को आयोजित डिनर पार्टी में मलयेशिया सरकार के व्यापार तथा उद्योग मंत्री ने अपने भाषण में उन बातों पर प्रकाश डाला था जिनको मलयेशिया के लोग भारत मलयेशिया संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के सामने आने वाली कई समस्याओं के रूप में लेते हैं। मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को मलयेशिया में संयुक्त उद्यमों में भारतीय भागीदारी के विषय पर मलयेशिया के वर्तमान दृष्टिकोण के रूप में लिया जा सकता है। साथ ही मलयेशिया के मंत्री ने यह बताया कि मलयेशिया भारतीय परियोजनाओं का बराबर स्वागत कर रहा है और उन्होंने यह बातें इस उम्मीद में कही थीं कि भारतीय संयुक्त उद्यम वर्तमान समस्याओं को कम करने की कोशिश करें।

(ख) मंत्री ने किसी खास संयुक्त उद्यम का कोई उल्लेख नहीं किया। तथापि, मलयेशिया में काम करने वाले भारतीय संयुक्त उद्यमों के नाम और साथ ही उनमें भारतीय सहयोगियों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) मंत्री ने सुझाव दिया कि मलयेशिया में भारतीय व्यापारी समुदाय भारत सरकार के मलयेशिया स्थित प्रतिनिधियों के साथ सम्भवत: मिल सकते हैं ताकि वे भारतीय संयुक्त उद्यमों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का व्यापक रूप से अध्ययन कर सकें और संबंधित अधिकारियों से सिफारिशें कर सकें कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जाए।

(घ) क्योंकि यह मलयेशिया की कम्पनियां हैं अतः यह काम संयुक्त उद्यम कम्पनियों का ही है कि वे उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जोकि मलयेशिया जैसे अपेक्षाकृत खुली अर्थव्यवस्था से सामने आती हैं। यदि मलयेशिया स्थित संयुक्त उद्यमों के भारतीय प्रवर्तक सरकार विशिष्ट अनुरोध करे तो उन पर सरकार की नीति के ढांचे के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

विवरण

मलयेशिया में कार्य कर रहे भारतीय संयुक्त उद्यमों के नाम तथा भारतीय सहयोगियों के नाम

क्र०	भारतीय संयुक्त उद्यम का नाम	भारतीय सहयोगी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	गोदरेज (मलयेशिया) एस० बी०	गोदरेज एंड बाएस मैन्यू० कं० प्रा० लि०
2.	मेगनेट वायर्स एंड इलैक्ट्रीकल एस० बी०	अजीत वायर इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
3.	इंडो-मलयेशिया इन्जी० कं० बी०	किरलोस्कर इलैक्ट्रिक कं० लि०
4.	अम्बादी इन्जीनियरिंग बी०	एम. के. राजू कन्सलटेंट्स प्रा० लि०
5.	इंडिया-मलयेशिया टेक्सटाइल्स बी०	बिरला काटन स्पि० एंड वीवि० मिल्स लि०
6.	एल्गी मार्का एस० बी०	एल. जी. बालाकृष्णन एण्ड ब्रदर्स लि०
7.	जे० जी०कन्टेनर्स (मलयेशिया) एस० बी०	बरार आयल इंडस्ट्रीज
8.	एडिबल आयल प्रोडक्टस (एम) बी०	जे. जी. ग्लास इन्डस्ट्रीज लि०
9.	बारकथ कैमिकल्स फुड एस० बी०	कैमिकल कन्सट्रक्शन कं० प्रा० लि०
10.	यूनीटाटा बी०	टाटा आयल मिल्स कं० लि०
11.	आटो एन्सीलरी मैन्यूफैक्चर्स एस० बी०	बम्बे आटो एन्सीलरी एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा०लि०
12.	एस सी आई एस सेफ्टी ग्लास एस० बी०	हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स लि०
13.	मलयेशिया पिस्टन्स एस० बी०	इण्डियन पिस्टन्स लि०
14.	एग्सेल आलूग्राफिक एस० बी०	एग्सेल प्रोसैस प्रा० लि०
15.	फ्लैक्सीकन (मलयेशिया) एस० बी०	जेवरचंद गायकवाड प्रा० लि०
16.	क्वालिटी टैक्सटाइल्स (मलयेशिया) एस० बी०	क्वालिटी टैक्सटाइल एसोसिएट्स प्रा० लि०
17.	फारमलेसिया एस० बी०	साराभाई. एम. कैमिकल्स
18.	टाटब इन्डस्ट्रीज एस० बी०	टाटा इंजी० एण्ड लोकोमोटिव कं० लि०
19.	पोल्योलिफिन्स पाइप एस० बी०	पोल्योलिफिन्स इंडस्ट्रीज लि०
20.	मलयेशिया रेडिएटर्स एस० बी०	यूनीवर्सल रेडिएटर्स लि०
21.	पान-सेन्चरी एडिबल आयल एस० बी०	दि सेन्चरी स्पि० दक मैन्यू० क० लि०

(1)	(2)	(3)
22.	लिबर्टी कैमिकल्स (मलयेशिया) एस०बी०	लिबर्टी कैमिकल्स वर्क्स ओवरसीज प्रा० लि०
23.	नलिन इंडस्ट्रीज एस० बी०	बिरला इस्टर्न लि०
24.	गजरा गीयर्स एन० एस० एस० बी०	गजरा गीयर्स प्रा० लि०
25.	किरलोस्कर (मलयेशिया) एस० बी०	किरलोस्कर इलैक्ट्रिक कं० लि०
26.	बलारपुर पाम आयल एस० बी०	बलारपुर इंडस्ट्रीज लि०
27.	रिफाइना आयल प्रोडक्टस एस० बी०	गोदरेज सोप लि०

वनस्पति उद्योग का विस्तार करने का विचार

984. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री सत्य नारायण जटिया : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनस्पति की कमी को देखते हुए वनस्पति उद्योग का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या यह सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में; और

(घ) सरकारी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल जैसे किसी पूर्वी राज्य में कोई आधुनिक एकक स्थापित न करने के कारण क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) से (घ) देश में वनस्पति की उपलब्धता, कुल मिलाकर संतोषजनक रही है। वनस्पति के उत्पादन की वर्तमान लाइसेंसशुदा क्षमता, मौजूदा मांग और अगले कई वर्षों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है।

पूर्वी क्षेत्र में, वनस्पति उत्पादन की क्षमता, इस समय उसकी अनुमानित मांग से अधिक है।

जीवन बीमा निगम का विभाजन

985. **श्री अशफाक हुसैन :**

श्री मधु दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के विभाजन प्रस्तावों का क्या हुआ;

(ख) क्या विभाजन प्रस्तावों पर फिर से विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पुनः विचार करने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन प्रस्तावों को संसद के समक्ष लाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) जीवन बीमा उद्योग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए वैधानिक सुझावों को जल्दी ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

खुशी नगर, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ और फतेहपुर सीकरी का विकास

986. श्री अशफाक हुसैन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुशी नगर, सारावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, सारनाथ और फतेहपुर सीकरी के विकास की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के सड़क, हवाई और रेल सम्पर्कों का विकास करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) पर्यटन मन्त्रालय ने कुशीनगर, श्रावस्ती, पिपरहवा (कपिलवस्तु) और सारनाथ के लिए मास्टर प्लानें (भूमि प्रयोग योजनाएं) निर्माण और आवास मंत्रालय के नगर और ग्राम आयोजन संगठन (टी० सी० पी० ओ०) के माध्यम से तैयार करा ली हैं।

इस मन्त्रालय ने, इसके अतिरिक्त फतेहपुरी सीकरी की मास्टर प्लान (भूमि प्रयोग योजना को तैयार करने और कुशीनगर तथा श्रावस्ती के बारे में माइक्रोप्लान्स का कार्य नेशनल इंस्टीच्यूट आफ डिजाइन (एन० आई० डी०), अहमदाबाद को सौंपा है; जिन्हें तैयार किया जा रहा है।

कुशीनगर, सारनाथ और पिपरहवा की पहले से ही तैयार की गई मास्टर प्लानों की एक-एक प्रति राज्य सरकार को उनके अनुमोदन और स्थानीय नगर तथा ग्राम आयोजन अधिनियम के अधीन अधिसूचित करने के लिये भेजी जा चुकी है।

राज्य सरकार ने कुशीनगर और श्रावस्ती के बारे में उन्हें भेजी गई मास्टर प्लानों को अधिसूचित कर दिया है; तथापि इससे सारनाथ और पिपरहवा के बारे में मास्टर प्लानों को अभी अनुमोदित और अधिसूचित नहीं किया है।

लुम्बिनी के सम्बन्ध में एक मास्टर-प्लान तैयार करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह स्थान भारत का अंग नहीं है।

मार्च 1981 में हुए केन्द्रीय और राज्य के पर्यटन विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त विचार-विमर्श के दौरान की गई सिफारिशों के आधार पर कुशीनगर, श्रावस्ती, पिपरहवा

(कपिलवस्तु) और सारनाथ यात्रा परिपथ संकल्पना के अधीन समन्वित और एकीकृत विकास के लिए चुने हुए केन्द्रों की सूची में शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण

987. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिले भारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था छिन्न-छिन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को कृषि उपकरण, उर्वरक, बीज आदि खरीदने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा तैयार किये गए स्थायी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन, बैंकों को देश के विभिन्न भागों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक अपदाओं के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने की सलाह दी गई है। बैंकों द्वारा सुलभ कराए जाने वाले सहायता उपायों में ऋणों की वसूली कार्यक्रम फिर से बनाना, फसली ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलना तथा वर्तमान परिचालनों के वास्ते नये ऋण प्रदान करना आदि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में बैंकों का ध्यान पुनः आकर्षित किया है और उनसे इस बात का सुनिश्चय करने को कहा गया है कि बैंक अधिकारी इस सम्बन्ध में क्षेत्र-स्तर (फील्ड लेवल) पर तुरन्त कार्रवाई करें।

राष्ट्रीयकृत बैंक, बीजों, उर्वरकों, कृषि औजारों आदि की खरीद के वास्ते किसानों को ऋण प्रदान कर रहे हैं और इन ऋणों को आगे भी प्रदान करते रहेंगे।

उत्तर प्रदेश के किसानों से कृषि ऋणों की वसूली

988. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि उत्तर प्रदेश में अनेक जिले भारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को दिए गए ऋणों को वापस करने के लिए उन पर दबाव डाल रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का कृषि ऋणों की वसूली मई-जून, 1983 तक स्थगित करने के निर्देश देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा

तैयार किए गए स्थायी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन, बैंकों को देश के विभिन्न भागों में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों की सहायता प्रदान करने की सलाह दी गयी है। बैंकों द्वारा सुलभ कराए जाने वाले सहायता उपायों में ऋणों की वसूली कार्यक्रम फिर से बनाना, फसली ऋणों को मध्यावधि ऋणों में बदलना तथा चालू परिचालनों के वास्ते नये ऋण प्रदान करना आदि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में बैंकों का ध्यान पुनः आकर्षित किया है और उनसे इस बात का सुनिश्चय करने को कहा गया है कि बैंक अधिकारी इस सम्बन्ध में क्षेत्र-स्तर (फील्ड लैवल) पर तुरत कार्रवाई करें।

अलबत्ता, सहायता की किस्त तथा मात्रा, विशिष्ट परिस्थितियों तथा प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर होगी।

राशन में मिलने वाली वस्तुओं के मूल्यों मे वृद्धि

989. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1982 से सितम्बर, 1982 तक की अवधि में राशन में मिलने वाली वस्तुओं (जैसे गेहूं, चावल और बाजरा, मक्का और ज्वार जैसे मोटे अनाज और चीनी, मिट्टी के तेल और खाद्य तेलों) के मूल्य कितनी बार बढ़ाए गए तथा उन वस्तुओं के मूल्य इस समय क्या हैं और मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए राज्य सरकारों/सघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का आवंटन समय-समय पर निर्धारित मूल्यों पर करती है। जनवरी, 1982 से सितम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान केवल गेहूं और आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्यों में एक-एक बार वृद्धि की गई है। गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि का निर्णय, गेहूँ के वसूली मूल्य में हुई वृद्धि को देखते हुए तथा गेहूं पर दी जाने वाली केन्द्रीय राज्य-सहायता की राशि को घटाने के लिए किया गया था। आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य में वृद्धि मुख्यतः इसलिए की गई थी कि देशी खाद्य तेलों और आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों के बीच के अन्तर को कम किया जा सके और इस बात को रोका जा सके कि आयातित खाद्य अनधिकृत रूप से निजी व्यापारियों के पास न पहुँच सकें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल, गेहूं, मोटे अनाजों, आयातित खाद्य तेलों, लेवी चीनी और मिट्टी के तेल के चालू निर्गम मूल्य विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

चालू केन्द्रीय निर्गम मूल्य (x)

1. चावल	रु० प्रति क्विंटल	
(क) सामान्य	188.00	(x) खाद्यान्नों आयातित खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय निर्गम मूल्य में आनुषंगिक खर्चों को जोड़ने के बाद नियत किए जाते हैं।
(ख) फाइन	200.00	
(ग) सुपरफाइन	215.00	
2. गेहूं	160.00	
3. मोटा अनाज		
(क) मक्का	117.00	
(ख) बाजरा	117.00	
(ग) ज्वार	117.00	
(घ) रागी	117.00	
4. आयातित खाद्य तेल		
(क) खुला (बल्क में)	7000 रु० प्रति मीटरी टन	
(ख) टीनों में	8500 रु० प्रति मीटरी टन	
	चालू मूल्य (रु० प्रति किलोग्राम)	
5. लेवी चीनी	3.65	
	चालू मूल्य (रु० प्रति लीटर)	
6. मिट्टी का तेल		
बम्बई	1.66	
कलकत्ता	1.80	
दिल्ली	1.81	
मद्रास	1.78	

राशन में मिलावट वाली वस्तुओं का वितरण

990. श्री राम लाल राही : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली राशन की वस्तुएं मिलावटी हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आम धारणा यह है कि जांच के मामले में राशन की दुकानों के मालिकों द्वारा निरीक्षकों को रिश्वत दे दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या अब इस मामले में किसी अन्य विभाग अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का सरकार का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं होगा कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुएं मिलावटी हैं, यद्यपि इतने बड़े पैमाने के कार्य में मिलावट के इक्के-दुक्के मामलों के होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली प्रशासन द्वारा समय-समय पर जांच की जाती रहती है और इस विषय में जांच के लिए नमूने लिये जाते हैं। जहां कहीं भी नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं, वहां ऐसे मामलों में उनके द्वारा कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

991. श्री चिन्तामणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों अर्थात् 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में समुद्री उत्पादों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की मात्रा पहले निर्यात की गई मात्रा से कम है; और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और समुद्री उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पिछले चार वर्षों अर्थात 1978-79, 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की राशि निम्नोक्त प्रकार है : —

वर्ष	निर्यात	
	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1978-79	86894	234.62
1979-80	86401	248.82
1980-81	75591	234.94
1981-82	70105	286.01

(ख) अप्रैल-जुलाई, 1982-83 के दौरान निर्यात किए गए समुद्री उत्पादकों की मात्रा 1981-82 की उसी अवधि के दौरान किए गए निर्यात से अधिक थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के विचार से सरकार ने समुद्री उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए, उत्पाद विकास के लिए, इबाजार विविधीकरण के लिए और उत्पाद विविधीकरण के लिये अनेक योजनाएं आरंभ की हैं।

मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को ब्याज के भुगतान के लिए नोटिस

992. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की छतरा-गोबरीरा शाखाएं उन 28 अनुसूचित जातियों के परिवारों को ब्याज के भुगतान के लिए निरन्तर नोटिस जारी कर रही हैं जिन्हें बैंक द्वारा कभी भी कोई ऋण नहीं दिया गया है; और

(ख) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विभिन्न शाखाओं का शाखावार जमा राशि और ऋण की राशि का अनुपात क्या है और इन दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कितने सूअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन फार्म आरम्भ करने में सहायता दी गई और इस प्रकार के उपक्रमों के लिये स्वनियोजन के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उनका क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस मामले की जांच भारतीय रिजर्व बैंक के एक जांच अधिकारी द्वारा की गई थी। सूचना दी गई है कि इस ग्रामीण बैंक की कथित शाखा द्वारा 28 ऋणकर्ताओं को ऋण स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 26 ऋणकर्ता अनुसूचित्त जातियों से सम्बन्धित थे। किन्तु ये ऋण संवितरित नहीं किए जा सके। जांच से यह भी पता चला कि ब्याज किस्त की अदायगी के वास्ते ऋणकर्ताओं को कोई लिखित नोटिस अथवा मौखिक तकाजे नहीं मिले।

(ख) वर्तमान सूचना प्रणाली से शाखावार ऋण-जमा अनुपात के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती। अलबत्ता, मार्च, 1982 के अन्त की स्थिति के मुताबिक मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का ऋण-जमा अनुपात, 181.2 प्रतिशत और 112.5 प्रतिशत था। मार्च, 1982 के अन्त की स्थिति के मुताबिक स्वनियोजन उपक्रमों समेत खुदरा व्यापार छोटे व्यावसायिक क्षेत्र को दिए गए ऋण तथा अग्रिम मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सम्बन्ध में 3594 खातों में 70.08 लाख रुपए और मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में 1546 ऋणकर्ता खातों में 26.73 लाख रुपये के थे। ग्रामीण बैंकों के कार्यकलापवार अर्थात्-मुर्गीपालन, बकरी पालन, सूअर पालन आदि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र

994. श्री भीखा भाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के अनेक प्रमुख उपक्रमों में महंगाई भत्ते का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए लागू औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र की दर में सुधार करने/बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य ब्यौरों सहित सरकार का ठीक-ठीक प्रस्ताव क्या है और यदि नहीं, तो इसके सम्बन्ध में निर्णय लेने में विलम्ब करने के कारण क्या हैं विशेषकर जब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूर संघ कर्मचारी औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र का विरोध कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार का महंगाई भत्ता-लागू करने की मांग कर रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र, जो आज लागू है, से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तुलना में, सरकारी उद्यमों के अधिकांश कर्मचारियों, विशेषकर निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता मिलता है।

स्टार होटलों में सूटों/कमरों के लिए शुल्क

995. श्री राम विलास पासवान : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के स्टार होटलों में सूटों/कमरों का प्रतिदिन का अधिकतम टैरिफ कितना है; और

(ख) इस समय देश में विभिन्न श्रेणियों के स्टार होटलों की कुल संख्या क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय केवल सिंगल/डबल कमरों के टैरिफ का अनुमोदन करता है। विविध स्टार श्रेणी के होटलों का अधिकतम प्रतिदिन का टैरिफ नीचे दिया गया है :—

स्टार श्रेणी	कुल होटलों की संख्या	अधिकतम टैरिफ. सिंगल रूम	डबल रूम
5 स्टार	28	675/-रु०	775/-रु०
4 स्टार	19	400/-रु०	470/-रु०
3 स्टार	63	300/-रु०	400/-रु०
2 स्टार	79	230/-रु०	260/-रु०
1 स्टार	42	170/-रु०	195/-रु०

भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों के लिए चयन और प्रशिक्षण

996. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत अन्तरिक्ष यात्रियों के साथ की जाने वाली आगामी अन्तरिक्ष यात्रा के लिए भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों का चयन कर लिया गया है और उनको प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) विंग कमांडर आर० मल्होत्रा और स्क्वाड्रन लीडर आर० शर्मा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नर्मदा परियोजना के सम्बन्ध में विश्व बैंक दल की यात्रा

997. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु विश्व बैंक के एक दल द्वारा शीघ्र ही गुजरात की यात्रा किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक के दल द्वारा गुजरात की यात्रा कब तक करने की सम्भावना है; और

(ग) परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता के लिए क्या सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक समूह से नर्मदा परियोजना के लिए सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में बैंक के एक दल की निकट भविष्य में गुजरात की यात्रा करने की सम्भावना है। विश्व बैंक दल की गुजरात यात्रा की सही तारीख का अभी निर्णय किया जाना है।

(ग) परियोजना में विश्व बैंक समूह की भागीदारी और सम्भावित सहायता की राशि की मात्रा का पता केवल विश्व बैंक द्वारा परियोजना के अंतिम रूप से मूल्यांकन किए जाने तथा विश्व बक और भारत सरकार के बीच यथा समय औपचारिक बातचीत पूरी हो जाने के बाद ही चल सकेगा।

खाद्य तेल एककों की स्थापना

998. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों में कुछ खाद्य तेल और वनस्पति घी एककों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वे एकक किस स्थान पर लगाए जाएंगे ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) जी, नहीं। वनस्पति घी के उत्पादन के लिए मूंगफली के तेल का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों का कार्यचालन

999. श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों के आज तक के कार्य चालन का क्षेत्रवार और राज्यवार अलग-अलग ब्योरा क्या है;

(ख) ऐसे ग्रामीण बैंकों के लिए उत्तरदायी बैंकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम और विनियम बना लिए गए हैं और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या वे सभी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तत्वावधान में कार्य करेंगे?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस समय देश के 19 राज्यों में 121 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। प्रायोजक बैंकों के नामों समेत उनका क्षेत्रवार/राज्यवार ब्योरा अनुबन्ध में दिया गया है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5468/82)

(ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17 के अधीन, कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जब भी आवश्यक समझे, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है लेकिन ऐसे व्यक्तियों की परिलब्धियां वे ही होंगी जो कि अधिनियम में वर्णित व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं। तदनुसार इस विषय पर, समय-समय पर सरकार द्वारा विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। अधिनियम की धारा 30 के अनुसरण में, प्रायोजक बैंकों और रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भी कर्मचारी सेवा विनियम बनाए हैं।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन स्थापित किए जाते हैं और वे अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के अनुसरण में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालनों से सम्बन्धित कुछ सांविधिक कार्यकलाप, अर्थात निरीक्षण, शाखा लाइसेंसिंग, पुनर्वित्त आदि, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सौंप दिए गए हैं और उस सीमा तक क्षेत्रीय ग्रामीण नवार्ड के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

लंदन राष्ट्रमंडल देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

1000. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पिछले माह राष्ट्रमण्डल देशों के वित्त मंत्रियों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में भी भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला; और

(ग) इन संस्थानों द्वारा उन्हें उदार शर्तों पर अथवा अन्यथा सहायता अथवा ऋण के रूप में कितनी प्रत्याशित सहायता देने का वचन दिया था ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) एक शिष्टमण्डल ने वित्त मन्त्री के नेतृत्व में 29 अगस्त से 31 अगस्त, 1982 तक लंदन में राष्ट्रमण्डलीय देशों के वित्त मंत्रियों की बैठकों में भाग लिया था। इस शिष्टमण्डल ने पहली सितम्बर से 9 सितम्बर, 1982 तक टोरंटो में 24 देशों के समूह, विकास समिति, अंतरिम समिति की बैठकों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के गवर्नरों के बोर्ड के वार्षिक संयुक्त विचार विमर्शों में भी भाग लिया।

ये बैठकें विश्व की बिगड़ती आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में हुई। अत: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को सुदृढ़ करने पर तथा उन उपायों पर काफी जोर दिया गया जो इन संस्थाओं द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की प्रक्रिया में सहायता देने के विचार से किए जाने चाहिए। इन बैठकों में जिन मुख्य-मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ वे हैं :— अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का पुनर्भरण, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक द्वारा ऋणदान, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे और एस० डी० आर० के आवंटनों में संशोधन। अधिकांश दाता देश राजकोषीय वर्ष 1983 के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण में अपना-अपना पूरा अंशदान देने पर सहमत थे। राजकोषीय वर्ष 1984 के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के वित्तपोषण प्रबन्धों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। यह भी मान लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सातवें पुनर्भरण के सम्बन्ध में औपचारिक बातचीत वर्ष 1982 के समाप्त होने से पहले-पहले शुरू कर ली जानी चाहिए और उसे जल्दी से पूरा कर लिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों के सम्बंध में अधिकांश देशों ने वास्तव में इनमें वृद्धि करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इन बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटों का संशोधन करके पर्याप्त वृद्धि करने तथा एस० डी० आर० का नए सिरे से आवंटन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

(ग) ये ऐसी उच्च स्तर की बैठकें हैं जो नीति सम्बन्धी व्यापक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करती हैं इन बैठकों में भिन्न-भिन्न देशों को दी जाने वाली सहायता के ब्यौरों पर बातचीत नहीं की जाती।

गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध मंडलों में वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों का नामांकन

1001. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई पाबन्दियां हैं कि एक उद्योगपति पांच से अधिक गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध मण्डलों का सदस्य नहीं बन सकता;

(ख) क्या गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध मण्डलों में अपने प्रतिनिधियों का नामांकन करने के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र वित्तीय संस्थानों के लिए ऐसी कोई पाबन्दियां हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 275 के उपबन्धों के अनुसरण में, एक व्यक्ति को, 20 कम्पनियों में निदेशक का पद ग्रहण करने की अनुमति है। निदेशक पदों की संख्या की गणना करने में उक्त अधिनियम की धारा 278 के अंतर्गत निर्धारित कम्पनियों/संघों को छोड़ दिया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, जब संस्थाएं सम्बन्धित ऋण करारों के उपबन्धों के अनुसरण में निदेशकों को नामित करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करती हैं तो वे सामान्यत: एक व्यक्ति को, एक समय में, 4 एककों से ज्यादा में, निदेशक के रूप में नामित नहीं करतीं। इसके अलावा, उन उपक्रमों के बोर्डों की कुल संख्या, जिनमें एक गैर-कार्मिक नामित निदेशक, अपनी व्यक्तिगत हैसियत से और वित्तीय संस्थाओं के एक नामित के रूप में निदेशक रह सकता है, सामान्यत: दस से अधिक नहीं होती।

एम० एम० टी० सी० द्वारा रोमानिया को लौह अयस्क का निर्यात

1002. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा रोमानिया को वर्ष 1982-83 के दौरान लौह अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में द्विपक्षीय वार्ता में कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोमानिया ने एम० एम० टी० सी० के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल को जिसने इस वर्ष जुलाई में बुखारेस्ट की यात्रा की थी, यह बताया था कि वह पिछले वर्ष के मूल्य में 16 प्रतिशत की वृद्धि नहीं करने देगा जैसा कि भारत ने आग्रह किया है और दीर्घावधि समझौते के अनुसार इस वर्ष लौह अयस्क की पचास लाख टन की सम्पूर्ण मात्रा को आयात करने की अनिच्छा भी व्यक्त की है;

(ग) क्या समझौते के अनुसार वह कुदेमुख से 10 लाख टन लौह अयस्क उठाएगा; और

(घ) क्या यह भी सच है कि एम०एम०टी०सी० ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ चालू वर्ष के निर्यात सौदे में 16 प्रतिशत मूल्य की वृद्धि पर सहमति प्राप्त कर ली है और चालू वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय लौह अयस्क मूल्य में भी पर्याप्त सुधार हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क), (ख) तथा (ङ) रूमानिया को लोहे की सप्लाई करने के बारे में बुखारेस्ट स्थित मैसर्स मिनरल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, रूमानिया और एम० एम० टी० सी० के बीच जून, 1982 में वार्ताएं हुई थीं। वार्ताओं के दौरान रूमानिया ने जुलाई, 1982-जून, 1983 के वर्ष के दौरान केवल 3 मिलियन मे० टन खरीदने की पेशकश की जबकि दीर्घावधि संविदा में 5 मिलियन मे० टन की व्यवस्था की गई है। रूमानिया ने कीमतों में जितनी बढ़ोतरी की पेशकश की, वह वर्ष 1982 में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्राप्त की गई वृद्धि में स्तर के आधार पर एम० एम० टी० सी० की आशा से कहीं कम थी। दोनों पक्षों ने इस पर सहमति प्रकट की कि करार करने के लिए बाद में और आगे वार्ताएं की जाएंगी।

(ग) मैसर्स कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि० ने मैसर्स मिनरल इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट आफ रूमानिया के साथ 1 मे० टन प्रति वर्ष की दर से 3.5 मे० टन कुद्रेमुख कन्सन्ट्रेट की सप्लाई करने के लिए 1 अक्तूबर, 1981 से शुरु होने वाले एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं और रूमानिया को कार्यक्रम के अनुसार लदान हो रहा है।

(घ) जी, हां।

खनिज और धातु व्यापार निगम के पास अनबिका भंडार

1003. **श्री जगदीश टाईटलर: क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार खनिज और धातु व्यापार निगम तथा धातु उत्पादकों के पास पिछले जून के अन्त तक 40,000 टन अनबिका भंडार था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक आवंटिती अपने आवंटित माल को नहीं उठा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त तथ्यों और उत्पादन के तरीकों को पुनरीक्षा करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो कब और किस तरीके अथवा तरीकों से सरकार सम्पूर्ण एल्यूमीनियम नीति की पुनरीक्षा करने का विचार करेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 30 जून, 1982 की स्थिति के अनुसार खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा उत्पादकों के पास एल्यूमीनियम का 37,312 मे० टन का स्टाक था।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) देश में एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए वर्तमान स्थापित क्षमता स्वदेशी प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, बिजली की अपर्याप्त सप्लाई के कारण एल्यूमीनियम यूनिट अपनी क्षमता का 65 प्रतिशत तक कार्य कर रहे है। वर्तमान नीति के अनुसार खनिज तथा धातु व्यापार निगम एल्यूमीनियम का आयात केवल मांग तथा स्वदेशी उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए करता है। इस नीति की लगातार समीक्षा की जा रही है।

उदार शर्तों पर ऋण की योजना

1004. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को सौंपी गई "उदार शर्तों पर ऋण की योजना की प्रगति क्या है;

(ख) चार प्रमुख उद्योगों चीनी, सूती कपड़ा उद्योग जूट और सीमेंट के लिए योजना का ब्योरा क्या है और इन उद्योगों के लिए स्वीकृत और उन्हें दिये गये ऋणों का ब्योरा क्या है;

(ग) उन उद्योगों की अनुमानित आवश्यकताएं कितनी हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इन उद्योगों में अतिआवश्यक आधुनिकीकरण कार्यक्रम धीमा पड़ गया है क्योंकि स्वीकृत राशियां आवश्यकता से बहुत कम थीं और दी गई राशि स्वीकृत राशि से भी कम थी; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख)30 जून 1982 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) ने "सुलभ ऋण योजना' के अंतर्गत 169.72 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की तथा 100.36 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। एक विवरण दिया गया है जिसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उद्योगवार स्वीकृत तथा संवितरित सहायता का ब्योरा दिया गया है। अखिल भारतीय सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा संचालित सुलभ ऋण योजना इस उद्देश्य से बनाई गई है कि जूट, सूती कपड़े, सीमेंट तथा कतिपय इंजी-

नियरी उद्योगों के उत्पादन एककों को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जा सके ताकि इस प्रकार के एकक अपने संयन्त्र तथा उपस्कर के आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन और नवीकरण के बचे हुए कार्य को पूरा कर सकें और इस प्रकार अपेक्षाकृत अधिक तथा किफायती खर्च के स्तरों पर उत्पादन किया जा सके/सुलभ ऋण योजना की मुख्य बातें ये हैं : सुलभ ऋण के अंश पर रियायती दर पर ब्याज लिया जाना परियोजना की अर्जन क्षमता पर आधारित दीर्घकालीन ऋण परिशोधन कार्यक्रम तैयार किया जाना तथा आधुनिकीकरण योजना के सम्बन्ध में ऋण-समस्या शेयर पूंजी अनुपात और प्रवंतक के अंशदान के संदर्भ में लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाना।

(ग) 30 जून, 1982 तक अखिल भारतीय सावधिक ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को 1315.37 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए 547 सक्रिय आवेदन प्राप्त हुए थे। उक्त तारीख को 42.51 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए 19 आवेदन पत्र संस्थाओं के पास विचाराधीन थे।

(घ) और (ङ) वित्तीय संस्थाएं आवेदक एककों को आवश्यकता पर आधारित ऋण मंजूर करती है। संस्थाएं आधुनिकीकरण परियोजना की लागत के संदर्भ में प्रवर्तक के अंशदान का निर्धारण करने में लचीला दृष्टिकोण अपनाती हैं और अलग-अलग मामलों के गुणावगुण के आधार पर परियोजना की लागत के 80-90 प्रतिशत तक ऋण राशि दी जा सकती है। किसी प्रतिष्ठान को दी जाने वाली सहायता का संवितरण प्रतिष्ठान द्वारा संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन तथा संवितरण से पूर्व की शर्तों के अनुपालन पर निर्भर होता है। ऋण का संवितरण आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन में होने वाली प्रगति के समनुरूप रकमों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। इन परिस्थितियों में ऋण की मंजूरी तथा उसके भुगतान के बीच कुछ समय का अन्तराल अवश्य रहता है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

उद्योग	स्वीकृत सहायता			संवितरित सहायता			
	परियोजना की संख्या	सुलभ शर्तों पर	सामान्य शर्तों पर	जोड़	सुलभ शर्तों पर	सामान्य शर्तों पर	जोड़
चीनी	27	3.53	11.29	14.82	3.51	8.09	11.60
जूट	10	2.95	2.80	5.75	1.24	0.73	1.97

सूती कपड़े	176	57.10	43.79	100.89	28.77	24.64	53.41
सीमेंट	30	5.06	10.95	16.01	4.67	8.99	13.66
इंजीनियरिंग	53	7.69	24.56	32.25	4.12	15.61	19.72
जोड़	296	76.33	93.39	169.72	42.31	58.05	100.36

तस्करी में अंतर्ग्रस्त विदेशी राजनयिक

1005. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री तारिक अनवर :

श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी :

श्री रतन सिंह राजदा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रिपोर्ट मिली है कि अनेक विदेशी राजनयिक बड़े पैमाने पर तस्करी, जिसमें अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद भी शामिल हैं; कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की सम्पूर्ण जांच का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे; और

(घ) तस्करी की गतिविधियों में पाए गए विदेशी राजनयिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में, विदेशी राजनयिकों द्वारा तस्करी करने के कुछ मामले पकड़े हैं। परन्तु इन राजनयिकों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों और गोलाबारूद की तस्करी किये जाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) जब भी कभी तस्करी का कोई ऐसा मामला पकड़ा जाता है, जिसमें विदेशी राजनयिक ग्रस्त हों, तो सीमाशुल्क अधिकारी उसकी पूरी तरह जांच-पड़ताल करते हैं।

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित देशों की सरकारों के सहयोग से उचित कार्यवाही की है और इन सरकारों के साथ गोपनीय रूप से सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि ऐसे दुरुपयोगों की पुनरावृत्ति नहीं हो। सम्बन्धित देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों और उनके द्वारा दिये जा रहे सतत सहयोग को ध्यान में रखते हुए, इन मामलों में की गई कार्यवाही का ब्योरा देना उचित नहीं होगा।

लन्दन में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस अधिकारियों की "एयर शो" में उपस्थिति

1006. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के उन अधिकारियों का ब्योरा क्या है जो 6 सितम्बर, 1982 को लन्दन में "एयर शो" में शामिल हुए थे;

(ख) क्या उन्होंने मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति ली थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एयर इंडिया के उप प्रबन्ध निदेशक कैप्टन डी० बोस तथा इंडियन एयरलाइन्स के अंशकालिक अध्यक्ष श्री आर० पी० बिल्लीमोरिया, प्रबन्ध निदेशक, कैप्टन के० चड्ढा, उड़ान सुरक्षा निदेशक, कैप्टन बी० के० भसीन तथा इंजीनियरी निदेशक, श्री धर्मवीर ने लन्दन में "एयर शो" में भाग लिया।

(ख) और (ग) "एयर शो" में भाग लेने के लिए इंडियन एयरलाइन्स के श्री आर० पी० बिल्लीमोरिया, कैप्टन के० चड्डा तथा कैप्टन बी० के० भसीन के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया था। कैप्टन डी० बोस ने एयर इंडिया के अध्यक्ष-व-प्रबन्धक निदेशक के अनुमोदन से भाग लिया।

एशियाई खेलों के लिए होटलों की प्रगति

1007. श्री कमला मिश्र मधुकर :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई होटल के मालिक अपने होटलों को एशियाई खेलों के लिए समय पर तैयार नहीं कर पायेंगे;

(ख) यदि हां, तो एशियाई खेलों के प्रयोजन के लिए निर्मित होटलों के नाम क्या हैं, होटल मालिकों के नाम क्या हैं, उनके तैयार होने पर प्रस्तावित कमरों की क्षमता क्या है; एशियाई खेलों के लिए तैयार कमरों की संख्या क्या है; और

(ग) दोषी होटलों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) : एशियाई खेलों को देखने के लिए आने वाले संभावित अतिथियों की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से उपर्युक्त प्रयोजन हेतु लगभग 2500 होटल कमरों की अतिरिक्त जरूरत का अनुमान लगाया गया था। भारत पर्यटन विकास निगम के दो होटलों यथा होटल कनिष्क और होटल यात्री निवास जो दोनों मिल कर 862 कमरे जुटाएंगे और इन होटलों में उपलब्ध होने वाले कमरों को ध्यान में रखते हुए निर्मित किए जाने वाले शेष अतिरिक्त कमरों की संख्या 1638 आंकी गयी थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए मौजूदा होटलों का विस्तार और नये होटलों जिनकी कुल क्षमता 3496 कमरे थी, का निर्माण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ताकि इन कमरों में से। 1638 कमरों की जरूरत को आसानी के साथ पूरा किया जा सके। इनमें से कुछ होटलों को एशियाई खेलों तक सभी तरह से पूरा किया जाना था और अन्य होटलों को अपने कमरों के कुछ प्रतिशत कमरों और कुछ अन्य न्यूनतम सुविधाएं अर्पित करनी थीं। यात्री निवास, कनिष्क, सिद्धार्थ जैसे होटल और कुछ अन्य होटल खेलों से पहले हर तरह से तैयार हो जाएंगे और अन्य होटलों द्वारा उनके सामने दर्शायी गई संख्या में कमरे अर्पित किए जाने की आशा है :

क्रम संख्या	प्रवर्तक	होटल का नाम	कमरों की कुल संख्या	एशियाड के लिए तैयार हो जाने वाले संभावित कमरें
1.	एशियन होटल्स लिमिटेड	एशियन होटल	588	300
2.	कासमोपोलिटन होटल्स	सूर्या इन्टरनैशनल	258	241
3.	जयप्रकाश इन्टरप्राइसेज	सिद्धार्थ कांटीनैन्टल	156	156
4.	भारत पर्यटन विकास निगम	कनिष्क	300	300
5.	आई. टी. सी. (वैल्कम ग्रुप)	मौर्य शेराटन (विस्तार)	122	122
6.	आई. एच. सी./ डी. डी. ए.	ताज पैलेस	500	200
7.	एच०सी०आई०	सैंटोर होटल	416	200

8.	भारत पर्यटन विकास निगम	सम्राट	300	200
9.	भारत पर्यटन विकास निगस	अशोक यात्री निवास	562	550
10.	दिल्ली आटोमोबाइल्स	भारत होटल	500	100
11.	सी० जे० इन्टरनेशनल	मेरीडियन होटल	425	100
12.	नार्दन इंडिया होटल्स	पार्क होटल	231	50

ट्रेड डेवेलपमेंट अथारिटी द्वारा कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत का नकद भुगतान, चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति

1008. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रेड डेवलपमेंट अथारिटी और इंडियन इस्टिट्यूट आफ फारेन ट्रेड का दर्जा समान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई० आई०. एफ० टी० के कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत का नकद भुगतान, चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति और विभिन्न श्रेणियों में दर्जा बढ़ाये जाने तथा सलेक्शन ग्रेड बनाये जाने के लाभ दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ट्रेड डेवेलपमेंट अथारिटी को भी ऐसे लाभ प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें कितना समय लगेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :(क) तथा (ख) जी, हां। व्यापार विकास प्राधिकरण तथा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का इस सीमा तक समान दर्जा है कि ये संगठन वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत स्वायत निकाय हैं और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत गठित किए गए हैं।

(ग) तथा (घ) हां। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कर्मचारियों को एल०टी०सी०

चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति और विभिन्न वर्गों में प्रवरण ग्रेडों के सृजन तथा अपग्रेडशन के लाभ दिए गए हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

एल० टी० सी० का नकदीकरण : चार वर्षों के एक ब्लाक में प्रथम श्रेणी की रेल यात्रा के हकदार कर्मचारियों को 600/-रु० प्रति सदस्य और द्वितीय श्रेणी के हकदार कर्मचारियों को 275/- रु० प्रति सदस्य दिया जाता है। यह केवल 5 सदस्यों तक सीमित है और 3 वर्ष की उम्र से कम वाले सदस्यों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है। यह विद्यमान योजना के बदले में है और किसी विकल्प की अनुमति नहीं है।

चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति : संस्थान में भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार अस्पताल में भर्ती कराने की विद्यमान प्रणाली का पालन किया जा रहा है। चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए अधितम सीमा 1200/-रु० प्रति वर्ष है। वर्दीधारी श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में चिकित्सा खर्च के लिए 100/-रु० की राशि प्रतिमाह वेतन बिल के जरिए दी जाती है।

विभिन्न श्रेणियों में प्रवरण ग्रेड का अपग्रेडेशन तथा सृजन : पदोन्नति के अवर प्रदान करने की दृष्टि से और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ कर्मचारी अपने वेतनमान को अधिकतम सीमा पर पहुँच गये हैं, और कुछ अन्य अधिकारी अनेक वर्षों से उसी वेतनमान पर काम करते आ रहे हैं, गैर-तकनीकी तथा गैर-पर्यवेक्षण पदों के विभिन्न वर्गों में कुछ प्रवरण ग्रेडों का सृजन किया गया है।

(ड़) अन्य अनुदान ग्राही संस्थाओं के कार्य की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय में एक कार्य दल स्थापित किया गया है। उस कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सेवा भर्ती का एक स्टैण्डर्ड सेट तैयार किया जायेगा जो मंत्रालय के अधीन सभी सहायता प्राप्त संस्थाओं पर लागू होगा। इस अवस्था में समय सीमा बताना संभव नहीं है।

आई० टी० डी० सी० के अधिकारियों का स्थानान्तरण

1009. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारतीय पर्यटन विकास निगम के कुछ उच्च कार्यकारी अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थानान्तरणों के क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ अधिकारियों को (जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं) प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया गया है। यह प्रतिनियुक्ति पर लिए गए कुछ अधिकारियों के प्रत्यावर्तन (रिवर्शन) के अतिरिक्त है।

विवरण

क्रम सं०	नाम	स्थानान्तरण के ब्यौरे	
		से	के लिए
1.	श्री जे० पी० शर्मा	प्रधान प्रबन्धक, (होटल्स) नई दिल्ली	प्रधान प्रबन्धक (होटल्स) मद्रास
2.	श्री भीमल भेहारी	संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध) नई दिल्ली	संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धक (जनशक्ति आयोजना और विकास) नई दिल्ली
3.	श्री पी० बी० माथुर	प्रधान प्रबन्धक अशोक होटल, नई दिल्ली	समन्वयक एशियाई खेल (आई० टी० डी० सी० खानपान) नई दिल्ली
4.	श्री एम० एन० गुप्ता	संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धक (प्रशिक्षण) नई दिल्ली	प्रधान प्रबन्धक होटल सम्राट, नई दिल्ली
5,	श्री एन० एन० क्षेत्रपात्र	मुख्य लेखा अधिकारी अशोक होटल, नई दिल्ली	संयुक्त प्रभागीय प्रबन्धक (परियोजना वित्त), नई दिल्ली

विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण पर ब्याज कम करने का अनुरोध

1010. श्री एस० एन० सिन्हा :

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की हाल की बैठक में भारत ने विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण पर ब्याज कम करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक/निधि अर्थात् आई० बी० आर० डी०/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि इस अनुरोध पर पुनर्विचार करने को सहमत हो गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों में वित्त मंत्री द्वारा विकासशील देशों पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचालित ब्याज की ऊंची दरों के पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया।

वित्त मंत्री की प्रेस कान्फ्रेंस में चुने हुए पत्रकारों को आमंत्रित किया जाना

1011. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में टोरैन्टो की यात्रा की है और विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की बैठक में भाग लिया था;

(ख) क्या उन्होंने वापिस आने पर अपने कार्यालय में एक प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई थी;

(ग) क्या उन्होंने कुछ चुने हुए पत्रकारों को ही आमंत्रित किया था; और

(च) यदि हां, तो बड़ी संख्या में पत्रकारों/विशेष संवाददाताओं को आमंत्रित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) वित्त मन्त्री ने 14 सितम्बर, 1982 को उन संवाददाताओं की प्रेस ब्रीफिंग के लिए बुलाया था जो आमतौर पर आर्थिक मामलों पर संवाद देते हैं ताकि उन्हें उन मामलों के बारे में जानकारी दे सकें जिन पर राष्ट्रमंडलीय वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था।

उदार आयात नीति का आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

1012. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्री रतन सिंह राजदा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की जांच की है कि उदार आयात नीति से भारत की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयात नीति बनाते समय, सभी सम्बद्ध तथ्यों जिनमें उत्पादन तथा मांग शामिल है, को ध्यान में रखा जाता है। नीति संबोधित तकनीकी प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ परामर्श करके बनाई जाती है। नीति में संशोधन के लिए सुझावों पर भी उचित ध्यान दिया जाता है।

सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि आयात नीति देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

पश्चिमी देशों को भारतीय माल के निर्यात में गिरावट

1013. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री रतनसिंह राजदा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी देशों को भारतीय माल के निर्यात में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो वे उद्योग कौन-कौन से हैं, जिनके माल की कम मांग है और उन उद्योगों को मन्दी से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए मद-वार तथा देश-वार निर्यात आंकड़ों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, हमारे समग्र निर्यातों में वृद्धि हुई है, जो 1980-81 में 6710.71 करोड़ रु० के थे 1981-82 में बढ़ कर 7781.40 करोड़ रु० के हो गये और वृद्धि दर 16 प्रतिशत रही। विकसित देशों में विद्यमान मंदी की परिस्थितियों तथा गैर-टैरिफ अवरोधों के फलस्वरूप इन विकसित देशों के साथ भारत के निर्यात व्यापार को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तथापि सरकार इन क्षेत्रों में हमारे समग्र निर्यात बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन दिशा में उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय तथा विशेषीकृत व्यापार मेलों में भाग लेना।

2. क्रेता-विक्रेता बैठकों तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की मार्फत यूरोपीय आयातकों तथा भारतीय निर्यातकों के बीच संपर्क की व्यवस्था करना।

3. ब्रसेल्स स्थित भारतीय व्यापार केन्द्र नये बाजारों तथा उत्पादकों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है।

4. इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद भारतीय तथा यूरोपीय परियोजना संविदाकारों के सम्मेलन आयोजित कर रहा है ताकि तीसरे देश की परियोजनाओं में परस्पर सहयोग किया जा सके।

5. हमारे दूतावास प्रमुख विभागीय स्टोरों की मार्फत भारतीय उत्पादों के संवर्धन की व्यवस्था कर रहे हैं।

भारतीय वायु सेना में नई पदोन्नति नीति

1014. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना में नई पदोन्नति नीति अधिकारियों को उनके अतिलंघन के पश्चात समय से पूर्व सेवानिवृत्ति प्राप्त करने से वंचित करती है;

(ख) क्या नई नीति से अधिकारियों में असंतोष की भावना पैदा हो गई है और इससे उनकी दक्षता पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय वायु सेना में पदोन्नति की वर्तमान नीति 1976 से लागू है। जिन अफसरों का अतिक्रमण किया गया है वे समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इन आवेदनों पर सेवा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेवा और अफसरों के हित में पदोन्नति की नीति में सुधार लाने और उसे सुव्यस्थित करने की दृष्टि से समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाती है।

दुर्घटनाग्रस्त होने वाले रक्षा वाहन

1015. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से रक्षा वाहनों की कितनी दुर्घटनाएं हुईं और दिल्ली, कानपुर तथा बम्बई में वर्ष-वार ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; तथा इन दुर्घटनाओं के लिए कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में दी गई और किन आधारों पर; और

(ख) क्या यह सच है कि रक्षा वाहनों से दुर्घटनाओं के कारण प्रत्येक वर्ष 12 से 13 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया जाता है; यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 1971 से 1932 (सितम्बर, 1982 तक) की अवधि में 4,053 दुर्घटनाएं हुईं जिनमें रक्षा वाहन अन्तर्ग्रस्त थे। दिल्ली, कानपुर और बम्बई में हुई ऐसी दुर्घटनाओं की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	दिल्ली	कानपुर	बम्बई
1971	42	5	54
1972	44	7	34
1973	34	5	75
1974	36	—	69
1975	20	1	73
1976	26	3	76
1977	17	5	54
1978	9	2	92
1979	20	2	101
1980	21	—	86
1981	22	1	76
1982	14	3	59

1971 से 1982 (सितम्बर, 1982 तक) की अवधि में 1,04,79,456.01 रुपये की राशि मुआवजे के रूप में अदा की गई थी। मुआवजा विभिन्न अदालतों के निर्णयों के अनुसार तथा अदालत से बाहर किए गए समझौतों में अनुग्रहपूर्वक की गई अदायगियों के रूप में दिया जाता है।

(ख) 1971 से सितम्बर, 1982 तक दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त हुए रक्षा वाहनों के लिए अब तक 1,04,79,456.01 रुपये का मुआवजा दिया गया है। पिछले (लगभग) 12 वर्षों के दौरान अदा किए गए मुआवजे की राशि 8,73,288.00 रुपये प्रति वर्ष है न कि 12 से 13 लाख रुपये।

प्रत्येक दुर्घटना की जांच की जाती है और यदि रक्षा वाहन के चालक की गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल में मुकद्दमा चलाकर अथवा अन्य अनुशासनिक/कानूनी उपायों के जरिए समुचित कार्रवाई की जाती है।

बैंकों में समयोपरि भत्ते में कमी

1016. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनमें समयोपरि भत्ते की राशि में वर्ष 1981 में ली

गई समयोपरि भत्ते की राशि की तुलना में कमी कर दी गई है तथा गत पाँच महीनों के दौरान कितनी कमी की गई; और

(ख) समयोपरि भत्ते के भुगतान में कमी करने के सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1982 की पहली छमाही के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अदा की गई समयोपरि भत्ते की कुल राशि 5.66 करोड़ रुपये थी (अनन्तिम), जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान अदा की गयी राशि 19.69 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी। इस प्रकार इन छः महीनों की अवधि में इसमें 14 करोड़ रुपये की कमी हुई। इसकी बैंकवार स्थिति विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कर्मचारियों को समयोपरि भत्तों की अदायगी में कड़ी सतर्कता बरतने तथा इस पर नियंत्रण रखने और यह सुनिश्चित करने के वास्ते अनुदेश दिए हैं कि इस प्रकार की अदायगी केवल तभी की जाए जबकि ऐसा करना पूर्णतः अनिवार्य हो जाए।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में समयोपरि भत्ते की अदायगी

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	बैंक का नाम	जनवरी से जून 1981 तक	जनवरी से जून 1982 तक	जनवरी से जून 1981 के मुकाबले जनवरी से जून 1982 का प्रतिशत
1.	देना बैंक	62.40	0.50	0.80
2.	बैंक आफ बड़ौदा	182.31	12.24	6.71
3.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	22.09	1.79	8.10
4.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	22.52	2.59	11.51
5.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	574.77	129.76	22.58
6.	इंडियन ओवरसीज बैंक	81.19	18.37	22.63
7.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	50.50	13.00	25 74
8.	बैंक आफ इंडिया	195.89	50.58	25.82
9.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	44.67	12.21	27.33
10.	न्यू बैंक आफ इंडिया	29.80	8.60	28.86
11.	विजया बैंक	9.71	3.25	33.44

12.	कैनरा बैंक	18.89	7.10	37.59
13.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	85.36	32.34	37.89
14.	सिंडिकेट बैंक	31.66	12.18	38.47
15.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	28.00	11.12	39.71
16.	कारपोरेशन बैंक	5.11	2.09	40.90
17.	सैंट्रल बैंक आफ इंडिया	103.24	43.02	41.67
18.	पजाब एण्ड सिंध बैंक	35.80	15.00	41.90
19.	आन्ध्रा बैंक	0.83	0.36	43.37
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	27.54	12.01	43.61
21.	इंडियन बैंक	54.94	24.29	44.21
22.	बैंक आफ महाराष्ट्र	54.01	24.27	44.94
23.	इलाहाबाद बैंक	35.91	16.50	45.95
24.	पंजाब नेशनल बैंक	72.68	33.71	46.38
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	11.77	5.59	47.49
26.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	14.00	7.49	53.50
27.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	82.50	48.73	59.07
28.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	31.22	17.87	57.24
	जोड़	1969.31	566.56	28.77

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

कनाडा द्वारा प्रस्तावित सहायता

1017. **श्री डूमर लाल बैठा :**

श्री तारिक अनवर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 सदस्यीय परिवहन मिशन के नेता कनाडा के परिवहन मंत्री ने अपनी हाल की भारत की यात्रा के दौरान आगामी वर्ष में 6 करोड़ डालर की सहायता देने का प्रस्ताव किया था, यदि हां, तो उपर्युक्त सहायता के लिए यदि कोई शर्तें हैं तो उनका ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने अपनी विकसित उच्च प्रौद्योगिकी, अखबारी कागज और भाड़े के माल को लाने ले जाने की नवीनतम प्रणाली देकर विभिन्न क्षेत्रों में सहायता देने का भी प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कनाडी परिवहन मंत्री ने अपनी हाल की भारत यात्रा के दौरान यह संकेत दिया था कि 1982-83 के दौरान भारत को लगभग 6 करोड़ कनाडी डालर की कनाडी सहायता दिए जाने का अनुमान है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष वास्तविक सहायता 4.4 करोड़ कनाडी डालर की दी गई थी। वर्ष 1982-83 के दौरान अधिकांश संवितरण पिछले वर्षों के दौरान कनाडी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (सीडा) के साथ किए गए करारों की राशि में से किया जाएगा, जिनकी शर्तों के अनुसार वापसी अदायगी (10 वर्ष की प्रारम्भिक रियायती अवधि सहित) 50 वर्ष में की जाएगी और इस पर कोई ब्याज या सेवा प्रभार नहीं लगेगा।

(ख) और (ग) मंत्री महोदय ने इंगित किया था कि कनाडी कम्पनियों की रुचि रेलों का संगणकीकरण (कंप्यूटराइजेशन) करने, न्हेवा शेवा पत्त, हल्के परिवहन हवाई जहाज आदि जैसी परियोजनाओं और अखबारी कागज की बिक्री में है। भारत सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में ठोस प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के बाद, उपयुक्त समय पर, विचार किया जाएगा।

स्कूल आफ फारेन लैंगुएजेज में काम कर रहे प्राध्यापकों में अशान्ति की भावना

1018. **श्री आर०एन० राकेश** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल आफ फोरेन लैंगुएजेज, रक्षा मंत्रालय आर० के० पुरम, नई दिल्ली में 700-1300 रुपये के ग्रेड में कार्यरत प्राध्यापकों में गतिरोध के कारण काफी अशान्ति है क्योंकि उन्हें 1300 रुपये के बाद कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जाती है और इन प्राध्यापकों को कई वर्षों तक 1300 रु० पर रूके रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्राध्यापक कितने हैं; और

(ग) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) विदेशी भाषा स्कूल में काम कर रहे 14 प्राध्यापकों में से 2 प्राध्यापक, 1.9.1980 और 1.11.1981 से अपने वेतनमान में अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इसमें असंतोष का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

नई दिल्ली और बेजिंग के मध्य वायु सेवा

1019. **श्री आर०एन० राकेश** :

श्री रामजी भाई मावणि : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-:

(क) क्या भारत-चीन चैम्बर आफ कामर्स द्वारा नई दिल्ली और बेजिंग के बीच वायु सेवा के लिए की गई मांग को स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह वायु सेवा कब से चलाई जाएगी; और

(ग) इस वायु सेवा के माध्यम से क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

नागर विमानन तथा पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। नई दिल्ली तथा बीजिंग के बीच विमान सम्पर्क स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विकसित देशों को निर्यात

1020. श्री आर० एन० राकेश : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ विकसित देशों ने भारतीय परम्परागत और गैर-परम्परागत निर्यात वस्तुओं का मुकाबला करने के लिए कम लागत पर स्थानापन देशी उत्पादों को बाजार में भेजा है जिससे भारतीय माल की बिक्री में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो 1982-83 के वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात की वस्तुओं में कुल कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) इस समस्या को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार के पास इस मामले में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

वायुदूत सेवा का विस्तार

1021. श्री मोहनलाल पटेल : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जिन मार्गों पर वायुदूत सेवा चल रही है उनका ब्यौरा क्या है और जब से वे चल रही है तब से 31 जुलाई, 1982 तक उनका लाभ व हानि क्या है;

(ख) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान इसकी सेवाएं देश के अन्य भागों में आरम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उन मार्गों के नाम क्या हैं जहां यह सेवाएं आरम्भ करने की सम्भावना है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) फिलहाल निम्नलिखित मार्गों पर वायुदूत, सेवाएं परिचालित कर रही है :—

दिल्ली/लुधियाना/दिल्ली (सप्ताह में छः बार)
दिल्ली/देहरादून/दिल्ली (सप्ताह में छः बार)
दिल्ली/चंडीगढ़/कुल्लू/चंडीगढ़/दिल्ली (सप्ताह में दो बार)
गोहाटी/शिलांग/सिलचर/शिलांग/गोहाटी (सप्ताह में तीन बार)
चाबुआ/तेजू/चाबुआ (सप्ताह में दो बार)
अगरतला/कैलाशहर/अगरतला (सप्ताह में तीन बार)
कलकत्ता/जमशेदपुर/राउरकेला/रांची/पटना तथा वापसी (सप्ताह में तीन बार)
कलकत्ता/जमशेदपुर/रांची/पटना (सप्ताह में तीन बार)

31 जुलाई, 1982 तक अनुमानित हानि लगभग एक करोड़ रुपये हैं।

(ख) और (ग) विमान तथा अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता होने पर हिसार (हरियाणा), कोटा (राजस्थान), पन्तनगर (उत्तर प्रदेश), पूर्णिया (बिहार) को प्रावस्थाबद्ध रूप में विमान सेवा से जोड़े जाने की संभावना है।

लन्दन में राष्ट्रमण्डल वित्त मन्त्रियों का सम्मेलन

1022. **श्री राम विलास पासवान :**

श्री चित बसु।

श्री राजेश कुमार सिंह।

श्री सुभाष यादव :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1982 के अन्तिम सप्ताह के दौरान लन्दन में राष्ट्रमंडल देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो जिन देशों ने सम्मेलन में भाग लिया उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) उन देशों की सूची, जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया, संलग्न है।

(ग) यह सम्मेलन विश्व की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में हुआ था इसलिए, विकास की प्रक्रिया में, विशेष रूप से कम आय वाले देशों में, बहुपक्षीय विकास संस्थाओं की भूमिका को मजबूत बनाने पर काफी जोर दिया गया। सम्मेलन में जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा व

गई वे अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के पुनर्भरण, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के कोटे में संशोधन और विशेष आहरण अधिकारों (एस० डी० आर०) के आवंटन से सम्बन्धित थे। मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्भरण की राशि में काफी वृद्धि करने की नई वचनबद्धता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सातवें पुनर्भरण के सम्बन्ध में बातचीत जल्दी पूरी की जानी चाहिए। वे इस बात से सहमत थे कि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋण देने के कार्यक्रम में काफी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। सम्मेलन में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटों में संशोधन करने का काम जल्दी पूरा करने और विशेष आहरण अधिकारों (एस० डी० आर०) के नये आवंटनों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

सूची

उन देशों के नाम जिन्होंने राष्ट्रमण्डल के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया।

एंटिगुआ और बारबुदा
आस्ट्रेलिया
बाहामास
बंगलादेश
बारबाडोस
बोत्सवाना
ब्रिटेन
(बर्मुडा)
(ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड्स)
ब्रूनी
कनाडा
कुक आइलैण्ड्स
साइप्रस
डोमिनिका
फिजि
गाम्बिया
घाना
ग्रेनाडा

गुयाना
भारत
जमैका
केन्या
लेसोथो
मलावी
मलयेशिया
मारिशस
नौरू
न्यूजीलैंड
नाइजीरिया
पापुआ न्यू गिनी
सैंट किट्स-नेविस
सैंट लूसिया
सैंट विनसेंट और ग्रेनेडाइन्स
सेशिल्स
सियारा लिओन
सिंगापुर
सोलोमन आइलैण्ड्स
श्री लंका
स्वाजीलैण्ड
तन्जानिया
टौंगा
ट्रिनिडाड और टोबागो
युगांडा
वेनुआटु
जाम्बिया
जिम्बाबवे

कई गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध बोर्डों में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नामजद व्यक्ति

1023. श्री ईरा अनन्नारासु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या नामजदगियों के लिए व्यक्तियों के चयन और गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध

मंडलों में उनकी नियुक्ति के बारे में सरकारी क्षेत्र के भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कोई मार्गदर्शी सिद्धांत हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारत सरकार ने सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों के बोर्डों में निदेशकों के नामांकन के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम समेत अखिल भारतीय सावधिक ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं के नाम मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं। उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में चयन के लिए मानदंड नामिति निदेशकों के पारिश्रमिक तथा कर्तव्य आदि जैसे पहलू शामिल है।

गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध बोर्डों में आई० सी० आई० सी० आई० का नामजद व्यक्तियों के चयन की कसोटी

1024. **श्री ईरा अनवारासु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या नामजद व्यक्तियों का चयन करने और उन्हें उन गैर-सरकारी उपक्रमों के प्रबंध मंडलों में नियुक्त करने, जिनकी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा वित्तीय रूप से सहायता की गई है, के लिए इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा क्या मानदण्ड अपनाएं जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों के प्रबंधक बोर्डों में नामित किये जाने वाले व्यक्तियों का चयन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा सरकार के अनुमोदन से तैयार की गई नामिति निदेशकों की एक सामान्य सूची से करता है। सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार की जाने वाली सूची में ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति शामिल किये जाने चाहिए जिन्हें भारत के विभिन्न इलाकों में फैले हुए उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में एक या एक से अधिक क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त हो। उक्त सूची में से मनोनीत निदेशकों का चयन करने में, आई० सी० आई० सी० आई०, सहायता पाने वाले प्रतिष्ठान के औद्योगिक कार्यकलाप तथा उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति की समग्र उपयुक्तता तथा अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखता है।

कम्पनियों के प्रबन्ध मण्डलों में आई० सी० आई० सी० आई० और आई० एफ० सी० आई० के नामजद व्यक्ति।

1025. **श्री ईरा अनवारासु**: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनियों के प्रबंध मंडलों में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया तथा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया के अधिकांश नामजद व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आई. सी. आई. सी. आई. और आई. एफ. सी. आई. नामजद व्यक्तियों को एक ही समय में अपने 15 से अधिक कम्पनियों के प्रबंध मंडलों में रहने की स्वीकृति देता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र की इन वित्तीय संस्थाओं के लिये सुयोग्य और अनुभवी व्यक्तियों की कमी के कारण ऐसा किया जाता है जिसके कारण 60 वर्ष से ऊपर के नामजद व्यक्तियों और कुछ मामलों में 70 वर्ष से भी ऊपर के व्यक्तियों को 15 से अधिक मंडलों में एक ही समय प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) ने जिन 124 व्यक्तियों को नामित निदेशकों के रूप में मनोनीत किया है उनमें से 56 व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) ने जिन 284 व्यक्तियों को नामित किया है उनमें से 123 व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

(ख) सामान्यत: आपवादिक मामलों को छोड़कर आई० सी० आई० सी० आई० तथा आई० एफ० सी० आई० एक ही समय से 4 से अधिक कम्पनियों के निदेशक बोर्डों में अपने नामिती नियुक्त नहीं करते।

(ग) अखिल भारतीय सार्वधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं, नामांकन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार की गई तथा सरकार द्वारा अनुमोदित की गई सामान्य सूची में से उस औद्योगिक प्रतिष्ठान की आवश्यकताओं के अनुरूप, जिसके निदेशक बोर्ड में व्यक्ति का नामांकन किया जा रहा है, इसकी समग्र उपयुक्तता, अनुभव तथा विशेषज्ञता को ध्यान में रखकर पात्र व्यक्तियों का चयन करती हैं। जहां तक आयु सीमा का सम्बन्ध है, अभी हाल में यह निर्णय किया गया है कि 63 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को ही सूची में शामिल किया जाये।

सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर हैंगर को हुआ नुकसान

1026. **श्री निहाल सिंह** : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर सबसे पुराने हैंगर को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में की गई जांच के क्या परिणाम निकले ?

नागर विमानन तथा पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) क्षतिग्रस्त हुए हैंगर का निर्माण 1948-49 में किया गया था। यह युद्ध के समय की

एक हल्की सी संरचना थी जिसे ढाले गए इस्पात के टुकड़ों से बनाया गया था। इस संरचना की अवधि समाप्त हो गई थी।

(ख) इस मामले की छानबीन भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के मुख्य इंजीनियर ने की थी। हैंगर ऊपर बताए गए कारणों से ध्वस्त हो गया था।

सूती कपड़ा मिलें

1027. श्री निहाल सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी सूती कपड़ा मिलें हैं; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ कपड़ा मिलों ने सूती कपड़े का निर्माण करना बन्द कर दिया है जिसके फलस्वरूप सूती कपड़े की कीमतों में वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) मई, 1982 के अन्त तक देश में 792 सूती कपड़ा मिलें थीं।

(ख) जी, नहीं।

भूतपूर्व सैनिकों को पेट्रोल, डीजल बिक्री डिपुओं, खाना पकाने की गैस एजेंसियों आदि का आवंटन

1028. श्री निहाल सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1980 से 30 सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान डाइरेक्टोरेट आफ रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन द्वारा कितने भूतपूर्व सैनिकों को पेट्रोल पम्प/डीजल बिक्री डिपो/खाना पकाने की गैस एजेंसियों/रेलवे स्टेशनों में रेलवे कैन्टीन स्टाल/ ट्रोलियां आवंटित की गई हैं; और

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों का ब्यौरा और उनके पदनाम क्या हैं जिन्हें यह आवंटित किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) ऊर्जा तथा पट्रोलियम मंत्रालय ने पैट्रोलियम उत्पादों की एजेंसियों के आवंटन के मामले में शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और नेत्रहीन कार्मिकों तथा युद्ध में निशक्त हुए सेवा कार्मिकों के लिए 15% आरक्षण किया है। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों/युद्ध में निशक्त हुए सेवा कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से और विशेष रूप से कोई आरक्षण नहीं किया गया है। समाचारपत्रों में विज्ञापन के द्वारा संबंधित

आयल कम्पनी इन एजेंसियों के लिए प्रार्थना पत्र आमन्त्रित करती है और पैट्रोलियम विभाग द्वारा इसका सीधे आवंटन किया जाता है।

जहां तक भूतपूर्व सैनिकों को रेलवे कैंटीन/ स्टाल आदि के आवंटन का प्रश्न है जब कभी बेंडिंग कन्ट्रेक्टों के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के बारे में क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक से सूचना प्राप्त होती है, राज्य सैनिक बोर्डों/ जिलासैनिक बोर्डों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों में उसका पर्याप्त प्रचार किया जाता है ताकि वे इस प्रकार की निविदाओं के लिए आवेदन कर सकें।

नए चाय बागान

1029. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में चाय के बागानों के लिये कुछ नए स्थानों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा : (क) जी हां।

(ख) नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक।

छोटे सिक्कों का उत्पादन न किया जाना

1031. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक, दो तथा तीन पैसे के सिक्के बनाना बन्द कर दिया था और अब पांच पैसे के सिक्कों का निर्माण भी बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सिक्कों का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न समस्या के संबंध में लोगों की सहायता करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मितव्ययता, कुशलता और सुरक्षा से युक्त मुद्रा- ढांचा तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) पहले से ही प्रचलित फरेंसी के ढांचे की विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों तथा सिक्कों के उपयोग और उनकी मांग, उनकी निर्माण लागत तथा उनके विवरण, उनकी पुनः प्राप्ति और नोटों के नष्ट करने पर होने वाले

व्यय के आधार पर लगातार पुनरीक्षा की जाती है। सिक्कों में प्रयोग में लाई जाने वाली धातु की मात्रा का समय पर निश्चय धातु की लागत को हिसाब में लेते हुए और जाली सिक्कों का निर्माण तथा उन्हें लगाया जाना हतोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उदाहरणार्थ कम मूल्य वर्ग के सिक्कों की मांग में कमी को देखते हुए, एक पैसे और तीन पैसे के सिक्कों की ढलाई 1973-74 से और 2 पैसे के सिक्के की ढलाई 1979-80 से बन्द कर दी गई थी। हाल में मितव्ययता के उपाय के रूप में 10 पैसे के सिक्के के आकार को कम करने और ऐल्यूमिनियम-मैग्नीशियम मिश्र-धातु के 20पैसे के सिक्के पुन: जारी करने का निर्णय किया गया है। ताकि छोटे सिक्कों के निर्माण की लागत को कम रखा जा सके। इसी प्रकार, एक रुपए के सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि करके (कम आकार के साथ) और 2 रुपए के सिक्के जारी करके हाल ही में एक रुपए और दो रुपए के नोटों को बन्द करने का निश्चय किया गया है क्योंकि दीर्घकाल में सिक्कों की ढ़लाई कम खर्चीली पाई जाती है। करेंसी-पक्ष में, 20 रुपए और 100 रुपए के नोट के बीच मध्यवर्ती मूल्यवर्ग के रूप में 50 रुपए के नोट शुरू करने का निश्चय किया गया था ताकि करेंसी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

करेंसी और सिक्कों दोनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक दुवारा किए गए पूर्वानुमानों के आधार पर और प्रेसों तथा टकसालों की उत्पादन क्षमता पर पड़ने वाले दबावों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

छोटे सिक्कों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 5 पैसे के सिक्कों की ढलाई बन्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

समुद्री- मछली उद्योग विकास संबंधी कृतक बल की रिपोर्ट

1032. **श्री ममतेती माई आर० चौधरी :**

श्री राम सिंह यादव :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने समुद्री मछली उद्योग के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 1981 में कोई कृतक बल नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कृतक बल ने सरकार को रिपोर्ट भेज दी है; और

(ग) यदि हां, तो कृतक दल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : कुछ आधार भूत समस्याओं का अध्ययन करने के लिये, जो समुद्री उत्पादों के निर्यातों की वृद्धि के बारे में अनुभव की गई हैं, अप्रैल, 1981 में वाणिज्य मंत्रालय में समुद्री उत्पादों के संबंध में एक टास्क फोर्स स्थापित किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) यह मंत्रालय टास्क फोर्स द्वारा की गई सिफारशों की जांच कर रहा है।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

1033. श्रीमती भाई आर० चौधरी :

प्रो० रूप चन्द्र पाल :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थोक मूल्य सूचकांक में अगस्त, 1982 में और वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) थोक मूल्य सूचकांक में 1970-71 = 100) अगस्त, 1982 में/प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसके मुकाबले जुलाई, 1982 में इसमें 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि मुख्यतः मौसमी कारणों से हुई थी। सितम्बर 1982 (अद्यतन उपलब्ध) के पहले तीन सप्ताहों में सूचकांक में 1.3 प्रतिशत की कमी हुई थी। मूल्य-स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और कीमतों पर उचित नियंत्रण रखने के लिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो आवश्यक होते हैं।

एशियाई खेलों के दौरान आवश्यक वस्तुओं का वितरण

1034. श्री मोती भाई आर० चौधरी :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापू साहिब पारूलेकर : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई खेल के दौरान, दिल्ली की मांग के संदर्भ में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए कोई नई व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप पिछड़े वर्गों के कितने लोगों को रोजगार मिला है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) और (ख) एशियाई खेल, 1982 की अवधि के दौरान दिल्ली के लिए आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता की पुनरीक्षा करने का कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा आरम्भ किया जा चुका है। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुओं का संबन्ध है, दिल्ली प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रहा है कि ये वस्तुएं उपभोक्ताओं को पूर्व निर्धारित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध की जाती रहें। जहां तक खुले बाजार के माध्यम से बेची जाने वाली अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन द्वारा सम्बन्धित उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता अभिकरणों के साथ यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है कि कुल मिला कर उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में आम खपत की वस्तुओं की कोई कमी न हो। इन प्रबन्धों तथा जनता के किसी भी वर्ग के लिए रोजगार के नये अवसर जुटाने के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन मिलों को हानि

1035. **श्री नवीन रबाणी** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) उन मिलों की संख्या कितनी है जो हानि उठा रही हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन मिलों को वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान कितनी हानि हुई; और

(ङ) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम को इस हानि को कम करने के लिए कोई अनुदेश जारी किए गए हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 112 वस्त्र मिलें (103 राष्ट्रीयकृत तथा 9 प्रबन्धाधीन) है।

(ख) तथा (घ) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :—

	1980-81		1981-82	
	घाटे में चल रही मिलों की संख्या	हानि (लाख रु० में)	घाटे में चल रही मिलों की संख्या	हानि (लाख रु० में)
राष्ट्रीयकृत मिलें	57	3462.50	81	7463.91
प्रबन्ध की जा रही मिलें	4	379.46	8	1590.31

(ग) इन मिलों में हानि के मुख्य कारण है : पुरानी तथा इस्तेमाल हुई मशीनरी, मिल का अलाभकारी आकार, अधिक श्रमिक बल बिजली की कमी के कारण अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग एवं मजदूरी तथा निविष्ठों की लागत में वृद्धि।

(ङ) इन मिलों के कार्यों में सुधार करने हेतु किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार है :—

(1) जब कभी आवश्यक हो मशीनरी का आधुनिकीकरण और क्षमता में विस्तार;

(2) कार्य भार तथा श्रमिक बल का युक्ति युक्तकरण;

(2) केन्द्रीयकृत आधार पर कच्चे माल की विपुल मात्रा में खरीद;

(4) उत्पादन की पद्धति में विविधीकरण; तथा

(5) बिजली की कमी को दूर करने के लिए कुछ मिलों में डीजल जेनरेटिंग सेट लगाना।

राज्यों में बिक्री कर समाप्त करना

1036. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बिक्री कर को समाप्त करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने इस योजना का विरोध किया है, यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) उन्होंने इसके लिए क्या कारण बताया है और केन्द्र सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम रेव) : (क) से (घ) देश की प्रचलित बिक्री कर प्रणाली में मूल सुधार करने के लिए विभिन्न वाणिज्य मंडलों, उद्योग एवं व्यापार संघों और सामान्य जनता की ओर से काफी समय से व्यापक मांग की जाती रही है। अप्रत्यक्ष कराधान जाँच समिति (भा समिति) ने इस मामले की जांच की थी और कुछ सिफारिशें की थीं।

चूंकि बिक्री कर, संविधान के अन्तर्गत मुख्यतः एक राज्य कराधान का विषय है और इसमें प्रशासन सम्बन्धी कोई भी सुधार, केवल राज्यों के परामर्श और उनके सहयोग से ही किया

जा सकता है अत: इस समस्या पर सभी पहलुओं से विचार करने के लिए सितम्बर, 1980 में मुख्य मंत्रियों और बिक्री कर के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन ने अपने समापन अधिवेशन में अन्य बातों के साथ-साथ ये सिफारिश करते हुए एक संकल्प स्वीकार किया कि :—

का कार्य इस प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों तथा इस बात का अध्ययन करना होगा कि राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है। लेकिन, जम्मू तथा कश्मीर केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों ने इससे अपनी असहमति व्यक्त की।

उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसरण में, इस मामले की समीक्षा करने के लिए संसद सदस्य श्री मोहनलाल सुखाड़िया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी। श्री मोहन लाल सुखाड़िया के आकस्मिक निधन को देखते हुए, संसद सदस्य श्री कमलापति त्रिपाठी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति की अवधि 31 दिसम्बर, 1982 तक बढ़ा दी गयी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महंगाई भत्ते का स्वरूप

1037. **श्री भीखा भाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, जो केन्द्रीय सरकार की भांति महंगाई भत्ता देते हैं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की किस्म का निर्णय तथा उसके भुगतान की घोषणा बाद की महंगाई भत्ते की देय किस्त रिलीज करने को बाध्य किया जा रहा है यदि हां, तो इसके क्या कारण है विशेषकर जबकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार के जी० सी० एम० के साथ संयुक्त नहीं किये जाते;

(ख) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह अनुमति देने को तैयार है कि वे महंगाई भत्ते के बारे में सरकारी फार्मूले के अनुसार उसकी किस्त देय होने पर स्वत: महंगाई भत्ते की किस्त रिलीज कर दें तथा उन्हें अपने कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार की घोषणा की प्रतीक्षा न करनी पड़े. यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) व (ख) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने सरकार के महंगाई भत्ते का स्वरूप अपना लिया है, वे महंगाई भत्ते की किस्तें सामान्यत: प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार या जहां कोई लिखित समझौता नहीं हुआ, तो इस विषय में आपसी रजामंदी के अनुसार रिलीज करते हैं। जहां कहीं लिखित समझौते या आपसी रजामंदी में विशेष रूप से यह व्यवस्था की जाती है कि महंगाई भत्तों के भुगतान के लिए निष्प्रभावन दरों का फार्मूला केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की

भांति ही लागू होगा, वहां केन्द्रीय सरकार की औपचारिक घोषणा की प्रतीक्षा किए बिना ही प्रबन्धकों द्वारा स्वयं महंगाई भत्ते की किस्तें दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अन्य उद्यमों में, जहां समझौते के अनुसार ऐसा कोई विशेष करार नहीं किया गया है वहां उद्यमों ने सामान्यतः महंगाई भत्ते की किस्तें दिए जाने के लिए सरकार द्वारा की गई घोषणा की प्रतीक्षा की है। सरकार का इस उपर्युक्त पद्धति में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

आयकर विभाग के लिए विशेष पुलिस

1038. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर विभाग के कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने और छापे मारने आदि जैसे उनके कर्तव्यों में उनकी सहायता करने हेतु आयकर विभाग के लिए विशेष पुलिस गठित करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या वर्तमान पुलिस बल इस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है;

(ग) क्या किसी समिति ने इस उपाय की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) हाल ही में आयकर विभाग के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ, विभाग में एक पुलिस-बल गठित करने की आवश्यकता तथा व्यवहार्यता पर भी विचार करेगी। सरकार, समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यथावश्यक कार्यवाही करेगी।

आयातित प्राकृतिक रबड़ का बिक्री मूल्य

1039. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित प्राकृतिक रबड़ का देश में बिक्री मूल्य, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के स्तर से 80 प्रतिशत अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम इस उद्योग की प्राकृतिक रबड़ की वार्षिक मांग को पूरा करने में असमर्थ है; और

(ग) ऐसी परिस्थितियों में रबड़ उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित प्राकृतिक रबड़ की बिक्री कीमत रबड़ की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत की अपेक्षा अधिक है।

यह कीमत सरकार की कीमत निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की जाती है जो कि प्रचलित लागत, राज्य व्यापार निगम के लिए समुचित लाभ आयात शुल्क आदि को ध्यान में रखती है।

(ख) जी, नहीं। राज्य व्यापार निगम, सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष देश में मांग सप्लाई स्थिति की समीक्षा करने के बाद दिए गए प्राधिकार पत्रों के आधार पर प्राकृतिक रबड़ आयात करती रही है।

(ग) सरकार देश की मांग सप्लाई स्थिति की बराबर समीक्षा कर रही है और उतनी मात्राओं का आयात किए जाने की अनुमति देती है जितनी मात्रा रबड़ उद्योग द्वारा अपेक्षित होती है। सरकार, देश में रबड़ उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से रबड़ बोर्ड के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक योजनाएं भी कार्यान्वित करती है।

मूंगफली निस्सारण (ग्राउंडनट एक्सट्रेक्शन)

1040. श्री जगदीश टाईटलर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मूंगफली निस्सारण पर निर्यात शुल्क समाप्त करने और विश्व बाजार में मूंगफली निस्सारणों की लाभ प्रदता पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने फ्लोरोक्सिन जाने के कारण मूंगफली निस्सारणों को अस्वीकृत किये जाने पर विचार किया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के मूंगफली निस्सारण को विश्व बाजार में बढ़ावा मिले, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) मूंगफली निस्सारण के निर्यात की सीमित सीमा के भीतर अनुमति दी गई है। आयातक देशों द्वारा निर्धारित मूंगफली निस्सारण में एफलोटेक्सिन की मात्रा की बहुत निम्न विशिष्टता के कारण भारत से मूंगफली निस्सारण के निर्यात को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख बाजारों में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर निर्यात बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

वायुदूत सेवा को गुजरात तक बढ़ाना

1041. श्री आर० पी० गायकवाड : क्या नागरिक विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अब छठी योजना अवधि के दौरान "वायुदूत" सेवा का विस्तार करके देश के 23 और स्थानों को इसमें जोड़ने की योजना बना रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात के किसी स्थान को इस सूची में शामिल करने का है;

(ग) क्या यह सच है कि गुजरात के लोगों को दूर-दराज के स्थानों में द्रुत संचार की सुविधा न होने के कारण अत्यधिक कठिनाई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, देश में थर्ड लैवल एयरलाइन्स के विस्तार कार्यक्रम में गुजरात क्षेत्र के पर्यटन, औद्योगिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थानों को शामिल करने का है ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) विमान तथा अन्य आधार-संरचनात्मक सुविधाओं के उपलब्ध होने की अवस्था में, सरकार ने गुजरात में स्थित स्टेशनों सहित लगभग चालीस स्टेशनों के लिए वायुदूत सेवाओं के विस्तार की योजना बनाई है।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) जी, हां। महत्वपूर्ण स्थानों को।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में डाके

1042. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जनवरी से सितम्बर तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में डाके और लूटपाट की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) इनमें से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गुजरात राज्य में स्थित शाखाओं में कितने डाके पड़े और उनमें कितनी धनराशि लूटी गई; और

(ग) बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पहली जनवरी, 1982 से 30 सितम्बर 1982 तक की अवधि के दौरान भारत में बैंक डकैतियों/लूटमार की 59 घटनाएं हुईं।

(ख) गुजरात राज्य में 1 जनवरी, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में डकैतियों/लूटमारों की कोई घटना नहीं हुई।

(ग) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपने परिसरों के भीतर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने के अनुदेश दिये गये हैं। सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके द्वारा किये जाने वाले

विशिष्ट अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में विस्तृत अनुदेश भी जारी किये गये हैं। बैंकों में सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी गठित की गयी है।

खाद्य तेलों और रिफाइंड तेलों की मांग तथा उत्पादन

1043. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेलों और रिफाइंड तेलों की वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) देश में खाद्य तेलों और रिफाइंड तेलों का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) देश में खाद्य तेलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक और उक्त परियोजना के मुख्य कार्य क्या हैं तथा खाद्य तेल सम्बन्धी समस्या को सुलझाने में यह कहां तक सहायक सिद्ध होगी ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उसमान आरिफ) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में खाद्य तेलों की मांग 38 लाख मीटरी टन वार्षिक के आस-पास रही है, जबकि देश में इनका उत्पादन 24 तथा 27 लाख मीटरी टन वार्षिक के बीच घटता-बढ़ता रहा है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार हो और इनकी मांग तथा आपूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा किया जा सके, सरकार ने कई दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपाय अपनाये हैं। संक्षेप में, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

1. पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक तिलहनों तथा तेलों का उत्पादन तथा उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए गहन कार्यक्रम;
2. तिलहनों की अब तक उपयोग में न लाई गई सम्भाव्यता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सुनियोजित प्रयास करना;
3. तिलहनों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने की नीति;
4. खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा आयात करना;
5. तिलहनों तथा तेलों के व्यापार के नियमन के लिए भंडारण नियंत्रण आदेशों तथा अन्य कानूनों को लागू करना।

(घ) जी, हां।

(ङ) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक तीन वर्षीय परियोजना (1982-83 से 1984-85) शुरू करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में किसानों को प्रोत्साहन देकर तिलहनो की फसलों के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाया जायेगा और इनकी खेती के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनायी जाएंगी।

पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सीमाओं पर गोलाबारी

1044. **श्री चिन्तामणी जेना।**
डा० कृपा सिन्धु भोई :
श्री गुलाम रसूलकोचक :
श्री बी० डी० सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने 31 अगस्त, 1982 को भारतीय सीमा पर पूंछ सीमावर्ती क्षेत्र के मेंधर सैक्टर में तीन अलग-अलग स्थान पर अकारण गोलाबारी की;

(ख) चालू वर्ष के दौरान, पाकिस्तानी सेना ने कितनी बार कानून का उल्लंघन किया और भारतीय सीमाओं पर अकारण गोली चलाई; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, नहीं।

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसे बहुत से अवसर हुए हैं, जब पाकिस्तानी सेनाओं ने जम्मू तथा कश्मीर में नियन्त्रण रेखा के पास अकारण गोलाबारी की थी। ब्यौरे देना उपयुक्त नहीं होगा।

(ग) जम्मू तथा कश्मीर में नियन्त्रण रेखा के पार होने वाली गोलाबारी की छुटपुट घटनाओं से सम्बन्धित मामलों को स्थानीय कमाण्डरों की फ्लैग बैठकों में तय कर लिया जाता है। अधिक गम्भीर किस्म की घटनाओं के मामलों को पाकिस्तान सरकार के पास उठाया जाता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ाना

1045. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति के व्यापार समन्वय और आन्तरिक व्यापार सलाहकार ने भारत का दौरा किया था और कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के

लिये पाकिस्तानी व्यापारी, भारतीय व्यापार समुदाय से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए व्यापार का भारत सरकार स्वागत करेगी।

(ग) जी, नहीं।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

1046. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीने से मूल्य थोक सूचकांक निरन्तर बढ़ रहा है;

(ख) सितम्बर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक कितना था, और मई, जून, जुलाई और अगस्त, 1982 के पहले और दूसरे सप्ताहों के थोक मूल्य सूचकांकों की तुलना में यह कितना न्यूनाधिक है;

(ग) यदि उपर्युक्त अवधि के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में निरन्तर वृद्धि हुई है तो इसकी सरकार के इस दावे के साथ कैसे संगति बैठती है कि मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण कर लिया गया है; और

(उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में थोक मूल्य सूचकांक कैसे दर्शाया जाता है और तुलनात्मक अवधियों के आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) में हुई घटबढ़ से सम्बन्धित अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

निम्नलिखित तारीखों को समाप्त सप्ताह	सामान्य सूचकांक	साप्ताहित परिवर्तन (प्रतिशत)	मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर (प्रतिशत)
1982			
1 मई	276.3	+0.2	—0.1
8 मई	277.0	+0.3	नगण्य
5 जून	283.0	+0.7	+1.6

12 जून	285.5	+0.9	+2.2
3 जुलाई	290.5	+0.9	+2.8
10 जुलाई	290.8	+0.1	+1.3
7 अगस्त	293.1	+0.4	+1.2
14 अगस्त	293.8	+0.2	+1.3
4 सितम्बर	292.0	—0.7	+2.4
11 सितम्बर	290.6	—0.5	+2.1
18 सितम्बर	290.3	—0.1	+2.0

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर लगातार काफी कम बनी हुई है।

अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) मासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह सूचकांक मई 1982 के 462 से बढ़कर जून में 470 जुलाई में 478 और अगस्त में 488 हो गया। सितम्बर, 1982 के माह के लिए सूचकांक अभी उपलब्ध नहीं है।

शत प्रतिशत निर्यात इकाईयों को अपने उत्पादन देश के भीतर बेचने की अनुमति देने का प्रस्ताव

1047. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार शत प्रतिशत निर्यात इकाइयों को अपना 25 प्रतिशत उत्पादन देश के भीतर बेचने की अनुमति देने के पक्ष में विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि इस शत प्रतिशत निर्यात इकाईयों को पिछले तीन वर्षों के दौरान इस आधार पर अनेक रियायतें दी गई थी कि वे अपने सभी उत्पादों का निर्यात करेंगी और फलस्वरूप वे विशेष छूट की पात्र है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान प्रस्ताव के पक्ष में विचार करने के क्या कारण है; और

(घ) इस रियायत का उन इकाईयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो उन्हीं उत्पादों का देश के भीतर बिक्री के लिये उत्पादन करती हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा के ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

1048. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के ग्रामीण बैंकों ने व्यक्तियों, किसानों और अन्य लोगों को वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत कम कार्य किया है;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को ऋण का लाभ मिला है और कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उड़ीसा में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने लाभान्वितों को ऋण उपलब्ध कराने में निरन्तर प्रगति कर रहे हैं। दिसम्बर, 1981 के अंत की स्थिति के मुताबिक उड़ीसा में काम कर रहे इस प्रकार के 9 बैंकों ने 3.88 लाख लाभान्वितों के खातों में 38 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये। उक्त खातेदारों में मुख्यत: छोटे सीमांतिक किसान, कृषि मजदूर, ग्रामीण शिल्पकार और अन्य कमजोर वर्ग शामिल थे। इसकी तुलना में दिसम्बर, 1980 के अंत की स्थिति के मुताबिक 3.65 लाख खातों में 28 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये गये थे।

(ग) सरकार ने देश में इस प्रकार के बैंकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया है। इन संख्या जो इस समय 121 है वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़कर 170 हो जाएगी और उस समय ये देश के 270 जिलों को व्याप्त कर लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक शाखा विस्तार के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके क्षेत्र में शाखाएं खोलने के विषय में तरजीह देता है। अपनी अवस्थिति के कारण ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वरूप कम लागत वाला है और यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा प्रायोजक बैंकों द्वारा विशेष रियायतें दी जाती हैं। इनके ऋणों का अधिकांश ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्गों को जाता है। 3 वर्ष से कम परिपक्वता अवधि वाली सभी जमा राशियों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में आधा प्रतिशत अधिक ब्याज देने की अनुमति दी जाती है। इससे ग्रामीण बचतों और साथ ही इन बैंकों की जमाओं/जमा राशियां जुटाने को बढ़ावा मिलता है।

उड़ीसा के महत्वपूर्ण स्थानों को वायुदूत सेवा से जोड़ना

1049. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से राज्य के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को वायुदूत सेवा से जोड़ने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वायुदूत सेवा से जोड़े जाने के लिए उड़ीसा सरकार ने किन स्थानों के नाम सुझाए हैं;

(ग) इन महत्वपूर्ण स्थानों में से कितने स्थानों को छठी पंचवर्षीय अवधि के अन्त तक वायुदूत सेवा से जोड़े जाने का विचार है; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव के कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयत्न किये हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित स्टेशनों के लिए वायुदूत सेवाओं का विस्तार करने का अनुरोध किया है; भुवनेश्वर, झारसुगुडा, राउरकेला, जैपुर।

(ग) और (घ) उपपुक्त स्टेशनों में से राउरकेला को वायुदूत सेवाओं से जोड़ा जा चुका है। अन्य स्टेशनों को जोड़ा जाना, छठी पंचवर्षीय योजना में आधार संरचनात्मक सुविधाओं के विकास पर निर्भर करता है।

अनिवासियों से निवेश आकृष्ट करने के लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन

1050. **श्री रशीद मसूद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रदान की गई वर्तमान सुविधाएं और प्रोत्साहन, निवासियों को भारत में निवेश लगाने के लिए आकृष्ट करने में कहां तक सहायक सिद्ध हुए हैं;

(ख) विदेशी निवेश आकृष्ट करने में यदि कोई अड़चने हैं तो क्या सरकार को उनको दूर करने के लिए वर्तमान सुविधाओं की प्रभावकारिता का पुनरीक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत में पूंजी निवेश करने के प्रयोजन से अनिवासी भारतीयों के लिए कतिपय अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं की व्यवस्था हाल ही में की गई है। इसलिए इतनी जल्दी में इनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जहां तक विदेशियों का सम्बन्ध है, चयनात्मक आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश को ही अनुमोदित करने की नीति रही है। इस प्रकार के विदेशी निवेश से देश को जो लाभ पहुँचा है, वह यह है कि देश में आयात प्रतिस्थापक सामग्री का निर्माण हुआ है, नई प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है और निर्यात प्रधान उत्पादन हुआ है।

(ख) तथा (ग) सरकार ने पहले से ही कई उपाय किए हैं। ऐसे क्षेत्रों को स्पष्टत: अभिव्यक्त कर दिया गया है जिनमें विदेशी पूंजी निवेष को ही विशेष भूमिका निभानी है। समयबद्ध नीति के अनुसार अनुमोदन देने के लिए कई एक प्रक्रियात्मक परिवर्तन भी किए गए हैं। अनिवासी भारतीयों को निवेश की सुविधा देने के लिए कई एक रियायतों की घोषणा भी की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के भारत के हिस्से के ऋण में कटौती

1051. **श्री रशीद मसूद :**

श्री बी० डी० सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के भारत के हिस्से के ऋण में काफी कटौती की जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका देश के विकास कार्यक्रमों और अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण (आई० डी० ए०-vi) के लिए धन की व्यवस्था करने में कठिनाईयों के कारण संघ के साधनों की उपलब्धता कम हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा राजकोषीय वर्ष 1982 में दिए गए ऋणों में भारत के हिस्से में कमी का मुख्य कारण यही है। राजकोषीय वर्ष 1983 में अधिक साधन उपलब्ध होने की परिकल्पना के आधार पर ऐसे संकेत मिले हैं कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से कुल मिलाकर सरलता से ऋण मिल सकेंगे। राजकोषीय वर्ष 1984 के लिए साधनों के निर्धारण के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिलने वाली सहायता में कटौती का शोधन शेष की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के ठोस प्रयास कर रही है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों का उचित हिस्सा मिले।

व्यापार के नए क्षेत्रों का पता लगाना

1052. **श्री भेरावदन के० गधवी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) इस समय भारत के व्यापार संतुलन की क्या स्थिति है और हमारा व्यापार संतुलन कितना प्रतिकूल है;

(ख) क्या यह सच है कि निर्यात योग्य माल के लिये नए अवसरों का पता लगाने के हमारे उत्साह को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने द्रुत कार्यवाही नहीं की है;

(ग) क्या व्यापार के कोई नये क्षेत्र हैं जिनका निर्यात के प्रयोजनों के लिये पता लगाया जा सकता है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या अब सरकार का ऐसा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1981-82 के लिए भारत का विदेश व्यापार घाटा 5778.72 करोड़ रु० का है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात अप्रैल-जून 1982 की प्रथम तिमाही में अनन्तिम घाटा 1522.73 करोड़ रु० का है।

(ख) तथा (ग) निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक निर्यात संबर्धन उपाय किये गये है। दोनों विकासशील एवं विकसित देशों में उत्पाद-वार एवं बाजार-वार हमारे निर्यातों को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) तथा (ङ) निर्यात व्यापार की संभाव्यताओं का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर समितियां तथा कृत्रिक दल नियुक्त किये जाते हैं। निर्यातों में बाधाओं का पता लगाने और उनके लिए उचित उपचारात्मक उपायों का पता लगाने हेतु विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों आदि के साथ समय समय पर अवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

निर्यात निर्माण इकाईयों को अपने उत्पादों को देश के भीतर बेचने की मांग

1053. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि निर्यात निर्माण इकाईयां अपने उत्पादों को देश के भीतर बेचने की मांग कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी, हां। जहां तक मुक्त व्यापार क्षेत्र में ऐसे एककों का सम्बन्ध है, सरकार ने इन एककों को यह अनुमति देने का निर्णय किया है कि वे वैद्य आयात लाइसेंसों के आधार पर उत्पादन का 25 प्रतिशत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेच सकते हैं।

यह निर्णय क्षेत्र से बाहर शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों पर लागू नहीं होता।

अधिक घनत्व वाली पोलिथीलीन का आयात और उत्पादन

1054. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बड़े अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादकों ने अधिक घनत्व वाली पोलिथीलीन के मूल्यों में कटौती कर दी है ताकि इसे भारतीय बाजार में एकत्र कर दिया जाये और इस प्रकार देशी उद्योग के लिये प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाये; और

(ख) सरकार का विचार बढ़ते हुये आयात और अधिक घनत्व वाली पोलीथीलिन के घटते हुये उत्पादन की समस्या को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) यद्यपि, इस सम्बन्ध में इस मद के एक मात्र भारतीय विनिर्माता की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है लेकिन प्राप्त आंकड़ों से आयात नीति के कारण उत्पादन में गिरावट प्रतीत नहीं होती। देशी उत्पादन तथा माँग की तुलना में आयातों की स्थिति की मानिटरिंग के लिये व्यवस्था है ताकि जहां आवश्यक हो, कार्रवाई की जा सके।

भारतीय तम्बाकू उत्पादों की समुद्र पार सीधी बिक्री

1055. **श्री भीकू राम जैन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तम्बाकू बोर्ड ने भारतीय तम्बाकू उत्पादों की समुद्र पार सीधी बिक्री का दायित्व लिया है;

(ख) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई० आई०एफ० टी०) ने पश्चिमी एशियाई देशों में सिगरेट की खपत और सिगरेट पीने वालों की संख्या पर प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) बाजार सुविधाएं बढ़ाने, कम निकोटीन वाली सिगरेट और बीड़ियों का उत्पादन करने तथा खाड़ी के देशों में निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दल की रिपोर्ट का इन्तजार है।

टायर उद्योग द्वारा कच्चे माल का आयात

1056. **श्री के० ए० राजन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति दी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) टायर उद्योग को विभिन्न प्रकार के बनाये माल की आवश्यकता होती है जैसे : प्राकृतिक/संश्लिष्ट रबड़, कार्बन ब्लैक, संश्लिष्ट फैब्रिक तथा रबड़ रसायन । इनके आयात प्रचलित नीति के अनुसार विनियमित किये जाते हैं । निर्यात उत्पादन के लिये सीमा-शुल्क दिये बिना कच्चे माल के आयात की व्यवस्था है जिसका विवरण 1982-83 की आयात तथा निर्यात नीति (वाल्यूम-1) के परिशिष्ट 19 में दिया गया है । आयात तथा निर्यात नीति की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋण

1057. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने उसके आरम्भ की तारीख 12 जुलाई, 1982 से अब तक कुल कितना ऋण बांटा गया है; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण सर्वेक्षण विभाग के प्रशिक्षित कर्मचारियों का उस बैंक में आने में आनाकानी करने की स्थिति में क्या इस बैंक में अब पूरे कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 12 जुलाई, 1982 को अपनी स्थापना के बाद से 27 सितम्बर, 1982 तक राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सावधि ऋणों के रूप में 57.54 करोड़ रुपए और अल्पावधि ऋणों के रूप में 504.57 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की ।

(ख) नाबार्ड अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए यथावश्यक स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है । नाबार्ड के प्रारम्भिक स्टाफ में, तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम (ए० आर० डी० सी०) और भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग तथा ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष में कार्यरत स्टाफ शामिल है, जिनकी सेवाएं नाबार्ड अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थानांतरित कर दी गई थीं । इस नए संस्थान में बने रहने के विषय में किसी कर्मचारी की ओर से अनिच्छा की सरकार अथवा नाबार्ड को कोई जानकारी नहीं है । फिर भी, इस प्रकार स्थानांतरित हुए कर्मचारियों को इस अधिनियम के अधीन इस बैंक की स्थापना के छः महीनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक में वापस आने का विकल्प चुनने का अधिकार है ।

दार्जिलिंग चाय उद्योग में संकट

1058. श्री चित्त बसु :

श्री के० राममूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दार्जिलिंग चाय उद्योग को इस समय घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह संकट किस प्रकार का है;

(ग) इस स्थिति से निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) पुराने और रुग्ण बागानों को पुन: सक्रिय करने के लिये चाय बोर्ड के हाल ही के प्रस्तावों की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि दार्जिलिंग में चाय उद्योग की विशेष समस्याएं हैं।

(ख) समस्याओं में शामिल हैं : बढ़ती हुई उत्पादन लागत, कम उपज, कार्यकारी पूंजी में घाटा, संचित शेष तथा उस पर लगा ब्याज।

(ग) चाय बोर्ड की अपनी तीन बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दार्जिलिंग चाय उद्योग को भी उपलब्ध है। इस चाय उगाने वाले क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में पुनर्रोपण के लिए उपदान की दरों को 1-9-80 से 15,000 रु० प्रति हैक्टेयर तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) दार्जिलिंग कायाकल्प योजना को अभी व्यय वित्त समिति से क्लियेरेंस मिलनी बाकी है।

चावल का निर्यात कम करने का निर्णय

1059. श्री चित्त बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिये सरकार ने चावल का निर्यात कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों में चावल निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) बासमती चावल

का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है। केवल भारतीय खाद्य निगम की मार्फत सीमित मात्रा में गैर-बासमती किस्मों के चावल का निर्यात करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) गत पांच वर्षों में चावल के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (हजार मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1977-78	52.4	11.47
1978-79	110.5	38.71
1979-80	515.3	123.31
1980-81	726.7	223.86
1981-82 (अनन्तिम)	791.4	342.67

स्रोत : डी. जी. सी. आई. एस.

कमियां रहने के कारण होने वाले असन्तुलन और लाभ

1060. **टी० एस० नेगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अगस्त, 1982 के इन्डिया टुडे के अनुसार फेरा में कमियां रहने के कारण होने वाले असन्तुलन और लाभ की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोई सुधारात्मक कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम सम्बन्धी लेख द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के प्रभाव को आंकने का प्रयत्न किया गया है। उसके द्वारा कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकाला गया है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम उपयोगी और सफल सिद्ध हुआ है। जैसा कि लेखकों ने स्वयं स्वीकार किया है, उनके द्वारा चर्चित बहुत सी बातों का सम्बन्ध 'फेरा' से नहीं है।

(ख) तथा (ग) 'फेरा' कम्पनियों के विद्यमान क्रियाकलापों की विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार की जाने वाली समीक्षा का कार्य और 'फेरा' के अन्तर्गत निर्धारित मार्ग-निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार उन कम्पनियों को अपना कारबार जारी रखने या बन्द कर देने की अनुमति प्रदान करने का कार्य पूरा हो चुका है और पुनरीक्षण के लिए कोई आधार नहीं है।

मध्य प्रदेश में वाणिज्य बैंक कार्यालय खोलना

1061. **डा० केशव कुमार पंडित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 17000 की आबादी के लिए वाणिज्य बैंक कार्यालय खोलने के लिए मार्गदर्शन निर्धारित किया है;

(ख) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त मानदण्ड के आधार पर किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों और जिलों को बैंक खोलने योग्य निश्चित किया है;

(ग) वर्ष 1981-82, 1982-83 और छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान उपरोक्त बैंक खोलने योग्य क्षेत्रों में कितने वाणिज्यिक बैंक कार्यालय खोले जायेंगे; और

(ख) मध्य प्रदेश के पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों के लिए बैंकिंग सुविधायें प्रदान करने और आसान ऋण की व्यवस्था करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की और क्या कदम उठाने की योजना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 1982-83 से 1984-85 तक के तीन वर्षों के वास्ते बैंकों की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अधीन मध्य प्रदेश के ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में 693 अतिरिक्त शाखाओं के लिए जारी की जा चुकी और बैंकों के पास विचाराधीन प्राधिकृतियों के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृतियों का एक अस्थायी कार्यक्रम तैयार किया है । इन अनुमानों के जिले-वार ब्योरे विवरण में दिये गए हैं ।

(घ) ऋण मंजूर करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, प्रतिभूति तथा मार्जिन की आवश्यकताओं में छूट देने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिमों का 40 प्रतिशत देने के ऊंचे अनुपात की शर्त, जिला ऋण आयोजनाओं पर अधिक जोर, 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विशेषरूप से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि में बैंकों की बढ़ती भागीदारी जैसे रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से मध्य प्रदेश सहित सभी कम विकसित इलाकों में बैंक ऋण प्रवाह में बढ़ोत्तरी होने की सम्भावना है ।

विवरण

क्रम संख्या	1981 की जनगणना के अनुसार 17000 से अधिक ए० पी० पी० वी० ओ० वाले जिलों के नाम	खोले जाने वाले अतिरिक्त कार्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	24
2.	बस्तर	19

1	2	3
3.	बेतूल	12
4.	भिण्ड	25
5.	भोपाल	2
6.	बिलासपुर	27
7.	छिंदवाड़ा	11
8.	दामोह	6
9.	दतिया	5
10.	देवास	10
11.	दुर्ग	33
12.	पूर्वी निमाड़	7
13.	गूना	25
14.	ग्वालियर	9
15.	जबलपुर	22
16.	झाबुआ	15
17.	मांडला	27
18.	मंदसौर	12
19.	मोरैना	20
20.	नरसिंहपुर	8
21.	पन्ना	14
22.	रायगढ़	45
23.	रायपुर	57
24.	राजगढ़	18
25.	राजनन्दगांव	23
26.	रतलाम	4
27.	सागर	23
28.	सीहोर	7
29.	सिवनी	17
30.	शहडोल	25
31.	शाजापुर	7

1	2	3
32.	शिवपुरी	20
33.	सिधी	3
34.	उज्जैन	11
35.	विदिशा	12
36.	पश्चिम निमाड़	29
अन्य जिलों में खोले जाने वाले अतिरिक्त कार्यालयों की संख्या		59
		693

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी का निर्यात

1062. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चीनी का निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) 1982-83 के आगामी सत्र तक सरकार द्वारा चीनी का मूल्य कितना निर्धारित किए जाने की सम्भावना है और किस मूल्य पर इसे निर्यात किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान कितनी चीनी निर्यात की गई, उसका मूल्य क्या था और 31.10.82 को देशी बाजार के लिए कितनी चीनी रिलीज की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) मुक्त बिक्री की चीनी को घरेलू कीमतें 1982-83 में चीनी की मांग तथा सप्लाई स्थिति पर निर्भर करेंगी । चीनी की निर्यात कीमत निर्यात के समय प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करती है । 1982-83 के मौसम के लिए संभावित बिक्री कीमत के बारे में पहले से बताना कठिन है ।

(ग) 1981-82 के वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 101.14 करोड़ रु० के मूल्य की 2.14 लाख एम टी चीनी का आयात किया गया । इसमें लगभग 69.34 करोड़ रु० के मूल्य की 1.925 एम टी चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकार या उनके नामजद अभिकरणों को डिलीवर्ड की गई, लगभग 6.30 करोड़ रु० के मूल्य की 12.245 एम टी चीनी सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेची गई तथा 3.916 एम टी की शेष मात्रा अभी भी स्टाक में पड़ी हुई है ।

विदेशी कम्पनियों को टर्नकी ठेके देने की नीति की पुनरीक्षा

1063. श्री एस०एम० कृष्ण : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए ब्रिटेन की फर्म का आशय पत्र रद्द किए जाने के बाद सरकार का विचार देश में विदेशी कम्पनियों को टर्न-की ठेके देने की नीति की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे ठेकों के कारण भारतीय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की फर्में राष्ट्रीय विकास में भाग लेने से वंचित रह गई थीं : जिसके फलस्वरूप धन अन्य देशों को चला गया; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी टर्नकी परियोजनाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार की नवीनतम् नीति का स्वरूप क्या है ;

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) टर्नकी संविदाओं को देने का निर्णय परियोजना की क्रियान्विति के सबसे उपयुक्त तथा द्रुत तरीके पर विचार करने के बाद प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर अन्य संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके प्रशासनिक मत्रालय द्वारा किया जाता है।

पालम हवाई अड्डे के समीप बहुमंजिला होटल

1064. श्री राम सिंह शाक्य : क्या रक्षा मन्त्री पालम हवाई अड्डे के समीप बहुमंजिले होटल के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1517 दिनांक 16 जुलाई, 1982 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड ने रिहायशी क्षेत्र में होटल चलाने के लिए लाइसेंस दिया था; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ख) दूसरी मंजिल पर पांच कमरों, पांच शौचालयों, एक सीढ़ी तथा एक रास्ते के अनधिकृत निर्माण की बात का पता छावनी बोर्ड को कब चला; और

(ग) क्या याचिका कर्ता की अपील का निपटान अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अब कर दिया गया है; यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) दिल्ली छावनी के मेहराम नगर गांव में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए दिल्ली छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम 1924

की धारा 210 के अन्तर्गत एक लाइसेंस जारी किया था। लाइसेंस 31.3.1982 को समाप्त हो गया था और 1982-83 के लिए लाइसेंस का नवीकरण करने का आवेदन छावनी बोर्ड दिल्ली के विचारधीन है।

(ख) 19 फरवरी, 1982 को कुछ अनधिकृत निर्माण नोटिस में आए जिसके लिए 18 मार्च, 1982 को नोटिस जारी किया गया। 25 मई, 1982 को इन निर्माणों में और वृद्धि देखी गई और 5 जुलाई, 1982 को एक नोटिस जारी किया गया।

(ग) 18 मार्च, 1982 को जारी किए गए पहले नोटिस के मामले में पार्टी ने अपील कर दी और छावनी बोर्ड ने उस अपील को 5 अगस्त, 1982 को अपीलीय प्राधिकरण के पास भेज दिया जिसका अभी फैसला होना है। 5 जुलाई, 1982 के दूसरे नोटिस के उत्तर में पार्टी ने 6 अगस्त, 1982 को अपील कर दी और छावनी बोर्ड ने उसे अपने विधि सलाहकार के पास भेज दिया है ताकि अपीलीय प्राधिकारण में प्रस्तुत करने के लिए अपील के उत्तर का मसौदा तैयार किया जा सके।

बैंक डकैतियां

1065. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री जगपाल सिंह :
श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 में हुई डकैतियों की तुलना में देश के विभिन्न भागों में 1982 में (अब तक) कितनी बैंक डकैतियां पड़ीं और इन डकैतियों में कितना धन लूटा गया;

(ख) कितनी बैंक डकैतियों का पता लग गया है और अब तक कितना धन वसूल किया जा चुका है;

(ग) क्या सरकार ने अर्जित अनुभव के आधार पर सुरक्षात्मक उपायों के पर्याप्त होने अथवा कम होने के बारे में विचार किया है और बैंकों की विशेष सुरक्षा की जांच करने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए डकैती की अधिक संभावित बैंक शाखाओं का सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1981 और 1982 (30-9-82 तक) के दौरान हुई बैंक डकैतियों/लूटमारों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	डकैतियों/लूटमारों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
1981	40	83.56 लाख रुपये और 58.5 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण
1982 (30-9-82) तक	59	117.87 लाख रुपये और 11.89 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण।

(ख) बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उपर्युक्त 99 मामलों में से, 46 मामलों में 176 अपराधी अब तक पकड़ लिए गए हैं और 37.38 लाख रुपये की राशि और लगभग 2.5 कि. ग्रा. वजन के स्वर्ण आभूषण बरामद कर लिए गए। इसके अलावा तीन मामलों में, 12 डकैतों के मुठभेड़ों में मारे जाने की सूचना है तथा 90,000 रुपए की राशि बरामद कर ली गई।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को, जोकि प्राथमिक रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के वास्ते उत्तरदायी हैं, समुचित रोकथाम के उपाय करने की सलाह दी गई है। अपने आंतरिक सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाने और अपनी कमजोरियों को दूर करने के वास्ते, बैंकों को कई उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

दिल्ली-भोपाल उड़ानों का सारणी के अनुसार ग्वालियर न जाना

1066. **श्री एन.के. शेजवलकर :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल से दिल्ली जाने वाले जिन विमानों को समय सारणी के अनुसार गत चार महीनों के दौरान निर्धारित समय के अनुसार ग्वालियर होकर जाना था वे कितनी बार वहां नहीं गये; और

(ख) कारण सहित तारीख वार सूचना दें ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : 1.5.1982 से 31.8.1982 की अवधि में, आई सी-434 तथा आई सी-460 (भोपाल/ग्वालियर/दिल्ली) ग्यारह अवसरों पर ग्वालियर पर नहीं उतरीं। सितम्बर, 1982 में सभी उड़ानें ग्वालियर होकर गयीं।

(ख) इन घटनाओं की तारीखें तथा उनके कारण इस प्रकार हैं—

क्रम संख्या	तारीख	उड़ान संख्या	कारण
1.	2.	3.	4.
1.	31.5.82	आई सी-460	ग्वालियर पर खराब मौसम के कारण रद्द की गई।
2.	23.6.82	460	तकनीकी खराबियों के कारण विमान को भोपाल पर उतरना पड़ा।
3.	14.7.82	460	सूर्य छिपने के कारण ग्वालियर छोड़ गई।
4.	24.7.82	434	ग्वालियर पर कोई रात्रि अवतरण
5.	29.7.82	434	सुविधाएं स्थापित नहीं की गई
6.	1.8.82	460	हैं।
7.	3.8.82	434 आई सी	
8.	9.8.82	460	अनुसूचित विमान जबलपुर पर उतरा।
9.	16.8.82	460	सूर्य छिपने के कारण ग्वालियर
10.	23.8.82	460	छोड़ गई। रात्रिकालीन अवतरण
11.	24.8.82	434	सुविधाएं नहीं थीं।

रंगीन टी० वी० सेटों का उत्पाद शुल्क घटाया जाना

1067. **श्री एन० के० शेजलवकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार रंगीन टी. वी. सेटों पर उत्पाद शुल्क घटाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कितना उत्पादन शुल्क घटाने का विचार है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

मध्य प्रदेश के पर्यटन केन्द्रों के लिए एयरलाइन्स/वायुदूत सेवा

1068. श्री एन०के० शेजवलकर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के ग्वालियर, खजुराहो जबलपुर (संगमरमर की चट्टानें), भोपाल (सांची के लिए), इंदौर (मांडू के लिए) जैसे पर्यटन केन्द्रों को ध्यान में रखते हुए वह एयरलाइन्स/वायुदूत सेवा आरम्भ करने पर विचार करेंगे; और

(ख) इन स्थानों को जोड़ते हुए दिल्ली से इन्दौर तथा इन्दौर से दिल्ली तक की सेवा कब आरम्भ की जायेगी ?

नागर विमान तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ग्वालियर खजुराहो, जबलपुर, भोपाल तथा इन्दौर के लिए पहले ही विमान सेवा में परिचालित कर रही है। साथ ही, इण्डियन एयरलाइन्स दिल्ली/आगरा/खजुराहो वाराणसी मार्ग पर एक दैनिक उड़ान का तथा दिल्ली/खजुराहो/नागपुर/औरंगाबाद/बम्बई मार्ग पर सप्ताह में तीन बार बोइंग-737 उड़ान का परिचालन करती है।

(ख) फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा भारत को अधिक ऋण देने के बारे में चेतावनी

1069. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की रिपोर्ट मिली है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को अधिक ऋण लेने के बारे में चेतावनी दी है; और

(ख) इस रिपोर्ट में भारत के बारे में और किन मामलों का उल्लेख किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विश्व बैंक द्वारा "आई. डी. ए. इन रेट्रोस्पेक्ट" नामक शीर्षक से किए गए अध्ययन में यह कहा गया है कि हालांकि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक सफलता प्रभावशाली रही है जिसमें गैर-सरकारी पूंजी उधार लेने के लिए उसकी साख बन गई है लेकिन गैर-सरकारी पूंजी बाजारों का बहुत ज्यादा सहारा लेने से उसकी मौजूदा शाख कमजोर हो सकती है।

(ख) इस अध्ययन में भारत सहायता संघ की स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की धनराशियों में भारत के हिस्से से सम्बन्धित सन्दर्भ तथा कृषि, ग्रामीण विद्युतीकरण नगर विकास,

रेलों का आधुनिकीकरण तथा ऊर्जा के क्षेत्रों की परियोजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के अनुभव का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा काले धन का सर्वेक्षण

1070. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में परिचालित काले धन की मात्रा का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान के निर्देश पद वस्तुतः क्या हैं;

(ग) संस्थान की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार काले धन के पैदा होने तथा परिचालन में आने से रोकने के लिए कोई और कार्रवाई करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल ही में देश में लेखाबाह्य आय की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए और अन्य बातों के साथ-साथ उन कारणों और परिस्थितियों की जांच करने के लिए, जिनसे काला धन उत्पन्न होता है और/अथवा उसकी उत्पत्ति में मदद मिलती है, अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली को सौंपा है। उक्त संस्थान ने सूचित किया है कि अध्ययन पूरा होने में लगभग दो वर्ष लगाने की सम्भावना है।

(घ) काले धन के खिलाफ लड़ाई एक सतत् प्रक्रिया है तथा सरकार समय-समय पर यथावश्यक और उपाय करती रहेगी।

ग्राहक सेवा अच्छी न होने के कारण बीमा पालिसियों का व्यपगत हो जाना

1071. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि ग्राहक सेवा अच्छी न होने के कारण 18 प्रतिशत बीमा पालिसियां व्यपगत हो जाती हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने पालिसी धारकों को पास बुक जारी करने का प्रस्ताव रखा था ताकि किसी प्रक्रियात्मक कठिनाई के कारण कोई पालिसी व्यपगत न हो जायें;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनिवार्य रूप से अपनी 50 प्रतिशत निधि का केन्द्रीय और राज्य सरकारों में निवेश करने के कारण जीवन बीमा निगम को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि इन साधनों में निवेश करने से लाभ कम मिलता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विस्तृत रूप से सारे मामले पर ध्यान दिया है और जीवन बीमा निगम के वित्तीय प्रबन्ध को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कदम उठाये हैं ताकि पालिसीधारकों को देय राशि मिल सकें और निगम को अधिक लाभ हो सके और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : यह देखने में आया है कि जीवन बीमा में नए कारबार का एक बहुत बड़ा भाग शुरू की अवधियों में ही व्यपगत हो जाता हैं। नए कारबार के सम्बन्ध में इस तरह से व्यपगत हुए मामलों का अनुपात लगभग 30 प्रतिशत है। पालिसियों के व्यपगत होने के सबसे अधिक मामले दस वर्ष के बाद वाले वर्ष में होते हैं जिस वर्ष नया कारोबार किया जाता है। लगभग 17 प्रतिशत पालिसियां इस अवधि में व्यपगत हो जाती हैं।

हालांकि पालिसियों के व्यपगत होने में त्रुटिपूर्ण सेवा का भी हाथ है, लेकिन जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि पालिसियों के व्यपगत होने के प्रमुख कारण पालिसीधारकों की वित्तीय कठिनाइयां और पालिसीधारकों द्वारा अपनी बचतों को उन दिशाओं में लगाया जाना जिन्हें वे बचतों का ज्यादा लाभकारी रूप समझते हैं।

(ख) "वेतन बचत योजना" में शामिल पालिसियों के अंतर्गत दिए गए प्रीमियमों को रिकार्ड करने के लिए पास-बुक शुरू करने के एक सुझाव पर जीवन बीमा निगम द्वारा कुछ वर्ष पहले विचार किया गया था। यह सुझाव किसी दूसरे सन्दर्भ में अर्थात प्रीमियमों की अदायगियों को, विशेष रूप से दावों के भुगतान के समय, आपस में जोड़ने के सम्बन्ध में पालिसीधारकों की कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में दिये गये थे।

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम की धनराशियों के निवेश के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे (फ्रेम वर्क) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीवन बीमा निगम को पूंजी की सुरक्षा के साथ-साथ अपने निवेशों पर अधिक से अधिक लाभ मिले और उसके द्वारा जुटाई गई धनराशियों का उपयोग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार सामाजिक दृष्टि से वांछित उद्देश्य के लिए हो।

चीन की सहायता से काराकोरम अकसाई चिन सड़क का आजाद पट्टम और गारीरोपट्टा के साथ जोड़ा जाना

1072. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने चीन की सहायता से दो पुलों के जरिए काराकोरम-अकसाई चिन को आजाद पट्टम और गारीदोपट्टा के साथ जोड़ दिया है जिससे चीन पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर की भारतीय सीमा के बहुत नजदीक आ गया है;

(ख) क्या इस गतिविधि से भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौती और खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस तरफ से होने वाले किसी भी अचानक हमले का मुकाबला करने का पर्याप्त प्रबंध किया है और क्या राष्ट्र को आश्वासन दिया जाएगा कि इस क्षेत्र में किसी घटना से निपटने के लिए रक्षा सेवाएं समान रूप से तैयार हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) दूसरी सड़क पर दो पुल बनाकर कहूता को कराकोरम राजमार्ग से मिला दिए जाने के समाचार सरकार ने देखे हैं। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे पता चलता हो कि इस परियोजना के लिए चीन से सहायता मिली है।

(ख) और (ग) रक्षा तैयारी की योजनाएं बनाते समय, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है, उन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है जो हमारी सुरक्षा को प्रभावित करती है।

रुपये का क्रय मूल्य

1073. श्री तारिक अनवर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि रुपये का क्रय मूल्य रिकार्ड के तौर पर नीचे चला गया है और जुलाई, 1982 में इसका मूल्य 20.9 था;

(ख) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक कर्मचारी थोक मूल्य सूचकांक तथा उपभोक्ता सूचकांक अब की बार सबसे अधिक हो गया है; और

(ग) रुपये के क्रय मूल्य में इस गिरावट के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जुलाई 1982 में रुपए की क्रय शक्ति अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1960-100) के व्युत्क्रम के रूप में 20.92 बैठती है। 28 अगस्त, 1982 को समाप्त हुए सप्ताह में मूल्य सूचकांक 294.0 के स्तर तक पहुंचने के बाद 14 सितम्बर, 1982 को समाप्त हुए सप्ताह में (अद्यतन उपलब्ध) गिरकर 290.3 हो गया। अगस्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़कर 488 हो गया रुपए की क्रय शक्ति की जो परिभाषा है उसके अनुसार यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का विपर्याय (कनवर्स) है, इसमें सूचकांक में वृद्धि होने से ही कमी होती है।

ऊनी उत्पादों का निर्यात

1074. श्री तारिक अनवर : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 1981-82 में ऊनी उत्पादों के निर्यात में एक कीर्तिमान रिकार्ड कायम किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सोवियत संघ भारतीय ऊनी उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार है; और

(ग) इस व्यापार में भारत ने कितनी मुद्रा अर्जित की और इस व्यापार में एशिया और यूरोप में कौन-कौन से प्रमुख प्रतियोगी हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) सोवियत संघ भारतीय ऊनी निटवियरों का सबसे बड़ा खरीददार है।

(ग) 1981-82 के दौरान ऊनी उत्पादों (ऊनी कालीनों, दरियों तथा नमदों सहित) में कुल निर्यात 26,735.35 लाख रु० (अनन्तिम) के हुए। एशिया और यूरोप में मुख्य प्रतियोगी हैं : हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मारीशस, इटली और पाकिस्तान।

कटिहार जूट मिल्स लिमिटेड, कटिहार में तालाबन्दी

1075. **श्री तारिक अनवर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कटिहार जूट मिल्स लिमिटेड, कटिहार में 5 जुलाई, 1982 से लगातार तालाबन्दी चल रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि मिल बन्द हो जाने के कारण बेकार हुए लगभग 200 श्रमिक भूखमरी के कगार पर हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मिल को चालू करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(घ) क्या यह सच है कि इस जूट मिल को चालू करने के लिए राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मिल को चालू करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) नियोजित कामगारों की लगभग संख्या 2000 बताई जाती है।

(ग) से (ङ) यह एक गैर-सरकारी मिल है। श्रम तथा राज्यीय विषय होने की वजह से मामले में सीधे हस्तक्षेप करना केन्द्रीय सरकार के लिए संभव नहीं होगा। न ही यह उल्लेख करना संभव है कि राज्य सरकार का तालाबन्दी के समाधान तथा वापस लिये जाने के मामले में क्या करने का इरादा है।

औद्योगिक एककों में अवरुद्ध बैंकों की राशि

1076. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री सूरज भान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलग-अलग ऐसे कितने लघु, मध्यम और बड़े रुग्ण उद्योग एकक हैं जिन में बैंक की राशि अवरुद्ध है और कितनी राशि अवरुद्ध है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या नीति है;

(ग) कौन-कौन से ऐसे सबसे बड़े 20 एकक हैं जिनमें सबसे अधिक राशि अवरुद्ध है और उनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि अवरुद्ध है; और

(घ) इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) छोटे पैमाने के मझोले और बड़े रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या और जून, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक उनसे बकाया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों की राशि के ब्यौरे (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गई सबसे ताजा उपलब्ध सूचना) नीचे प्रस्तुत है :

	रुपए एककों की संख्या	(करोड़ रुपये) बकाया राशि
छोटे पैमाने के एकल	22,360	321.52
मझोले एकक*	960	137.16
बड़े एकक**	422	1453.29
जोड़	23,742	1911.97

* एक करोड़ रुपये से कम के बैंक ऋणों का उपभोग करने वाले गैर लघु उद्योग एकक।

** वे एकक जिनमें से प्रत्येक एक करोड़ रुपये या इससे अधिक के ऋणों का उपभोग कर रहे हैं।

(ख) सरकार की यह नीति रही है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह प्रयास का चाहिए कि औद्योगिक एककों की रुग्णता आरम्भिक स्तर पर ही पहचान ली जाए, अर्थक्षमता विषयक अध्ययन किया जाए और जिन रुग्न एककों में अर्थक्षमता की संभावना पाई जाए उनका पोषण और पुनर्वास किया जाए। जहां पाया जाए कि 'सम्बद्ध एककों में अर्थक्षमता की संभावना नहीं है वहां बैंक अपनी प्राप्य राशियों की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए ऋणों को वापस

मांगने, जमानतों को लागू करने आदि जैसे जो भी उपाय उपयुक्त समझें करें। इस नीति के अनुसार बैंक और संस्थाएं अर्थक्षमता की संभावना वाले के बारे में, हर मामले में अलग-अलग आधार पर पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करते हैं। रुचि औद्योगिक एककों के पुनर्वास के मामले में सरकार, बैंकों और सस्थाओं ने अनेक संगठनात्मक प्रबंध विकसित किये हैं ताकि औद्योगिक रुग्णता की समस्या का समाधान किया जा सके।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध ताजा सूचना स्थिति के अनुसार, जून, 1981 के अंत की स्थिति के मुताबिक, 20 बड़े रुग्न औद्योगिक एककों से (जिनमें प्रत्येक एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की बैंक ऋण सीमाओं का उपयोग कर रहा था) अनुसूचित वाणिज्यिकों बैंकों की बकाया राशि 427.49 करोड़ रुपये थी। बैंकों में प्रचलित रिवाज और प्रथा के मुताबिक तथा, साथ ही, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाली संविधियों के उपबन्धों के अनुसार भी बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। अतः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सहायता प्राप्त करने वाले उक्त 20 बड़े रुग्ण औद्योगिक एककों के नाम और उनसे बकाया राशि के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(घ) बैंक अपने सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों से राशियों की सामयिक अदायगी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई सांविधिक निरीक्षणों की आवृत्ति को बढ़ाने, अदायगी में व्यतिक्रम करने वाले प्रतिष्ठानों से प्रयोजकों/मुख्य कार्यपालकों से समय-समय पर व्यक्तिगत चर्चाओं आदि के माध्यम से बराबर प्रयास करते हैं। उपयुक्त और अर्थक्षम मामलों में सहायता प्राप्त एककों द्वारा प्रस्तुत किये गये अर्थक्षम प्रस्तावों की ब्योरवार जांच करके ऋण की किश्तों और ब्याज की अदायगी के कार्यक्रम को फिर से बनाने की अनुमति दे दी जाती है। उपयुक्त मामलों में बैंक अपने ऋणों को वापस मांगने, जमानतों को लागू करने और अन्य वैध उपायों का भी सहारा लेते हैं। जिन मामलों में बैंकों द्वारा अपने सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बोर्डों में नामिती निदेशक नियुक्त किये जाते हैं वहां वे निदेशक उक्त प्रतिष्ठानों द्वारा बकाया की अदायगी पर नजर रखते हैं।

व्यापार घाटा

1077. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान विदेश व्यापार में कितना प्राक्कलित और कितना वास्तविक घाटा हुआ;

(ख) प्राक्कलित और वास्तविक घाटे में अंतर होने के क्या कारण हैं; और,

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) 1980-81 के दौरान भारत का विदेश व्यापार घाटा 5813.20 करोड़ रु० मूल्य का रहा । अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार (जून 1982 के प्रेस नोट के अनुसार) वर्ष 1981-82 का विदेश व्यापार घाटा 5778.72 करोड़ रु० है ।

विदेश व्यापार के आंकड़े समय-समय पर दिए गए संशोधनों के अध्यधीन होते हैं जो कि वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा संकलित करने के लिए सीमा शुल्क सदनों से दर से/अनुपूरक विवरणियों की प्राप्ति पर आधारित होते हैं । 1981-82 के आंकड़े अंतिम नहीं हैं और उनमें और आगे समायोजन किये जा सकते हैं । विदेश व्यापार आंकड़ों की समय पर उपलब्धता में सुधार लाने के लिए बराबर प्रयास किये जाते हैं ।

निर्यात प्रयोजन हेतु कोटा आवंटन के लिए सिले-सिलाये कपड़ों में छोटे-छोटे एककों का पूल में विलय

1078. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्यात के लिए कोटा देने के लिए सिले-सिलाये कपड़ों के छोटे-छोटे एककों का पूल में विलय करने का हाल में निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य पूल के अधीन जिन श्रेणियों को कोटा मिलेगा उनका विवरण क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में अपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल का अनन्तिम अनुमान संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

उन देशों/वर्गों को दर्शाने वाला विवरण जहां सामान्य पूर्व के अन्तर्गत 1 अक्तूबर, 1982 से कोटे उपलब्ध होने की सम्भावना है ।

पश्चिम जर्मनी

4,7,8, 15,बी 26,27, 29 और 30-बी०

फ्रांस

4,7,8, 15-बी, 17,21,25,26,27,29,30-ए, और 30-बी०

इटली

4,6,7,8, 15-बी, 17,26,27,29 और 30 बी०

बेनेलक्स

4,6,7,8, 15-बी, 17,21,26,27,29 और 30-बी०

डेनमार्क

4,7,8, 15-बी 26,27,29, 30-बी

यूनान

4,7,8, 15-बी, 26,27,29 और 30-बी

स्वीडन

II, V, VII, iX और X

आस्ट्रिया

महिलाओं के ब्लाउज, पुरुषों की शर्ट तथा विविध

फिनलैंड

महिलाओं के ब्लाउज तथा पुरुषों की कमीजें

कनाडा

1,2,3,4,5, और 8

ब्रिटेन 4,6,7,8, 15-बी 17,26,27,29 तथा 30-बी

आयरलैंड 4,7,8, 15-बी, 26,27,29 तथा 30-बी

छोटे सिक्कों की ढलाई

1079. **डा० ए० यू० आजमी :**
श्री टी० आर० शमन्ना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टकसाल प्राधिकरण ने सरकार से 5 पैसे के सिक्के की ढलाई बंद करने का अनुरोध किया है क्योंकि इसकी ढलाई 10 पैसे से भी अधिक पड़ती है और यहां तक कि 10 पैसे के सिक्के की ढलाई की लागत 15 पैसे पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो इन सिक्कों की निर्माण लागत को कम करने के लिये क्या करने का विचार है; और क्या कम उपयोग में आने वाले सिक्कों के नियंत्रण के लिये 20 पैसे के सिक्कों की दुबारा ढुलाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) टकसाल प्राधिकरण ने सरकार से 5 पैसे के सिक्के की ढलाई को बन्द करने का कोई अनुरोध नहीं किया है। ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जून, 1982 को समाप्त तिमाही पर 10 पैसे के सिक्के की

निर्माण लागत 13 पैसे थी जबकि मार्च, 1982 को समाप्त तिमाही पर 10 पैसे के सिक्के की निर्माण लागत 17 पैसे थी।

(ख) इन सिक्कों की निर्माण लागत को कम करने तथा उत्पादन बढ़ाने के विचार से बम्बई की टकसाल में पहले से ही प्रोत्साहन योजना लागू की जा चुकी है, जबकि अन्य टकसालों में भी इसी प्रकार की योजनाओं को लागू करने के लिए बातचीत चल रही है।

20 पैसे के सिक्के को पुनः परिचालित करने का निश्चय किया गया है (एल्यूमिनियम-मैग्नीशियम धातु में) जो शीघ्र ही परिचलन में आ जाएगा।

नकली चेक और करेंसी नोट

1080. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकी देशों के माध्यम से देश में नकली चेक और करेंसी नोट अधिकाधिक संख्या में आ रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत कुछ समय पूर्व विदेशी मुद्रा का विनिमय करने वाली एक विदेशी फर्म ने ऐसे मामलों की रोकथाम सफलतापूर्वक की थी; और

(ग) क्या सरकार ने इस विदेशी फर्म की राय और मार्ग-निर्देश प्राप्त करने की चेष्टा की है और क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप 1980 या 1981 के दौरान हुई हानि का हिसाब लगाने को प्रयत्न किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों की चुंगी शुल्क समाप्त करने के बारे में प्रतिक्रिया

1081. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालांकि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में दो वर्ष पूर्व यह निर्णय किया गया था कि चुंगी शुल्क समाप्त किया जाये परन्तु अभी तक केवल कुछ राज्यों ने ही ऐसा किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से यह पता लगाने की कोशिश की है कि उक्त निर्णय को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के रास्ते में क्या रुकावटें हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र के क्या निष्कर्ष हैं और केन्द्र का मामले को किस प्रकार से निपटाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) चुंगी समाप्त करने के प्रश्न पर 16 और 17 सितम्बर, 1980 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया। मुख्य मंत्री इस बात से सहमत थे कि चुंगी एक अवांछनीय कर है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए, परन्तु उनमें से कुछ ने कहा कि चुंगी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है और हानि को पूरा करने के लिए राजस्व के पर्याप्त संसाधनों का पता लगाना कठिन होगा, और इसलिए उन्होंने केन्द्रीय सरकार से इसकी प्रतिपूर्ति करने का एक सुझाव दिया। अन्ततः वित्त मन्त्री ने कहा कि चुंगी समाप्त करना राज्यों के हित में है और इस कार्य को उत्तरोत्तर चरणों में किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रथम कदम के रूप में चुंगी उन स्थानों पर समाप्त की जाए जिनकी जनसंख्या 2 लाख से कम हो। उन्होंने कहा कि राजस्व में हानि राज्यो द्वारा किसी न किसी प्रकार से यदि आवश्यक हो, तो बिक्री कर पर अधिभार लगाकर और उससे प्राप्त रकम को सम्बन्धित नगरपालिकाओं को देकर पूरी की जा सकती है। वे इस सुझाव से सहमत नहीं हुए कि चुंगी समाप्त करने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों की प्रतिपूर्ति की जाए क्योंकि केन्द्र राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है और यदि चुंगी समाप्त करने के लिए प्रतिपूर्ति की गयी तो राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता उसी सीमा तक कम हो जाएगी। वित्त मन्त्री के सुझाव का मुख्य मन्त्रियों द्वारा सामान्यतः स्वागत किया गया।

2. 16 और 17 सितम्बर, 1980 को मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के बाद राज्य सरकारों से चरणबद्ध रूप से चुंगी समाप्त करने के बारे में उनके द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना देने का अनुरोध किया गया था। निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों ने इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई सूचित की है :

(i) गुजरात सरकार ने सिद्धान्त रूप में चुंगी समाप्त करना और इसके स्थान पर प्रवेश कर लागू करना स्वीकार कर लिया है। उस सरकार ने अभी सूचित किया है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में प्रवेश कर अधिनियम के कार्यान्वयन से प्राप्त किए गए अनुभव के आलोक में प्रस्तावित प्रवेश कर विधान के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् विधान को अन्तिम रूप दिए जाने का विचार है।

(ii) हरियाणा सरकार ने निगम संसाधनों के सम्बन्ध में एक उप-समिति गठित की है। इस समिति ने मामले की जांच की है और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

(iii) हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 1 अप्रैल, 1982 से चुंगी समाप्त कर दी है।

(iv) जम्मू और कश्मीर सरकार ने चुंगी हटाए जाने के सम्बन्ध में अपने स्थानीय निकायों के साथ परामर्श करने के बाद, यह सूचित किया है कि चुंगी हटाने से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और इस सम्बन्ध में इन निकायों को हुई राजस्व हानि को राज्य सरकार द्वारा पूरा करना सम्भव नहीं है और इसलिए फिलहाल चुंगी को समाप्त करना सम्भव नहीं है।

(v) महाराष्ट्र सरकार ने चुंगी समाप्त करने का निर्णय किया है परन्तु वैकल्पिक संसाधनों के जुटाने की कठिनाई के कारण निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य तथा स्थानीय दोनों के विद्यमान कराधान ढांचे की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है कि ताकि अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उसमें परिवर्तनों का सुझाव दिया जाए। समिति से चुंगी के स्थान पर संसाधनों के जुटाने के सम्बन्ध में विशिष्ट सिफारिशें किए जाने की आशा की जाती है। समिति की रिपोर्ट की राज्य सरकार द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है।

(vi) मणिपुर सरकार ने कहा है कि संसाधनों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए चुंगी हटाना तब तक सम्भव नहीं नहीं है जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से इसकी प्रतिपूर्ति न की जाए।

(vii) उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें चुंगी हटाने के सम्बन्ध में मामले की जांच कर रही हैं।

(viii) पंजाब सरकार ने राज्य में चुंगी समाप्त करने के मामले का अध्ययन करने तथा इसके स्थान पर अर्थोपायों का पता लगाने के लिए एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया है।

(ix) पश्चिम बंगाल सरकार ने यह बताया है कि राज्य में चुंगी केवल कलकत्ता महानगर क्षेत्र तक ही सीमित है। उसने यह भी कहा कि राज्य सरकार तब तक चुंगी समाप्त करने में असमर्थ है जब तक कि आय के ऐसे वैकल्पिक संसाधन का सुझाव नहीं दिया जाता है जो कि सुनिश्चित उत्पन्नावकता के साथ हानि की प्रतिपूर्ति करता हो क्योंकि राज्य सरकार के संसाधन जुटाने की अपनी शक्तियों के अन्तर्गत ऐसे विकल्प के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तथापि, कलकत्ता उस प्रारम्भिक चरण में नहीं आता है जिसमें दो लाख से कम जनसंख्या वाले स्थानों में चुंगी को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है।

3. चुंगी राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में आती है और इस शुल्क को समाप्त करने के बारे में निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाना है। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्र प्रशासनों को लिखा है और उनसे चुंगी को चरणों में समाप्त करने का आग्रह किया है।

अन्य राज्यों में कोई चुंगी नहीं लगाई जाती।

इंडियन एयरलाइन्स क पाकिस्तान को अपहृत किये गये विमान को अमृतसर में उतारा जाना

1082. श्री नरसिम्ह रेड्डी : क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के विमान का पाकिस्तान को अपहरण किया गया था और उसे अमृतसर वापस लाया गया था;

(ख) क्या अपहरणकर्ता को, जिसके पास हथगोला था, गोली मार दी गई थी;

(ग) क्या इससे पता चला है कि यात्रियों की जांच दोष रहित नहीं हैं और उसे अधिक कठोर बनाये जाने की आवश्यकता है; और

(घ) क्या सरकार ने पता लगाया है कि उक्त हथगोला कहां का बना था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सुरक्षा उपाय मजबूत करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है ;

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई सी-492 के एक बोइंग-737 का 20 अगस्त, 1982 को जोधपुर से उड़ान करने के तुरन्त बाद अपहरण कर लिया गया तथा लाहौर में उतरने की अनुमति प्राप्त नहीं कर सकने के कारण अमृतसर पर उतरा।

(ख) अपहरणकर्ता को मार दिया गया।

(ग) अपहरणकर्ता ने टेप-रिकार्डर तथा ट्रांजिस्टर में एक रिवाल्वर तथा एक हस्त बम छिपा रखा था। सुरक्षा जांचों के सम्बन्ध में कोई ढीलढाल नहीं हो सकती है। उन्हें सुधारने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जाते रहेंगे।

(घ) उसके पास जो बम था वह अभ्यास के समय सेना द्वारा प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले बम के प्रकार का था। यह जी-90 प्रशिक्षण ग्रेनेड कहलाता है और फ्यूज को आग लगाकर यह चलाया जाता है। विमान क्षेत्र के सुरक्षा कर्मचारियों को आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं कि वे विमान में चढ़ने से पहले की सुरक्षा जांच पूरी तरह से सावधानी से करें और यह सुनिश्चित करें कि जब तक सुरक्षा कर्मचारी हाथ के सामान में रखे सामान के बारे में आश्वस्त न हो जाएं तब तक हाथ के किसी सामान को ले जाने की अनुमति न दी जाए।

राज्य व्यापार निगम द्वारा नमक के निर्यात के बारे में दिशा निर्देश

1083. श्री के० टी० कोसलराम :
श्री एस० ए० दोराई :
सेबस्तियन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम ने नमक के निर्यात के लिये दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ख) इन दिशा निर्देशों के आधार पर नमक के आवंटित किये गये निर्यात कोटे के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने नमक के निर्यातकों से एक प्रतिशत कमीशन लेने के अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राप्त किये गये निर्यात मूल्य का अन्तर भी अपने पास रखने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा 1981 तथा 1982 के दौरान नमक के निर्यात मूल्य के अन्तर की कितनी राशि अपने पास रखी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जहां सौदा राज्य व्यापार निगम के एक सहयोगी के रूप में गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा सीधे ही तय किया जाता है वहां निगम 1 प्रतिशत का कमीशन वसूल करता है। दूसरी ओर जहां राज्य व्यापार निगम सीधे ही निर्यात आर्डर प्राप्त करता है और घरेलू पूर्तिकर्त्ताओं से माल प्राप्त करता है वहां वह पूर्तिकर्त्ताओं को दिये गए मूल्य तथा आयातकों से प्राप्त मूल्य के बीच के अन्तर को स्वयं रख लेता है।

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा आज तक रखे गये मूल्य अन्तर की कुल राशि लगभग 10.0 लाख रु० है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के रोजगार हेतु लिए गये ऋण

1084. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने लोगों ने पिछले एक वर्ष के दौरान अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिये बैंकों से ऋण लिये; और

(ख) उद्यमियों, कृषकों तथा लघु उद्योगों को अलग-अलग कितनी राशि के ऋण दिये येग ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उन बेरोजगार व्यक्तियों की जिन्होंने लाभप्रद रोजगार शुरू करने के वास्ते बैंकिंग तंत्र से ऋण प्राप्त किया है, अलग से संख्या बताना संभव नहीं है । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के, जिसके भीतर बेरोजगारों के छोटे रोजगार उपक्रम आते हैं, ऋणकर्ता खातों की संख्या, जून, 1980 के अन्त की स्थिति के 119.20 लाख से बढ़कर जून, 1981 के अन्त की स्थिति के मुताबिक 135.99 लाख (अनन्तिम) हो गयी । इस अवधि के दौरान, बकाया राशि 6835.04 करोड़ रुपये से बढ़ कर 8861.42 करोड़ रुपए हो गई ।

(ख) मार्च, 1982 तक के सकल बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण के त्वरित अनुमान दर्शाते हैं कि 1981-82 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋण में 2163 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गयी जिसमें से कृषि और लघु उद्योगों का अंश क्रमशः 1009 करोड़ और 678 करोड़ रुपए का था । इसी अवधि के दौरान उद्योगों (मध्यम और बड़े) दिए गए ऋण में 1207 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई ।

निषिद्ध वस्तुएं लाने के आरोप पर गिरफ्तार किये गये पर्यटकों की संख्या

1085. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमाशुल्क विभाग द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान निषिद्ध वस्तुएं लाने के आरोप पर कितने घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) उनसे कितने मूल्य का सामान जब्त किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) । (क) तथा (ख) तस्करी क्रियाकलापों में गिरफ्तार किए गए स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या अथवा उनसे पकड़े गए माल के मूल्य के बारे में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, गिरफ्तार किए गए भारतीय तथा विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या और 1981 और 1982 (जुलाई तक) के दौरान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये तस्करी के माल का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	गिरफ्तार किए गए भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या	गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या	पकड़े गए तस्करी के माल का मूल्य
1981	1783	392	39.72 करोड़ रु०)
1982 (जुलाई तक)	1035	256	39.66 करोड़ रु०

विश्व बैंक ऋण का उपयोग करने वाले राज्य

1086. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनको अपनी विकास योजनाओं हेतु विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुए हैं । और उन ऋणों पर ब्याज की दर क्या है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस राशि का उचित उपयोग किया और इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में पहले से चल रही परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा दिए गए उधारों/ऋणों तथा 31 जुलाई, 1982 तक इन ऋणों की उपयोग की गई राशि के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5469/82)

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों की ब्याज की दर का समय समय पर निर्धारिण उसके द्वारा विश्व के पूंजी बाजारों से लिए गए उधारों की लागत पर 0.5 प्रतिशत और जोड़ करके किया जाता था। यह दर किसी ऋण की पूरी अवधि के सम्बन्ध में वचनबद्धता की राशि पर निर्धारित की जाती थी। गत समीक्षा के समय यह दर 11.6 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।

पहली जुलाई, 1982 से वचनबद्धता के समय निर्धारित ऋण देने की दर सम्बन्धी इस नीति को जिसे एक ऐसी व्यवस्था में बदल दिया गया है जिसके अनुसार उधार देने की दर राजकोषीय वर्ष 1982 से शुरू करके बैंक द्वारा लिए गए उधारों के समूह की कुल भारित लागत से 0.5 प्रतिशत अधिक होगी। किसी ऋण की पूरी अवधि के दौरान हर छः महीने में इस ऋण की दर का ऊपर अथवा नीचे की ओर समायोजन किया जाएगा। फिलहाल यह हिसाब लगाया गया है कि यह दर 11.43 प्रतिशत होगी। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों पर ऋण के संवितरित न की गई राशि पर 1.5 प्रतिशत की दर से प्रबन्ध शुल्क (फ्रंट ऐंड फी) और 0.75 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता शुल्क भी लगता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है लेकिन ऋण के संवितरित न किए गए भाग पर 0.5 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता प्रभार और 0.75 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगता है।

शिमला को विमान सेवा से जोड़ा जाना

1087. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को विमान सेवा के साथ कब तक जोड़ा जायेगा;

(ख) हवाई अड्डा कब तक तैयार हो जायेगा; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान उस पर कितना व्यय किया जा रहा है ?

नागर विमानन तथा पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा ग्राजाद) : (क) शिमला को वायुदूत के विस्तार कार्यक्रम के ग्रगले चरण में विमान-सेवा से जोड़ने पर विचार किया जायेगा ।

(ख) विमान-पट्टी के पूरा होने की संभावित तारीख का निर्धारण करना केवल भूमि को समतल कर दिये जाने तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा इसे नागर विमानन विभाग को सौंप दिये जाने के पश्चात ही किया जा सकता है ।

(ग) फिलहाल भूमि को काटने, समतल करने तथा उसके भाराव का खर्च हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

वर्ष 1972 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स विमानों का ग्रपहरण

1088. श्री कमल नाथ :

श्री उत्तम भाई एच० पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के ग्रपहरण की कितनी घटनाएं हुईं ;

(ख) तिथि-वार उनके ब्यौरे क्या हैं; ग्रौर

(ग) सुरक्षा प्रबन्धों में चूक के लिये कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया ग्रौर ऐसी घटनाग्रों को रोकने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा ग्राजाद) : (क) दो ।

(ख) (i) 4.8.82 को 1155 बजे इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग-737 विमान ने ग्रनुसूचित उड़ान ग्राई सी-423 पर दिल्ली-ग्रमृतसर-श्रीनगर मार्ग पर परिचालन करने के लिए पालम हवाई ग्रड्डे से 122 यात्री, 4 बच्चे, दो शिशु, एक ग्रतिरिक्त इंजीनियर तथा छ: कर्मीदल सदस्य लेकर प्रस्थान किया । जैसे ही विमान ग्रमृतसर पहुँचने वाला था उसका ग्रपहरण कर लिया गया । ग्रमृतसर हवाई ग्रड्डे की ग्रोर पहुँचते हुए विमान को पक्षी से टकराने के कारण क्षति भी पहुँची । ग्रपहरणकर्ता ने विमानचालक को कपड़े के टुकड़े में लिपटी हुई किसी चीज से, उसे विस्फोटक बताते हुए विमान को उड़ा देने की धमकी देकर लाहौर ले चलने के लिए मजबूर किया । विमान चालक इसे लाहौर नहीं उतार सका क्योंकि लाहौर के विमान यातायात नियंत्रण ने विमान के उतरने की इजाजत देने से मना कर दिया । यह बोइंग विमान वापस ग्रमृतसर की ग्रोर उड़ा ग्रौर विमान कर्मचारियों द्वारा ग्रपहरणकर्ता को विमान को ग्रमृतसर

उतारे जाने के लिए राजी कर लिया। विमान चालक अमृतसर हवाई अड्डे पर 1337 बजे ठीकठाक उतरने में सफल हुआ। विमानचालक तथा कर्मीदल द्वारा स्थिति को कुशल तरीके से संभाल लेने से, पहले स्त्रियों व बच्चों को जहाज से उतरने दिया गया और फिर बाकी यात्रियों को बाहर आने दिया गया। बाद में लगभग 4 बजे अपराह्न अपहरकर्ता को आत्म-समर्पण कराया गया था। यह मालूम हुआ कि विमानचालक को धमकी देने के लिए उसने जिस चीज का प्रयोग किया था वह पीले कपड़े में लिपटी एक प्लास्टिक की गेंद थी।

(ii) 20.8.82 को इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग-737 विमान का उड़ान आई सी-492 बम्बई-उदयपुर-जोधपुर-जयपुर-दिल्ली पर परिचालन करते हुए जयपुर से प्रस्थान करते ही एक यात्री द्वारा, जिसने अपना नाम मंजीत सिंह बताया, अपहरण कर लिया गया था। उसने विमान चालक से विमान लाहौर ले चलने के लिए कहा परन्तु वहां उतरने की इजाजत न मिलने के कारण यह विमान अमृतसर उतरा। विमान चालक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार अपहरण-कर्ता ने धमकी दी थी कि यदि उसका हुक्म न माना गया तो वह अपना रिवाल्वर और एक हैंड बम का प्रयोग करेगा। अपहरणकर्ता ने अमृतसर उतरने पर ईंधन लेने की मांग की जिससे कि विमान उसे लीबिया ले जा सके। जब उसके साथ बातचीत सफल न हुई तो अमृतसर हवाई अड्डे पर कमांडो कार्यवाही में उसे मार दिया गया, बताया गया। एक मजिस्ट्रेट उसकी मौत की तहकीकात कर रहा है।

जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि उसका असली नाम मंजित सिंह था और वह पुतलीघर, अमृतसर का था। वह विमान में उदयपुर से सवार हुआ था।

(ग) 4 अगस्त की घटना में जबकि अपहरण पीले कपड़े में लिपटी हुई प्लास्टिक की गेंद से किया गया था, उसमें दिल्ली में विमान में चढ़ने से पहले यात्रियों की जांच में लगाए गए सुरक्षा कर्मचारियों की कोई गलती नहीं थी।

जहां तक दूसरी घटना का सम्बन्ध है, अपहरणकर्ता रिवाल्वर तथा हैंड बम को क्रमश टेपरिकार्डर तथा ट्रांजिस्टर में छुपा कर चोरी से ले जाने में सफल हो गया था। उदयपुर में जहां से अपहरणकर्ता विमान में सवार हुआ था, विमान में चढ़ने से पहले की सुरक्षा जांच के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को मुअत्तल कर दिया गया था। सुरक्षा उपायों को और अधिक कड़ा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं तथा तदनुसार सभी सम्बन्धियों को हिदायतें दे दी गयी हैं। इस बारे में विस्तृत हिदायतें जारी कर दी गयी हैं कि जब तक कि सुरक्षा कर्मचारी हाथ के सामान में रखी चीजों के बारे में आश्वस्त न हो जाएं तब तक कोई भी वस्तु नहीं ले जाने दी जाएगी।

पर्यटकों के लिए पुरी तथा कोणार्क में आवास

1089. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पुरी-कोणार्क मेरीन-ड्राईव सड़क के खोले जाने के बाद से पुरी तथा कोणार्क के लिये राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पुरी तथा कोणार्क आने वाले राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की बढ़ रही संख्या को आवास उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि राज्य/स्थानवार आधार पर । तथापि, दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद से भुवनेश्वर तक की सीधी बोइंग सेवा प्रारम्भ हो जाने से उड़ीसा की ओर पर्यटक यातायात में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है । पुरी/कोणार्क की यात्रा करने वाले पर्यटकों की भावी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए आई. टी. डी. सी. की पुरी में 134.00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक 3 स्टार होटल के निर्माण की योजना है । उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग पर आधारित यह एक संयुक्त उद्यम परियोजना है । आई. टी. डी. सी. का उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के सहयोग से कोणार्क में समुद्रतट-कुटीरों को स्थापित करने का भी प्रस्ताव है और आई. टी. डी. सी. की छठी पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिए 45 लाख रु० का प्रावधान किया गया है। निर्माण और आवास मंत्रालय के नगर और ग्राम आयोजन संगठन के माध्यम से कोणार्क के विकास की एक मास्टर प्लान तैयार की गई है; और वह अनुमोदन और अधिसूचना के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई है ।

वाणिज्यिक बैंकों को डकैतियों के कारण हानियां

1090. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को बैंक डकैतियों के कारण हुई कुल क्षति का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक को जनवरी से जून, 1982 की अवधि के बीच बैंक डकैतियों के कारण कितनी हानि हुई;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरे क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पहली जनवरी, 1982 से 30 जून, 1982 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग बैंकों में हुई लूटपाट/डकैतियों तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

निर्यात क्षमता में राज्यों को अन्तर्ग्रस्त करना

1092. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात की अच्छी संभावनाओं वाले दो क्षेत्र में अर्थात कृषि उत्पादकों तथा 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में राज्यों को अधिक अन्तर्ग्रस्त करने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ इस बारे में बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और निर्यात योजनाओं के संवर्धन में यह कहां तक सहायक होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया गया है और कृषि निर्यातों के संवर्धन और शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए आवश्यक अनुदेश दिए गए हैं।

बम्बई में तस्करी की कलाई घड़ियों तथा कपड़े का जब्त किया जाना

1093. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में सीमाशुल्क अधिकारियों ने तस्करों से एक गिरोह का पता लगाया है और सितम्बर 1982 के दौरान 77 लाख रु० मूल्य की कलाई की घड़ियां तथा कपड़ा जब्त किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी पूर्ण ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसे तस्करों को पकड़ने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए गए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां। 3 सितम्बर, 1982 को सीमाशुल्क (निवारक) सवाहर्तालय, बम्बई के विशेष दस्ते के अधिकारियों ने दासखाना क्षेत्र में एक यंत्रचलित जलयान को तथा दो कारों को मार्ग में रोका और उनसे कुल लगभग 77 लाख रुपये मूल्य की 28,600 कलाई घड़ियां और टैक्सडाइल पकड़े।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तस्करी को रोकने के लिए समय-समय पर जो भी उपाय आवश्यक समझे जाते हैं, किए जाते रहते हैं। इन उपायों में संगठनात्मक- प्रशासनिक तथा अन्य उपाय शामिल है। उदाहरणार्थ, देश के पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, जिसे तस्करी के लिए विशेष रूप से सगम्य क्षेत्र समझा गया है, समुद्री गश्त तेज कर दी गई है और समुद्र तटीय क्षेत्रों से आने वाली सम्परक सड़कों पर आने-जाने वाले यानों की जांच के लिए समुद्र तट रक्षक दल तैनात किए गए हैं। चौबीस घण्टे गश्त लगाने के लिए चलते-फिरते रात्रि दस्ते जैसे विशेष दस्ते भी बनाए गये है।

मुद्रा स्फीति की दर

1094. श्री बी० वी० देसाई :

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्य स्तर में वृद्धि की दर जो चालू वित्तीय वर्ष के आरम्भ पर बहुत ही धीमी थी अगस्त तथा सितम्बर के महीनों से इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वर्ष के अन्त तक मुद्रा स्फीति की दर दो अंकों तक पहुँच जाएगी;

(ख) क्या 7 अगस्त, 1982 तक थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में 1981 की तुलनीय अवधि में हुई वृद्धि की तुलना में 0.9 प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई थी;

(ग) क्या 7 अगस्त, 1982 को मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर 1.2 प्रतिशत थी जबकि 8 अगस्त, 1981 को यह दर 11.3 प्रतिशत थी; और

(घ) यदि हां, तो इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं और सरकार मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति को कहां तक रोक सकी है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। सितम्बर, 1982 के पहले तीन महीनों में (अद्यतन उपलब्ध) थोक मूल्य सूचकांक में वास्तव में 1.3 प्रतिशत की कमी हुई है। इस वर्ष अगस्त के महीने में कीमतों में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो पिछले वर्ष हुई 1.3 प्रतिशत की वृद्धि से कम है।

(ख) 7 अगस्त, 1982 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसकी तुलना में 1981 की तुल्य अवधि में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) मई-अगस्त के दौरान सूचकांक में वृद्धि वास्तव में मौसमी कारणों से हुई है। सितम्बर के दौरान सूचकांक में वास्तव में कमी हुई है। मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा काफी कम बनी हुई है।

व्यापार घाटा

1095. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संशोधित आंकडों के अनुसार वर्ष 1981-82 का व्यापार घाटा 5886 करोड़ रु० है, जो कि अब तक का रिकार्ड है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रालय द्वारा पहले जारी किए गये अन्तिम आंकड़ों के अनुसार यह घाटा 5714 करोड़ रु० था;

(ग) क्या ये आंकड़े फिर से बदल दिए गए हैं और वर्ष 1981-82 के लिए वास्तविक आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं;

(घ) संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल व्यापार घाटा कितना है; और

(ङ) इसके मुख्य कारण क्या थे और व्यापार घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) चूंकि वर्ष 1981-82 के लिए अन्तिम व्यापार आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं है, अतः निर्यात आयात और व्यापार शेष के आंकड़ों में सीमा शुल्क सदनों से देर से/अनुपूरक विवरणों के प्राप्त होने पर समय समय पर संशोधन होता है। अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार जून 1982 की प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर 1981-82 के लिए भारत के विदेश व्यापार में घाटा 5779 करोड़ रु० का हुआ जबकि पहले वाले दो महीनों में 5886 करोड़ रु० और 5714 करोड़ रु० का घाटा रहा था। अद्यतन उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	करोड़ रु०
	1981-82
निर्यात	7781.40
आयात	13560.12
व्यापार शेष	—5778.72

टिप्पणी : देर से/अनुपूरक विवरणों के, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर निर्यात और आयात दोनों के आंकड़ों में और समायोजन होने की संभावना है।

(ङ) 1980-81 की तुलना में, 1981-82 में निर्यातों में 16% की वृद्धि हुई, जबकि आयात के मामले में 8.3% की वृद्धि हुई। इस सुधार के बावजूद पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी और परिवहन उपस्कर तथा उनके संघटकों और फालतू पुर्जों, लोहा और इस्पात, अलौह धातुओं, उर्वरकों, रसायनों, अखबारी कागज, संश्लिष्ट और रीजेनेरेटेड रेशों, अपरिष्कृत हीरों आदि जैसी मदों के सम्बन्ध में, जिनकी देश के आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यकता है, भारी आयात बिल के कारण भारत का व्यापार घाटा लगातार अधिक चल रहा है। खाद्य तेलों आदि जैसी कुछ अत्यावश्यक मदों का आयात करना भी आवश्यक है ताकि घरेलू खपत की अनुपूर्ति हो सके और साथ ही कीमत स्तर बना रह सके।

निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक निर्यात संवर्धन उपाय किए गए हैं। इन उपायों का मुख्य अभिप्राय निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन दोनों के लिए उत्पादन की घरेलू बाधाओं को दूर करना है। इस दिशा में जो कुछ मुख्य उपाय किए गए हैं वे इस प्रकार है :—

1. निर्यात हेतु उत्पादन को "लाइसेंस शुदा क्षमता" और प्रभुत्व के प्रयोजन के लिए शामिल न करना।

2. निर्यात के लिए ऐसी नई वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देना जो उस वस्तु से भिन्न हो, जिसके उत्पादन के लिए औद्योगिक एकक को लाइसेंस दिया गया हो।

3. निर्यात उत्पादन के लिए उन्नत और आधुनिक टैक्नालाजी के आयात के सम्बन्ध में अनुकूल व्यवहार करना, जिनमें रायल्टी का एक मुश्त भुगतान अन्तर्ग्रस्त हो।

4. सभी शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के साथ मुक्त व्यापार जोन जैसा व्यवहार करना।

5. निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योगों की परिवर्धित सूची में स्वतः विस्तार की अनुमति देना।

6. इंजीनियरी की कुछ मदों और अन्य निर्यातोन्मुख उद्योगों के सम्बन्ध में रियायती ब्याज दर पर लदान पूर्व ऋण की अवधि को 135 से बढ़ाकर 180 दिन करना।

7. मैट्रोपोलिटिन नगरों में ऐसे एककों के सम्बन्ध में जो निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं, नए औद्योगिक उपक्रमों पर लगाए गए प्रतिबन्धों में चयनात्मक आधार पर छूट।

8. जो एग्जिम बैंक हाल ही में स्थापित हुआ है उसके बारे में ऐसी आशा है कि वह निर्यात वित्त की व्यवस्था में वृद्धि करेगा।

9. इंजीनियरी माल के निर्यातकों को उनकी आवश्यकता अनुसार इस्पात अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर दिया जा रहा है। निर्यात होने के बाद निर्यातकों को घरेलू कीमत और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

10. शुल्क वापसी के दिए जाने में विलम्ब को कम करने के लिए नीतियों और क्रिया-विधियों का सुव्यवस्थीकरण।

11. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निर्यात बढ़ाने की सम्भावना का पता लगाना।

12. नकद मुआवजा सहायता देने की नीति की अवधि 31 मार्च, 1985 तक 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है।

13. 1982-83 के लिए चालू आयात व निर्यात नीति 'उत्पादकता वर्ष" और निर्यात के मोर्चे में और गति पैदा करने की आवश्यकता के रूप में निर्धारित की गई है।

साथ ही कच्चे तेल, उर्वरक, इस्पात, अलोह धातुओं, खाद्य तेल आदि जैसी मदों के आयात का स्थान लेने के लिए घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

1096. श्री बी० वी० देसाई :

श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्य सरकारों को यह स्पष्ट कर दिया था कि भविष्य में कोई ओवरड्राफ्ट नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ओवरड्राफ्ट की राशियों को 6 प्रतिशत ब्याज वाले मध्यावधि ऋणों में बदल दिया था;

(ग) इस प्रस्ताव से कितने राज्यों को लाभ पहुँचा;

(घ) ऋणों की वापसी तथा ब्याज की अदायगी कब आरम्भ होगी;

(ङ) क्या सितम्बर, 1982 में कुछ अन्य राज्यों ने फिर से ओवरड्राफ्ट लिये हैं और यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं; और

(च) उसके कारण क्या थे और उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत सरकार ने इसके बाद से ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना को कड़ाई से लागू करने का निर्णय किया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से अपने ओवरड्राफ्टों के निपटान के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को समर्थ बनाने के लिए, आवधिक ऋण दिया गया था जिस पर 6½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया गया था और शीघ्र अदायगी के लिए 1/4 प्रतिशत की छूट थी।

(ग) समस्त राज्यों (जम्मू और कश्मीर और सिक्किम को छोड़कर जिनके भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कोई लेन-देन नहीं है) की अर्थोपाय सीमाएं दुगनी कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, 1981-82 के अन्त तक 18 राज्यों के घाटे भारत सरकार द्वारा उनको आवधिक ऋण देकर निपटाए गए।

(घ) ऋण की पुनः अदायगी और ब्याज की अदायगी 1984-85 के दौरान शुरू होगी।

(ङ) और (च) सितम्बर, 1982 के दौरान हरियाणा और पंजाब का भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अल्पावधियों के लिए ओवरड्राफ्ट हो गया था। बजट में संरचनात्मक असंतुलन अथवा राज्य के नकद प्रवाह में अस्थायी ह्रास के कारण ओवरड्राफ्ट होते हैं। अस्थायी ह्रास के कारण जहां ओवरड्राफ्ट के मामले होते हैं, उन्हें वर्ष के दौरान ठीक कर दिया जाता है हालांकि इससे राज्य के लिए अस्थायी अर्थोपाय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जिन मामलों में, संरचनात्मक असतुलन होते हैं उनमें राज्य के व्यय के वित्तपोषण के लिए संसाधनों की अपर्याप्तता निहित होती है। पंजाब सरकार के साथ सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श हुआ है और हरियाणा के साथ ऐसे ही विचार-विमर्श का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए रोकड़ शेष के आंकड़े पूर्ण नहीं हैं, लेकिन अब तक बताए गए आंकड़ों से पता चलता है कि उन्होंने ओवरड्राफ्ट लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक के कलकत्ता कार्यालय में नवीनतम लेन-देन के अभाव में, पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित कार्यवाही बाद में की जायेगी।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का आर्थिक संभावनाओं सम्बन्धी सर्वेक्षण

1097. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के बावजूद निकट भविष्य में भारत की आर्थिक संभावनाएं अनिश्चित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 1982-83 की प्रथम तिमाही के बारे में अपनी समीक्षा में परिषद् ने टिप्पणी की है कि यद्यपि यह अवधि परम्परागत रूप से मन्दी के मौसम के अन्तर्गत आ जाती है परन्तु आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जिससे सन्तुष्ट हुआ जा सके;

(ग) क्या परिषद् ने आर्थिक संभावनाओं की इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों के ब्योरे भी दिए हैं;

(घ) इस प्रतिवेदन की अन्य मुख्य बातें क्या हैं और सरकार इस बात से कहां तक सहमत है कि आर्थिक सम्भावनाएं अनिश्चित हैं और इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या उपरोक्त रिपोर्ट में दिए गए सभी सुझावों की सरकार द्वारा जांच कर ली गई है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन. सी. ए. ई. आर.) भारतीय अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षाएं करती है जिन्हें त्रैमासिक पत्रिका "मार्जिन" में प्रकाशित किया जाता है। समीक्षा में अर्थव्यवस्था के अल्पकालिक विकास के बारे में राष्ट्रीय परिषद् की अवधारणा और तात्कालिक संभावनाओं के बारे में उसके विचारों को दिया जाता है। सरकार स्वयं बराबर अर्थव्यवस्था का परीवीक्षण और उसकी समीक्षा का कार्य जारी रखती है, और राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद सहित सभी सम्बन्ध अभिकरणों द्वारा किए गए विश्लेषणों, अध्ययनों और समीक्षाओं को नोट करती है। संगत मुद्दों की बारीकी से जांच की जाती है और उभरती हुई स्थिति के संदर्भ में उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

निर्माणाधीन होटल (भारत पर्यटन विकास निगम)

1098. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने और कौन कौन से होटल भारत पर्यटन विकास निगम के निर्माणाधीन है जो एशियाड 1982 से पूर्व तैयार होने हैं;

(ख) एशियाड 1982 के लिए किस किस होटल में कितने कितने कमरे बुक किए गए हैं; और

(ग) क्या कनिष्क होटल भी एशियाड 1982 से पूर्व पूरी तरह से तैयार हो जायेगा ?

पर्यटन मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) तीन होटल तथा सम्राट होटल, होटल कनिष्क और अशोक यात्री निवास आई. टी. डी. सी. द्वारा निर्माणाधीन हैं और कनिष्क में रूफ टॉप सुविधाओं तथा सम्राट में सूट्स एवं ओडीटोरियम आदि के अलावा, ये एशियाड 1982 तक तैयार हो जाएंगे।

(ख) एशियाड 1982 के लिए बुक किए कमरों की संख्या और होटलों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

होटल का नाम	वायदा किए गए कमरों की संख्या	बुक कराए गए कमरों की संख्या		बुक कराए गए कमरों की कुल संख्या
		एस. ओ. सी. द्वारा	आई. टी. डी. सी. द्वारा	
1. अशोक होटल	210	210	40	250
2. अकबर होटल	75	75	—	75
3. कनिष्क होटल	300	300	—	300
4. सम्राट होटल	200	110	—	110
5. अशोक यात्री निवास	550	425	50	475
6. कुतब होटल	20	—	20	20
7. जनपथ होटल	188	188	—	188
8. लोधी होटल	100	100	—	100
9. रणजीत होटल	65	65	—	65
	1708	1473	110	1583

(घ) जी, हां।

अलीपुर चिड़ियाघर के निकट बनाया जाने वाला ताज समूह का होटल

1099. **श्री एन० ई० होरो** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीपुर चिड़ियाघर के निकट बनाये जाने वाले ताज समूह होटल के प्रश्न पर केन्द्र सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कोई मतभेद पैदा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) नहीं, जी। सरकार को ऐसे किसी विवाद की जानकारी नहीं है; और

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में गिरावट

1100. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री रामावतार शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय में सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में गिरावट आई है जिसके कारण इस विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाले उद्योग को बहुत धक्का पहुँच सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इस गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार जनवरी-जुलाई, 1982 के दौरान 414.77 करोड़ रु० मूल्य के परिधानों का निर्यात हुआ जबकि 1981 की उसी अवधि के दौरान 405.13 करोड़ रु० मूल्य के परिधानों का निर्यात हुआ था।

(ख) चालू वर्षों में कोटा उपयोग आरक्षणों तथा खंडात्मक वितरण में सुधार लाने के लिए 1 अक्तूबर, 1982 से कोटा सम्बन्धी नीति समाप्त कर दी गई है।

राजस्थान के पिछड़े जिलों बाडमेर तथा जेसलमेर में ग्रामीण बैंक खोला जाना

1101. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य-वार के पिछड़े जिलों, बाडमेर और जसलमेर में ग्रामीण बैंक खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं और ग्रामीण बैंक कब तक खोले जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक संचालन समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का स्थान निर्धारित करने से पहले देश के उन क्षेत्रों की जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जाने हैं। संभाव्यताओं तथा अर्थक्षमताओं का अध्ययन करती है। समिति के निर्णय के अनुसार, राजस्थान के जिलों जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के सम्बन्ध में एक अध्ययन किया गया था। ऐसे अध्ययन के आधार पर संचालन समिति द्वारा उक्त तीन जिलों को व्याप्त करने के वास्ते एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का निर्णय किया गया। राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त हो गई है। बैंक की स्थापना करने के वास्ते, अब सरकार द्वारा कदम उठाए जाएंगे।

वर्ष 1983 के लिए निर्यात हेतु सिले-सिलाए वस्त्र कोटा विवरण नीति

1102. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1983 के लिए निर्यात हेतु सिले-सिलाए वस्त्र कोटा वितरण नीति पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) नीति के ब्योरे दिनांक 18 सितम्बर, 1982 की सार्वजनिक सूचना सं० 37-ई टी सी (पी. एन)/82 में दिए गए हैं और संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

वायुदूत के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

1103. श्री अर्जुन सेठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायुदूत के कार्य निष्पादन के बारे में हाल ही में कोई (सेवा-वार) सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस तीसरी अतिरिक्त सेवा के कार्यकरण से कहां तक संतुष्ट है; और

(ग) क्या सरकार ने कुछ और सेवाओं का विस्तार करके तथा इसे अन्य हवाई अड्डों से जोड़कर इसे लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किये हैं ?

नागर विमानन तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालयों के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) वायुदूत प्रबन्धक वर्ग अपनी सेवाओं के कार्य-निष्पादन की हर पन्द्रह दिन में संवीक्षा करता है। विभिन्न मार्गों के भार-अनुपात से पता चलता है कि वायुदूत की सेवायें लोकप्रिय हो रही हैं।

(ग) जी, हां। वायुदूत के मार्ग-तंत्र में विभिन्न राज्यों में चरणों में और स्टेशनों को जोड़ने का प्रस्ताव है।

कृषि तथा बागवानी उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

1104. श्री अशफाक हुसैन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन से तथा कितने निर्यात संवर्धन परिषदें कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या कृषि एवं बागवानी उत्पादों के लिए अलग से कोई निर्यात संवर्धन परिषद है;

(ग) यदि हां, तो इसके कृत्यों एवं उपलब्धियों का ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या विशेष रूप से चावल, आलू, सब्जियों तथा फलों जैसी कृषि वस्तुओं के निर्यात की प्रवृत्ति को देखते हुए कृषि और बागवानी वस्तुओं के लिए अलग से कोई निर्यात संवर्धन परिषद बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) साधित खाद्य सामग्री निर्यात संवर्धन परिषदों, काजू निर्यात संवर्धन परिषदों, मसाला निर्यात संवर्धन परिषदों तथा चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद जैसी निर्यात संवर्धन परिषदें अपने-अपने कृषि तथा बागवानी सम्बन्धी उत्पादों के साथ सम्बन्ध रखती है।

विवरण

निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची

1. समौक्षारीय रसायन भेषज तथा प्रसाधन सामग्री
   निर्यात संवर्धन परिषद,
   झांसी कैसल, 7, कूपरेज रोड,
   बम्बई ।

2. काजू निर्यात संवर्धन परिषद,
   वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, महात्मा गांधी रोड,
   एर्नाकुलम, कोचीन ।

3. रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद,
   14/1, बी इजरा स्ट्रीट, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर,
   कलकत्ता-700001

4. सूती कपड़ा निर्यात सवर्धन परिषद,
   9, मैथ्यू रोड, चरनी रोड,
   बम्बई ।

5. इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद,
   14/1-बी, इजरा स्ट्रीट, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर,
   तीसरी मंजिल, कलकत्ता-700001

6. तैयार चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं की
   निर्यात सवर्धन परिषद,
   15/46, सिविल लाइन्स, कानपुर,

7. रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद,
   डी-15, कामर्स सेन्टर, चौथी मंजिल,
   बम्बई-400027

8. हथकरघा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,
   वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, 123, माउन्ट रोड,
   मद्रास ।

9. चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद,
   3/38, बीपरी हाई रोड,
   मद्रास-8

10. प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात
संवर्धन परिषद, प्लाट नं. 212,
ब्लाक-11, 612 तथा 615, तुलसियानी चैम्बर,
बैकबेरी रिक्लेमेशन, बम्बई-400021

11. साधित खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद,
105, न्यू देहली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली ।

12. चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद,
14/1-बी इजरा स्ट्रीट, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर,
(तीसरी मंजिल) कलकत्ता-700001

13. रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,
रेशम भवन, 78, वीर नारीमन रोड,
बम्बई ।

14. मसाला निर्यात संवर्धन परिषद,
वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, महात्मा गांधी रोड,
एर्नाकुलम, कोचीन-16

15. खेल के सामान की निर्यात संवर्धन परिषद,
1-ई/6, झंडेवालान, एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110055

16. ऊन तथा ऊनी माल निर्यात संवर्धन परिषद,
612/714, अशोक एस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली-110001

17. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद,
58, सहयोग बिल्डिंग, नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली ।

राज्यों द्वारा ओवरड्राफ्ट

1105. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केन्द्र से कहा है कि चालू वर्ष के दौरान राज्यों को ओवरड्राफ्ट के बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या के सन्तोषजनक हल के लिए उन्होंने इस बारे में किसी राज्य सरकार के साथ बातचीत की है;

(ग) क्या ओवरड्राफ्टों को मध्यावधि ऋणों में बदलने, ओवरड्राफ्टों को एक जुलाई, 1982 से पूरी तरह बन्द करने वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान लिए गये ओवरड्राफ्टों की राशि की वर्ष के भीतर ही अदायगी करने सम्बन्धी सभी निर्णय ऐसे वर्ष के भीतर लिए गए जिस वर्ष में पश्चिम बंगाल गम्भीर सूखे का सामना कर रहा था; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनका विचार उपरोक्त निर्णयों पर पुनर्विचार करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) राज्य के मुख्यमंत्री और कार्यभारी वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल ने 1982-83 का बजट प्रस्तुत करते समय यह बताया कि उसके विचार से भारत सरकार के लिए वर्ष के दौरान अपने निर्णय की पुनरीक्षा करना आवश्यक हो जाएगा।

(क) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के बारे में भारत सरकार के निर्णय को स्पष्ट करते हुए सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा था। अधिकांश राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं और किसी ने भी विद्यमान इस प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध नहीं किया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में हुए घाटे को समाप्त करने के लिए राज्यों को दी गई अल्पावधि सहायता की वापसी-अदायगी में राज्यों के सामने कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए क्योंकि राज्यों की 1982-83 की आयोजनाओं को पूर्णतः वित्त-पोषित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मामले में राज्य के अपने ही संसाधनों से 200 करोड़ रुपए और केन्द्रीय सहायता के 290 करोड़ रुपए से 490 करोड़ रुपए की एक आयोजना परिव्यय तैयार की गई है जिसे ओवरड्राफ्ट स्कीम की विनियमन के एक मुश्त नए उपायों की शुरूआत के बाद सहमति दे दी गई और इस सहमति को हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य विधानमंडल में बजट प्रस्तुत करते समय पूर्णतः प्रदर्शित किया गया है। पश्चिम बंगाल के 1982-83 के बजट में चालू वर्ष के लेनदेनों पर केवल 1.04 करोड़ रुपए का एक सीमान्तिक घाटा दिखाया है। अतः पहली तिमाही में उत्पन्न घाटे की वापसी-अदायगी करने में कोई कठिनाई सामने नहीं आनी चाहिए। जहां तक पश्चिम बंगाल का सूखे से सम्बन्ध है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए एक अलग से स्कीम है। पश्चिम बंगाल में सूखे का मूल्यांकन एक केन्द्रीय दल ने किया था और राज्य सरकार को सूखे राहत उपायों पर 24.77 करोड़ रुपए की व्यय की अधिकतम सीमा की सूचना दे दी गई थी।

(घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कीम सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है, निर्णयों पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

———

श्रीकृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर): आपको मालूम है कि त्रिपुरा की वर्तमान विधान सभा का कार्यकाल इस वर्ष के अन्त में समाप्त होगा और त्रिपुरा सरकार ने मांग की है कि चुनाव दिसम्बर 1982 से पहले कराये जायें।

अध्यक्ष महोदय : इसका हमसे क्या सम्बन्ध है ? यह मामला चुनाव आयोग के पास है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यदि सरकार त्रिपुरा में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करना चाहती है तो यह प्रजातंत्र पर एक चोट होगी। अतः त्रिपुरा सरकार ने मांग की है कि चुनाव दिसम्बर में कराये जायें। मैं चाहता हूं कि सरकार त्रिपुरा में तुरन्त चुनाव की घोषणा करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंखकुरा): आजकल कलकत्ता में चावल की सप्लाई नहीं हो रही है (व्यवधान)। कलकत्ता में राशन की दुकानों में कोई चावल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे तरीके से दे दीजिए। 377 में दे दीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वे वहां अनाज नहीं भेज रहे हैं जैसे कि उन्हें भेजना चाहिए।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, बुनकरों के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह राज्य का विषय है। मैं अनुमति नहीं दे सकता। इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

आपके कारण मैंने स्टेट सब्जेक्ट लिया था, जो वापिस लेना पड़ा। फिर आप मजबूर कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्टेट सब्जेक्ट है। मैं नहीं करूंगा। मुझे कानून भंग करने के लिए आप मजबूर न करें। नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकता। इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसके लिए कोई अनुमति नहीं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पिलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने....।

अध्यक्ष महोदय : गंगवार जी, आपने तो रोज की आदत डाल ली। कभी-कभी तो ठीक है, रोज इस तरह से करना ठीक नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप सुन तो लें।

अध्यक्ष महोदय : कुछ महानुभवों के लिए यह रोजमर्रा की बात बन गई है, मैं इसे नहीं चाहता। इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

कुछ लोग इस मामले को रोजाना उठाते हैं। कई लम्बे चौड़े भाषण नहीं।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : मैंने एक ध्यानाकर्षण का नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आयें ।

डा० कृपासिंधु भोई : पश्चिम बंगाल में एक विधायक के लिए जान का खतरा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप आइए, मेरे से डिसकस करिए ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यहां चर्चा नहीं हो सकती । आप आकर मेरे से बात करें ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मेरा निवेदन सुन तो लें । बाद में आप चाहे रिजेक्ट कर देना ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रिजेक्ट कर दिया है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने पत्र लिखा था कि एशियन गेम्स के टिकट पत्रकारों को ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दूंगा । इसका प्रश्न ही नहीं उठता । मैं जिम्मेवार नहीं हूँ ।

नहीं मैं अनुमति नहीं दे सकता । मैं उन्हें नहीं कहूंगा आप एक माननीय सदस्य है । ये आपके सहयोगी हैं । आप सीधे उन्हें लिख सकते हैं । मैं कोई डाकघर नहीं हूं ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): इस सम्बन्ध में हमने पत्र लिखा है । पार्लियामेंट के स्टाक के सम्बन्ध में भी लिखा है और पत्रकारों के लिए भी लिखा है । अध्यक्ष महोदय, शेड्यूल-कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट···।

अध्यक्ष महोदय : नो, नाट एलाउड यह विजनिस एडवाइजरी कमेटी में जाएगा ।

श्री रामविलास पासवान : वहां तो चला गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वहीं डिसकस करना पड़ेगा ।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर): अध्यक्ष महोदय, एक प्रिवलेज मोशन अंडर कंसीडरेशन था । उसके बारे में अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है । श्री मल्लिकार्जुन के खिलाफ मैंने दिया था कि उन्होंने जवाहर लाल यूनिवर्सिटी के मामले में गलत बयान दिया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नो, नो, रिजेक्ट कर दिया है ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति भवन में कोई···।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर दिया है ।

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में···।

अध्यक्ष महोदय : नाट एलाउड । मैंने भेज दिया है । इसका कोई प्रश्न नहीं, नहीं, इसके लिए कोई अनुमति नहीं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : नाट एलाउड ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात आ रही है, आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भेज दिया है, आप क्यों बोल रहे हैं ? क्या आपके जोर से बोलने से कोई फर्क पड़ा है ?

श्री जगपाल सिंह : मैं जोर से नहीं बोल रहा हूं । मैं बतला रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए । राष्ट्रपति भवन में कोई इनफरमेशन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर, आप बैठ जाइए । हमने फोर्सफुल एक्सप्लनेशन के लिए भेजा है, उसका जबाव आएगा । आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको हठधर्मी के अनुसार नहीं चल सकता । कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगी ।

(व्यवधान)**

श्री जगपाल सिंह : आप रिपोर्ट मंगवाइए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने रिपोर्ट मंगाई है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इतना वक्त जाया करने से क्या फायदा हुआ ?

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय···।

अध्यक्ष महोदय : आपका यही है न—

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

जहां तक लोक सभा का सम्बन्ध है जिस ग्रुप के नेता श्री चरण सिंह हैं : उसे लोक दल कहा जाता है।

प्रेरक तथा अन्य प्रचार माध्यमों को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए और उस ग्रुप का नाम अंकित करना चाहिए जिससे माननीय सदस्य सम्बन्धित हों।

श्री मनीराम बागड़ी : आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लेते।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास लोकदल है। लोकदल वाले लोकदल लिखें और लोकदल (के) को लोकदल न समझें।

श्री रामविलास पासवान : मैं आपकी रुलिंग के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे निर्णय का क्या प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामविलास पासवान : किस आधार पर (क) लिख दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने लिखा इसलिए है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोकदल (क) जिसके अध्यक्ष श्री कर्पूरी ठाकुर हैं।

श्री रामविलास पासवान : आपने (क) कैसे कर दिया ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास जो आया है।

श्री रामविलास पासवान : आपने (के) कैसे लिख दिया ?

अध्यक्ष महोदय : आपका ही लिखा हुआ है।

श्री रामविलास पासवान : जब आपने मामला उठाया है तो...।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं उठाया है। आपका ही लिखा हुआ आया है। नाम तो आपने ही लिखना है, मैंने तो नहीं लिखना। न ही मैं नामकरण संस्कार करता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

1. स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत

स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 10 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 658 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 5444/82]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 156 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा० का०नि० 577 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 13 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 243-सी० शु० की वैधता का 21 दिसम्बर, 1983 तक बढ़ाया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 5445/82]

(3) * निक्षेप बीमा तथा ऋण गारन्टी निगम, बम्बई, के 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5446/82]

(4) असम राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1982 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत असम कराधन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5447/82]

भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता ने वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड शिलांग आदि के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग, के वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

* वार्षिक प्रतिवेदन 9 जुलाई, 1982 को सभा-पटल पर रखा गया था।

(दो) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड शिलांग, के वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 5448/82]

(3) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1982, जो 28 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2976 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पटसन मिल पुर्जों तथा अनुषंगी वस्तुओं का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1982, जो 28 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2977 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) एल्मीनियम के बर्तन (गुण-प्रकार-नियंत्रण तथा निरीक्षण (संशोधन नियम, 1982, जो 28 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2978 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) पटसन उत्पादों का निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण)संशोधन नियम, 1982, जो 2 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 3440 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 5449/82]

———

राज्य सभा से प्राप्त संदेश

सचिव : मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं :-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 6 अक्तूबर, 1982 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 26 जुलाई 1982 को पारित खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक 1982 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।"

लोक लेखा समिति

117वां, 118वां और 119वां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं :

(1) एक वायुयान के विकास एवं निर्माण में विलम्ब तथा गोला-बारूद के दोषपूर्ण खोलों के निर्माण के बारे में 33वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी 117वां प्रतिवेदन ।

(2) आय-कर, धन-कर और सम्पदा शुल्क के बारे में 51वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी 118वां प्रतिवेदन ।

(3) लोडिंग काइल्स और वेरेटर लैंपों के अति संचयन के बारे में 50वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी 119वां प्रतिवेदन ।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 11 अक्तूबर, 1982 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और बैंक (संशोधन) विधेयक, 1982 पर आगे विचार और पारित करना ।
2. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।
3. सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, 1981 पर आगे विचार और पारित करना ।
4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1982

(ख) चूना-पत्थर और डोलोमाईट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1982

(ग) छावनी (संशोधन) विधेयक, 1982

(घ) चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 1982

(ङ) चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 1982

(च) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1982

(छ) दिल्ली मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982

(ज) व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 1982

5. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यीकरण) अध्यादेश, 1982 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन, और विधिमान्यीकरण) विधेयक, 1982 पर विचार और पारित करना।

6. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1980

(ख) मुख्तारनामा (संशोधन) विधेयक, 1982

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

श्री सुधीर गिरी (कंटई) : प्रधान मंत्री अभी हाल में रूस गयी थीं। मैं मांग करता हूं कि वह अपने दौरे और उसके परिणामों के बारे में सभा में एक वक्तव्य दें।

जैसे कि प्रेस में समाचार आये हैं, भारत और बंगलादेश के बीच गंगा जल के बारे में एक करार हुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने के लिये एक संयुक्त आर्थिक आयोग गठित करने के बारे में भी दोनों देशों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे। अत: मैं मांग करता हूं कि विदेश मन्त्री दिल्ली में हुये भारत-बंगलादेश करार के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में इस सप्ताह के दौरान सभा में एक वक्तव्य दें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं दो बिन्दुओं को आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक हिन्दी में है और एक अंग्रेजी में।

तत्कालीन गृह मन्त्री द्वारा लोक सभा में की गई घोषणा के अनुसार पांच हजार और उससे अधिक वार्षिक आय वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को भी 1-8-80 से स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन मिलना शुरू हो गया है। इस सरकारी निर्णय के अनुसार स्वतन्त्रता सेनानी सांसदों को भी पेंशन मिल रहा है। परन्तु, स्वतन्त्रता सेनानी भूतपूर्व सांसदों को महीनों तक इस सुविधा से वंचित रखा गया क्योंकि उन्हें भूतपूर्व सांसद का पेंशन मिल रहा था जिसकी राशि पांच सो रुपये माहवार थी और नियम के अनुसार इससे अधिक नहीं मिल सकता था।

संसद के पिछले सत्र में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ता अधिनियम में शोधन करके स्वतन्त्रता सेनानी भूतपूर्व सांसदों को दोनों पेंशन प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है। परन्तु ऐसे भूतपूर्व सांसदों को अन्य सेनानियों की तरह 1-8-80 से पेंशन की राशि न देकर गत सत्र में स्वीकृत संशोधन के समय से दिया जा रहा है। ऐसा करना उचित नहीं है। जब संसद सदस्य

सेनानियों को 1-8-80 से पेंशन की राशि दी जा रही है तो भूतपूर्व संसद सदस्य सेनानियों को उस तिथि से पेंशन नहीं देने का न कोई औचित्य है और न यह न्यायसंगत ही है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि वह सदन में एक बयानदेकर घोषणा करे कि स्वतन्त्रता सेनानी भूतपूर्व सांसदों को भी स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन की राशि 1 अगस्त 1980 से दी जाएगी।

चिरिबुरू खनिज खानों के 2000 आदिवासी खान मजदूरों को रोजगार देने के लिये पुनः खोला जाना

मैसर्स उडीसा सीमेंट लिमिटेड ने 6.3. 1979 को मैसर्स ईस्टर्न मिनरल्ज, चिरिबुरु को एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा था "बिहार सरकार ने आदेश संख्यक 863/एम/पटना दिनांक 2.2.1979 द्वारा चिरिबुरु के लिए खानों के लाजे सम्बन्धी आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया है"। "उस समय यह 7.3. 1970 के 7 बजे सुबह से क्वार्टजाईट खान थी"।

पिछले 43 महीनों के गैर-कानूनी तालाबन्दी से 15000 आदिवासी लड़कियों में दो हजार आदिवासी खनिक बेरोजगार हुये हैं। कईयों को गिरफ्तार करके तथा अदालत में मामले चला कर परेशान किया जा रहा है चिरिबुरू खानों के सभी खनिक क्षयरोग से ग्रस्त हैं।

तत्कालीन श्रम मन्त्री ने 24.11.1981 को मैसर्स भारत रेफेरेक्ट्री के अधीन खानों को अधिकार में लेने की पुरजोर सिफारिश की थी। तत्कालीन श्रम मन्त्री ने वचन दिया था कि सरकार मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (बोकारो) के अधीन वाली चिरिबुरू खानों को अपने हाथ में लेगी।

मैं श्रम मन्त्री से इस बारे में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों वक्तव्य 250 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहियें। 250 शब्दों से अधिक के वक्तव्यों को कार्यालय सम्पादित करेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने वही भाग पढ़े हैं जिसके लिये मुझे अनुमति मिली थी।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : नागरिक आजादी/प्रजातंत्रीय अधिकार मंच तथा महिला संगठनों के 6 सदस्यों वाली तथ्यों का पता लगाने वाली समिति ने अनेक गांवों का दौरा किया तथा 150 से अधिक व्यक्तियों से साक्षात्कार किया और अपनी रिपोर्ट प्रधान मन्त्री, रक्षा मन्त्री तथा लोक सभा अध्यक्ष को पेश की।

समिति ने परेशानी के मामलों विशेषकर 19 फरवरी 1982 को सैनिकों द्वारा घात लगाकर, महिलाओं को मैथुनिक परेशानी पहुँचाने, जिसमें नागा विद्रोहियों ने 22 सैनिकों को नममी लोक के निकट इम्फाल-उखरुल रोड पर जान से मारा था।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि रिपोर्ट को सभा में रखा जाये और देश के इस भाग

में भावात्मक एकता पैदा करने के लिये महिला संसद सदस्यों के एक सद्भावना मिशन को भेजने के प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

समाचार है कि 29 सितम्बर, 1982 को खोमिनी शासन के सशस्त्र एजेन्टों तथा गार्डों को बंगलौर में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला करने के लिये हमारी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि हिंसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये और उन्हें इस देश में नहीं रहने दिया जाये।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले सप्ताह में लोक सभा में जिन विषयों पर चर्चा उठाने के लिए संसदीय मंत्री ने बयान दिया है। कृपया उसमें नीचे लिखे विषयों को जोड़ा जाए ताकि अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल हों।

1. इंडिया गेट पर जार्ज पंचम की मूर्ति को आंदोलन के लिए जो हमने हटवाया उसकी जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति अभी तक स्थापित नहीं हो सकी, जिससे समूचे राष्ट्र में रोष है। मूर्ति स्थापना के बारे में इस सप्ताह में सदन में चर्चा हो।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : यह डिसाइड हो गया है।

श्री मनीराम बागड़ी : कितने सालों में लगेगी ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : शीघ्रातिशीघ्र हम लोगों की कोशिश है कि लगवाई जाए।

श्री मनीराम बागड़ी : आपके मन्त्री काल में लग जाएगी।

श्री भीष्म नारायण सिंह : इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : दूसरा विषय है—हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के किसानों को ट्यूबवैल की बिजली में भारी मात्रा में कटौती और बिजली दरों में बढ़ोतरी से किसान की हालत बहुत खराब हो गई है। इसको अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाए।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : बिहार—भारत के पूर्वी क्षेत्र, जिसमें प० बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल हैं और सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की पिछले 30 वर्षों से लगातार अनदेखी की जाती रही है। 1954 से रेल द्वारा भेजे जाने पर इस्पात और कोयले की कीमतें सारे भारत में एक समान कर दी गई हैं। विश्व में कहीं भी ऐसी नीति नहीं अपनाई गई है। इसके फलस्वरूप, बिहार और पूर्वी क्षेत्र में औद्योगीकरण में ठहराव आ गया है। अगर ऐसा न होता तो उद्योगपति बिहार में उद्योग अवश्य स्थापित करते। बिना कोई मुआवजा दिये, बिहार के साथ यह भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई गई। इसको शीघ्र ही समाप्त किया जाना चाहिए। इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में इस मद को शामिल किया जाये।

त्रिपुरा—त्रिपुरा राज्य के कुल क्षेत्रों को केन्द्र द्वारा विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है बिना त्रिपुरा राज्य सरकार की सहमति के इन्हें सेना के अधीन रखा है। ऐसा लगता है कि यह घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित है।

विधान सभा की अवधि समाप्ति पर चुनाव होने हैं। हमें आशंका है कि चुनाव रद्द करवा कर राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा जायेगा, जिससे कि निश्चय ही सत्ता दल को लाभ होगा।

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : देश में लाखों बीड़ी मजदूर हैं। ये मजदूर मुख्यतः समाज के कमजोर वर्ग से सम्बंधित हैं। बीड़ी एक उद्योग है। श्रम मंत्रालय ने इस सम्मानीय सदन को बताया था कि वे मजदूर संघों के नेताओं से बातचीत करने के बाद बीड़ी मजदूरों के लिए एक व्यापक विधेयक पेश करेंगे।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे बिना और देरी किये यह विधेयक लावें, जिससे कि बीड़ी मजदूरों को शोषण से बचाया जा सके।

प० बंगाल में खाद्य स्थिति काफी असंतोषजनक है। प० बंगाल राज्य सरकार ने अपनी मासिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कम से कम 33.00 लाख टन खाद्यान्न की मांग की थी। खाद्यान्न के आवंटन में एक लाख टन की कमी है और यह कमी प्रति माह बढ़ती हो जा रही है।

कई स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के बहुत कम वैगन सप्लाई किए जा रहे हैं। अन्य कई स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्न को उठाने के लिए प्रर्याप्त प्रबन्ध नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप आवश्यक खाद्यान्न की वास्तविक शिपिंग बहुत कम होती है। इसके परिणामस्वरूप अगामी उतराई पर बुरा असर पड़ता है।

इसलिए यह अति आवश्यक है कि भारतीय खाद्य निगम के सभी डिपो से खाद्यान्न की उतराई के उचित प्रबन्ध किये जायें।

अगले सप्ताह की कार्यसूची में यह मद भी शामिल की जाये।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगामी 11 अक्तूबर से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सदन की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को मैं सम्मिलित करना चाहता हूं :—

आगामी 19 नवम्बर, 82 से राजधानी में एशियाई खेल होने जा रहे हैं। यह एक विशाल आयोजन है, जिसके लिये अनेक प्रकार की आवश्यक तैयारियां चल रही हैं। क्रीड़ा-स्थलों के निर्माण, आवास-व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, देश के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, टिकटों के विक्रय आदि विषयों पर विरोधात्मक विचार आते रहे हैं। खेलों के अवसर पर दिल्ली में तमाम देशों के लोग आ रहे हैं। देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की आशा है। सभी व्यवस्थायें उच्च स्तर की हों, तथा यह आयोजन सरिता के साथ सम्पन्न हो जाये, यह देश के सम्मान की बात होगी।

अतएव सदन में उपर्युक्त व्यवस्थाओं पर विचार होना चाहिये, जिससे तैयारियों को अंतिम रूप देने में रचनात्मक सुझावों से लाभ उठाया जा सके तथा सदन एवं सदन के माध्यम से देश के लोग आश्वस्त हो सकें।

(2) ओरोविल श्री अरविन्द एवं श्री मां की परिकल्पना का परिणाम है। यह एक आध्यात्मिक आध्यात्मिक परियोजना है। इसका उद्देश्य आध्यात्मिक समाज का आदर्श प्रस्तुत करना था, जहां विभिन्न देशों के लोग बन्धुत्व भावना से प्रेरित होकर सामूहिक रूप से श्री अरविन्द के योग दर्शन को आत्मसात कर सकेंगे।

परन्तु दुःख का विषय है कि जो पथ प्रदर्शक स्वर्गिक जीवन की ओर ले जा रहे थे, वे स्वयं भटक कर नारकीय जीवन में पहुँच गये। आज ओरोविल का जीवन विद्वेष, कलह से विषाक्त हो चुका है। कुछ स्वार्थ-परक तत्व अपना आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न हैं। वहां का प्रबन्ध दोषपूर्ण हो चुका है। निहित स्वार्थियों ने अपने-अपने ट्रस्ट स्थापित करके ओरोविल को संघर्ष क्षेत्र बना रखा है।

अतएव ओरोविल में उत्पन्न विषम परिस्थितियों पर सदन में विचार होना चाहिये तथा वहां के विवाद को समाप्त कर शांति एवं सद्भावपूर्ण वातावरण स्थापित करने के उपाय निकाले जाने चाहियें।

श्री टी० आर० रामन्ना (बंगलौर दक्षिण) : श्रीमन्, संसद के पिछले अधिवेशन में शिक्षा राज्य मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि प्राइवेट इन्जीनियरी और मैडिकल कालेजों द्वारा चन्दे के तौर पर ली जाने वाली 'कैपिटेशन' फीस को रोकने के लिए इस अधिवेशन में संसद में एक विधेयक पेश किया जायेगा। अब तक वह विधेयक पेश नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे संसद के इसी अधिवेशन में विधेयक पेश करने के लिए शीघ्र कदम उठाये।

यह खेद का विषय है कि प्राइवेट कालेजों के प्रबन्धक, खासकर कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और बिहार में इन्जीनियरी और मैडिकल कालेजों में स्थान देने के लिए भारी रकम लूट रहे हैं। इस कानून को देर से बनाने की वजह से उनको अधिक प्रतिव्यक्ति फीस लूटने का ज्यादा क्षेत्र मिलेगा।

योग्यता का कोई सवाल नहीं है। कई व्यक्तियों ने इंजीनियरी कालेजों में स्थान पाने के लिए 50,000 रु० और मैडिकल कालेजों में स्थान पाने के लिए 2,00,000 रु० तक दिये हैं। यह खेद की बात है कि 88.5 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को तो स्थान नहीं मिलता (योग्यता निकाय में आखरी स्थान 86% का है), दूसरी ओर 50% अंक प्राप्त करने वाला कैपिटेशन फीस देकर स्थान हासिल कर लेता है। क्या यह उचित और सही है ?

मैं सरकार से हार्दिक अनुरोध करता हूं कि वे स्थानों को बेचने के लिए प्रतिव्यक्ति फीस की इस बुराई को रोकने के लिए कानून बनाये। मुझे दुख है कि यह बिमारी अन्य विषयों में भी फैल रही है।

मेरे एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में उत्तर दिया गया है कि इस विषय पर सदन में शीघ्र ही एक विधेयक लाया जायेगा। मैं नहीं जानता कि वह 'शीघ्र' कब आयेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने में शीघ्र कार्यवाही की जाये।

निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल०भगत) : श्रीमन्, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मदों को बड़े ध्यान और आदर से सुना है। जैसा कि होता रहा है, मैं कार्यवाही वृतांत को देखूंगा और जहां कहीं आवश्यक हुआ इन्हें कार्य मंत्रणा समिति की जानकारी में लाऊंगा।

———

समिति के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० वी० सिंह देव) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्ययधीन, निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेगा। कल इस पर आखिर में श्री राम लाल राही बोल रहे थे। वे अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : मान्यवर, कल मैंने बहुराष्ट्रीय दवायें बनाने वाली कम्पनियों के सम्बन्ध में शुरुआत की थी, वैसे मेरा समय समाप्त हो गया था, फिर भी मैं कहना

चाहता हूँ कि मल्टी नेशनल जो कम्पनीज हैं यह काफी तादाद में हैं और काफी सहयोग कर रही हैं हमारे यहां दवाओं के निर्माण में मैं नहीं कह सकता कि सब काम अच्छा कर रही हैं। और अगर खराब काम कर रही हैं और नकली दवायें बना रही हैं तो दुविधा में डालना, क्योंकि जब यह बात आती है कि विदेशी कम्पनियों पर रोक लगाई जानी चाहिए तो वह उत्पादन में गिरावट कर देती हैं जिसकी वजह से दवाओं का अभाव हो जाता है और साधारण जनता को उससे परेशानी होती है। अगर विदेशी कम्पनियों पर रोक लगानी है तो आप तत्काल कोई ऐक्शन लीजिये, लेकिन दवाओं का अभाव पैदा न हो। जहाँ देसी कम्पनियों में गड़बड़ियाँ हैं कि नकली दवायें बनाती हैं वहीं विदेशी कम्पनियों की भी शिकायत रही है। सम्भवतः आपको जानकारी होगी दवाओं के नमूने का परीक्षण जब कराया गया 1978-79 में···

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की दवाओं के 729 नमूने लिए गए, जिनमें से 66 नकली और घटिया दवाएं साबित हुई। इसी प्रकार देसी कम्पनियों की 30 परसेंट दवाएं और जाली साबित हुई। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार के सामने यह रिपोर्ट आई, तो क्या उसने सम्बन्धित विदेशी और देसी कम्पनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की, अगर नहीं की, तो मैं यह मानकर चलता हूं—कल मैंने यह चार्ज भी लगाया था—कि इस बारे में दोषी सरकार और सरकारी मशीनरी है, क्योंकि वह अपराधों को नजर-अन्दाज करती है और लोगों को गलत काम करने का प्रोत्साहन मिलता है।

मेरा विश्वास है कि देशी औषधियों-आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों—की तुलना में अंग्रेजी दवाओं में मिलावट और नकल कहीं ज्यादा है। इसलिए जहाँ सरकार उस पर नियंत्रण करे, वहां वह देशी दवाओं के उत्पादन पर भी ध्यान दे।

मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मुझे 11 सितम्बर को सीतापुर में वाइरल फीवर हुआ। 60 घंटे तक ऐलोपैथिक दवाएं खाते रहने से कोई आराम नहीं हुआ। जितनी देर दवा का असर रहा, तब तक बुखार उतर गया और बाद में फिर शुरू हो गया। चार दिन तक पेट भी साफ नहीं हुआ। जब मैंने आयुर्वेदिक दवा ली, तभी पेट साफ हुआ और फीवर डाउन हुआ। उसके बाद होमियोपैथिक दवा खाने के बाद फीवर बिलकुल खतम हो गया।

देश के तमाम लोगों, और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, के लोगों को आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ीबूटियों पर ज्यादा विश्वास है, हालांकि उनमें भी मिलावट होनी शुरू हो गई है। कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवाए बनाने वाली सरकारी एजेन्सी के च्यवन प्राश में शकरकदी मिलाई जाती है और लोह आसव में भी मिलावट होती है। कई लोगों ने इस बारे में सरकार को लिखा है, लेकिन पता नहीं, सरकार ने उस पर ध्यान दिया है या नहीं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

स्वाभाविक है कि नकली दवाएं सस्ती होती हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है

कि गरीब आदमियों को दवाएं सुलभ हो सकें। सफेदपोशों के लिए तो दिल्ली से लेकर गांवों के अस्पतालों तक में दवाएं सुलभ हैं। चूंकि गरीब आदमी की सामर्थ्य नहीं है, इस लिए वह बेचारा सस्ती दवा खरीदता है, जो कि नकली होती है, और बेमौत मरता है। जरूरत इस बात की है कि नकली और घटिया दवाओं पर सख्ती के साथ नियंत्रण लगाया जाए।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद और यूनानी का संयुक्त बोर्ड नहीं होना चाहिए।

आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण एक क्षेत्र में होता है और यूनानी दवाओं का निर्माण एक क्षेत्र में होता है। दोनों के लिए अलग-अलग बोर्ड बनाए जाने चाहिए। ऐसा करने से आपको अधिक सुझाव मिल सकेंगे, अधिक सुविधा और सहूलियत भी रहेगी।

मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो प्रशासनिक मशीनरी है उसी का ही सारा कुसूर है जो आज यह नकली दवायें बन रही हैं। जब मैं यू. पी. असेम्बली में था तब मेन्डेक्स से कई लोगों के मरने की खबर आई थी। भले-भले परिवार के लोगों ने मुझे बताया था कि उनके लड़के मेन्डेक्स की गोलियां खाते है और नशे में चूर रहते हैं। उस समय मैंने होम सेक्रेटरी को और मिनिस्टर को लिखा था कि इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, मेन्डेक्स की गोलियां नहीं बिकनी चाहिए। पता नहीं कौन सी बीमारी में इन गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है ? मैंने केन्द्रीय सरकार को भी लिखा था। हो सकता है उस पर कोई कानूनी कार्यवाही भी हुई हो लेकिन मेन्डेक्स की गोलियों पर कोई नियन्त्रण नहीं किया गया है। आज नकली दवा के नाम पर शराब बिक रही है। जहरीले पदार्थों को मिलाकर शराब बनाई और बेची जा रही है। इस प्रकार से जनता का स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है। जिनको शराब नहीं मिलती है उन्हें मेन्डेक्स मिल जाती है। उसको खा कर लोग अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। एक मेरे मित्र हैं श्री चन्द्र मोहन आनन्द, उनके भाई को मेन्डेक्स की आदत पड़ गई। उसको आदत इतनी बढ़ गई कि उसने लाखों की सम्पत्ति नष्ट कर दी। और अन्त में एक दिन रेलवाड़ी के आगे आकर उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। इसलिए इस मेन्डेक्स पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। यदि आप महसूस ही करते हैं कि इसको बेचना लाजमी है तो जहां-जहां आप इसको बिकवायें वहां पर इसकी बाकायदा लिखा-पढ़ी होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैंने इस बात का भी सुझाव दिया था कि ब्रैंड को समाप्त किया जाना चाहिए लेकिन अभी तक उसको समाप्त नहीं किया गया है। ब्रैन्ड के नाम पर विदेशी कम्पनियों में खास तौर पर मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसलिए ब्रैंड को समाप्त किया जाना चाहिए। इन बातों से निश्चित रूप से कुछ सुधार आयेगा।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, औषधि और प्रसाधन सामग्री (सशोधन) विधेयक जो यहां पर पेश किया गया है वह निश्चित ही बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। बहुत पहले हाथी कमेटी ने इस बात को सोचा था और उसने भी रेकमेंडेशन की थी, कि कोई ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने भी अपने तीन साल के कार्य-काल में यह अनुभव किया, जैसा कि उन्होंने कल अपनी स्पीच में बताया, और ऐसा विधेयक वे आज लाए हैं। उपाध्यक्ष जी। देश में चारों तरफ नकली दवायें बिक रही हैं। हर स्थान पर डुप्लीकेट दवायें दिखाई दे रही हैं, यह निश्चित ही मानव के लिए और पूरे समाज के लिए एक घोर कलंक है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि विगत बीस वर्षों में हमारे देश में चारों तरफ नकली दवाइयों और नकली प्रसाधन सामग्री की बहुतायत हुई है। यह बहुत ही अजीब सी बात है।

यह तो मैंने आपको पिछले बीस वर्षों के बारे में बताया, लेकिन पिछले आठ वर्षों, सन् 1972 के बाद इतनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बम्बई में नकली दवाओं की बिक्री की जा रही है। कि इससे जिससे समस्त नैतिकता और मानव जीवन खतरे में है। मैं इस सन्दर्भ में 27 मई, 1981 की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। 150 व्यक्ति कानपुर के अस्पताल में बीमार हुए, जिसमें 142 लोगों की मृत्यु हो गई। वहां के डाक्टर ने अनुसार यह घटना नकली ग्लूकोज देने की वजह से हुई है। 25 मार्च, 1982 को दिल्ली के अन्दर जैसा कि समाचारपत्रों में खबर हैं, नकली दवाओं का बहुत बड़ा कारखाना पकड़ा गया हैं। मैं इसकी आपको कुछ लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं—पुलिस ने इस कारखाने में छापा मारकर दस लाख गोलियां, दो लाख दवाइयों के भरे कैपसूल, 50 हजार खाली कैपसूल, मशीनें ब्लाक, विभिन्न कम्पनियों के नाम के छपे हुए लेवल और सीलें बरामद की हैं। पुलिस ने एक ऐसी मशीन भी बरामद की है, तो दिन में पांच हजार से अधिक कैपसूल बनाती थी। बरामद की गई दवाइयां हैं—स्पैट्रान, बीकोसील, प्रैडनी सीलोन, डकैसामाथसोन, सी. पी. एम. गोलियां, पैरासीटामोल, टैट्रासायक्लीन, क्लोरोक्वीन आदि ऐसी अनेक दवाइयां थी जिनके लेवल असली दवाइयों से बियकुल मिलते जुलते हैं। एनालजीन नोवलजीन जैसी आम दवाइयों में तो भेद करना मुश्किल है।

माननीय मंत्री जी ने जो बिल सदन में पेश किया हैं, उसी के सन्दर्भ में मैंने आज से ढाई साल पहले बनारस में एक बहुत बड़ा एहसान मैडिकल हाल हैं, जहां से दवाइयां खरीदी थी, जिसमें एक मच्छर पाया गया। एक में मक्खी पाई गई यह शीशी अब भी मेरे पास है। यदि कोई माननीय सदस्य देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं। इस बात को मैंने हाउस के अन्दर रखा था। यह दवाई मैंने अक्टूबर या नवम्बर, 1980 को, जो ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज, बम्बई की है, 115 मिली. की खरीदी थी। इसी के साथ एक दूसरी मैडिसीन सूर्या कैमिकल्स डालीगंज-लखनऊ/क्लोरोफार्म स्प्रीट की बोतल खरीदी थी। वह बोतल बड़ी होने के कारण में यहां नहीं लाया हूँ। उस बोतल में भी मक्खी पाई गई है। उसी दिन मैंने, मंत्री जी सामने बैठे हुए है, उनको पत्र लिखा था और

कहा था कि इस प्रकार बोतल में मक्खी मच्छर पाया गया है। इसलिए इसकी जांच की जाए। इसके बाद 20 नवम्बर, 1980 को बंगाल केमिकल फर्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड पर बहस हो रही थी। इत्तफाक से मुझे उसमें बोलने का मौका मिला। उस वक्त भी मैंने इस बात का जिक्र हाउस में किया था। उस समय के तत्कालीन मंत्री, श्री पी. सी. सेठी, ने यह कहा कि यह संसद सदस्य के जीवन का मामला है और और इस पर गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जाएगी। उसी समय श्री अब्दुलगनी खां चौधरी जी ने यह कहा था कि इस पर अविलम्ब कार्यवाही करेंगे। उस वक्त आप ही चेयर पर बैठे हुए थे और आप को स्मरण होगा कि इस मामले को लेकर इसी सदन में काफी विवाद हुआ था।

उसके बाद पांच मास तक मैं प्रतीक्षा करता रहा। इतनी लम्बी प्रतीक्षा के बाद [illegible] को स्वास्थ्य मंत्री जी आपका एक पत्र आया जिसको पढ़कर मैं आज आपको सुनाना चाहूंगा। मैं वह पत्र भी आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जो मैंने उनको लिखा था। इन पत्रों से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की कार्रवाई आप और आपकी सरकार कर रही है। मेरा पत्र जो 27 मार्च 1981 का आपका था वह इस प्रकार था :

"20 नवम्बर 1980 को बंगाल केमिकल्स के अधिग्रहण पर हो रही चर्चा के दौरान ग्लैक्सो कम्पनी द्वारा पैराटान एवं सूर्या केमिकल्स द्वारा [illegible] की बन्द शीशियों में चींटी और मक्खी पाए जाने की चर्चा हाउस में गई थी। इस सम्बन्ध में मैंने सूचित किया था कि उक्त दवाएं मैंने खरीदीं और इसमें इस प्रकार की चीजें मिलीं जो एक संसद सदस्य के जीवन और मौत का विषय रहा है।

आपको स्मरण होगा कि हाउस में इस रहस्योद्घाटन पर काफी हंगामा हो गया। मांग भी हुई कि तुरन्त इन कम्पनियों की दवाओं को सील कर दिया जाए। हंगामे के बीच तत्कालीन रसायन मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया था कि इसे सरकार एक गम्भीर मामला मानती है और इस मामले पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। खेद है कि इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 27 नवम्बर 1980 को मैंने आपको भी पत्र लिखकर इस केस से अवगत कराया। नियम 377 के अन्तर्गत भी यह मामला सदन में उठाया गया और आज तक कुछ भी पता न चला। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार भी इस मामले को टालना चाहती है। मैंने कल दिनांक 26 मार्च 1981 को जो आप से हाउस में कहा [illegible] आपने तुरन्त जाँच करने का आश्वासन दिया।"

उपाध्यक्ष जी। आज जांच नहीं हुई। चार महीने के बाद मंत्री जी ने मुझे उत्तर दिया जो मैं सुनाना चाहता हूं।

"खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को क्रियान्वित करने का दायित्व राज्य सरकार का है और इस प्रकार जो कुछ भी कार्यवाही करनी हो वह सम्बन्धित राज्य सरकार के

परामर्श से करनी होती है । महाराष्ट्र सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि ग्लैक्सो लैबोरेट्रीज बम्बई खाने की औषधियों के निर्माण में अच्छी निर्माण पद्धतियों का पालन कर रही है तथापि फर्म को सलाह दी गई है कि वह पूर्ण स्वच्छता बनाए रखे और आपके द्वारा बताई गई मद के उत्पादन से सम्बन्धित प्रवेश अनुभाग में वायु बंध व्यवस्था करें।"

जब यह स्थिति है तो कैसे कहा जा सकता है कि आज जो बिल विचाराधीन है उससे जो वास्तविक मकसद है वह पूरा हो सकेगा । जो उत्तर आया है उससे साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र सरकार ग्लैक्सो कम्पनी पर विश्वास करती है और संसद सदस्य जो सदन में मच्छर वाली दवाई पेश करता है उस पर विश्वास नहीं करती । समझ में नहीं आता कि आज जो बिल पेश किया गया है क्या इससे पहले आजादी के 35 साल तक कोई ऐसा कानून नहीं था कि ऐसी कम्पनियों को सजा दी जा सके ? निश्चय है सजा की पहले भी व्यवस्था थी और इस कम्पनी को सजा दी जा सकती थी, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी कहां जा रही है । क्यों नहीं ग्लैक्सो कम्पनी और सूर्या कैमिकल्स कम्पनी को पकड़ा गया । एक साल के अन्तराल के बाद मैं हाउस को बता देना चाहता हूं कि उस कम्पनी का एजेंट मेरे पास आया था और स्वास्थ्य मंत्री जो जानते हैं और उनको मैंने बताया भी था कि उसने आकर मुझे चालीस हजार रुपये घूस देनी चाही थी ताकि मैं इस मामले को हटा लूं, वापिस ले लूं । मैंने तत्काल कहा था कि ऐसी घूस, ऐसे पैसे को मैं लात मारता हूं । यह मेरा सवाल नहीं है भारत की सत्तर करोड़ जनता का सवाल है ।

स्पीकर साहब से भी मेरी बात हुई थी । उन्होंने इस मामले को याचिका समिति को सौंप दिया था । खेद है कि याचिका समिति में भी यह मामला तीन चार महीने तक ऐसे ही विचाराधीन पड़ा रहा । मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को कि वह इस मामले को भूले नहीं, इसको याद रखा । अचानक मैं उनके यहां किसी काम से गया । तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके दवाई वाले मामले का क्या हुआ । मैंने नहीं बल्कि उन्होंने अपनी ओर से यह पूछा । मैंने समझा कम से कम उनको याद तो है । मैंने उत्तर दिया कि इस मामले को आपकी ब्यूरोक्रेसी खा गई है । आज तक कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला है ।

मंत्री जी ने तुरन्त ड्रग कंट्रोलर आफ इण्डिया से कहा और मुझ से कहा आप इत्मीनान रखें मैं इसकी अविलम्ब जांच कराऊंगा और दोषी पाये जाने पर निश्चित ही सजा दी जायेगी । मुझे इत्मीनान हुआ कि यदि एक मामले में गहराई से कार्यवाही हो गई होती तो औरों की हिम्मत नहीं होती कि वे गड़बड़ करें । मंत्री जी ने लिखा भी, मेरे यहां एक पत्र आया ड्रग कंट्रोलर आफ इण्डिया से कि 15 दिन के अन्दर आप दवायें, शीशी और पर्चियां या और जो कुछ आपने खरीदा हो उसको हमारे हवाले कर दें, या कोई समय बतायें ताकि हमारा आदमी आपके यहां से ले आये । कम से कम ड्रग कंट्रोलर को सोचना चाहिए था कि इस समय सेशन नहीं चल रहा है, बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो गरीबी की रेखा से निकल कर आये हैं, गांवों से

आये हैं और सत्रावसान के समय अपने क्षेत्र में जाते हैं और वहां रहते हैं, मैं उनमें नहीं हूं जो जो यहां रहते हैं। मैं दो माह से अपने क्षेत्र में था नतीजा यह हुआ कि पत्र की डेट वगैरह निकल गई। अब मुझे शक है कि अगर मैं बोतल आदि दूं भी तो वह कहेंगे कि अब तो इसकी ऐक्सपायरी डेट भी निकल गई और पुरानी पड़ जाने पर इसमें वैसे ही मच्छर, मक्खी पैदा हो सकते है। तो जब अधिकार है और कर्तव्य है उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी हो उसके स्वार्थ की लिप्सा और अकर्मण्यता इसमें अवश्य है।

इस बिल के द्वारा मंत्री जी का मकसद अच्छा है लेकिन एक उदाहरण दे दूं, छोटा सा एक केस है, उसके कागज अभी मुझे यहां नहीं मिल रहे हैं, मैं मंत्री जी को भेज दूंगा. एक ग्रोवर कम्पनी है, हमारे एक अधिकारी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 1978 में लखनऊ भेजे गये, इस बात को कल श्रीमती गीता मुखर्जी ने भी उठाया था, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें छोड़ दी थीं, मैं उस मामले के बारे में आपको बता दूं। वह अधिकारी यहां से गया और वहां जाकर उसने डेढ़ साल तक सत्य और निष्ठा के साथ अपना काम किया। ग्रोवर कम्पनी का आदमी उनके यहां पहुंचा और उसने कहा ग्लूकोज बनाने के लिए हमें लाइसेंस दे दीजिए। ड्रग कन्ट्रोलर आफ इन्डिया का निर्देश था, कुछ उसमें परिस्थितियां थीं, उसके मुकाबले उनको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था। उस अधिकारी ने कहा कि आपको इन कारणों से लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। फिर नतीजा क्या हुआ कि एक ईमानदार आदमी जो नकली दवायें बनाने के लिए लाइसेंस नहीं देता है उसको मुअत्तल कर दिया गया। चूंकि उसकी सेवा टैम्परेरी थी इसलिए समाप्त कर दी गई। यदि वह कुछ रुपये घूस के लेकर लाइसेंस दे देता तो वह आदमी पक्का और ईमानदार माना जाता। लेकिन चूंकि उसने लाइसेंस नहीं दिया इसलिए उसको हटा दिया। जब उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है···यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यहां सारे का सारा मामला देखकर यह पाती है कि यह आदमी निर्दोष है। सी. बी. आई. से भी जांच कराई गई, उसने भी साफ लिखा था कि यह मामला ग्रोवर कम्पनी का ही है, इसकी वजह से ही उसको टर्मिनेट किया गया है। उसके बाद उसको बहाल किया गया और दूसरी जगह पर रखा गया। जब उसकी प्रमोशन का सवाल आया तो उससे बिलो योग्यता वाला व्यक्ति वहां लाइन लगाये बैठा है और ईमानदार को यह मौका नहीं दिया जा रहा है। आज यह स्थिति है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप लाख कानून बनाईये, लाखों बार उसमें संशोधन कीजिए, आप मेहनत करते हैं, सोचते हैं, पब्लिक हित में आप काम कर रहे हैं, आपकी भावना है कि देश की जनता के हित में काम करेंगे और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आप इस ब्यूरोक्रेसी को ठीक नहीं करेंगे, जब तक इन अफसरों की नकेल आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

इस बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैराग्राफ 5 में लिखा है—

निरीक्षक को यह शक्ति देने का उपबन्ध है कि वह किसी ऐसे यान, जलयान या अन्य सवारी को रोक सके और उसकी तलाशी ले सके,

मैं लेने तो गया दवाई और मिल गया मक्खी और मच्छर। इन्सपेक्टर भी गये तलाशी लेने के लिए तो उन्हें न मालूम क्या मिल गया, यह आप जानें मंत्री जी जानें और यह कागजी विधेयक जाने। मैं जानना चाहता हूं कि क्या निरीक्षकों को अब तक शक्ति नहीं थी ?

एक देहात का रहने वाला व्यक्ति है, वह आर० एम० पी० वगैरह की डिग्री लिए बैठा है, वहां छोटे-छोटे निरीक्षक जाते हैं और कहते हैं कि तुम गलत दवाई बेचते हो। एम. बी. बी. एस. डाक्टर देहात में जाने को तैयार नहीं है, तो क्या वह इस प्रकार से ब्लैक मार्केट नहीं करेंगे ? मैं ऐसी तरुती देने के विरुद्ध हूं, ऐसी तरुती न दी जाये, बल्कि जिले में एक ऐसी इकाई स्थापित की जाये जो तुरन्त जाकर ऐसे कामों का निरीक्षण करे। हस्पतालों और ड्रग हाउस में दवाओं का निरीक्षण करे। इसी में एक और क्लाज है—

"एक नए आज्ञापक उपबंध का अन्तःस्थापन जिससे कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो किसी अनुज्ञप्ति का धारक है, ऐसे अभिलेख, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को जो विहित किए जाएं बनाए रखना तथा उन्हें संबद्ध प्राधिकारी के समक्ष तब जब उनकी अपेक्षा की जाए, पेश करना बाध्यकर हो जाए।"

रजिस्टर क्या वह चैक करेगा ?

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के हर काम के लिए एक रजिस्टर है और हमेशा जिला लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में रजिस्टर में पेश किये जाते हैं। कहां-कहां यह रजिस्टर पेश किये जायेंगे ? 142 आदमी जो नकली ग्लूकोज चढ़ाने से कानपुर में मर गये, क्या यह रजिस्टर उनको बचवायेंगे ? इस पर प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए।

इसमें दंड की व्यवस्था की गई है। इसके पेज 26 में लिखा कि ऐसे अपराधियों को क्या दंड दिया जायेगा और इसके क्लाज एक में दंड की व्यवस्था की गई है—

"ऐसी औषधियां जो मानक क्वालिटी की नहीं हैं और जिनसे मृत्यु हो जाने या रोगी के शरीर को ऐसी हानि होने की सम्भावना है, जो गम्भीर क्षति की कोटि में आएंगी, विनिर्माण या विक्रय के लिए कम से कम 5 वर्ष का कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा तथा कम-से-कम दस हजार रुपये जुर्माना।"

40 हजार रुपये घूस तो हमें दिया जा रहा था, मक्खी पाने पर, अगर 10 हजार रुपये जुर्माना ही किया जायेगा तो वह कैसे नहीं बनायेगा ?

मैं कहता हूं कि इसमें साफ लिखा जाना चाहिए कि जो व्यक्ति नकली दवाएं बनाएं या इस प्रकार की फोर्जरी करेगा, उसको मौत की सजा होगी।

पांच या दस हजार रुपए का जुर्माना काफी नहीं है। चालीस हजार रुपया तो इसे मिल रहा था।

श्री रामावतार शास्त्री : देने वाले को पकड़वाया नहीं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने सोचा कि मंत्री महोदय इस बारे में स्वयं कार्यवाही कर रहे हैं।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं मंत्री महोदय की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि हाथी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वह इस बिल को इस सदन में लाए और हमको इस पर बोलने का अवसर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बिल में जो कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

इस देश में आज नकली दवाओं और फर्जी डाक्टरों की वजह से आम लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक डाक्टर के बारे में सुना है कि एक प्रेगनेन्ट औरत उसके यहां एम. टी. पी. के लिए गई। वहां पर उसे परिवार नियोजन की कुछ दवा दी गई, जिससे वह मर गई। मैं मंत्री महोदय को इस केस के बारे में लिखकर भेज दूंगा। ऐसे डाक्टरों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है; जनता के जीवन और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए यह बिल जरूरी था, जिसके लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जो और दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

गवर्नमेंट के जो कर्मचारी तत्परता से अपना कर्तव्य निभाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। मैंने लखनऊ के एक कर्मचारी, श्रीवास्तव, का उदाहरण दिया है। ऐसे ईमानदार कर्मचारियों को डिपार्टमेंट से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए।

(इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।)

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 13 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय, पीठासीन हुए।)

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, अपने माननीय मित्र, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सदन में पेश किए गए इस विधेयक के उद्देश्यों का मैं समर्थन करता हूं। वे वास्तव

में अन-आपत्तिजनक हैं और बहुत प्रशंसनीय हैं। हमारे देश के लोगों और उनके स्वास्थ्य के के लिए नकली दवाइयों से एक गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। देश की जनता और इसके लोगों के स्वास्थ्य के लिए नकली तथा घटिया दवाइयों के उत्पादन से एक गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। लेकिन इस विधेयक में जो विशेष बात मेरे माननीय मित्र ने शामिल की है, वह है दण्ड-योजना में संशोधन और अधिक कड़े दण्ड का प्रावधान।

यह सत्य है कि नकली दवाओं के कारण हुई मौतों, इन दवाओं के हानिकर प्रभाव, इनमें से कुछ के प्रभावहीन होने और इन पर भारी मात्रा में आने वाले खर्च के प्रति जनसाधारण में बहुत क्षोभ है। इनमें से कुछ औषधियां अवमानक होने, क्योंकि हमारे देश के लोगों को निर्माता अपने अधिक विज्ञापन के कारण इनकी उपादेयता और इनके भोलेपन से भ्रम में डाल देते हैं, जिसके फलस्वरूप भारत के लोगों को इन पर अनावश्यक खर्च करना पड़ता है। श्रीमन् इस सदन में सभी क्षोभ के प्रति एक राय है, और सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं अपने माननीय मित्र को इन पर ध्यान देने और इस विधेयक को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं। सदन के प्रत्येक वर्ग ने मंत्री महोदय को आश्वासन दिया है कि वे घटिया, नकली और अवमानक दवाइयों को बाजार से समाप्त करने और इनके निर्माण और मार्किटिंग सम्बन्धी बचाव के रास्तों को खतम करने के लिए उठाये गये किसी भी कदम का समर्थन करेंगे।

लेकिन हमारे दिमागों में जो पहला प्रश्न उठता है, वह है कि क्या मंत्री महोदय यह दावा कर सकते हैं कि नकली, घटिया और अवमानक दवाइयों के निर्माण और बिक्री के लिए वर्तमान कानून के सभी प्रावधानों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्या यह कहा जा सकता है कि न खतम होने वाली प्यास की तरह और अधिक शक्तियों की केवल चाह ही है ? मुझे ये शब्द इस्तेमाल करते हुए अफसोस होता है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन बड़े उद्देश्यों के पीछे सरकार की मंशा यह है कि इन्हें केवल ज्यादा दण्ड देकर ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या ज्यादा दण्ड के अभाव की वजह से वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है ? क्या सख्त सजा ही केवल एकमात्र उपाय है ?

कठोर दण्ड के लिए कानून बना देने से सरकार औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के उपबन्धों को लागू करने के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाती। मेरे माननीय तथा प्रतिष्ठित मित्र जो पकंसुरा से हैं ने कल सभा में बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ठ कह दिया था कि सरकार वर्तमान उपबन्धों को कार्यान्वित न करके किस प्रकार से वर्तमान हालातों के लिए जिम्मेदार है ?

परन्तु वर्तमान उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आपको एक प्रभावी, कुशल तथा सक्षम मशीनरी की आवश्यकता है। आपको समस्या के मूल में जो कमियां हैं, उनको ढूंढने और समाप्त करने के तरीके की आवश्यकता है और सबसे अधिक आप में अपराधियों को पकड़ने तथा इन मारने वाली नकली औषधियों के व्यापारियों का पता लगाने की इच्छाशक्ति होनी

चाहिए ताकि उन्हें अलग-थलग किया जा सके, समाप्त किया जा सके। मुझे लगता है कि सांविधि पुस्तक में परिवर्तन करने से आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं होंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास यह कार्य करने के लिए प्रभावी, कुशल तथा सक्षम मशीनरी है ? क्या वर्तमान मशीनरी निरीक्षण के लिए, जांच करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नमूने लेने के लिए, परीक्षण करवाने के लिए, अभियोग चलाने और अदालतों में दोष सिद्ध कराने के लिए काफी संख्या में योग्य कर्मचारी मौजूद है ? क्या माननीय मित्र यह कह सकते हैं कि उन्होंने वर्तमान उपबन्धों का व मशीनरी का, वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत जो शक्तियां उन्हें प्राप्त हैं, उनका जितना यथा सम्भव उपयोग कर लिया है ? यदि वह ऐसा नहीं कह सकते, यदि मशीनरी में असफलता और अपर्याप्तता है, यदि जो शक्तियां उनको सभा द्वारा दी गयी है उनका पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया गया है, यदि वर्तमान हालातों के लिए ये असफलतायें जिम्मेदार हैं, तो उनके लिए इस सभा के पास असीमित शक्तियों और कठोर दण्ड के लिए आने की बजाय आत्मदर्शी होना चाहिए तथा अपने प्रशासन में वर्तमान गलितयों को सुधारना चाहिए।

आपको लगातार निगरानी तथा नियन्त्रण के लिए इस तन्त्र की आवश्यकता है। आपको प्रत्येक राज्य में विश्लेषण की सुविधाओं की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं यह स्वीकार किया है कि भारत में केवल चार राज्य हैं—महोदय, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। नाम लेना आपका अधिकार है।...

उपाध्यक्ष महोदय : हम भी ऐसा नहीं करते।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जहां पर तुरन्त, तथा पूरे विश्लेषण की सुविधायें हैं। अब महोदय, केन्द्रीय औषध नियन्त्रक प्राधिकरण तथा राज्य औषध नियन्त्रकों के मध्य तथा औषध नियन्त्रक प्राधिकरण व पुलिस के मध्य सम्पर्क की आवश्यकता है। महोदय आज निरीक्षण की क्या हालात है ?

उदाहरण के लिए, हमें आयातित बल्क ड्रग्स के गुणों के निरीक्षण को देखना चाहिए। 1979 में अप्रैल से अक्तूबर तक हमने 120 करोड़ रुपये की बल्क औषधियों का आयात किया। उनमें से 2960 नमूने लिए गए थे। उनमें से 16 घटिया श्रेणी के थे। 1980 में इसी अवधि के दौरान 64 करोड़ रुपये की बल्क औषधियां आयात की गयीं तथा 1783 नमूने लिए गए जिनमें से 30 दोषयुक्त पाए गए। 1981 में उसी अवधि में 73.64 करोड़ रुपये की बल्क औषध आयात की गयी तथा 1539 नमूने लिए गए और उनमें से 38 घटिया श्रेणी के पाए गए।

अब दो प्रश्न उठते हैं, एक तो यह पता चलता है कि लिए गए नमूनों की संख्या कम हो रही है और यह भी पता चलता है कि पता लगायी गयी घटिया औषधियों की संख्या बढ़

रही है। क्या यह ऐसी बात नहीं है जिससे माननीय मंत्री को जिस मशीनरी के वे प्रभारी हैं के हालातों को देखना चाहिए ? ये बल्क औषध देश में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की जा रही है। यह सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है। ये घटिया अवमानक औषधियां राज्य व्यापार निगम के जरिए कहां से आयात की जा रही हैं ? जब लिए गए नमूनों की संख्या कम हो रही है और फिर भी इससे पता चलने वाली घटिया किस्म की औषधों की संख्या बढ़ रही है तो आपने क्या कार्यवाही की है ? आप किस देश से, किस बहु-राष्ट्रीय कम्पनी से आयात कर रहे हैं। जो घटिया किस्म की औषध राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात की गयी हैं उनका आपने क्या किया है—उनको ठीक किया है, वापिस किया है या नष्ट किया है ?

7वें दशक में सलाहकार समिति की उपसमिति ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था। आई० डी० पी० एल० भी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, यह विदित है कि कुछ मामलों में वांछित मानक की औषध बनाने के लिए इनके पास तकनीक नहीं है। औषध नियंत्रक जो प्रशासन के इस विभाग के अध्यक्ष हैं वह आई० डी० पी० एल० व हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के सदस्य की हैं। वह यहां पर घटिया किस्म की औषधों के निर्माण को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ?

अब मैं निर्माण इकाइयों के निरीक्षण के प्रश्न पर आता हूँ। मैंने आयतों के निरीक्षण की बात की थी। अब मैं निर्माण इकाइयों के निरीक्षण की बात करता हूं। 1979 में इसी अवधि में निर्माण इकाइयों में 597 निरीक्षण हुए, दस मुकदमे चलाए गए। 1980 में पूरे भारत में निर्माण इकाइयों के 366 निरीक्षण हुए। 5 मुकदमे चलाए गए। 1981 में मुझे डर है कि मंत्री महोदय को धक्का पहुँचे कि निर्माण एककों के निरीक्षणों की संख्या 34 ही रह गयी और चलाये गए मुकदमों की संख्या केवल 4 निस्संदेह प्रगति है परन्तु प्रगति किस दिशा में ? 1979 में 597 से 1981 में उसी अवधि के दौरान, अप्रैल से अक्तूबर तक आप 34 पर आ गये। मेरा गणित बहुत अच्छा नहीं है परन्तु जहां तक निरीक्षण का सम्बन्ध है दर में यह गिरावट विस्मयकारी है। इससे क्या पता चलता है ? निरीक्षणों की संख्या कम क्यों हो गयी है और चलाए गए अभियोगों की संख्या कम क्यों हो गयी। यदि आपके पास मशीनरी है और यह सक्षम है तो निश्चय ही आपकी ऐसा करने की इच्छा नहीं है।

चलाए गए अभियोगों तथा दोष सिद्धि का संदर्भ कल मेरे माननीय मित्र श्री पाल, जो हुगली से हैं, द्वारा दिया गया था। उन्होंने ऐसे आंकड़े दिये जो घोर अकुशलता तथा अपर्याप्तता तथा इच्छाहीनता के परिचायक हैं। दुर्भाग्य से उन्होंने एक गलत राज्य चुना। महोदय, जब आप यहां हैं तो मैं उस राज्य का संदर्भ नहीं देना चाहता।

क्या वर्तमान दण्ड कठोर और सख्त नहीं है ? क्या ऐसी बात है कि प्रशासन मशीनरी

में कुशल होने के लिए प्रोत्साहन का अभाव है, क्योंकि उनका कहना है कि दण्ड पर्याप्त मात्रा में कठोर नहीं है ? यदि ऐसी बात है, तो यह अजीब तथा अभद्र प्रकार के प्रोत्साहन है जिनको माननीय मंत्री प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

अब मैं प्रशासन अर्थात औषध नियन्त्रक और राज्य औषध नियन्त्रक के प्रश्नों पर आता हूं। पंकसुरा से मेरी माननीय मित्र श्रीमती गीता मुखर्जी ने भी इस विषय पर विस्तार से बोला है। अतः मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। अहर्तायें निर्धारित नहीं की गयी हैं। महोदय आपको मालूम है क्योंकि आपको अधिकांश बातों की जानकारी होती है। परन्तु आपको निश्चित रूप से कुछ आश्चर्य होगा कि कुछ राज्यों में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों को औषध नियन्त्रक के पद पर नियुक्त किया गया है। पुलिस किस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करती है ? उनको कोई चिकित्सा या फार्मेसी प्रशिक्षण या अनुभव नहीं होता, बहुत से पद खाली हैं। मेरे साथी ने कल इसका संदर्भ दिया। विस्तृत शक्तियों का प्रयोग छोटे देशी निर्माताओं, आयुर्वेदिक, यूनानी, और सिद्ध दवाइयों के उत्पादकों को परेशान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि मेरे मित्र (मद्रास मध्य) के प्रतिनिधि श्री कलानिधि ने कल कहा था। मैं अपने माननीय मित्र को बता देना चाहता हूं कि यदि वे अधिक शक्ति लेकर छोटी इकाईयों को परेशान करने के लिए उनका उपयोग करते हैं और बड़ी मछलियों को अपने जाल से बच जाने देते हैं तो न तो वे आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे और न ही भारतीय जनता के स्वास्थ्य के उद्देश्य को। यह अच्छा है कि उन्होंने विधेयक से आयुर्वेदिक दवाइयों का उल्लेख किया है नियन्त्रक आवश्यक है मैं उन प्रावधानों का स्वागत करता हूं जिनमें औषध तकनीकी सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व किया गया है।

आयुर्वेदिक दवाइयों व भारतीय देशी दवाइयों का बाजार न केवल इस देश में बल्कि विदेशों में भी फैल रहा है। मुझे देशी दवाइयों में उनकी रुचि के बारे में पता है। मैंने इस बारे में उनसे बात की है। देशी चिकित्सा प्रणाली के विकास और प्रोत्साहन में इनकी वास्तविक रुचि से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं। अतः मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वे इस बात को दोबारा सुनिश्चित कर लें कि ऐसी कोई बात न हो जिससे देशी दवाइयों के निर्माण निरुत्साहित हों। उन पर कोई भार न डाला जाये।

अब आपने नकली औषधियों, अपमिश्रित औषधियां तथा मिथ्या छाप वाली औषधियों की व्यापक परिभाषायें दी हैं। आपने हाथी समिति की अन्य सिफारिशों को सम्मिलित क्यों नहीं किया ? माननीय मंत्री ने कल हाथी समिति का संदर्भ दिया था और कहा था "इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का एक कारण—मुझे हाथी समिति की चयन की गयी सिफारिशों के वाक्यांश से जोड़ना चाहिए था—कुछ सिफारिशों को प्रभावी करना है। माननीय मित्र ने इस मौके का लाभ अधिनियम को पूर्णतया व पर्याप्त रूप से संशोधित करने के लिए क्यों नहीं उठाया ? मैं नहीं जानता क्यों ? वह कहेंगे कि उनके पास पर्याप्त

समय नहीं था। हाथी समिति ने यह सिफारिश की थी कि औषध निर्माण करने के लिए लाइसैंस जारी करने की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नही होनी चाहिए बल्कि यह एक लाइसैंस जारी करने वाले बोर्ड में निहित होनी चाहिए जिसमें सम्बन्धित राज्य तथा क्षेत्रीय राज्य औषध नियन्त्रक प्राधिकरण, तथा भारत के केन्द्रीय औषध नियन्त्रक प्राधिकरण का वरिष्ठ सदस्य सम्मिलित होने चाहिए। किस वजह से मेरे माननीय मित्र ने इस विधेयक से ऐसा प्रावधान नहीं किया जिससे ऐसे लाईसैंसिंग बोर्ड की स्थापना की जा सके ? वर्तमान स्थिति के फलस्वरूप लाईसैंसिंग, तथा निर्माण व आयात तथा बिक्री या निर्माण की अनुमति देने के निर्णय तथा कुछ औषधों को बाजार से हटाने के निर्णय सभी में असंगतियां होती हैं। मैं एक या दो उदाहरण दे सकता हूँ। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी है कि अधिक समय नहीं है।

हाल ही में एक फर्म को रिफारन पीचिन तथा आई० एन० एच० को मिलाकर औषध निर्माण का लाईसैंस दिया गया था। मध्यप्रदेश में एक फर्म को यह अनुमति दी गयी थी। यह मिश्रण विश्व के विभिन्न औषध प्रबन्धकों द्वारा अनुमोदित है परन्तु यह कहा गया है कि टी० बी० एशोसिएशन के विरोध की वजह से इस महत्वपूर्ण औषध का जो कि टी० बी० तथा अन्य बिमारियों से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निर्माण करने की दो से अधिक इकाईयों को अनुमति देना सम्भव नहीं है। देश में एक समान नीति होनी चाहिए।

आप यह नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में एक इकाई को इसे बनाने की अनुमति दी जायेगी लेकिन तमिलनाडु को इसे बनाने की अनुमति नहीं दी जायेगी क्योंकि टी० बी० का मुख्यालय मद्रास में है। मैं तमिलनाडु का सिर्फ नाम ही ले रहा हूँ। इसका मतलब है कि देश के सभी भागों में। यह अपवाद क्यों ? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को हाथी समिति द्वारा परीक्षण औषध निरीक्षकों, की संख्या, उनके प्रशिक्षण, कानूनी और गुप्तचर सेल, आदि के बारे में दी गई सिफारिशों की जानकारी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि उन्होंने इस विधेयक में इन सिफारिशों को, जहां तक सम्भव हो सकता था; शामिल नहीं किया है।

हाथी समिति ने यह सिफारिश की है कि बड़ी संख्या में मूल औषधियों को उनके 'फर्माकोपिया' नाम से बेचा जाए न कि उनके ट्रेडमार्क के नाम से। क्योंकि इस तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तीसरे विश्व की जनसंख्या को लूटती हैं। मुझे आशा है कि उन्हें मेरे द्वारा 'लूट' शब्द का प्रयोग करने पर हिचकिचाहट नहीं होगी।

1978 में सरकार ने घोषणा की थी वह हाथी समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार करेगी और ऐनलजिन समेत पांच औषधियों पर इसे लागू करेगी। कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने सरकार के इस आदेश का उल्लंघन किया और बाजार में ब्रान्ड नाम की औषधियों का बराबर विपणन करते रहे। जब ऐसा किया जाता है तो देशी उत्पादकों को असुविधा होती है। एक

बहुराष्ट्रीय कम्पनी होचैस्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आवेदन किया। यह निर्णय दिया गया कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान अधिनियम में, ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जो उन्हें उनकी ब्रान्ड औषधियों को बाजार में बेचने से रोक सके। महोदय, यदि यह मामला है और कोई कानूनी कमी बताई गई है, तब देशी उत्पादकों के लिए अपने उत्पाद बाजार में बेचना मुश्किल हो जाएगा। यह कैसी बात है कि मेरे माननीय सहयोगी ने जो मुझे विश्वास है कि हमारी इस बात से सहमत हैं कि देशी उत्पादकों के साथ न्याय किया जाए, उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई कानूनी कमी को दूर करने का कोई उपबन्ध पेश नहीं किया।

अब मैं, इस विधेयक के नए उपबन्ध का उल्लेख करता हूं। मेरे माननीय सहयोगी ने कहा कि दो नए उपबन्ध रखे गए हैं। एक उपबन्ध में 'नकली औषधियों' की परिभाषा दी गई है। मैं समय का बहुत ध्यान रखता हूं। इसलिए, मैं विस्तार में चर्चा नहीं करता। लेकिन धारा 5 और 13 में, जो वर्तमान विधेयक में धारा 9, 17, 7क, 17ख, 17ग आदि के स्थान पर रखी गई हैं, कहा गया है कि यदि अनुमोदित रंग का प्रयोग नहीं किया जाना, निश्चय ही, मुझे इससे होने वाली पद्धति का पता है कि इसका अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कई मामलों में नकली, अपमिश्रित या घटिया किस्म की औषधियों का कारण रंग ही माना गया है। संभवत: यह आवश्यक है लेकिन जब यह नई शक्तियों के साथ जोड़ा जाता है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी रंग भी नकली होता है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जी हां, जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है हमें रंग के प्रति आकर्षण होना चाहिए लेकिन जहां तक रंजकता का प्रश्न है हमें रंग के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। रंग अपने आप में कई दोषों का प्रतीक है। मैं इस बात को यहीं समाप्त करूंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : हमें विवेकशून्य होकर भी रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जी, हां, हमें रंगों का बिना सोच समझ के प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा अपने सहयोगी (रामविलास पासवान) द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार करने को तैयार हूं।

जब इस परिभाषा को शक्तियों के पैमाने से जोड़ा जाता है तो इससे बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। मुझे आशा है मेरी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। जब इस परिभाषा को इस हद तक व्यापक बनाया जाता है और तभी आपने इसे कड़ी शक्तियों के संशोधित पैमाने से जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि सरकार गंभीरता पूर्वक इसे लागू करना अथवा गलत तरीके से लागू करना चाहती है, तो यह न्याय की हत्या होगी। छोटे लोग उसकी पकड़ में आ सकते हैं और उनको दण्ड दिया जा सकता है जबकि बड़े लोग मुसीबत से अपनी

जान बचा लेंगे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कठिनाइयों से बच जाएंगी। केवल छोटी कम्पनियां ही फंसेगी और मेरे माननीय सहयोगी का हथौड़ा उन्हीं के सिर पर पड़ेगा।

महोदय, इस विधेयक में एक अन्य उपबन्ध भी है जिसे मैं केवल इसलिए हानिकर नहीं कहूंगा, क्योंकि इस विधेयक के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना है और लोगों के स्वास्थ्य के शत्रुओं से निपटना है। इसलिए, मैं इसे हानिकर नहीं कहता। अन्यथा इसे पूर्णरूप से हानिकर और आपत्तिजनक माना जाना चाहिए। विधेयक में वह संक्षिप्त विचारण का एक नया उपबन्ध भी जोड़ना चाहते हैं। नए उपबन्ध 36क का अर्थ है कि आवश्यक रूप से संक्षिप्त विचारण होना चाहिए; और संक्षिप्त विचारण में आप व्यक्ति को एक वर्ष का दंड दे सकते हैं। कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसी निर्धन व्यक्ति को पकड़ सकता है, जिसका बहुराष्ट्रीय कम्पनी से कोई सम्बन्ध नहीं है वह उसे पकड़ कर धमका कर संक्षिप्त न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है और उसे एक वर्ष का दंड सुनाया जा सकता है। मैं कठोर सजा देने के पक्ष में हूं। में कठोर दंड अनिवार्य करने के पक्ष में हूं, जिसमें कारावास भी शामिल है। मैं विचारण शीघ्र का हर प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अपराध सिद्ध करने और निरपराध व्यक्ति को अपना बचाव करने की प्रक्रिया को कम अथवा समाप्त नहीं कीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : कुछ लोग बच जायेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आपको अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। मेरे माननीय सहयोगी अपने मामले पर तर्क देने में पर्याप्त रूप से सक्षम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ठीक है। आपको इस विधेयक पर अपना मत देने के लिए बुलाया जाएगा। कृपया तब तक इंतजार कीजिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यह सामने बैठी सरकार की मनमानी नीति है। चाहे यह आवश्यक सेवाएं अधिनियम हो या संसद द्वारा हाल ही में पारित किया गया कोई अन्य विधेयक हो, हमेशा ही न्यायिक प्रक्रिया को कम करने का प्रयास किया गया है, हर एक के लिए संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था की गई है जिसमें वे मजदूर भी शामिल हैं, जिन पर ऐसा संदेह है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है जिससे उत्पादन में बाधा पड़ी है जैसा कि आवश्यक सेवाएं अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है।

अब मैं आयात के प्रश्न का उल्लेख करूंगा। मैं सभी खंडों पर चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन हाथी समिति ने सिफारिश की है कि उन औषधियों के आयात की जो सामान्यतः रक्षक अथवा प्रभावी नहीं मानी जाती, अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की है कि यहां तक कि पेटेण्ट या प्रोप्राइटरी, दवाइयों के मामले में भी उनको आयात करने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक की उनके 'कन्टेनर' के लेबल पर मात्रा

के साथ-साथ सही फार्मूला तत्वों की सूची निर्धारित रूप में नहीं गई हो। मन्त्री महोदय ने विधेयक में ऐसी कोई योजना पेश क्यों नहीं की है ? मैं उन पर कोई आरोप लगाना नहीं चाहता। लेकिन उनके उत्पादन को इस देश में हर जगह से आयात किया जाता है। क्या आप उनके लिये यह अनिवार्य करना चाहते हैं कि औषध में कौन-कौन से घटक मिले हुए हैं ? मेरे माननीय सहयोगी यदि ऐसी बात नहीं है, तो मुझे संदेह है कि जहां तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सम्बन्ध है इसमें किसी तरह की भय की भावना व्याप्त है। आप अंधाधुंध आयात की अनुमति क्यों देते हैं ? एक तरफ आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और दूसरी तरफ, आप अंधाधुंध आयात की अनुमति देते हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा कम होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वयं कहा है कि एक विकासशील देश 200 आवश्यक दवाइयों का आयात कर सकता है। हाथी समिति ने इसकी संख्या 44 बताई है जबकि आज इसकी संख्या 15,000 से अधिक है। क्या सचमुच जीवन रक्षक आवश्यक औषधियों की जांच करने, उनका कम आयात करने, उनकी वैज्ञानिक जांच करने, उनका चुनाव करने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे विचार में ऐसा नहीं किया जा रहा है। क्या उनकी देख-रेख की जा रही है ? अथवा क्या हम स्वयं को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा गुमराह करना चाहेंगे ? इसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लोभ और नीति-निर्धारण करने वाले प्रशासकों, मेरे माननीय सहयोगी नहीं, वरन् अन्य प्रशासकों की मिलीभगत का पता चलता है। कई बार उत्पादक को प्रभावी अथवा हानिकारक औषधि के मामले में, जैसा कि आस्ट्राजन प्रोजेसटोजन के मामले में बताया गया है, अपनी बात सिद्ध करने का अवसर दिये बिना औषधियों को अनुमोदित सूची से निकाल दिया जाता है। कभी-कभी औषधियां अनुमोदित सूची से निकाल दी गई हैं और उनका प्रयोजग जिन उत्पादक देशों वे देश जो उसके प्रयोग के प्रभाव का पता लगाते हैं—में निषिद्ध करार किया गया है, उनको भी आयात करने तथा इस देश में बेचने की अनुमति दी जाती है। क्या मेरे माननीय सहयोगी को इस बात का दुःख नहीं है कि इस देश में यह सब हो रहा है ? उन औषधियों को, जो उन्नत देशों में निर्मित तथा प्रयोग की गई और बाद में इसके हानिकारक प्रभाव को देख कर उन्हें अनुमोदित सूची से निकाल दिया गया, इस देश में आयात करने की अभी भी अनुमति दी जाती है। मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं। वे एच० पी० टी०, फेनासिटीन, डिपीमोन (एनलजीन) एमीडोपायरीन, जिसमें कहा जाता है कि केनसिनाजेनिक तत्व पाए जाते हैं। हमारी सरकार अभी भी ऐसी औषधियों का आयात करने की अनुमति क्यों दे रही है क्या मेरे माननीय सहयोगी को तीसरे विश्व का शोषण करने के प्रयास की, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा तीसरे विश्व के प्रशासकों के विवेक को समाप्त करने के प्रयास की जानकारी है। वे तीसरे विश्व के लोगों पर, अपनी निर्मित औषधियों की प्रभावकारिता सिद्ध करने के लिए उन्हें 'गिनी-पिग' मानकर, कठोरता और द्वेष भाव से अनुमोदित औषधियों का परीक्षण कर रहे हैं। वे अपने देश में उन औषधियों को नहीं बेचेंगे बल्कि वे आपको बेचने के लिए बाध्य करेंगे या खुशामद करेंगे। मनमानी का एक अन्य

उदाहरण यह है कि वे विश्व बाजार में स्वीकृत औषधियों के आयात या निर्माण की अनुमति तब तक नहीं देते जब तक कि उनकी जांच नहीं कर ली जाती। मैंने इनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया है कि आयात की नीति में बहुत मनमानी की जा रही है। यदि आप हाथी समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करें तो इसे रोका जा सकता है अथवा कम से कम उसे कम तो किया जा सकता है। चूंकि मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि इस विधेयक के द्वारा हाथी समिति की मुख्य आवश्यक सिफारिशों को पेश करने का प्रयास किया गया है, इसलिए मैं नहीं जानता कि वे इन कमियों को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं करते। जो भी हो, न तथा इस पक्ष के मेरे माननीय मित्रों की तरफ से अपील करता हूं कि इस पक्ष से अभी कोई सदस्य यह नहीं बोला है कि देश के लोगों का स्वास्थ्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियां द्वारा परीक्षण करने की वस्तु न हो जाये।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैंने अपने माननीय मित्र के धैर्य की परीक्षा कर ली है। धन्यवाद।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून किस लिए बनाए जाते हैं? मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूँगा कि 1940 का बना हुआ यह कानून था, इसके अन्तर्गत कितने लोगों को अभी तक सजा दी गई है। जब कानून लागू नहीं होता तो सरकार कानून को और मजबूत बनाती है और उसकी आड़ में कहती है कि हमने कानून को और भी सख्त बना दिया है और उससे लोगों में भय पैदा हो गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो पहले का एक्ट है उसके क्लाजेज के अन्तर्गत कितने लोगों को पनिशमेंट मिला है। सवाल यह है कि आप कितनी भी अच्छी व्यवस्था क्यों न कायम करें लेकिन अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो आपको सफलता नहीं मिल सकेगी। हां, इस विधेयक का एक लाभ यह जरूर होगा कि जो इंस्पेक्टर हैं वे माला-माल हो जायेंगे। इसलिए देखना यह है कि कोई भी कानून बनता है उसको लागू करने की तमन्ना या मजबूती सरकार में है या नहीं या केवल सरकार इसीलिए कानून बनाती है कि लोगों में भय पैदा हो जाए?

एक बात और भी है। आज महाराष्ट्र में दो हजार कारखाने हैं और 94 इंस्पेक्टर्स हैं। इसी तरह से सारे देश में लाखों दूकानें हैं। इसके अलावा हिन्दुस्तान में 6 लाख नकली डाक्टर्स भी हैं। वे रेलगाड़ियों में अपनी रामबाण औषधि लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि दवाई लेते ही रोग गायब। रोग के साथ साथ रोगी भी गायब। तो ऐसे 6 लाख नकली डाक्टरों का क्या इलाज आप करने जा रहे हैं? यहां दिल्ली में ही गलियों में कितने ही ऐसे डाक्टर बैठे हुए हैं। तो एक तरफ जहां नकली डाक्टर हैं वहां नकली दवायें भी हैं। इन नकली डाक्टरों की संख्या की बाबत कहा गया है: यह सरकार नीम-हकीमों को प्रोत्साहन दे रही है। राजधानी में चिकित्सा करने वाले 70 प्रतिशत लोग नीम-हकीम हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के

नव-निर्वाचित अध्यक्ष डा० गर्ग का कहना है कि सरकार उन्हें और प्रोत्साहन दे रही है। डा० गर्ग ने एक साक्षात्कार में बताया कि बहुत से लोगों ने, जिन्हें इस प्रणाली का कोई ज्ञान नहीं देशी चिकित्सा प्रणाली, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा कहा गया है, की प्रैक्टिस की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है और सरकार से निवेदन किया है कि वे इस प्रश्न को समाप्त करें। सरकार ने इन लोगों को इस आशा से प्रोत्साहन दिया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देशी चिकित्सा प्रणाली की प्रैक्टिस करेंगे।

यह 6 लाख नकली डाक्टर्स हैं जो कि रेलगाड़ियों में घूम कर दवाइयां बेच रहे हैं।

इसी प्रकार से यहां पर एसेंशियल कमोडिटीज के सम्बन्ध में कानून आता है कि काला-बाजारी बन्द कर दी जायेगी। काला-बाजारी तो बन्द होगी नहीं, हां, कानून में सख्ती लाई जायेगी। लेकिन इस बिल में मैंने एक नयी बात देखी है। स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कैसा कानून है जिसमें आप लोगों को छोड़ना भी चाहते हैं ?

जब मैंने क्लाजेज पढ़े तो मालूम हुआ कि इस कानून में सेक्शन 18 में आपने कुछ तब-दीली नहीं की है—

"ऐसी तारीख से जो इस बाबत सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए, कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा—

(क) विक्रयार्थ विनिर्मित नहीं करेगा या विक्रय नहीं करेगा या स्टाक में नहीं रखेगा या विक्रय के लिए अभिदर्शित नहीं करेगा या वितरित नहीं करेगा

(एक) कोई औषधि या प्रसाधन सामग्री जो मानक क्वालिटी की नहीं है···

मुझे पूरी धारा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आगे कहा गया है :

"परन्तु यह और भी कि केन्द्रीय सरकार बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त और सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के अध्यधीन किसी औषधि या औषधियों के वर्ग के, जो मानक क्वालिटी के न हों, विक्रय के लिए विनिर्मित करने, विक्रय या वितरण की अनुमति दे सकेगी।"

पहले तो आप कह रहे हैं कि इस तरह की दवाएं बेचने नहीं दी जायेंगी और फिर आप कहते हैं—

नहीं, कुछ मामलों में हम उन्हें अनुमति दे सकते हैं।

अब एलाउ करना चाहते हैं तो फिर इसका सवाल कहां पैदा होता है। अब आप एलाउ करना चाहते हैं तो आप दवाएं बेच सकते हैं।

फिर आप एक जगह कहते हैं कि हम सजा देंगे। बड़ा अच्छा कानून बनाया है। उधर से बोलने वालों ने कहा कि बड़ी सजा कर दी है।

मैंने एक क्लाज पढ़ी है—विधेयक के खंड 30 में कहा गया है :

"(1) जो कोई किसी ऐसे अपराध का—

(क) धारा 27 के खंड (ख) के अधीन सिद्धदोष होने पर उस खंड के अधीन किसी अपराध का पुनः सिद्धदोष होगा यह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम न होगी किन्तु जो छह वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम न होगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय निर्णय में वर्णित किए जाने वाले किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों से दो वर्ष से कम के कारावास का और दस हजार रुपये से कम के जुर्माने का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा;

आपने कानून बनाया है। आप कानूनों में सजा बढ़ाने के लिए। कोशिश करते हैं, लेकिन साथ-साथ प्राविजो भी रखते हैं। उसे उस धारा के अन्तर्गत भी सजा नहीं दी जा सकती।

गिरफ्तार कर सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, 10 साल की सजा दे सकते हैं। आप सजा तो दे सकते हैं लेकिन आप सेकण्ड पनिशमेंट क्यों देना चाहते हैं। एक बार किसी आदमी ने गलत दवाई बेची। उस समय उसको एक साल की सजा और जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा। अगर दूसरे साल फिर वह कुसूर करता है तो आप कहते हैं कि सजा ज्यादा हो जाएगी। मैं कहता हूं कि जिस आदमी ने नकली दवाएं बेची हैं, उसे दुबारा इजाजत क्यों दी जाती है ? उसे पुनः क्यों अनुमति लेनी पड़ती है ? इस तरह से आप उसको भी धंधा करने के लिए परमीशन देना चाहते हैं। एक तरफ आप नकली दवाओं को बेचने वालों को सजा देना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं को ज्यादा सजा देकर फिर मौका देना चाहते हैं।

तो मेरी प्रार्थना यह है कि जिन लोगों ने एक बार गुनाह कर दिया है, उनको दुबारा मौका मत दीजिए। दुबारा मौका देने का मतलब होता है कि उसको और चांस मिलता है कि वह किसी और तरीके से अपना धंधा करे, जैसा कि मैंने पहले बताया है। सजा का जो प्रावीजन है।, (बी)-कहा गया है

"तथा उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वह औषधि या प्रसाधन सामग्री है जिसके बारे में अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है, लिखित आदेश दे सकेगा कि वह ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक जो बीस दिन से अधिक की न हो, ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के स्टाक का व्ययन न करे..."

उसे पुनः सजा दी जा सकती है और उसे उन औषधियों का निर्माण करने की अनुमति दी जाती है।

अगर आप एक दफा लाईसेन्स दे देते हैं, वह नकली दवाई बनाता है और पकड़ लिया जाता है तो आप उसे दुबारा इजाजत देते हैं कि तुम दवाई बना सकते हो। तो मुझे आपकी यह बात ठीक नहीं लगी और जो आपने यह बिल बनाया है, उस बिल के अन्दर आपने जान-बूझकर के लूपहोल्स रखे हैं और वो लूपहोल्स ये हैं कि अगर वो दवा खराब भी है तो वापिस उसको दे सकते हैं। मुझे कुछ मालूम हुआ इस एक्ट के बनाने में केवल आपने सजाएं बनाई जरूर हैं। लेकिन सजाओं में यह कहीं नहीं लिखा है कि यह पांच वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है। यह दस वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है, इसका अर्थ यह है कि उसे एक दिन की सजा भी दी जा सकती है। वह सजा है। यह एक अनिवार्य सजा होगी अथवा उसे कम से कम एक वर्ष की सजा मिलेगी। समूचे विधेयक में किसी भी न्यूनतम अवधि की व्यवस्था नहीं की गई है।

अब आपने कहा है कि हम जो पैटर्नल मेडीसीन हैं, जो हमारे बाप-दादा बेचते आए हैं, उन दवाओं का हम छान-बीन नहीं करेंगे। वे कहते हैं :

"पेटेन्ट अथवा प्रोपराईटरी मेडिसन" का अर्थ है—

"जिसे पेरेन्टरल रूट तथा अधिकृत पुस्तकों में उल्लेखित फारमुलेशन के अनुसार दिया जाता है जैसे कि खंड (क) में कहा गया है।"

आज कई लोग गांवों में बैठे हुए हैं जैसे क्वेक्स हैं, वो पुरानी दवाएं देते हैं। राजस्थान में उन्होंने कई लोगों की आंखें फोड़ दीं दवा लगाकर के। आपने राजस्थान का कोई जवाब नहीं दिया है। आपको मालूम है कि ये क्वेक्स लोग पानी दे देते हैं इन्जैक्शन की जगह और पैसा ले लेते हैं। आपने केवल एक्ट बना लिया। इसमें दो-चार बातें अच्छी कह दी हैं और इस एक्ट को आपने थोड़ा वाईड कर दिया है। जानवरों के हित के लिए, आदमियों की भलाई के लिए और अब आपने इसमें कास्मेटिक्स भी इन्कलूड कर दिया है, साबुन भी है। लेकिन इसकी जांच कौन करेगा, सीज कौन करेगा। इन्सपेक्टर आपके पास हैं या नहीं। जैसा मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, गुजरात में जहा दवाईयां बनती हैं वहां भी इन्सपैक्टर नहीं है। जो नमूने पकड़े जाते हैं वे बहुत कम पकड़े जाते हैं। इन्सपैक्टर के तो माहवार बंधे हुए हैं। वहां तो जितने ज्यादा सख्त कानून बनायेंगे, वे नजराना ले लेंगे। उनकी प्रापर्टी बढ़ती है। इसलिए मेरा सवाल यह है कि इस कानून को बनाने के लिए पहले आप मेहरबानी करके कुछ न कुछ मेन्डेटरी प्रोविजन करिए कि उनको इतनी मीनिमम पीरियड की सजा होगी और जो आदमी गलत दवाएं बनाते हैं वापिस उनको बनाने की इजाजत मत दीजिए। आपने इसमें यह भी क्लाज कर दिया कि एक दफा पनिशमेन्ट मिल गई फिर उसने गलती की और दुबारा पनिशमेन्ट मिल गई। ये दस या बीस हजार रुपए का जुर्माना दे देते हैं और जुर्माना देकर के दो लाख बना लेते हैं।

यह कानून जो आपने बनाया है, इस कानून में बहुत से लूपहोल्स हैं। कई दफा जो गरीब लोग हैं, छोटे-छोटे लोग हैं, फंस जायेंगे और पैसे वाले लाभ उठायेंगे। तो आपने जो कानून बनाया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन एन्फोर्समेंट ईमानदारी के साथ हो। मेरी समझ में मुश्किल है क्योंकि आपने इसको डिटेल में ले लिया। बिल इस तरह से लागू करेंगे, वो करेंगे लेकिन यह सारा होना नहीं है और सम्भव नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिसका आपने समर्थन नहीं किया है। आपने सबका समर्थन किया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सब विधेयकों का समर्थन किया है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जी हां।

पिछली बार जब यहां नकली दवाइयों के सम्बन्ध में बहस हुई थी तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी एक व्यापक बिल वह लाएंगे। उसके उपरान्त यह बिल यहां प्रस्तुत किया गया है। काफी अच्छा यह बिल है। लेकिन कुछ कमियां जरूर नजर आती हैं और उनको दूर किया जाना चाहिए।

नकली दवाइयां जो बनाने वाली कम्पनियां हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं या दूसरे लोग हैं, जो इस धन्धे में लगे होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आपने दो साल से दस साल तक की सजा का प्रावधान किया है और किसी की मृत्यु हो जाने की हालत में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है यह भी आपने प्रावधान किया है। मैंने पहले भी सुझाव दिया था और आज फिर देना चाहता हूं कि नकली दवाई के सेवन से और किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो इसको एक कत्ल का मामला माना जाना चाहिए और जो सजा कत्ल करने वाले को दी जाती है वह सजा इसको भी दी जानी चाहिए। मृत्यु दंड का प्रावधान निश्चित रुप से इसमें किया जाना चाहिए। इससे नकली दवाइयां बनाने वालों पर कुछ अंकुश लग सकेगा।

दिल्ली में बहुत बड़ी नकली दवाइयां बनाने का कारखाना पीछे पकड़ा गया था। अखबारों में भी यह चीज आई थी। यह कारखाना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर नकली दवाइयों की बिक्री एक बहुत लम्बे अर्से से कर रहा था। पकड़ने के बाद क्या आपको पता कौन-कौन सी नकली दवाइयां उन्होंने बनाईं, उनसे आम लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा, कितने लोगों को उनसे नुकसान पहुंचा, कितने लोगों को आपने प्रासीक्यूट किया, क्या उनको

सजा मिली या क्या कार्यवाही उनके खिलाफ हुई, इस प्रकार की कोई भी जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई है। मैं यह भी चाहता हूं कि न केवल इस केस की बल्कि आगे भी जो भी केस आपके सामने आएं उनके बारे में जानकारी आप हमको समय-समय पर देते रहें।

बहुत से केसिस ऐसे भी देखने में आए हैं कि डिस्टिल्ड वाटर के स्थान पर खारी पानी भर दिया जाता है, खाली कैपसूल बन्द करके बेच दिए जाते हैं और लोगों को चकमा देकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लोगों की रक्षा करने के लिए आपकी जो मशीनरी है वह क्या कर रही है और किस प्रकार की व्यवस्था आप कर रहे हैं, यह भी हम आप से जानना चाहेंगे। डागा जी ने ठीक ही कहा है कि आपके पास इन्सपेक्टर कम हैं, मशीनरी की कमी है और सब स्थानों पर जाकर आप इसके सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इस वास्ते आपको अपनी मशीनरी को ठीक करना होगा, इस चीज की ओर ज्यादा व्यापक व्यवस्था करनी होगी। साथ ही डाक्टरों की या दूसरे लोगों की जो ऐसे कारखानेदारों से मिली भगत रहती है, इसको भी आपको देखना होगा। इनका कमीशन बंधा रहता है। डाक्टर या अन्य लोग जिन का सम्बन्ध नकली दवाइयां बनाने वालों से है, उनकी भी आपको छानबीन करनी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। तभी इस बुराई को आप दूर कर सकेंगे। आज भी ऐसा होता है कि डाक्टर जो प्रेस्क्रिपशन लिखता है कहीं-कहीं वह कह देता है कि अमुक स्थान पर जाकर दवाई ले आओ। इस प्रकार उसके रिश्ते बंधे रहते हैं, हिस्सा बंधा रहता है। इस प्रकार की बुराइयों को भी आपको दूर करना चाहिए।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा जो दवाइयां बनाई जाती हैं और जो विदेशों में रिजैक्ट कर दी गई है, बन्द कर दी गई है, उन पर पाबन्दी लगा दी गई है, उनको हमारे देश में आज भी इम्पोर्ट किया जा रहा है। और यहां तक कहूंगा कि वह अपने प्रभाव के जरिये से, पैसे के असर से कोर्ट में जाकर के या अधिकारियों से मिलकर इस बुराई को हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है ताकि उन दवाओं का बुरा असर हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर न पड़े।

कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि आई० डी० पी० एल० ने 29 करोड़ रुपए का घाटा दिया है। एक तरफ लोगों को पेटेन्ट मैडिसिन न मिले और उस कारखाने में यह पेटेन्ट मैडिसिन्स पड़ी-पड़ी टाइप बार्ड हो जायें, ऐसे मिसमैनेजमेंट के लिए आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है। प्रोडक्शन किया लेकिन प्रोडक्शन लोगों तक नहीं पहुँचा और उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से 29 करोड़ रुपये का घाटा हुआ उसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? और करोड़ों रुपये की जो दवायें टाइम बार्ड हो गई हैं ऐसी औषधियों के सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है? आपके अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या ऐक्शन लिया है, यह मैं जानना चाहता हूं। इतना महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट जो आपके हाथ में है जिसका असर देश के स्वास्थ्य पर

पड़ता है वह प्रोजैक्ट अगर घाटे में चलता हो, वहां जो दवाईयां बनती हैं उनके लिए बाजार में ऐसा वातावरण बने कि वह उपलब्ध नहीं हैं और लोगों को नुकसान उठाना पड़े, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और जो भी अधिकारी मिसमैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हों उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलत कार्यवाही वहां पर न हो। जब तक इसकी समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा।

जितनी भी नकली दवायें पकड़ी जाती हैं, और जैसा बताया गया कि चार स्थानों के अलावा कैमिकल ऐग्जामिनेशन आदि की व्यवस्था नहीं है, मेरी मांग है कि इस प्रकार की व्यवस्था हर प्रान्त में कम से कम एक-एक स्थान पर अवश्य होनी चाहिए, ऐसी मशीनरी होनी चाहिए जहां नकली दवाओं का ऐग्जामिनेशन हो सके। हर स्टेट में कंट्रोलर आफ ड्रग्स की मशीनरी या जांच करने की व्यवस्था का होना जरूरी है। ताकि लोगों को ठीक प्रकार से औषधि उपलब्ध करा सकें। अगर यह व्यवस्था माकूल नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। इसलिए इस व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहिए।

इन्सपैक्टर्स का मामला है, आज देश में हर विभाग में इतने इन्सपैक्टर्स हो गए हैं कि उनकी वजह से आम लोग बहुत तकलीफ में हैं, और खास तौर से धंधा करने वाले लोग बहुत परेशान किये जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि जो गलत लोग हैं उनको छोड़ा जाये। मगर यह भी नहीं होना चाहिए कि इन्सपैक्टर्स की वजह से गलत आदमी तो पैसा देकर छूट जायें, और उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो। यह व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए ताकि गलत तत्वों को सजा दे सकें जो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और गलत दवायें देने वालों को सजा नहीं दिला पा रहे हैं।

तीसरी बात यह कि लाइसेंसिंग पौलिसी में आपको आमूल चूल परिवर्तन करना चाहिए। अभी कहा गया है कि जो आदमी नकली दवाएं बनाने के अन्दर प्रासीक्यूट हो जाता है, उसको सजा हो जाती है। ऐसे लोगों को कन्टीन्यू नहीं किया जाना चाहिए। अगर वह कन्टीन्यू करेंगे तो निश्चित तरीके से उसी प्रकार की दवाएं वह बनायेंगे और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। इसलिए उनके लाइसेंस जप्त होने चाहिएं। यह व्यवस्था तमाम स्टेट लेवल पर होनी चाहिए ताकि माकूल तरीके से यह काम हो सके।

एक माननीय सदस्य ने पनिशमैंट के बारे में हार्श-नैस की बात कही। मैं दूसरे प्रकार की बात कहना चाहता हूं कि जो नकली दवाएं बनाने वाले लोग हैं जिनके सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने प्रावधान किया है कि 2 से 6 साल, 6 से 10 साल और आजीवन कारावास की व्यवस्था की है, ये और ज्यादा मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। समरी ट्रायल आवश्यक है। क्रिमिनल केसेज जो 2, 2 और 4, 4 साल तक चलते हैं, उनके फैसले न होने की वजह से

क्रिमिनल्स, जिन्होंने निश्चित तरीके से इस प्रकार के क्राइम किये हैं, वह भी टाइम निकल जाने से, गवाह बेकार हो जाने से छूट जाते हैं। आपने जो इस प्रकार का प्रावधान किया है, वह निश्चित तरीके से इन केसेज के लिए बिलकुल सूट करता है। इसलिए समरी ट्रायल के साथ-साथ और हार्शनेस ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए, तभी यह व्यवस्था ठीक हो सकेगी।

आपने आयुर्वेद के सम्बन्ध में कुछ प्रावधान किया है। इसमें भी बड़े घपले होते हैं। इसमें भी लोग लो-क्वालिटी की सामग्री खरीदकर जिस प्रकार लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं वह भी विचारणीय प्रश्न है। आपने आयुर्वेद की नकली दवा बनाने वालों के लिए कम सजा रखी है, इससे ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। एलोपैथी में जिस प्रकार की आपने व्यवस्था सजा की ही है, उसी प्रकार आयुर्वेद के लिए भी होनी चाहिए। जिन लोगों की दवाओं से मृत्यु हो जाती है,

उनको आजीवन कारावास की सजा आयुर्वेद की नकली दवाओं के बनाने वालों के लिए भी जरूरी है जो कि इसमें नहीं है। इसके लिए आपने 1, 2 साल की सजा दी है। मेरा कहना है कि नकली दवा चाहे आयुर्वेद की हो, एलोपेथी की हो या यूनानी की हो, इनके बनाने वालों के साथ सजा में भेदभाव नहीं होना चाहिये। मृत्यु और बीमारी सभी हालात में एक है, नकली दवाओं से जो स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, वह भी एक-सा है, इसलिए कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो गलती करता है, चाहे आयुर्वेद की दवाओं में, एलोपैथी की दवाओं में हो या यूनानी में हो, अन्य किसी भी प्रकार की औषधि में हो, उन सब को माकूल सजा होनी चाहिये, तब जाकर सारी व्यवस्था ठीक बैठेगी।

मैं एक नजीर देना चाहता हूं। हमारे यहां महां-योगीराज गुग्गल बनता है जिसमें गुग्गल से यह दवा बनाते हैं। राजस्थान में घटिया किस्म की गुग्गल खरीदी गई। वहां का जो आयुर्वेद का डायरेक्टर है, उसने उस गुग्गल को नष्ट करवा दिया अपने आपको बचाने के लिए। इस प्रकार से गलत गुग्गल खरीदकर लोगों के साथ जिस प्रकार का वह खिलवाड़ करने वाला था, ऐसी औषधियों जो भी बनाने वाले हैं, चाहे भस्म हो या च्यवन प्राश हो या अन्य प्रकार की जो भी सामग्री आयुर्वेद या यूनानी में बनाई जाती है, उनकी क्वालिटी किस प्रकार की है,

उनका निर्माण करने वालों की, चाहे वह सरकारी कारखाना हो या प्राईवेट सैक्टर हो, निगरानी सरकार के हाथ में रहनी चाहिए। तभी हम उच्च स्तर की दवायें लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे।

गलत दवायें खाने से जिन लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है—भले ही उनकी मृत्यु न हो, लेकिन उन्हें किसी किस्म की बीमारी या तकलीफ हो जाती है—, इस कानून में उन्हें काम्पेन्सेट करने का प्रावधान होना चाहिए। दवा बनाने वाली कम्पनी द्वारा वह कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए।

इस बिल में साबुन और अन्य ब्यूटी प्रसाधनों के सम्बन्ध में भी प्रावधान किया गया है। ऐसे कितने ही प्रकार के साबुन और अन्य प्रसाधन हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुँचाते हैं और कई अन्य बीमारियों को भी जन्म देते हैं। सरकार को इस तरफ भी तवज्जुह देनी चाहिए और आम जनता के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सख्त सजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे गलत काम करने वाले अन्य लोगों पर उचित प्रभाव पड़ेगा।

इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने गलत दवाएं बेचकर करोड़ों और अरबों रुपये कमाए हैं। हमारे देश के 50 परसेंट से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, जिनके पास दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे लोगों को इन रैकेटियर्ज से बचाने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि देश के आम लोगों को मैडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाए।

हमारे यहां हजारों की तादाद में डाक्टर बेकार हैं। दूसरी तरफ आज भी शहरों और गांवों की डिसपेंसरियों और हेल्थ सैंटर्ज में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। भारत सरकार यह कैसी व्यवस्था कर रही है कि हजारों डाक्टर बेकार हैं और लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज ऐवेलेबल नहीं होती हैं। इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। हम जितने डाक्टर तैयार करते हैं, अगर हम उन्हें खपा न सकें, तो मेडिकल कालेजों और अन्य संस्थाओं के अस्तित्व का क्या लाभ है, जिन पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं? हमें यह प्रयास करना चाहिए कि स्वास्थ्य-सेवाओं का लाभ देश के गांवों के लोगों, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और पिछड़े लोगों को मिले। हमें अंधेपन टी. बी. पोलियो, कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव मेजर्ज लेने चाहिए। हैल्थ डिपार्टमेंट को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वह शहरों, कस्बों और गांवों में बीमारियों को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्ज ले सके।

आज दिल्ली तथा दूसरे शहरों में डेंगू बुखार फैला हुआ है। क्या इसके लिए आप प्रिवेंटिव मेजर्ज नहीं ले सकते थे? अगर हेल्थ डिपार्टमेंट मजबूत होता तो शहर के गन्दे पानी तथा दूसरी गन्दगी को हटाया जा सकता था। लेकिन आपने क्या प्रिवेंटिव मेजर्ज लिए? किसी रोग का इलाज और प्रिवेंटिव मेजर्ज—यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब तब आप इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामवतार शास्त्री को बोलने के लिए बुलाता हूं। वह अन्तिम वक्ता होंगे और वह 3 बजकर 30 मिनट पर भाषण समाप्त करेंगे और मंत्री दूसरे दिन उत्तर देंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित है उसका तो समर्थन ही होना चाहिए। लेकिन इसके जो उद्देश्य बताये गए हैं, उनको ठीक तरीके से

हम हासिल कर सकें –इस पर ज्यादा से ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस विधेयक के जरिए नकली दवा बनाना, उसे बेचना, आयात करना इन सारी बातों पर नियन्त्रण लगाने की चेष्टा की गई है। इसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे मुल्क में नकली दवायें किस तरह से बिक रही हैं, इसको हम सभी लोग जानते हैं। ऐसा लगता है कि नकली दवाओं का सभी जगह साम्राज्य है।

मैं अपने बिहार राज्य की बात जानता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक अखबार में समाचार आया कि नालन्दा जिले के मुख्यालय बिहारशरीफ में नकली दवा बनाने वाला कोई कारखाना पकड़ा गया। तो ऐसे कारखाने भी हैं और बेचने वालों की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है। बिहार में नकली दवा बनाने वाले और उनको बेचने वाले समझते हैं कि वहां की सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती है। अगर कुछ करने का प्रयास भी करे तो कुछ पैसा-कौड़ी देकर वे छूट जाते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार भी इससे जुड़ा हुआ है। यदि इसको आप बन्द कर सकें तो आप एक बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। आज नकली दवाओं की वजह से देहातों के ज्यादा लोग मर रहे हैं। वैसे देहातों की गिनती तो हमारे पास रहती नहीं हैं। शहरों में अखबार हैं, शहरों में सरकार विद्यमान है, शहर के लोग आंदोलन कर सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं इसलिए उनकी बात सरकार को मालूम हो जाती है। परन्तु नकली दवाओं का असर देहातों में किस रूप में पड़ता है और कितने लोग वहां मरते हैं इसका पूरा पूरा अन्दाज सरकार को नहीं है। मैं समझता हूं नकली दवाओं के ज्यादातर शिकार गरीब देहाती लोग होते हैं जोकि गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इसलिए आपको सबसे अधिक ध्यान उनकी तरफ देना चाहिए और इस बात का प्रयास करना चाहिए कि नकली दवा बनाने वाले, उसको बेचने वाले या आयात करने वाले मनमौजी तरीके से अपने काले कारनामों को जारी न रख सकें। मेरे विचार से इस विधेयक का भी यही उद्देश्य है।

अभी मेरे पूर्ववक्ता ने ठीक ही कहा है कि केवल एलोपैथिक दवायें ही नकली नहीं बन रही है, आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में भी यह बात चल रही है इसलिए उधर भी आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आपका ज्यादा ध्यान रहे और दूसरी तरफ इस तरफ के लोग आपकी आंखों से ओझल हो जायें।

एक जिक्र हुआ च्यवन प्राश का, वो आयुर्वेद वाले बनाते हैं। पुराने जमाने के च्यवन प्राश की क्वालिटी कैसी होती थी और अब कैसी होती है, यह तो आपको अन्दाज जरूर होगा, उनमें भी मिलावट यानी कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। मैं एक आयुर्वेद कारखाने की यूनियन से सम्बद्ध हूं, नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं उससे सम्बद्ध हूं और मैं जानता हूं कि वहां के मजदूर बताते हैं कि कैसे-कैसे चारसो बीस किया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यह सब जगह होता है। तो यह केवल बेचारे उस कारखाने वाले का ही हिसाब नहीं है। यह तो जनरल बात बता रहा हूं कि आयुर्वेदिक कारखानों या यूनानी दवाई बनाने वालों या दूसरी देशी प्रणाली

दवाई बनाती हैं या कारखाने हैं, उनकी तरफ भी आपको नजर रखनी चाहिए। अगर इधर नजर नहीं रखेंगे तो जाहिर बात है दूसरों को आप पकड़ लेंगे और असल बात यही है कि जब अमल में आप इस कानून को लाइएगा, तो दो बरस, एक बरस जो आपने कैटेगरी रखी है, अगर उसके मुताबिक सचमुच में सजा दें और ज्यादा लोग सजा पा जाएं तब निश्चित रूप से इस तरह का व्यापार करने वालों की संख्या में कमी आयेगी। वे समझते हैं कि सजा होगी और सरकार पकड़ेगी तो कुछ ले-देकर के हम छूट जायेंगे। इसीलिए उनका धन्धा चलता रहता है, उसमें वृद्धि होती है, कोई कमी नहीं आ पाती।

अगर कमी आई है पिछले दो-चार सालों के अन्दर नकली दवाई बनाने वालों में या बेचने वालों में या आयात करने वालों में, तो हम जानना चाहेंगे और सदन जानना चाहेगा कि अगर इसका आपके पास कोई फीगर हो, तो आप जरूर दीजिए, ताकि अन्दाज लगे कि आपके कानून के जरिए उन पर असर पड़ रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल बीमारियां तो बढ़ रही हैं लेकिन एक जमाने में कहा जाता था कि मलेरिया को हमने को हमने जला-वतन कर दिया, निष्कसित कर दिया हिन्दुस्तान से। लेकिन मलेरिया हिन्दुस्तान की राजधानी में भी आ धमका और पटना में भी। मैं तो दिल्ली की बात पहले बता रहा हूं जहा आप हैं। आपकी नजर है, सरकार की नजर है। आज हम लोग एक जगह बैठकर के सभा में, बैठक में विचार कर रहे थे, अन्न संकट के बारे में।

दिल्ली में राशन सबसे ज्यादा दिया जाता है। इतना राशन किसी भी राजधानी में या शहर में नहीं दिया जाता। इसीलिए कि यहां के लोगों को थोड़ा संतुष्ट करके रखना चाहते हैं ताकि हंगामा नहीं हो। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि मलेरिया यहां पहुँच गया, डेंगू यहां पहुंच गया, आन्त्रशोथ की बीमारी यहां पहुंच जाती है। आपने यह भी कहा था कि बड़ी चेचक वाली बीमारी नहीं होगी, वह भी फिर पहुँचने लगी है, जगह-जगह कहने का मतलब यह है कि बीमारियां अपना पंजा गरीबों पर जमाती हैं, अमीरों पर क्यों जमायेंगी।

हमारे बीड़ी मजदूर 60 से 70 प्रतिशत तक यक्षमा से पीड़ित हैं। सीमेन्ट के कारखाने में हम एक जगह गए थे। सीमेन्ट के कारखाने में ज्यादातर लोग इस तरह की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। बीमारियां तो बढ़ रही हैं लेकिन दवाई उन्हें ठीक से नहीं मिलती, जाली मिलती है। सही दवा नहीं मिलती और जाली दवा के लिए भी उनको दाम ज्यादा देना पड़ता है। एक तो जाली दवा और उस पर दाम ज्यादा। तो दामों की तरफ भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपका उद्देश्य है आप कहते हैं कि हम समाजवाद लायेंगे, गरीबी मिटायेंगे। गरीब ज्यादा हैं हमारे सूबे में, बिहार में 69 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उनको सस्ती दवा नहीं मिलेगी तो वे बीमार होकर मर जायेंगे, तो सस्ती दवा आप उनको दीजिए।

ये दवाइयां कौन बनाते हैं। हमारे जो उद्योग धंधे हैं वे तो बनाते ही हैं, बहुराष्ट्रीय

कम्पनियां भी बनाती हैं, वे भी इस काम में बहुत आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उन पर आप नकेल नहीं लगा पाते हैं। उनको भी आपने खुला छोड़ा हुआ है। आपने कह दिया है आओ जितना जनता को लूटना चाहो लूटो, आपको आजादी है। यहां सब को जनता को लूटने की आजादी है। पूंजीपति भी लूटता है, दवा बनाने वाला भी लूटता है, दूसरे भी लूटते हैं। उनको आप क्यों नहीं रोकते। अगर वे नकली दवाएं बनाती हैं तब तो आपको और भी मौका है उनको यहां से निकाल बाहर करने का। वे हमारी जनता के जीवन के साथ अगर खिलवाड़ कर रही है तो आप बड़ी आसानी से उनको यहां से जाने के लिए कह सकते है। मुझे पता नहीं दस बीस या सौ कम्पनियां जीवन रक्षक दवाएं बन रही हैं। जितनी भी बना रही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जीवन रक्षक दवाएं सरकार को स्वयं बनानी चाहिये और किसी भी निजी कारखानेदार को इनको बनाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये, फिर चाहे वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हों या हमारे देश की कम्पनियां हों। जीवन रक्षक दवाओं के बारे में तमाम जितनी कम्पनियां हैं, दवा के कारखाने हैं, उनके बारे में हाथी कमेटी ने भी सिफारिश की थी कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। जब भी इसके बारे में सदन में सवाल उठता है सरकार चुप्पी साध लेती है, कोई न कोई बहाना बना कर चिकनिया पार हो जाती है निकल भागती है, उस रिंग से निकल जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों आप नहीं करना चाहते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? आप आई० डी० पी० एल चला सकते हैं तो क्यों इनको भी आप नहीं चला सकते हैं। यह अलग बात है कि वह घाटे में चल रहा है। बहुत से सार्वजनिक संस्थान हैं, कारखाने हैं जो बदइंतजामी की वजह से, गलत नीतियों की वजह से, जो उनको चलाने वाले हैं पूंजीपतियों के साथ उनकी सांठगांठ होने की वजह से, वे घाटे में चलते हैं लेकिन बहुत से ऐसे भी कारखाने हैं जो नफे में चलते हैं। आई० डी० पी० एल० जब आप चला सकते हैं तो फिर दूसरी दवा कम्पनियां आप क्यों नहीं चला सकते हैं? बार-बार इस काम से आप इन्कार क्यों कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण आप करें तो निश्चित रूप से काम ठीक होगा। ऐसी दवाएं भी बड़ी संख्या में आज देश में बिक रही हैं जो टाइम बार्ड हो गई होती हैं, जिनका समय बीत गया होता है, जिनकी एक्सपायरी डेट खतम हो गई होती है। उनको भी आप पकड़िये। उनसे भी बहुत ज्यादा लोग मरते हैं।

मैं चाहता हूं कि आप एक व्यापक विधेयक इन सब बातों के लिए लाएं। ये चीजें इस विधेयक में नहीं है। इसमें केवल नकली दवाओं को रोकने की आपने व्यवस्था की है जो अच्छी बात है इस काम में सब आपके साथ सहयोग करेंगे, जनता भी आपके साथ सहयोग करेगी। लेकिन कमियां के बावजूद आप इस कानून को ठीक से लागू करें। तभी कुछ जनता का भला हो सकेगा, गरीबों का और दवाइयां इस्तेमाल करने वालों का भला हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री सोमवार को उत्तर देंगे। अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधान सम्बन्धी कार्यों को लेगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

49वां प्रतिवेदन

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 6 अक्तूबर, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए 49वें प्रतिवेदन से सहमत हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति के 6 अक्तूबर, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए 49वें प्रतिवेदन से सहमत हैं

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

———

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 3 का प्रतिस्थापन)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : "मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

———

तिलहन और खाद्य तेल उत्पादन विधेयक

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि तिलहनों का उत्पादन तेजी से बढ़ाने में सहायता करने और लोगों द्वारा सीधे उपभोग में लाये जानें तथा वनस्पति, साबुनों और अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए विभिन्न बीजों से खाद्य तेलों तथा अन्य तेलों का और अधिक प्रभावी ढंग से निकालना सुगम बनाने के उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि तिलहनों का उत्पादन तेजी से बढ़ाने में सहायता करने और लोगों द्वारा सीधे उपभोग में लाये जाने तथा वनस्पति, साबुनों और अन्य उत्पादों के निर्माण के लिये विभिन्न बीजों से खाद्य तेलों तथा अन्य तेलों का और अधिक प्रभावी ढंग से निकालना सुगम बनाने के उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) संशोधन विधेयक (धारा 1 आदि का संशोधन)

श्री सामर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री सामर मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 10 ख आदि का अन्तःस्थापन)

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री हरीश रावत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

परिवार कल्याण विधेयक

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि परिवार कल्याण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि परिवार कल्याण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री ए० टी० पाटिल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

नारीत्व सम्मान रक्षा विधेयक

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारीत्व के सम्मान की, विशेषकर उप-पत्नीत्व तथा एकपक्षीय विवाह विच्छेद के संदर्भ में, रक्षा करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि नारीत्व के सम्मान की, विशेषकर उप-पत्नीत्व तथा एकपक्षीय विवाह विच्छेद के संदर्भ में, रक्षा करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री ए० टी० पाटिल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

प्रवासी भारतीय (निर्वाचनों में मतदान का अधिकार) विधेयक

श्री रामजेठ मलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि भारत के सामान्यत: आदिवासी नागरिकों को मतदान का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: —

"कि भारत के सामान्यत: आदिवासी नागरिकों को मतदान का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री राम जेठमलानी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

अगरतला में उच्च न्यायालय की स्थापना विधेयक

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अगरतला, त्रिपुरा में उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अगरतला, त्रिपुरा में उच्च न्यायालय की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अजय विश्वास : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

भवन तथा अन्य निर्माण कार्य कर्मकार (नियोजन की शर्तें) विधेयक

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भवन तथा अन्य निर्माण कार्य कर्मकारों का संरक्षण करने और उनके लिए न्यूनतम मजदूरी, काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी ऐसे अन्य उपायों का, जिनकी व्यवस्था भारत में लागू विभिन्न श्रम तथा औद्योगिक कानूनों में है, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भवन तथा अन्य निर्माण कार्य कर्मकारों का संरक्षण करने और उनके लिए न्यूनतम मजदूरी, काम की सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी ऐसे अन्य उपायों का, जिनकी व्यवस्था भारत में लागू विभिन्न श्रम तथा औद्योगिक कानूनों में है, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

जनसंख्या नियंत्रण विधेयक

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि मुझे जनसंख्या नियन्त्रण के विभिन्न उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि जनसंख्या नियन्त्रण के विभिन्न उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अर्जुन सेठी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

संविधान संशोधन विधेयक

(सप्तम अनुसूची का संशोधन)

(1982 का विधेयक संख्या 111)

श्री अर्जुन सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।)

श्री अर्जुन सेठी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(सप्तम अनुसूची का संशोधन)

(1982 का विधेयक संख्या 112)

श्री अर्जुन सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।)

श्री अर्जुन सेठी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 338 आदि का प्रतिस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 6 अगस्त, 1982 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी, अर्थात :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री बनातवाला अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोनान्नी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

विधेयक में अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग की गई है तथा अल्पसंख्यक आयोग को संविधिक शक्तियां देने की भी मांग की गई है।

महोदय, भारत अल्पसंख्यक-वर्गों का देश है। हमारे यहां धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग हैं, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं। हिन्दी बोलने वाले लोग दक्षिणी राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यक हैं। इसी प्रकार जो दक्षिणी भाषाएं बोलते हैं वे भी हिन्दी प्रदेशों में भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्ग में आ जाते हैं। अतः मेरा यह कहना है कि भारत अल्पसंख्यक वर्गों का देश है और अल्पसंख्यकों को संरक्षण यहां उपस्थित हम सभी के लिए एक वचनबद्धता के रूप में अल्पसंख्यकों को संरक्षण पर इतना अधिक बल दिया गया है कि यहां तक कि उच्चतम न्यायालय का भी निरन्तर यह अभिमत रहा है कि तथाकथित लोकहित या राष्ट्रहित के नाम पर भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। लिली कुरियन का मामला, ए. आई. आर. 1979, उच्चतम न्यायालय, पृष्ठ 61, उच्चतम न्यायालय का अभिमत था :

> "अल्पसंख्यकों का संरक्षण, एक वचनबद्धता है और आम जनता के हित की वकालत करके हस्तक्षेप को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने के हित सम्बन्धित अल्पसंख्यकों के हित ही हो सकते हैं।"

मुझे इस सम्मानित सदन को यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि स्वतंत्रता संघर्ष के सम्पूर्ण इतिहास में अल्पसंख्यकों के प्रति चिन्ता को देखा जा सकता है।

मैं यहां पर केवल एक या दो उपलब्धियों का उल्लेख करूंगा। हमारे सामने 1928 का नेहरू समिति का प्रतिवेदन है। इस प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया था कि भारत के भावी संविधान में मूलभूत अधिकारों की एक सूची सम्मिलित की जानी चाहिए। इसमें इससे भी और बढ़कर यह बात कही गई है और बल दिया गया है कि भावी संविधान में अल्पसंख्यक संरक्षण को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे यहां नवम्बर, 1944 में गैर-दलीय सम्मेलन भी हुआ था। इस सम्मेलन ने सप्रू समिति का गठन किया था। सप्रू समिति का प्रतिवेदन हमें 1945 में मिला था। मैं सप्रू समिति प्रतिवेदन का विशिष्ट रूप से उल्लेख करूंगा क्योंकि इस प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई थी कि भारत के भावी संविधान में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के उपबन्ध सम्मिलित किए जाने चाहिएं। इस सप्रू समिति ने विशिष्ट रूप से कहा था कि भारत के भावी संविधान में ही अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए। अतः हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए। अतः हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति का स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान भी, एक महत्वपूर्ण सुझाव रहा है। सप्रू समिति प्रतिवेदन में आगे कहा गया है कि संविधान में यह प्रावधान किया जाए कि अल्पसंख्यक आयोग न केवल केन्द्र स्थापित करें, बल्कि प्रत्येक प्रान्त में भी हों।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह विभाजन से पहले की बात है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं आपको जनता पार्टी की भी बात करूंगा। महोदय, केबिनट मिशन प्लान संविधान-सभा की स्थापना में सहायक थी और इसने यह भी सुझाव दिया था कि अल्पसंख्यकों आदि के नागरिकों के अधिकारों सम्बन्धी संविधान-सभा की एक सलाहकार समिति होनी चाहिए। अतः इस सलाहकार समिति की स्थापना के लिए 29 जनवरी, 1947 को संविधान सभा में एक संकल्प लाया गया था और गोविन्द बल्लभ पन्त ने बल दिया था :

"अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध प्रश्न के सन्तोषजनक हल से, स्वतन्त्र भारत की सुदृढ़ता, सम्पन्नता और एकता सुनिश्चित होगी।"

(श्री एस० एम० कृष्ण पीठासीन हुए)

आगे वह कहते हैं :

"लेकिन यह आवश्यक है कि एक नया अध्याय आरम्भ हो और हम सबको अपना उत्तरदायित्व महसूस करना चाहिए। जब तक अल्पसंख्यक वर्ग पूर्णतया सन्तुष्ट न हो जाएं तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते हैं, हम व्यवस्थित ढंग से शान्ति स्थापित नहीं कर सकते हैं।"

महोदय, यही विचारधारा सतत जारी रही और मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के संरक्षणों को संविधान में स्थान मिला।

उपाध्यक्ष महोदय हमारा बहुधर्मी समाज है। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक संरक्षणों को संविधान में सम्मिलत किया गया है। इन मूल अधिकारों की हमारे बहुधर्मी समाज में अल्पसंख्यकों के भाग्य को निश्चित करना है। अतः महोदय, हमने अपने संविधान में अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 3.0 (ख) को रखा था।

अनुच्छेद 338 में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई है जो उनके संरक्षणों के सम्बन्ध में सभी मामलों की जांच कर सके और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे सके। इसी प्रकार इसी प्रयोजन से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी अनुच्छेद 350 (ख) में एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था है। कुछ समय के बाद यह महसूस किया गया कि इस स्थिति से निपटने के लिए एक अधिकारी पर्याप्त नहीं है और एक अल्पसंख्यक आयोग होना चाहिए। इस अल्पसंख्यक आयोग की एक बड़ी लोकप्रिय मांग थी और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, सप्रू समिति के प्रतिवेदन में भी इसका उल्लेख किया गया था।

महोदय, यह उस समय की बात है, जब सौभाग्य से या दुर्भाग्य से सत्ता की बागडोर जनता पार्टी के हाथ में थी। परन्तु उस समय इस जनता पार्टी की सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति की थी और अनुसूचित जातियों के लिए भी एक आयोग बैठाया था। 12 जनवरी, 1978 को एक जी० आर० जारी किया गया था और अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। इसी प्रकार एक जी० आर० 21 जुलाई, 1978 को जारी करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग गठित किया गया। स्थिति की आवश्यकता को देखते हुए एक लोकप्रिय मांग को स्वीकार करने का श्रेय जनता पार्टी को जाता है और आयोग गठित कर दिए गये।

मैं यहां पर इस तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूं कि यद्यपि एक कार्यकारी आदेश द्वारा न कि विधान द्वारा अल्पसंख्यक आयोगों का गठन करने के लिए जनता पार्टी आगे आई तथापि, वास्तव में इसने स्वयं अपने द्वारा गठित किए गये अल्पसंख्यक आयोगों का गला घोटने का प्रयास किया। धीरे-धीरे कुछ ऐसी बातें हुईं जो यह दर्शाती हैं कि जनता पार्टी सरकार ने अल्पसंख्यक आयोगों के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया था।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सौतेली-मां तो पहले ही सत्ता-च्युत हो चुकी है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं पहले यह बता देना चाहता हूं कि जब गृह मन्त्रालय ने 12 जनवरी, 1978 को अधिसूचना जारी की थी तो उसमें कहा गया था : "धर्म-निरपेक्ष परम्परा को बनाये रखने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यकों को दिए गये संरक्षणों को लागू करने के कार्य को सर्वोच्च महत्व देती है।" जनता पार्टी सरकार द्वारा जारी की गयी इसी अधिसूचना में थोड़ा आगे यह कहा गया है : "भारत सरकार यह विश्वास करती है कि राज्य सरकारें, संघ प्रशासन और अन्य सम्बद्ध लोग आयोग को पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।" ये नेक भावनाएं हैं। हर किसी ने इनका स्वागत किया। परन्तु फिर तो हम सभी जानते हैं कि जनता पार्टी सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग के साथ ऐसा अनुदार व्यवहार किया कि अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मीनू मसानी को विरोध में त्यागपत्र देना पड़ा। मैं उन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। जनता सरकार और वर्तमान सरकार दोनों के ही शासनकाल में अल्पसंख्यक आयोग से अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जुलाई, 1978 में तमिलनाडु में दंगे हुए और अल्पसंख्यक आयोग ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अल्पसंख्यक आयोग के लिए जारी की गई अधिसूचना में व्यक्त की गई सदभावनाओं के बावजूद, 1978 में तमिलनाडु सरकार ने इस प्रतिवेदन में अच्छा व्यवहार नहीं किया। राज्य सरकार ने उन घटनाओं के बारे में न तो तो आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार किया और न ही उसकी सिफारिशों को। यहां तक कि प्रतिवेदन को तमिलनाडु विधान सभा के सभा-पटल पर भी नहीं रखा गया। इसी प्रकार अल्पसंख्यक आयोग ने अलीगढ़ के दंगों के बारे में अपने प्रति-

वेदन प्रस्तुत किए हैं। इस बार भी तत्कालीन सरकार ने न ही तो आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार किया और न ही उसकी सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की। अलीगढ़ की स्थिति के बारे में भी एक प्रतिवेदन आया था जिसको उत्तर-प्रदेश विधान-सभा के समा-पटल पर नहीं रखा गया था। जमशेदपुर की और आयोग के अन्य निष्कर्षों की भी यही स्थिति रही है।

अल्पसंख्यक आयोग ने यह सुझाव दिया था कि साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित लोगों को मुआवजे देने का उपबन्ध करने के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए। आयोग के सुझावों और प्रतिवेदनों पर सरकार के विभागों में धूल जम रही है। इससे पता चलता है कि अल्पसंख्यक आयोग के साथ वैसा तुच्छ बर्ताव किया जाता है। जब अक्तूबर और नवम्बर 1978 में अलीगढ़ में दंगे हुए थे तो उस समय अल्पसंख्यक आयोग चाहता था कि जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उनके सामने आकर घटनाओं का ब्यौरा दें। अतः इसके लिए उन्होंने उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वह स्थिति की जांच कर रही है। बस मामला वहीं ठप्प हो गया। इस तरह से अल्पसंख्यक आयोग उन अधिकारियों का साक्ष्य लेने से वंचित रह गया और उन्हें उन वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों के बिना, जो कि स्थल पर मौजूद थे, अपना प्रतिवेदन देना पड़ा।

श्रीमन्, अभी हाल ही में वर्तमान सरकार की ओर से मुसलमानों की समस्याओं पर एक सेमिनार करने का सहज प्रस्ताव था।

इस सरकार ने जुलाई, 1980 में अल्पसंख्यक आयोग को सुझाव दिया था कि वे मुसलमानों की समस्याओं पर एक सेमिनार आयोजित करे। अच्छा सुझाव था। अल्पसंख्यक आयोग ने इसे मान लिया। प्रस्ताव तैयार किए गए और सरकार को भेजे गए, जिन्हें सरकार ने मान लिया। अल्पसंख्यक आयोग को इस पर कार्यवाही करने के लिए कहा गया। वे तैयारियां करने लग गए। निमंत्रण पत्र भेजे गये। पर जनवरी, 1981 के मध्य में एक सुबह अल्पसंख्यक आयोग को गृह सचिव का टेलीफोन आया कि सरकार ने सेमिनार को अनिश्चित काल के स्थगित करने का फैसला किया है और इसके लिए कोई कारण भी नहीं दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक आयोग, जिसे एक सरकारी आदेश के अधीन बनाया गया है, सरकार का केवल विभाग या उपांग समझा जाता है। लेकिन भारत के लोगों ने कभी भी अल्पसंख्यक आयोग के लिए इस विचार को नहीं माना है।

श्रीमन्, आयोग का प्रथम प्रतिवेदन 1978 में, दूसरा 1979 में और तीसरा 1980 में प्राप्त हुआ था। इस सबके बावजूद की प्रतिवेदन देर से प्राप्त हुए, जिससे कि इनका काफी संदर्भ खतम हो गया, इसमें से किसी भी प्रतिवेदन पर आजतक इस सम्मानीय सदन में विचार नहीं किया गया है।

सिर्फ अल्पसंख्यक आयोग की ही बात नहीं है? श्रीमन्, मैं भाषायी अल्पसंख्यक के विशेष अधिकारी के प्रतिवेदन का भी उल्लेख करना चाहता हूं। हम भाषायी अल्पसंख्यक के

प्रति कोरी सहानुभूति जताते हैं। लेकिन इनके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है ? 1970 से लेकर अब तक इसके किसी भी प्रतिवेदन पर इस सदन में विचार नहीं किया गया है। भाषायी अल्पसंख्यकों सम्बन्धी विशेष अधिकारी के इन प्रतिवेदनों पर इस सम्मानित सदन में चर्चा नहीं की गई है—1970-71 से लगातार 19वें प्रतिवेदन तक। 1970-71 से लगातार हमें यह प्रतिवेदन प्राप्त होते रहें लेकिन हम इनमें से किसी भी प्रतिवेदन पर इस सदन में विचार नहीं कर सके। इस स्थिति पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्रीमन्, अल्पसंख्यक आयोग इस परिणाम पर पहुँचा है कि वे कई कारणों से अपने कर्त्तव्य प्रभावी ढंग से नहीं निपटा सकता है। मैं इनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ। पहला—आयोग की सिफारिशों से सरकार बाध्य नहीं हैं। दूसरा—अधिसूचना में यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक आगोग के प्रतिवेदन और इसके साथ की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी सभा-पटल पर रखी जाए। हालांकि सभा-पटल पर अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन रखे जाते रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी भी मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी गई है। अल्पसंख्यक आयोग के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। इस सदन को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यह स्थिति है संघ सरकार के मामलों की। राज्यों के मामले में, स्थिति यह है कि जिस अधिसूचना द्वारा अल्पसंख्यक आयोग नियुक्त किया जाता है उसमें अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन, आदि का सम्बद्ध राज्य विधान सभा पटल पर रखने सम्बन्धी कोई प्रावधान तक नहीं होता। परिणामस्वरूप प्रतिवेदन पेश तो किया जाता है लेकिन उन्हें सम्बन्धित राज्य विधान सभा के पटल पर नहीं रखा जाता। सब कुछ अन्धेरे में रह जाता है। मैं इस सदन में उन अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिवेदनों और उनकी सिफारिशों को प्रकाश में लाने की प्रार्थना करता हूँ।

यह अति आवश्यक है कि अल्पसंख्यक आयोग, जो सरकारी आदेश से बनाया गया है, सरकार का एक विभाग या उपांग मात्र न रहे। अल्पसंख्यक आयोग को अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास की भावना उत्पन्न करने में समर्थ होना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब कि इस आयोग में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को लिया जाए और उसे पूरी आजादी से काम करने दिया जाए। मुझे खुशी है कि तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने भी, जिसने एक कार्यवाही आदेश द्वारा अल्पसंख्यक आयोग बनाया था, इस आयोग को संवैधानिक स्वरूप देने की महत्ता महसूस की थी। हालांकि जनता पार्टी सरकार ने इस सदन में 46वां संविधान (संशोधन) विधेयक, पेश किया था। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक स्वरूप देने के लिए और उस पर 16-17 मई, 1979 को चर्चा हुई थी, लेकिन यह बड़ी विचित्र बात है कि सरकार द्वारा पेश किया गया वह संविधान (संशोधन) विधेयक इस सभा में अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सका। जनता पार्टी सरकार की उस अवधि में, सत्ताधारी पक्ष बिलकुल खाली था। हमने दो दिन इस पर विचार किया और विधेयक अस्वीकृत हो गया। मुझे उस समय की सरकार की इस विधेयक को लाने में उसकी निष्ठा के बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उस विशेष अवसर पर मैं बोला

था, जिसका रिकार्ड कार्यवाही वृत्तांत में मौजूद है। लेकिन इस विधेयक को पुन: पुर:स्थापित करने के लिए जनता पार्टी सरकार भी सत्ता में नहीं रह पाई। इसलिए, मैं इस सरकार से अपील करता हूं कि इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर, इसे सवैधानिक स्वरूप देने के लिए एक कानून लाए। मैंने जो विधेयक पेश किया है, इसका उद्देश्य आयोग को सवैधानिक स्वरूप और संविधिक शक्तियां प्रदान करना है।

अल्पसंख्यक आयोग अपने दूसरे प्रतिवेदन के पृष्ठ 14 में खुद कहा है कि :

"आशा है कि आयोग को सांविधिक दर्जा दिलाने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठायेगी ताकि आयोग अपना कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सके और अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षिक सुविधाओं की कमी, उर्दू की स्थिति, भेदभाव दूर करना, आदि जैसी समस्याओं पर विचार कर सके, जिन पर आयोग का ध्यान केन्द्रित है।"

अल्पसंख्यक आयोग के तीसरे प्रतिवेदन के पृष्ठ सं० 29 में कहा गया है—

"आयोग का संवैधानिक दर्जा न होने के कारण उसके काम में रुकावट आई है।"

इसी तीसरे प्रतिवेदन के पृष्ठ सं० 32 अल्पसंख्यक आयोग ने काफी संगत टिप्पणियां की हैं। मैं उसे उद्धृत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं :

"यद्यपि आयोग विषयक अन्तिम आदेश का उद्गम भारत का संविधान ही है, तथापि स्वयं आयोग की कोई स्वतंत्र सांविधानिक स्थिति नहीं है। यदि आयोग को अपने अनुरूप काम करना सुनिश्चित करने के लिए एक कारगर तंत्र के रूप में काम करने है, और संविधान में अल्पसंख्यकों को जो मूलभूत अधिकार, सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किए गए हैं, उन्हें वास्तव में उनको दिलाना है, या उन्हें अन्यथा इनसे वंचित नहीं करना है, तो यह आवश्यक है कि आयोग को पूरे देश पर्यन्त अधिकारक्षेत्र के साथ सांवैधानिक दर्जा दिया जाना जरूरी है।"

केवल संवैधानिक दर्जा ही काफी नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक शक्तियां भी प्रदान की जानी चाहिए, ताकि संविधान के जिन वर्तमान उपबन्धों के तहत आज भाषायी अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारियों की जो गोपनीय हालत है, वही हालत इस आयोग की न हो। इसीलिए अल्पसंख्यक आयोग के इसी तीसरे प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, में आयोग ने कहा है :

"रिकार्ड मंगवाने, शपथ दिलाकर साक्षियों की परीक्षा करने और विशिष्ट मामलों में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कराने के लिए कानूनी अधिकारों के अभाव में आयोग को अपने वर्तमान घोषणा-पत्र को कार्य रूप देने में प्राय: अत्यधिक असुविधा होती है। उसे अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए इस समय प्राय: पूरी तरह से सरकारी नौरस तंत्र और सभी सम्बन्धित पक्षों के 'स्वैच्छिक" सहयोग पर निर्भर करना पड़ता है, यद्यपि उसके ये कार्य

भारत के संविधान से व्युत्पन्न कार्य है। देखा गया है कि ऐसा सहयोग नियमतः न होकर मात्र अपवाद रूप में होता है। अल्पसंख्यकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षाओं और संरक्षणों को कार्य रूप देने की गारन्टी देने के लिए आयोग एक विश्वसनीय और प्रभावशाली माध्यम के रूप में कार्य कर सके, इसके लिए सिफारिश की जाती है कि उसका पुनर्गठन यू० के० के रेशियल इक्वालिटी आयोग के अनुरूप किया जाए और इसे ऐसा कानूनी आधार प्रदान किया जाए, जिसकी वैधता और मान्यता सीधे संवैधानिक उपबन्धों से प्राप्त हो। आयोग को अपने कानूनी दायित्वों से सम्बन्धित किसी भी प्रयोजन के लिए औपचारिक जांच पड़ताल करने का अधिकार होना चाहिए, भले ही उसे अल्पसंख्यकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षाओं और संरक्षणों के अतिक्रमण के बारे में कोई सूचना या शिकायत प्राप्त हुई हो या नहीं। इस अधिकार को प्रयोग करते समय आयोग न्यायिक कल्प की हैसियत से कार्य करने की स्थिति में हो और वह उपयुक्त परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को जांच आयोग अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार साक्ष्य देने या सुसंगत दस्तावेज पेश करने के लिए कह सके।"

इस तरह हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग की ओर से भी आवश्यक कानून के लिए कई एक सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें लोकप्रिय मांग का समर्थन प्राप्त है।

अगस्त, 1977 में हुई, जनता पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि दो आयोगों का गठन किया जाए। उसमें यह भी सुझाव दिया गया था कि सरकार आयोग की सिफारिशों को आवश्यक रूप से लागू करने के लिए बाध्य हो। लेकिन मृत जनता पार्टी की बात करने से क्या फायदा ? (व्यवधान) मेरा मतलब था मृत जनता पार्टी सरकार। मैं वर्तमान सरकार द्वारा चुनाव के समय दिए गए आश्वासनों की उसे याद दिलाना चाहता हूँ। यह है बात 1980 के वर्तमान संसद के चुनावों के समय जारी, कांग्रेस (आई) दल के घोषणा पत्र।

श्री चित्त बसु (बारसार) : आप भी इसमें विश्वास रखते हैं ?

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं वर्तमान सरकार के चुनाव घोषणा पत्र का हवाला दे रहा हूं।

घोषणा पत्र में कहा गया है कि : "अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी रूप देने के लिए आवश्यक विधान लाया जायेगा।"

श्रीमन्, इस सदन की करीब आधी अवधि गुजर चुकी है। तकरीबन प्रत्येक अधिवेशन में सरकार से चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में दिए गए आश्वासनों के फलस्वरूप बनाए जाने वाले आवश्यक कानूनों के बारे में पूछता रहा हूँ। कम से कम मुझे एक तसल्ली तो है कि मुझे आज तक ऐसा कोई जवाब नहीं मिला, जिसमें घोषणा पत्र के इस आश्वासन का खण्डन किया गया हो। कम से कम मुझे यह तो तसल्ली है कि प्रत्येक अधिवेशन में जब कभी मैं तारांकित या अतारांकित प्रश्न के रूप में अल्पसंख्यक आयोग के लिए आवश्यक कानून बनाए जाने के लिए

जानकारी मांगता हूँ तो मुझे बताया जाता है कि मामले पर विचार हो रहा है। लेकिन कब तक? मुझे गालिब का एक शेयर याद आता है :

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
खाक हो जायेंगे हम, तुमको खबर होने तक।

इस सदन की आधी अवधि समाप्त हो गई है और मैं आशा करता हूं कि कम से कम अब सरकार अपने इस वचन को पूरा करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी। जिससे उन द्वारा दिया गया यह आश्वासन पूरा हो सके।

श्रीमन्, अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों पर कतई कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों और आयोग के सदस्यों का प्रति वर्ष एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे, अल्पसंख्यकों की बढ़ती हुई समस्याओं के बारे में यहां ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः सभी लोग यह मानते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियाँ आज भी भाग्यवादी हैं।

उनको मूल मानवीय अधिकार भी नहीं दिये जाते। मुसलमानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वास्तविकता यह है कि देश के राष्ट्रीय जीवन में मुसलमानों की भागीदारी समय के साथ-साथ बहुत कम हो गयी है। परन्तु राष्ट्रीय जीवन में मुसलमान अल्पसंख्यकों की भागेदारी की बात करते हुए आज मैं बोलने के लिए उठते समय यह महसूस कर रहा हूं कि मुसलमान सम्मान व सम्पत्ति की असुरक्षा की भारी आशंका में जी रहे हैं। कल ही हमने मेरठ के दंगों पर चर्चा की थी। आज भी दिल्ली प्रदेश मुस्लिम लीग ने शान्ति स्थापित करने, अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना पैदा करने, वहां से पी. ए. सी. हटाने, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए और सारी स्थिति से इस तरीके से निपटने के लिए, जिससे जिम्मेदार लोगों को उचित सजा दी जा सके, प्रधानमंत्री आवास पर धरना दिया है। महोदय, स्थिति बड़ी ही दुखद है। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की नजरों से संदेहास्पद बनाने के लिए संगठित प्रयास किया जा रहा है। कल आपने इस सभा के माननीय सदस्य श्री राम जेठमलानी की बात सुनी। आज मैं पुनः उनकी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा। परन्तु कृपया आप देखें। वक्तव्य किस तरीके से दिये गये हैं। वह उठकर कहते हैं कि देश में तबलीग आन्दोलन मजबूत होता जा रहा है। और फिर तबलीग आन्दोलन के विरुद्ध कोई आरोप लगाये बिना कि इसमें गलत क्या है और ऐसी कौन सी बात है जिसमें वे कमी देख रहे हैं। उन्होने केवल एक सामान्य वक्तव्य दे दिया कि तबलीग आंदोलन एक खतरनाक आन्दोलन है और उसका एक विदेशी समाचार पत्र में उल्लेख किया गया है और इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से मुसलमानों को राष्ट्र की नजरों में संदेह का पात्र

बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि विदेशी धन है पैट्रो-डालर आ रहा है और धर्म परिवर्तन हो रहे हैं और विदेशों की यह योजना है कि हरिजनों को मुसलमान बनाया जायेगा और इस प्रकार बहुसंख्यक बनाया जा रहा है।

दुर्भाग्य से हमारी सरकार की स्थिति को बदतर बनाती है एक मंत्री एक वक्तव्य देता है दूसरा दूसरे प्रकार का।

समाचारपत्र में एक समाचार छपा था कि एक विदेशी योजना है और विदेशी योजना के अनुसार 1981 में 50,000 हरिजनों को मुसलमान बनाने का लक्ष्य था जिनमें से 1,700 का धर्म परिवर्तन किया जा चुका है। 1982 के अन्त तक 200,000 तक हो जाने की सम्भावना थी। और उस समाचार में आगे कहा गया है :

"कि यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित है।" यह आरोप लगाया गया। मैंने यहां सभा में एक प्रश्न उठाया था। मैंने यह कहकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि जब इस प्रकार के आरोप लगाये गये थे तो सरकार को स्वत: ही कार्यवाही करनी चाहिए थी क्योंकि ये सम्पूर्ण समुदाय को राष्ट्र की नजरों में संदेह का पात्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। सरकार ने कार्यवाही नहीं की मैंने यहां पर प्रश्न उठाया। वह अतारांकित प्रश्न था। अतारांकित प्रश्न में सं० 5322 दिनांक 23 दिसम्बर, 1981 के उत्तर में सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि समाचार आधारहीन है तथा गृह मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक है।

फिर क्या हुआ ? गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई और 8 जुलाई को एक माननीय सदस्य श्री सूरजभान ने इस सभा में बताया कि गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में सरकार द्वारा एक ज्ञापन परिचालित किया गया और उस ज्ञापन में अन्य बातों के साथ यह कहा गया था कि विदेशी योजना है और विदेशी धन आ रहा है। उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने कहा···

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या यह मना करने के बाद हुआ ?

श्री जी० एम० बनातवाला : सलाहकार समिति की बैठक सितम्बर 1981 में हुई थी। एक-एक बड़े ही दु:ख की बात थी। यहां सभा में मैंने प्रश्न उठाया था—क्या आपके पास ऐसी कोई सूचना है ? उत्तर है "खबर आधारहीन है। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति से एक सदस्य आते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार का ज्ञापन जारी किया गया था अत: यह एक प्रकार का···

प्रो० एन० जी० रंगा। हमें तारीखों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। सलाहकार समिति की बैठक कब हुई और सरकार ने मना कब किया ? लगता है दिसम्बर में मना किया था। सलाहकार समिति की बैठक सितम्बर में हुई थी। क्या ऐसा नहीं है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : कोई कभी भी मिला हो, मैं कहता हूं कि ये दो रिपोर्ट हैं। सलाहकार समिति में वे कहते हैं कि योजना थी। और फिर अतारांकित प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर सलाहकार समिति की बैठक में ऐसी रिपोर्ट कैसे आई जब ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी ?

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने अपनी गलती ठीक कर ली है।

श्री जी० एम० बनातवाला : अतः मैं कहता हूं कि इस सरकार द्वारा एक भ्रान्ति पैदा की जा रही है और समाचारपत्र इसका लाभ उठाकर इसको आगे बढ़ा देते हैं। मुझे कहना चाहिए कि हरेक बात में कई भ्रान्तियां हैं। विभिन्न भ्रान्तियां आगे हैं।

दूसरा उदाहरण ले लीजिए। चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया कि रोजगार के मामलों में अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा। मैं अभी समाप्त कर दूंगा। मैं पूछता हूँ कि आपने क्या कदम उठाये इसके विपरीत हैदराबाद में एक सी०आर० पी० कमान्डैंट थे। वे 155 रिक्तियां भरना चाहते थे और जब उन्होंने यह घोषणा की कि वे कम से कम 46 हजार मुसलमान लेंगे तो उसकी खिंचाई की गई उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि ऐसा क्यों कहा गया। इसीलिए मैं सरकार से ये बातें पूछता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केवल 46 ही क्यों, अधिक क्यों नहीं—यह आपत्ति थी।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपत्ति यह थी कि आप यह क्यों कहते हैं कि कम से कम 45 लिए जायेंगे।

सभापति महोदय : इसका दूसरा अभिप्राय भी हो सकता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह इसलिए है क्योंकि आप बेचैन हैं। यहां मेरे पास अतारांकित प्रश्न संख्या 39 का 18 फरवरी, 1981 को दिया गया उत्तर है। मैं सरकार से यही पूछ रहा हूं जब आप कहते हैं कि रोजगार के मामलों में अल्पसंख्यकों के दावे पर विचार किया जाएगा और उनके साथ उचित न्याय किया जाएगा तो हमें बतायें कि इस मामले में आप आगे बढ़ने की कैसे योजना बनाते है ? आपने अपने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए क्या अनुदेश दिए हैं ?

महोदय, शैक्षिक संस्थाओं की रक्षा का प्रश्न है फिर कांग्रेस (इ) के चुनाव घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया था। हमारे संविधान में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। परन्तु फिर क्या हुआ ? मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा क्योंकि मुझे समाप्त करना है। हमारे देश में हाल ही में तमिलनाडु विधान सभा ने एक विधेयक पारित किया है। यह "तमिलनाडु मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल विनियमन तथा गैर सरकारी कालिज विनियमन (संशोधन) विधेयक 1982 है। यह विधेयक और कुछ नहीं है बस

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं पर आक्रमण है। यह समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध है। तमिलनाडु विधान सभा का यह विधेयक अब ज्ञात कारणों की वजह से विधानसभा द्वारा जल्दी-जल्दी पारित किया गया था। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रबन्ध को निलम्बित किया जा सकता है और राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। विधेयक में कहा गया है कि एक अल्पसंख्यक शिक्षा सस्था के प्रबन्ध को भी उस पद के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है 'प्रबन्धक' शब्द को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि उसमें संस्था के अध्यक्ष या संस्था के सचिव को भी सम्मिलित किया गया है। यह अल्पसंख्यकों की संस्थाओं पर आक्रमण है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का विनाश है। यह विधेयक हाल ही में तमिलनाडु विधान सभा में बहुत ही जल्दी से पारित किया गया है। हमने इसका विरोध किया। हमने कहा कि यह समवर्ती सूची में है और इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए लाया जाना चाहिए। हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। परन्तु कुछ ही दिनों में मुझे पता चला-इसको ठीक किया जा सकता है—कि राष्ट्रपति का अनुमोदन भी दिया जा चुका है। तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित किये गये हजारों विधेयकों के राष्ट्रपति के पास निलम्बित पड़े रहने के बावजूद भी इस विधेयक को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। सारे विरोध के बावजूद तथा न्यायिक मत की उपेक्षा करके इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ये मामले ऐसे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि राज्यों का अल्पसंख्यक आयोग हो तो हम उसके पास जा सकते हैं। एक ऐसा अल्पसंख्यक आयोग होना चाहिए जो इस मामले में सभी पहलुओं का अध्ययन करे और अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुलझाने के तरीकों का अध्ययन करे।

इस विधेयक में अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक स्तर देने और उसको सांविधिक शक्तियां देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि संविधान में निहित मूल अधिकारों को बहुसंख्यक समाज में अल्पसंख्यकों के प्रति परियुक्तियों को पूरा करने देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक को इस भव्य सदन के सम्मुख रखता हूं और यह आशा करता हूं कि हमको स्वीकार कर लिया जायेगा। इस विधेयक से की गई मांग से अधिक न्यायिक और सरल मांग कोई नहीं हो सकती।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, जब हिन्दुस्तान का संविधान 1950 में बना था, उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि अब केवल आर्थिक आधारों पर कुछ चर्चायें रहेंगी। लेकिन आज भी भगवान जानता है कि देश में एजुकेशन बढ़ने के बाद, इन्डस्ट्रीज की प्रोग्रेस करने के बाद, अपने विचारों को आगे बढ़ाने के बाद, हम आज भी सदन में माइनोरिटी की चर्चा करते हैं। सविधान यह कहता है कि हमें समाजवादी समाज की स्थापना करनी है। यह हमारा उद्देश्य है और धर्म-निरपेक्ष राज्य है। धर्म-निरपेक्ष राज्य के अन्दर मेरी समझ

में सब बराबर हैं—चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे कबीर पन्ती हो, चाहे दादूपन्ती हो। शैड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स पर हमने कुछ जुल्म किए हैं और उसके कारण हमें अपने कर्तव्यों को अदा करना है और कर्तव्यों को अदा करने के लिए संविधान में कुछ आर्टिकल्स रखे हैं। हमें उनका स्वागत करना चाहिए। जब मैंने यूनिफाइड सिविल कोड की बात की है तो कुछ लोगों ने कहा कि यूनिफाइड सिविल कोड नहीं बन सकता है। यदि मैं जैन कम्यूनिटी की बात करता हूँ कि तो केवल हिन्दुस्तान में 50 लाख जैन हैं, जिनका कि सर्विसेज में स्थान बहुत कम है। आज आप सिखों को ही ले लीजिए, वे भी मांग करते हैं और वे भी अपने आपको माइनोरिटी मानते हैं। 388 के अन्दर सिर्फ एक बात थी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदम जातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

सब विषयों का अनुसन्धान करना, उस विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा।

आज भी हम देखते हैं कि कुछ हमारी रूढ़ियों के कारण, कुछ हमारी गलत परम्पराओं के कारण अभी भी हरिजनों पर अत्याचार होते हैं। मान लीजिए जैन कम्युनिटी आवाज खड़ा करती है या सिख कम्युनिटी करती है या माइनारिटी के नाम से जो लोग अपनी आवाज करते हैं कि हिन्दुस्तान के यूनीफाईड सिविल कोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या ये देश की कुछ ताकतें, देश को कमजोर करने की ताकतें नहीं होंगी। यह हमारा फर्ज है और हमने माना है कि यह गलती हुई है कि जो लिंग्विस्टिक माइनारिटीज पर हमारी रिपोर्ट आई थी और हमने उस पर बहस नहीं की, यह हमने गलती की। चाहे इधर बैठने वाली जो कोई भी पार्टी रही, जनता पार्टी रही या कांग्रेस पार्टी पावर में रही, हमने यह माना है कि मातृभाषा में हरेक को शिक्षा पाने का अधिकार है और उस रिपोर्ट पर बहस न करना गलती थी।

आज हिन्दुस्तान के अन्दर इस प्रकार की बातें करने की बजाय ये सारे झगड़े होते हैं। यह झगड़े कहां पैदा होते हैं। हमारे मधु दण्डवते साहब और बड़े-बड़े विद्वान लोग तथा पासवान जी शायद समझते हैं कि यह रायट्स क्यों होते हैं। मुझे तो हिन्दुस्तान के अन्दर दो क्लास मालूम हुई। एक हुई पूंजीपति और एक गरीब वर्ग। इस गरीब वर्ग की आड़ में सब शिकार खेलना चाहते हैं। जब कभी साम्प्रदायिक ताकतों के बड़े-बड़े लोग उभरकर नहीं आते हैं तब वो अपनी साम्प्रदायिकता का चोला पहनकर आग लगाते हैं। क्योंकि कई लोगों में जब मानवता की भावना नहीं होती, वे अपनी बुद्धि, अपने दिमाग की विशालता के ऊंचे नहीं होते तो क्या करते हैं कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते है उनमें वो लीडर बनने के लिए, सलाह देने के लिए ये बातें करते हैं।

एक हिन्दू का झगड़ा हो और एक मुसलमान का झगड़ा हो और उनसे पूछा जाए तो पता लगेगा कि आपस में पीते हैं, खाते हैं और शादियों में जाते हैं। वे हमारे त्योहारों में आते हैं, हम उनके त्योहारा में जाते हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां साम्प्रदायिकता का नाम

नहीं लेती हैं और साम्प्रदायिक गुट के आधार पर खड़ी रहना चाहती है और उनसे वोट लेने की राजनीति में यह सवाल पैदा करती हैं। हमारी माइनारिटी की बात मैं कहता हूं कि आप इस चीज को क्यों नहीं लेते हैं या कहिए कि हिन्दुस्तान में जो 58 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे हैं, चाहे उसमें किसी जाति के हों, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, उन सबके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हमारे यहां धर्म निरपेक्षता है। मुस्लिम देशों में यह कह दिया गया है कि कुरान में जो लिखा है वही धर्म है। बंगला देश ने पहले सेक्युलरिज्म के सिद्धान्त को अपनाया था, सेक्युलर स्टेट अपने आप को घोषित किया था। लेकिन आज वह भी सेक्युलर स्टेट नहीं है। वह जाने। उसके काम में दखल देने का हम को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन धर्म निरपेक्षता की जब हम बात करते हैं तो माइनोरेटीज को किस रूप में देखना चाहिए? मैं समझता हूं कि भारत में माइनारिटीज के सवाल को न ले करके आर्थिक और गरीबों के सवाल पर विचार हमको करना चाहिये। देश का कोई अभिशाप है, कोई कलंक है तो वह गरीबी है। लेकिन बेचारे गरीब लोगों के बारे में सोचा नहीं जाता है। गुटों के आधार पर ही सोचा जाता है और कह दिया जाता है कि हमारी रक्षा नहीं हो रही है। शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्ज को कुछ लाभ मिले हैं। ठीक है, मिले हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इनका एक बेटा कमिशनर बन जाता है, दूसरा कलैक्टर, तीसरी डाक्टर आदि उनको तो लाभ मिल गया। माइनोरिटी का हक मिल गया। लेकिन सबको यह भी सोचना चाहिये कि देश को संवारने और सजाने में वे भी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं जितना दूसरे कर सकते हैं। संविधान के अन्दर संशोधन करने की मांग की गई है। सरकार अगर इसको मान ले तो कल को दूसरी क्लास के लोग आकर कहेंगे कि हमें शिकायत है और फिर तीसरी क्लास के लोग। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ ली थी, उस पर हम कायम नहीं है।

आप देखें कि भारत में 31 प्रतिशत के करीब लोग ही पढ़े लिखे हैं, सत्तर प्रतिशत लोग कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। समय की चाल को आप पहचाने। छोटी छोटी बातों में आप न पड़ें। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होनी चाहिये। यह ठीक बात है। संविधान में लिखा है कि गरीबों की रक्षा की जाएगी, कमजोरों को मदद देनी होगी। यही तो समाजवाद है। इसको हम ने माना है। लेकिन असली चीज पर हमला नहीं किया जाता है। हम अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं अपनी नेतागिरी को बनाए रखना चाहते हैं। राजनीति में यह भी एक प्रोफेशन के तौर पर चीज शामिल हो गई है। यह नई बीमारी है। एक समाज के लोग नेता बन जाते हैं। अलग अलग समाजों के अलग-अलग लीडर हों तो वे देश का किस तरह से सुधार करेंगे। देश का जो लीडर होता है वह न मुसलमान होता है, न हिन्दू और न ईसाई। वह हिन्दुस्तानी होता है। भला होना चाहिये वीकर सैक्शंज का। उनकी रक्षा होनी चाहिये जो इकोनोमिकली वीक हैं। धर्म निरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर, जातिवाद के नाम पर इस सिद्धान्त को आप काट रहे हैं। यह देश को काटने जैसी बात हुई। यह देश का मैल है। लीडर बन जाते छोटी-छोटी पार्टियों के नाम पर, प्रचार करते हैं हमारा धर्म अच्छा है। धर्म कौन सा अच्छा ? विवेकानन्द ने कहा था हर इंसान इंसान है, वही धर्म है।

अब हिन्दुस्तान में अगर अल्पसंख्यकों की भलाई नहीं सोचते हैं तो हम संविधान के सबसे गुनहगार हैं। सवाल वीकर सेक्शन्स को प्रोटेक्शन देने का है चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, या ईसाई हो, जो भी गरीब हो उसको प्राथमिकता दी जाये। और जाति के आधार पर कुछ नहीं किया जाना चाहिए। राइट्स होते हैं बड़े-बड़े लोग केवल समझौता कराने जाते हैं, लेकिन मरता गरीब है। माननीय बनातवाला अगर यह चीज लाते कि देश में गरीबों को उठाने के लिये ऊपर जो बैठे हैं उनको नीचे ले आओ, जो गरीबी देश में है और लोगों को पीछे फेंक रही है उसको दूर किया जाये तो कुछ बात समझ में आती। धर्म तो मन की चीज है। दूसरे मजहब का आदर ही मेरा मजहब है। लेकिन यह क्या सवाल है कि हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हम दुखी हैं। यह बात सेक्यूलर स्टेट में अच्छी नहीं लगती। यह मैं जरूर मानता हूं कि सरकार ने यह भूल की है कि लिंग्विस्टिक माइनारिटीज कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। उनको और सारी सुविधायें देनी चाहिए, जिस मातृभाषा में वह पढ़ना चाहें वह सुविधा प्रदान की जाये। लेकिन अगर इसको आप सवैधानिक रूप देंगे तो देश में पृथकतावादी ताकतें और सर ऊंचा उठायेंगी।

आज खलिस्तान की आवाज आयी, आज सरकार हमारा राष्ट्रपति है, खलिस्तान की जब मांग करते हैं तो अच्छे सरकार अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। मैं समझता था कि आजाद होने के बाद साम्प्रदायिकता के आधार पर बनी सारी राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो जायेंगी और धर्म निरपेक्ष राज्य में केवल सिद्धान्त पर बनी पोलिटिकल पार्टीज ही होंगी। लेकिन आज भी हम साम्प्रदायिकता की बात करते हैं। वोट लेने के लिए ऐसी बात करना मैं अच्छी नहीं समझता हूँ।

ला मिनिस्टर साहब जवाब देते वक्त साफ कहें कि संविधान में जो लिखा हुआ है और जिसकी हम शपथ लेते हैं कि हम देश की सावरनिटी में विश्वास करते हैं, और हमारी प्रतुता और अखंडता इसमें है कि हम सब लोग जाति विहीन, वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना करेंगे। देश में जो भी पार्टियां बने वह कुछ और बड़े-बड़े सिद्धान्तों पर बनें। जैसे मार्क्सवादी पार्टी अपना कुछ सिद्धान्त लेकर चलती है, कांग्रेस पार्टी अपनी पालिसी ले कर चलती है, जनता पार्टी अपनी नीति लेकर चलती है। लेकिन जो साम्प्रदायिक पार्टियां चलती हैं मेरे विचार में संविधान बनने के बाद उनके लिये कोई स्थान नहीं है। आपकी भावना अच्छी होगी, लेकिन उसको यह रंग देना चाहिये था कि जो गरीब वर्ग है चाहे किसी जाति का हो उसको ऊपर लाना चाहिए। और हमारी लड़ाई गरीबी से है, अशिक्षा से है, शोषण से है। हम लड़ाई कर रहे हैं अलग पार्टियों की जो ठीक नहीं है।

जो आपने लिखा है वह सही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हर जाति का जो कमीशन बना हुआ है···कि जब इसके अन्दर यह बात पैदा हो कि हिन्दुस्तान में शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के नाम पर आप न रहें, बल्कि वीकर सैक्शन के नाम पर रहें जिसकी आर्थिक तौर पर रक्षा करें। लेकिन हमने इस तरफ कदम उठाये नहीं मजबूती से नहीं उठाये, जो उद्देश्य चाहा, वह पूरा नहीं किया और उसी कारण कभी-कभी यह आवाज उठती है।

आज हमें दुःख होता है जब शिड्यूल्ड कास्ट का भाई कहता है कि हम पर अत्याचार होते हैं, इससे हमारे हिन्दुस्तान की गर्दन नीचे होती है। लेकिन हिन्दुस्तान का जो संविधान बना हुआ है, और बगला देश के श्री मुजीबुर्रहमान ने जो संविधान बनाया था, कई राज्यों ने धर्म को आदर्श मान लिया है, राज्य का धर्म सब होते हैं, राज्य का धर्म नहीं होता, लेकिन हिन्दुस्तान एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसलिये इसके संविधान की जो खूबसूरती हैं, उनको कायम रखते हुए और उस चीज को समझते हुए बनातवाला साहब अपने कानून में यह तरमीम करें की जो कमजोर लोग हैं, उनको आर्थिक स्थिति से ऊपर उठाया जाये और उनकी समस्या का निराकरण किया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

अगर अल्पसंख्यकों का सवाल लेकर चलेंगे, तो हिन्दुस्तान में कई अल्पसंख्यक पैदा हो गये हैं, यह अलगाव की स्थिति है, कई विकृतियाँ खड़ी हो गई हैं, इससे देश का भविष्य सुन्दर नहीं होगा। इसमें तो यूनीफाइड कोड कहा है। अभी तक हम एक दायरे में जकड़े हुए हैं हम पुराने ग्रन्थों की रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं। आज टैक्नोलाजी का युग आ गया है, सारा ससार छोटा हो गया है लेकिन हम अभी तक छोटे-छोटे दायरों में घुसे हुए हैं। हमें बड़े दायरे में घुसना चाहिए कि इन्सान का धर्म क्या है। इंसानियत के मुकाबले उसका कोई धर्म नहीं है, उसको अपना कर्तव्य करना चाहिये।

इसके ऊपर हम विचार करें, बैठें और एक देश के नागरिक होकर हम यह गायें—

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा

तब हमें खुशी होगी।

श्री चित्त बसु (बारसार) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।

मैं अपने माननीय मित्र श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का समर्थन करने के लिए उठता हूं। विधेयक का उद्देश्य बिलकुल सीधा है—सीधा इस अर्थ में कि इस विधेयक में तीन आयोगों का प्रावधान किया गया है। एक आयोग अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए दूसरा आयोग भाषायिक अल्पसंख्यकों के लिए तथा तीसरा अन्य अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से भाषयिक अल्पसंख्यकों के लिए।

इस विधेयक में यह सुझाव दिया गया है कि इन तीनों आयोगों के पीछे संविधान व सांविधिक समर्थन होना चाहिए। सीधे शब्दों में इस विधेयक का यह उद्देश्य है। जैसा कि विधेयक के प्रस्ताव द्वारा कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों तुरन्त संरक्षण को अवधारणा हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान बनाई गई थी। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि अल्पसंख्यकों को दिये गये संरक्षण का अर्थ अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों द्वारा दिया गया दया उपहार नहीं लगाया जाना चाहिए। वस्तुतः अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकार होने चाहिए, अहस्तांतरणीय अधिकार तथा हमारे देश में रह रहे अल्पसंख्यकों चाहे वे भाषायिक अल्पसंख्यक हैं या

धार्मिक अल्पसंख्यक के इन अहस्तान्तरणीय अधिकारों की रक्षा तथा संरक्षा करना बहुसंख्यक समुदायों तथा सरकार दोनों का कर्तव्य है।

मैं जनता सरकार को उस समय यह पहले करने पर बधाई देता हूं जिन्होंने वास्तव में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अलग आयोग बनाने की आवश्यकता समझी। महोदय अल्पसंख्यक आयोग का गठन जनता सरकार के आदेश से वर्ष 1978 में किया गया था। इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों को दिए गए संरक्षणों को लागू करने की बात को बहुत महत्व देती है और उसका यह दृढ़ विचार है···। जनता सरकार ने यह स्वीकार किया कि यदि संवैधानिक रूप से सुरक्षा उपाय विद्यमान है। लेकिन मात्र सवैधानिक सुरक्षा उपाय ही उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते। संवैधानिक संरक्षण की रक्षा के लिए एक तंत्र बनाना आवश्यक था और उस उद्देश्य के लिए अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। यदि आप हमारे देश के अल्पसंख्यकों के कार्य और जीवन की स्थिति को देखें—मैंने विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया है—तो आपको पता चलेगा कि आज भी वे बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देखे, जैसा कि संविधान में कहा गया है, कि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि हमारे देश के धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग यह महसूस करें कि वे भी देश के राष्ट्रीय जीवन के अंग हैं; उन्हें भी समान अधिकार प्राप्त हैं; और वह हमारे समाज में किसी तरह भी दूसरे वर्ग के नागरिक नहीं हैं। उन्हें भी अपने अधिकारों का प्रयोग का हक है और साथ ही राष्ट्र के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी है। महोदय, यह बड़े सन्तोष का विषय है कि हमारे देश के अल्पसंख्यक वर्गों ने पहले ही स्वयं को हमारे सामाजिक जीवन में स्वीकृत कर लिया है। निश्चय ही, हमारे देश के कुछ भागों में यह गलत प्रचार किया है कि अल्पसंख्यक एक विशेष सम्प्रदाय, की हमारे देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। यह और कुछ नहीं वरन् एक विद्वेषपूर्ण अभियान है। जिसके खिलाफ हमें राजनीतिक रूप से लड़ना चाहिए। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें पक्का विश्वास है कि अल्पसंख्यकों की इस देश के प्रति पूरी निष्ठा है और वे हमारे समाज के अंग हैं। वे हमारे देश के अंग हैं और उन्हें भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त करने का अहरणीय अधिकार उसी तरह से प्राप्त है जैसा कि अन्य वर्ग के नागरिकों को हमारे देश के संविधान के अन्तर्गत प्राप्त है।

महोदय, हमें देश के मुसलमान वर्ग की कुछ उन महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख करता हूं, जिसका सामना उन्हें आज भी करना पड़ रहा है। उन्हें रोजगार के अवसर नहीं दिए जाते। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बहुसंख्यक समुदाय में बेरोजगार युवक हैं लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के मामले में अन्याय और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें इन सेवाओं में रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तरीका अपनाया जाना चाहिए। महोदय, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई या प्रभावशाली कदम नहीं उठाए गए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देखे कि अल्पसंख्यक वर्ग की इस मूल समस्या पर उचित ध्यान दिया जाए और प्रभावपूर्ण कदम उठाए जायें ताकि उन्हें सेवाओं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।

अल्पसंख्यक वर्गों को उच्च शिक्षा के लिए कालेजों और संस्थानों विशेषकर उन संस्थानों में जहां उच्च व्यवसायिक पाठ्यक्रम और व्यवसायिक ज्ञान दिया जाता है, में प्रवेश लेने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए मैं मेडिकल कालेजों और इंजीनियरिंग कालेजों और उन संस्थानों में, जहां उच्च तकनीकी शिक्षा दी जाती है, प्रवेश का उल्लेख करना चाहता हूं। इसके लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहिए ताकि अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोगों और विद्यार्थियों और युवकों को होने वाली कठिनाइयों को यथाशीघ्र दूर किया जा सके।

अब मैं उर्दू को मान्यता देने के प्रश्न पर आता हूं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल आपका और सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उर्दू-भाषी नागरिकों की बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में भी उर्दू को राजभाषा के रूप में अभी भी मान्यता नहीं दी गई है। यद्यपि सरकार की नीति उन राज्यों में उर्दू की दूसरी राजभाषा मानने की है, जहां पर उर्दू भाषी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके बावजूद भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां उर्दू को दूसरी राजभाषा नहीं माना गया है। निश्चय ही कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां इसे मान्यता दी गई हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सरकार की नीति लागू नहीं की गई है।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि जिन संस्थानों का स्वरूप अल्पसंख्यक है उसे पूरा संरक्षण दिया जाए। यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। मैं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों द्वारा बौद्ध इसाई धर्म अपनाने का उल्लेख करना चाहता हूं। इन लोगों को वे अधिकार और अन्य सुविधाएं और अवसर नहीं दिए जा रहे, जो इन्हें मिलने चाहिए। यह उन अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव है। उन्हें उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। मेरे पास उनकी शिकायतों की लम्बी सूची है। लेकिन इन समस्याओं का इसी वक्त उल्लेख करना उपयुक्त नहीं है। मैं सरकार पर केवल इस समस्या पर पर्याप्त ध्यान देने और पर्याप्त तथा शीघ्र कदम उठाने के लिए इसलिए दबाव डालना चाहता हूं कि वह देखे कि अल्पसंख्यक समुदायों को शिकायतों पर ठीक तरह से एवं आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाए।

अल्पसंख्यक आयोग ने बहुत सी बहुमूल्य रिपोर्टें दी हैं। उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है। यहां रखी गई सूची में मैंने देखा कि अल्पसंख्यक आयोग ने बहुत सी बहुमूल्य रिपोर्टें दी हैं। यह प्रथम वार्षिक रिपोर्ट है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की रिपोर्ट पेश की। आयोग द्वारा तमिलनाडु में परनाम्बुत में हुए साम्प्रदायिक दंगो की भी रिपोर्ट दी गई है। उन्होंने एक अन्य रिपोर्ट अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में पेश की। उन्होंने जमशेदपुर में साम्प्रदायिक दंगे करने वालों के पुनर्वास पर, रिपोर्ट दी। उन्होंने कुछ समय पूर्व श्री त्यागी द्वारा सदन में धार्मिक स्वतंत्रता का विधेयक पर, तथा करनाल में गुरुद्वारा मंजी साहिब के निकट शिव मंदिर बनाने पर हुए विवाद की भी रिपोर्ट पेश की।

ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टें हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है। यद्यपि इस आयोग द्वारा बहुत ही बहुमूल्य और महत्वपूर्ण रिपोर्टें दी गई हैं और विभिन्न प्रश्नों पर बहुत सी सिफारिशें की गई हैं,

सरकार ने उनकी उचित तरीके से जांच करने और जहां सम्भव हो वहां उन्हें कार्यान्वित करने की परवाह नहीं की। जहां तक तमिलनाडु में परनाम्बुत में हुए साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट का सम्बन्ध है, आप देखेंगे कि उनकी सिफारिशें बहुत सराहनीय है। यदि राज्य सरकार रिपोर्ट और आयोग की सिफारिशों पर उचित रूप से ध्यान नहीं देती, तो इस तरह का आयोग बनाने का उद्देश्य ही क्या है।

अल्पसंख्यक आयोग ने अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के कुछ प्रभावशील उपायों की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि पी. ए. सी. दलगत रूप से जुड़ा हुआ था और दंगे कराने में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों का हाथ था। उन्होंने इससे सम्बन्धित रिपोर्ट का ब्यौरा भी दिया है कि जमशेदपुर में किस तरह से दंगे हुए और बिहार सरकार ने इसकी जांच कैसे की और पुलिस ने उसमें कैसे कार्य किया। रिपोर्ट में ये सब महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी गई हैं। इन सब मामलों में तो बिहार सरकार ने, और न तमिलनाडु सरकार ने और न ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उन टिप्पणियों पर, सिफारिशों पर उचित रूप से अमल किया है। यह सब इसलिए हुआ कि आयोग की संवैधानिक दर्जा और समर्थन प्राप्त नहीं है। जब तक हम अल्पसंख्यक आयोग की संवैधानिक दर्जा और समर्थन प्रदान नहीं करेंगे इस आयोग का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा और तथ्य यह है कि इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।

अतः मेरा सुझाव है कि यदि सरकार इस मामले में सचमुच गंभीर है कि दंगे न हो, और अल्पसंख्यक सम्प्रदायों और उनके हितों की सुरक्षा की जाये और अल्पसंख्यक आयोग के गठन का उद्देश्य पूरा हो सके तो उसके लिए इसे संवैधानिक मान्यता और समर्थन देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह श्री जी. एम. बनातवाला द्वारा प्रस्तुत विधेयक को स्वीकार करके चुनावों के दौरान दिए गए वचनों को पूरा करें। ऐसा लगता है उन्हें अल्पसंख्यकों, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल वोट लेने से मतलब है। लेकिन मेरा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विधेयक को स्वीकार करें। ऐसा करने से वह चुनाव के दौरान दिए गए वचनों को भी पूरा कर सकेंगे। उन्हें कम से कम यह कदम उठाना ही चाहिए ताकि अल्पसंख्यक आयोग बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अभी मैं बड़े गौर से डागा जी के प्रवचन को सुन रहा था। उनका भाषण नहीं, प्रवचन था। उनकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं। लेकिन भावनाओं से काम नहीं चल सकता है। हकीकत को भी हमें देखना होगा। जैन धर्म के मुताबिक जो उनका धर्म है, चींटी भी नहीं मारी जानी चाहिये और इसके लिए रास्ता बुहार करके चलने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि शाम से पहले-पहले भोजन कर लिया जाए ताकि कीड़े मकोड़े को भी किसी तरह की क्षति न पहुँच सके। लेकिन गुजरात का आन्दोलन, बिहार का आन्दोलन, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद आदि के आन्दोलनों की जब हम कल्पना करते हैं, उन पर विचार करते हैं तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इंसान का जीवन आज एक कीड़े से

भी बदतर हो गया है ? मुझे खुशी तब होती अगर हरिजन के ऊपर उसकी बस्ती में अटैक होता है तो हरिजन की बस्ती में आकर उसकी रक्षा करते करते सवर्ण मारा जाता और इसी प्रकार सवर्ण की बस्ती में जाकर हरिजन मारा जाता उसकी रक्षा करते करते और मुसलमानों की बस्ती में आकर उनकी रक्षा करते करते हिन्दू मारा जाता है और हिन्दू की बस्ती में उसकी रक्षा करते करते मुसलमान मारा जाता । लेकिन जो हालात सामने आए हैं वे यही बताते हैं कि चाहे मुसलमान पर हमला हो या हरिजन पर या आदिवासी पर या क्रिस्चियन पर तो इंसान इन्सान नहीं रह जाता है बल्कि इंसान टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाता है और कभी इंसान हिन्दू के रूप में सामने आता है और कभी मुसलमान और हरिजन के रूप में और कभी सवर्ण के रूप में।

यह कहना बहुत आसान है कि गरीब और अमीर दो ही जातियां हैं । मैंने हजार बार कहा है कि एक जाति के गरीब और दूसरी जाति के अमीर में भी जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कई बार जगजीवन राम जी का उदाहरण भी दिया है । लोक सभा में सबकी नजर उन पर है । वह सबसे शक्तिशाली हैं । पूंजी में भी शक्तिशाली हैं । लेकिन उन जैसे आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाता है जाति के आधार पर । वह किसी मन्दिर में या सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए भी गए थे तो उसको भी धोया गया था । यह हकीकत है । जिस दिन भारत के लोगों के दिमाग से जातपात का भेदभाव मिट जाएगा, धर्म का मामला मिट जाएगा और सिर्फ अमीर और गरीब का मामला रह जाएगा मैं समझता हूं कि उस दिन इस समस्या का निदान हो जाएगा और अमीरी गरीबी के आधार पर हम इस समस्या को हल कर सकेंगे । लेकिन जब तक देश में जातिवाद रहेगा, धर्म धर्मान्तर मानने वाले लोग रहेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा । बचपन में हमने भगवान महावीर के बारे में पढ़ा था कि महावीर और बुद्ध दोनों भगवान के विरोधी थे लेकिन फिर भी दोनों को भगवान का अवतार मान लिया गया और उनको भगवान बना दिया गया ।

श्री मूल चन्द डागा : हम उनको अवतार नहीं मानते । हम अपने कर्म को भगवान मानते हैं । कर्म सब कुछ है ।

श्री राम विलास पासवान : गौतम बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण सब को भगवान मान कर चला गया है । जिस महावीर ने धर्म की बुराइयों के खिलाफ लड़ना सिखाया, जिस बुद्ध ने रूढ़िवादिता के खिलाफ लड़ना सिखाया आज उसी बुद्ध की इतनी मूर्तियां निकल रही हैं कि कि उसको भगवान का रूप दे दिया गया है । डाक्टर अम्बेदकर जैसे आदमी के लिए जब रास्ता चुनने की बात आई तो उसके सामने जिस आदमी का चेहरा आया वह बुद्ध का आया जो न हरिजन था और न बैकवर्ड बल्कि एक क्षत्रिय था और उसका रास्ता उसने अपनाया । हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन आपको लाख कहें कि अल्पसंख्यक हैं लेकिन आप अल्पसंख्यक नहीं हैं । चूंकि यह भांप कर के चला जा रहा है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म हिन्दू धर्म के अंग बन गये हैं ।

श्री मूल चन्द डागा : जैन धर्म उसका अंग नहीं है । धर्म अलग चीज है ।

श्री राम विलास पासवान : बुनियादी कोई फर्क नहीं है । जिसको हम लोग विशेष अवसर कहते हैं आप मान कर चलते हैं अल्पसंख्यक आयोग, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स

का आयोग बन जाए या मंडल आयोग बन गया इसमें देश टूट रहा है। लेकिन मैं इसको जोड़ने की दिशा में मानता हूं। मैं मानता हूं कि यह समानता की ए, बी, सी, डी है। हमारा सर 5 मन का हो जाए और हाथ पैर को लकवा हो तो शरीर स्वस्थ नहीं माना जाएगा। आज तक का इतिहास बतलाता है कि हिन्दुस्तान, गरीबी और अमीरी के कारण गुलाम नहीं बना है, बल्कि सबसे बड़ा कारण यह रहा है इस देश की ऊंच नीच जाति व्यवस्था। जिस समय दिल्ली पर कब्जा हो जाता था तो ऐसा माना लिया जाता था कि सारा देश गुलाम हो गया क्योंकि लोग कहते थे कि कोई नृप होय हमें का हानि, चेरि छोड़ न होई हैं रानी। लेकिन यदि प्रत्येक प्रांत देश का मजबूत होता तो सब जगह कब्जा करने की नौबत आती।

आज एक वर्ग मन से गरीब है, एक पेट से गरीब है और एक वर्ग ऐसा है जो पेट और मन दोनों से गरीब है। एक के सामने आर्थिक समस्या है, यदि कोई ऊंची जाति आदमी है और वह भूखा है तो आर्थिक दृष्टिकोण से भूखा है लेकिन उसका मन गरीब नहीं है। वह स्वाभिमान के साथ बात करेगा, और करना भी चाहिए, मैं इसको अच्छा मानता हूं। लेकिन अगर एक हरिजन घर का लड़का या कमजोर तबके का लड़का आता है तो उसका पेट और मन भरा हुआ है, वह किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता है। अब यह नौबत आनी शुरू हो गई है जब लड़के पढ़ने लिखने लगे हैं, आपने कह दिया गरीबी, अमीरी, आप गुजरात में गये होंगे वहां जितने घर जलाए गए हैं गरीब के जलाए गए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट्स के घर जलाए गए? उनके घर जलाए जो पढ़े लिखे थे और सरकारी नौकरी करते थे और माननीय सरकार जी का उदाहरण आपके सामने है। परमार जी को कहा गया लखपति हो गया इसलिए उनका घर जलाया गया। यह जो दिमागी कुराफात है हिन्दुस्तान में जब तक इसका इलाज नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं होगा। जिस देश में चींटी को चीनी, सांप को दूध पिलाया जाता हो और गाय को मां कहा जाये, लेकिन जब तक इन्सान को इन्सान नहीं समझोगे तब तक देश का भला नहीं होगा। आज भी देश का बहुसंख्यक तबका ऐसा है जिसको सम्मान नहीं मिल रहा है, इज्जत नहीं मिल रही है। मैंने कल एक पार्लियामेंट के सवाल का जवाब देकर बताया था जो लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी धन आता है, जो कहते हैं मुस्लिम देशों के पीछे विदेश का पैसा आता है वह गलत है। मैंने कल कहा था कि विदेश से कितनी संपत्ति आती है और किस किस देश से आती है। और जो मुस्लिम कन्ट्रीज हैं वहां से नगण्य पैसा आता है। लेकिन यदि कोई स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा तो उसका समर्थन हम अवश्य करेंगे और उसके लिए आन्दोलन भी करना पड़ेगा। उसको कोई और रूप देकर समस्या का निदान नहीं होगा। यह मान कर चलना पड़ेगा कि जैसे घर में कोई आदमी बीमार होता है तो उसको आपको सबसे ज्यादा देना पड़ता है, चाहे आप खाना खायें या नहीं, लेकिन उसके लिए दवा, दूध और फल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज देश का बहुत बड़ा तबका बीमार है और उसको आपको स्पेशल डाइट देनी पड़ेगी, और उसी को हम विशेष अवसर कहते हैं चाहे कमीशन के रूप में दिया जाए, चाहे विशेष अवसर के रूप में दीजिये, उनको समान स्तर पर लाने के लिए आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी।

जो लोग कहते हैं मैरिट की बात, तो हमने देश को क्यों आजाद कराया था? अंग्रेज कोई खराब काम कर रहा था, कोई खराब राजपाट चला रहा था? लोग तो अभी भी कहते

हैं कि उनके राज्य में अमन चैन था। हमने आजादी इसलिए ली थी कि हमारी सरकार बनेगी और जो सदियों से सताए हुए और दबाये हुए हैं उनको भी ऊपर उठने का मौका मिलेगा। यदि मैरिट के आधार पर जस्टीफाई करेंगे कि मैरिट को इग्नोर नहीं करना चाहिए तो अंग्रेज को भगाने को आपको यहां से कोई काम नहीं करना चाहिये था।

तो मैं कहता हूँ यह देश धर्मनिरपेक्ष है और मुझे दुख है डागा जी बड़े तुलझे हुए हैं, हमारा आपके प्रति सबसे ज्यादा आदर है, इसलिए इस मामले में भी आपका दिमाग साफ रहना चाहिये। यह देश धर्मनिरपेक्षता का है, इस देश में हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, फारसी हैं और हिन्दू कहलाने वालों में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र भी हैं और शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स भी हैं, इन सब का एक स्टेट्स नहीं है। इसलिए जब भी हम बात करें तो हमारे सामने अल्पसंख्यक का चेहरा रहना चाहिए, हमारे सामने शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का चेहरा रहना चाहिये। आज क्या कारण है जो कम्युनल राइट्स होते हैं? किसी पार्टी के लोग हों अपवाद को छोड़कर, सब लोगों ने एक ही चीज जाहिर की. सब ने कहा मेरे प्रति ज्यादती हुई है। मुस्लिम मोहल्ले को देखिये एक बार कहता था पी० ए० सी० का जवान कि वहीं रहना होगा तो वह बेचारा चुपचाप घर में बन्द रहता था। दूसरी तरफ के लोग कहते थे पी० ए० सी० जिन्दाबाद। हमारे एक साथी भोपाल सिंह हैं, उनका घर मुसलमानों के मोहल्ले में है और जब 29 तारीख को उनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारे यहां काम करने वाले सब मुसलमान है लेकिन हमारी फैक्ट्री एक दिन भी बन्द नहीं रही। त्यागी की खराद की दुकान है जिसमें काफी पूंजी लगी है और मुसलमानों का पूरा मोहल्ला है लेकिन उसकी दुकान पर एक भी ईंटा नहीं बरसाया गया। तो आपको सोचना पड़ेगा हिन्दुस्तान का अल्पसंख्यक क्या जिन्दगी जी रहा है। क्या बंगला देश और पाकिस्तान का उदाहरण देकर हम यह साबित करेंगे कि हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक नम्बर दो के नागरिक हैं? या शैड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स के लोग नम्बर 2 के नागरिक बन कर रहेंगे? नहीं। बांगला देश और पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है उसको हम देखेंगे, या कांस्टीट्यूशन में जो लिखा है उसको देखेंगे? हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ तो कांस्टीट्यूशन में आपने गारन्टी दी है शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्ल्ड ट्राइब्स के लिए। संविधान हमने नहीं बनाया बल्कि विद्वान लोगों ने बनाया जो आजादी की लड़ाई से निकले हुए लोग थे। और जिस अनुच्छेद का जिक्र माननीय बनातवाला ने किया 338 और 350 का, उनके तहत अधिकार सुरक्षित रखने की गारन्टी दी गई। अब इस गारन्टी की कौन करेगा? आप माइनारिटी कमीशन और शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पढ़िये, मैंने मांग की है उस पर डिस्कशन कराइये। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पी० ए० सी० कम्युनल है, कम्युनल राइट्स में उसको नहीं लगाना चाहिये। यदि वही कांस्टीट्यूशनल राइट रहता तो आज मेरठ में पी० ए० सी० को हटाने की मांग नहीं चलती और हमारे गृह मंत्री जी को माफी नहीं मांगनी पड़ती। लेकिन उसकी सिफारिश को नहीं माना गया। जब कांस्टीट्यूशन में यह गारन्टी दी गई है कि इस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और वे दूसरे लोगों की तरह समान दर्जे के नागरिक हैं, तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को आयोग का गठन करना चाहिए।

जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि उसने माइनारिटीज और शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के सम्बन्ध में कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल लाया। उसका दो-तिहाई बहुमत था, लेकिन फिर भी वह पास न हो सका, क्योंकि उस दिन मैजारिटी तो थी, लेकिन दो-तिहाई बहुमत नहीं था। इस पाप के लिए जनता पार्टी की सरकार को हमेशा कोसा जाता है और वह इससे भाग भी नहीं सकती है।

लेकिन आपकी क्या नीयत है ? आपने जो कसमें खाई हैं, जो संकल्प लिए है, क्या आपकी सरकार उनसे मुकर रही है ? क्या आजादी के 35 साल के बाद सरकार के दिमाग में माइनारिटीज और शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज सम्बन्धी स्टैंड में कोई तब्दीली आने वाली है ? अगर कोई तब्दीली आई है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर अब भी आपके सामने भारत का संविधान है, तो श्री बनातवाला ने जो बिल मूव किया है, आपको उसे मंजूर करना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने ढंग से करेंगे। चाहे आप उनके बिल को गिरा कर कोई अपना बिल लाइए। जो भी करना हो, वह जल्दी से कीजिए। या सीधी बात कहिए कि कांस्टीट्यूशन में जो लिखा हुआ है, वह बकवास है, अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए।

लेकिन यदि यह भारत का संविधान है, जिसमें अल्पसंख्यकों और शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के अधिकारों को सुरक्षा दी गई है, तो आर्थिक वाला मामला छोड़ दीजिए। जब समानता आ जाएगी, जात-पांत खत्म हो जाएगी, तो आर्थिक वाला मामला आएगा। लेकिन जब जात-पांत है, तो इस आधार पर सोचना पड़ेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि इन वर्गों के सांविधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए इस आयोग का गठन अत्यावश्यक है, सांविधानिक प्रावधान की जरूरत है, कांस्टीट्यूशनल सेफगार्ड की जरूरत है और इस के लिए आयोग को कांस्टीट्यूशनल दर्जा दिया जाना चाहिए। तभी इस देश में माइनारिटीज और कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित रहेंगे।

सभापति महोदय : श्री अमोल दत्त, इससे पहले कि आप अपना वक्तव्य आरम्भ करें, मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि वाद-विवाद में भाग लेने के इच्छुक वक्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अतः, मुझे संदेह है कि संभवतः हमें वक्तव्यों के लिए कुछ समय-सीमा निश्चित करनी होगी।

श्री समर मुकर्जी (हावड़ा) : यह विधेयक किस समय तक समाप्त हो जायेगा ?

सभापति महोदय : निर्धारित समय के अनुसार, जो कि दो घंटे था, इसे साढ़े पांच बजे तक समाप्त किया जाना है।

श्री सुशील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : किसी अन्य गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक में दो घंटे की समय-सीमा नहीं रखी गई थी।

सभापति महोदय : सामान्यतः हम सदन की सहमति से चलते हैं। यदि सदन महसूस करे तो समय बढ़ाना पड़ता है। क्या संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : सदन चाहे कुछ भी निर्णय करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : क्या हम इसका समय एक घंटा और बढ़ा दें ?

श्री समर मुकर्जी : यह आज समाप्त नहीं होगा।

सभापति महोदय : चाहे यह आज समाप्त न हो, लेकिन समय निर्धारित करना ही होगा।

श्री समर मुकर्जी : पुन: सदन की सहमति ली जाएगी।

सभापति महोदय : ठीक है, सुझाव के रूप में हम कहते हैं कि हमने इसके समय में दो घंटे की और वृद्धि की है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय, हम संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने में श्री बनातवाला द्वारा की गई पहल के लिए उनके आभारी हैं। यह विधेयक बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तथा संविधान में संशोधन बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था।

वंचित समुदायों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, गैर-भाषायी अल्पसंख्यकों, भाषायी अल्पसंख्यकों आदि को संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में 30 खण्ड हैं। परन्तु संविधान इन संरक्षणों को लागू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करने में असफल रहा है।

वंचित समुदाय से सम्बन्धित तथा संवैधानिक संरक्षणों से वंचित एक व्यक्ति को अपने अधिकार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जाना पड़ता है जो कि निजी पहल के हिसाब से अत्यन्त कठिन प्रक्रिया है। विशेषरूप से जब ये लोग वंचित वर्गों, कमजोर वर्गों, निर्धन वर्गों से सम्बन्धित हों। इन लोगों के लिए न्यायालय में जाकर अपने अधिकार प्राप्त करना बहुत कठिन है। अत: इन संवैधानिक उपायों को संविधान में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो यह अच्छी बात है।

मैं सत्ता पक्ष से इनको अत्यन्त सावधानी से देखने का आग्रह करूंगा तथा वे यह देखें कि क्या ये उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिहाज से स्वीकार्य हैं या नहीं ताकि वे यह कह सकें कि जैसे ही गैर-सरकारी सदस्यों से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए, उन्होंने अनुसूचित जातियों और जन-जातियों, अल्पसंख्यकों दोनों भाषायी और गैर-भाषायी व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु इन सुझावों को स्वीकार कर लिया है।

ये संरक्षणात्मक उपाय, जिन्हें अब संविधान में सम्मिलित किये जाने की मांग है, न केवल संवैधानिक तंत्र उपलब्ध कराएंगे बल्कि कुछ संवैधानिक उत्तरदायित्व न कि संविधिक उत्तरदायित्व जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है, लागू करेंगे। ये संवैधानिक उत्तरदायित्वों और अधिकारों के साथ संवैधानिक कर्तव्य हैं तथा जिस आयोग की स्थापना की जा रही है वह बहुत

कुछ कर सकेगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि वे उस प्रवृत्ति को पूर्णतया उलट सकेंगे जो कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से देखी जा रही है।

पिछले दस अथवा बारह वर्षों से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रति अधिक दमन की प्रवृत्ति रही है और अधिक साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, मामूली अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। इसका कारण जैसा कि श्री पासवान ने कहा है कि ये वंचित समुदाय अब यह जान गये है कि इन्हें वंचित किया जा रहा है। अतः अब वे मांग कर रहे हैं कि उनकी कमियों और अभावों को दूर किया जाए। क्योंकि अब वे चाहते हैं कि उन्हें बहुसंख्यक समुदायों की तुलना में अधिक आर्थिक लाभ प्रदान किए जाएं। इसलिए सामाजिक तनाव में वृद्धि हुई है। जितनी अधिक मांगों की पूर्ति होगी उतनी अधिक संवैधानिक गारंटी का क्रियान्वयन होगा और किसी न किसी प्रकार उतनी ही अधिक तनाव में वृद्धि होगी। वास्तव में हमारे संविधान के, जिसमें मैंने कहा है कि इन तीन वर्गों के लोगों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु 30 खण्ड हैं, 32 वर्षों से लागू होने से अब तक इन गारंटियों को बहुत कम लागू किया गया है। इनकी आर्थिक दशा, इनकी शैक्षिक दशा तथा सामाजिक स्थिति में बहुत कम सुधार हुआ है। परन्तु उनके थोड़े से शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार से अब तक विशेषाधिकारों का आनन्द उठाने वाले तथा अभी भी विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के दिलों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है। वे नहीं चाहते कि इस प्रकार उनके निहित स्वार्थों पर चोट पहुँचे। सामाजिक तनाव का यही मूल कारण है जिसके परिणामस्वरूप हरिजनों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों का दमन हो रहा है तथा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के बीच दंगे हो रहे हैं। ज्यों-ज्यों अधिकाधिक लोग शिक्षित होंगे और कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त करने लगेंगे त्यों-त्यों इनमें तेजी आयेगी तथा बहुसंख्यक समुदायों के कुछ लोग इन्हें पसन्द नहीं करेंगे। अतः अब संवैधानिक तन्त्र के माध्यम से संवैधानिक गारण्टियों को लागू करने की आवश्यकता पहले से अधिक जरूरी हो गई है। मैंने जैसा कि कहा है कि इसे बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए या इन उपबन्धों को संविधान में सम्मिलित करके संवैधानिक तन्त्र का 10-15 वर्ष पहले निर्माण किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया परन्तु अभी देर नहीं हुई है तथा शासक दल को, मैं पुनः कहता हूं, इन संवैधानिक उपबन्धों की बहुत ही सावधानी-पूर्वक जांच करनी चाहिए क्योंकि इससे इन्हें कोई हानि नहीं होती है। संवैधानिक तन्त्र इन वंचित वर्गों के लोगों में सम्भवतः विश्वास पैदा करने में प्रभावशाली सिद्ध होगा जो आर्थिक, शारीरिक तथा व्यक्तिगत दृष्टि से सुरक्षा के वातावरण में नहीं रह रहे हैं। यह संशोधन, और कुछ न सही, उन्हें यह आश्वासन देने के लिए जरूरी है कि उनके हितों की रक्षा संविधान के अधीन निर्मित एक निकाय द्वारा की जाएगी जो संविधान में निहित मूलभूत संवैधानिक गारण्टियों को लागू करने वाला स्वतः कार्य करने वाला तन्त्र होगा। इन उपबन्धों में जिन उत्तरदायित्वों और कार्यों की व्यवस्था की गई उनसे ये निकाय स्वतः कार्यवाही करने वाले बन जायेंगे। यद्यपि उनके प्रतिवेदन साकार के लिए बन्धनकारी नहीं होंगे परन्तु कम से कम उन प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष तो रखा ही जाएगा। यह मौजूदा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था से निश्चय ही बेहतर होगा। जैसा कि पहले कहा गया है कि संविधान के अन्तर्गत नियुक्त विशेष अधिकारी द्वारा, जो कि स्वयं किसी संवैधानिक स्थिति में नहीं है। प्रस्तुत प्रतिवेदन पर

इस सभा में कभी भी चर्चा नहीं की गई है यद्यपि मूल प्रतिवेदनों को कभी भी सभा पटल पर रखा गया है परन्तु 'की गई कार्यवाही प्रतिवेदन' को कभी भी सभा पटल पर नहीं रखा गया जिसका अर्थ हुआ कि सरकार ने विशेष अधिकारी के प्रतिवेदनों के आधार पर कभी कार्यवाही नहीं की है। यद्यपि वह संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है और वह अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है परन्तु फिर भी सरकार द्वारा उसे कोई संवैधानिक स्थिति प्रदान नहीं की गई है। सरकार ने उसके विशेष दर्जे को कभी भी मान्यता नहीं दी है। अतः कुछ शक्तियों, कार्यों तथा विशेषाधिकारों से युक्त, संवैधानिक उपबन्धों के अधीन, एक ऐसा संवैधानिक तन्त्र होना जरूरी है जो साम्प्रदायिक दंगे होने पर स्वतः कार्यवाही करे। जब कभी भी हरिजनों, अनुसूचित जातियों पर दमन का समाचार मिलेगा तो यह तन्त्र स्वतः कार्यवाही आरम्भ कर देगा तथा यह जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक जांच आयोग को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ यह जांच कर सकेगा जिसका अर्थ है यह कार्यवाही कर सकेगा तथा व्यावहारिक दृष्टि से इसे एक न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वर्तमान हालात में इसका होना आवश्यक है परन्तु इससे भी स्थिति में बहुत कम सुधार होगा मेरे पूर्व वक्ताओं ने, जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है इस पर बल नहीं दिया है। अतः यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इस बात पर बल दूं कि इससे स्थिति में अधिक सुधार नहीं होगा। परन्तु फिर भी इसका निर्माण एक अच्छी बात है। इस स्थिति में अधिक सुधार नहीं होगा। मेरा ऐसा कहने का कारण यह था कि भारत की 60 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से हमारी आर्थिक प्रगति अत्यन्त धीमी रही। यह संभवतः सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक धीमी रही है। हमारी प्रति व्यक्ति आय में शायद ही वृद्धि हुई हो। वास्तव में इसमें गिरावट आई है।

हमारी आबादी बहुत अधिक है। अन्तिम जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 68 करोड़ है। व्यवहारिक दृष्टि से आधी अथवा इससे अधिक आबादी इन सब लोगों की है हमें इस स्थिति से छुटकारा पाना होगा। हम कुचक्र में फंसे हुए हैं। जब तक निर्धनता दूर नहीं होती तब तक हमारे अधिकांश लोग निर्धन ही रहेंगे। जब तक हम वर्तमान प्रणाली जिसमें उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हैं, का पालन करेंगे तब तक हम निर्धनता दूर नहीं कर सकते। यह मूलभूत समस्या है जिससे हमें निपटना होगा। जब तक समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो जाती, जिसका कांग्रेस सरकार 1957 से प्रचार कर रही है, तब तक कोई आर्थिक प्रगति नहीं होगी। वर्तमान शासक दल जो 32 महीनों के अतिरिक्त सदैव सत्ता में रहा है जो कुछ कहता है वह नहीं करता तब तक कुछ नहीं होगा। हमारी आर्थिक प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि उत्पादन के साधनों पर केवल कुछ वर्गों के लोगों का अधिकार न रहे बल्कि ये स्वयं लोगों के हाथों में हों। समाजवादी समाज केवल ऐसी अभिव्यक्ति बनकर न रह जाए जिसे सार्वजनिक भाषणों में अभिव्यक्त किया जाए अथवा सरकारी पापित्रों और प्रतिवेदनों में लिखा जाए। इसे वास्तविकता में परिणित करना होगा। श्री डांगा ने ठीक ही कहा है कि जब तक समाजवाद की स्थापना नहीं हो जाती, हम

अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। श्री डागा ने समाजवाद की तुलना निर्धनता हटाने से की है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। निर्धनता के साथ भी हम समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। ऐसे अनेक देश हैं जिनमें निर्धनता नहीं है और जहां समाजवाद भी नहीं है। विश्व के धनी देशों में समाजवाद नहीं है उन्होंने व्यावहारिक दृष्टि से निर्धनता खतम कर दी है। केवल थोड़े से लोग निर्धनता का जीवन बसर करते हैं। परन्तु समाज का आधार शोषण है। मैं जिस बात पर बल दे रहा हूं वह यह है कि समाज से शोषण को पूर्णतया समाप्त किए बिना हम वह स्थिति नहीं ला सकते जिसमें विशेषाधिकार रहित तथा विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों तथा धनी और निर्धनों के बीच सामाजिक तनाव न हो। सामाजवादी समाज की स्थापना के बिना इस तनाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। हमें इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना होगा। परन्तु इसी बीच इस उपबन्ध विशेष से, जिसके अधीन संविधान में परिवर्तन करके तीन संवैधानिक तन्त्रों की स्थापना की जाएगी, जो कि स्वतः कार्यवाही करने वाले होंगे तथा जो विशेषाधिकारों रहित वर्गों और विशेषाधिकार रहित समुदायों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, कुछ लाभ प्राप्त किए जा सकेंगे। इस प्रकार के सुधारात्मक उपबन्धों को संविधान में बहुत पहले शामिल कर लिया जाना चाहिए था। इससे लाभ होगा। यह अस्वीकार करने योग्य नहीं है। परन्तु सत्ता पक्ष के एक मात्र प्रतिनिधि के भाषण से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे अस्वीकार किया जा रहा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त ने बोलते-बोलते कहा कि जहां समाजवाद नहीं है, वहां सोशलिज्म आया यह कोई नारा नहीं लगाया जाता है।

यह जो बिल लाया जाता है कि वह माइनारिटी कमीशन है, यह शिड्यूल्ड कास्ट कमीशन है, यह फिजूल है। लोगों के हाथों में जब ताकत हो तो काम होता है। जो इलाके का एम०एल० ए० होता है, वह एक किस्म की संस्था होती है, उसे अपने वोटरों की मदद करनी होती है। उसने हिन्दू, सिख, मुसलमान नहीं देखना होता है, उसे तो सबसे वोट लेने होते हैं। मैं पक्का हिन्दू भी हूं और पक्का हरिजन भी हूं और शिड्यूल्ड कास्ट भी पक्का हूं। यह जो बड़े-बड़े लीडर बने हुए हैं ये हरिजनों को 2 एकड़ जमीन भी नहीं दिला सके। मैंने हरियाणा और पंजाब में 10-10 एकड़ जमीन दिलवाई है पं० जवाहरलाल नेहरू से मिलकर। क्योंकि हरिजन एम० एल० ए० बिक जाते थे। उनको कहा जाता था कि तुमको यह दे देंगे, तुम सुन्दर सिंह के साथ न हो। मैंने उनसे कहा कि जाओ-जाओ और पंडित जी से कहा कि यह बात है। उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा। ये लोग जमीन देंगे, राव वीरेन्द्र सिंह क्या हमें जमीन देंगे। यह क्या करेंगे ? बड़ी देर से मैं सोशलिज्म को सुनता रहा हूं। यह तो ताकत होती है।

कोई भी व्यक्ति अनुरोध से अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। अधिकार अनिच्छुक व्यक्तियों के हाथों से छीने जाते हैं। इस वास्ते जब मेम्बर बन गये, मिनिस्टर बन गये तो क्या करना है। गवर्नमेंट भी क्या करती है, तुमने करना है, गवर्नमेंट ने क्या करना है ? मेम्बरों ने ही करना है, लेकिन जब मेम्बर ही लाइफलैस होंगे तो क्या बनेगा ? गवर्नमेंट किस-किस को ताकत देगी, ताकत तो आप में होनी चाहिए।

मैं यह बता दूं कि यह जो सिलसिला है माइनारिटी कमीशन का, हमारा शिड्यूल्ड कास्ट का, तो हमारा क्या बना है। क्या उसकी कोई सिफारिश इम्पलीमेंट हो गई है। कौन मानता है ? वह तो कराना होता है, और वही कराते हैं जिनमें जान होती है। जितनी बातें डागा जी ने कही हैं, बिलकुल ठीक कहा है।

गरीब-अमीर का झगड़ा कौम का नहीं है। मजहब को कौन मानता है ? यह तो यों ही हो रहा है। करैक्टर के साथ जो आदमी लड़ाई करे, वही इन्सान बनता है।

धर्म से सम्बन्धित सभी झगड़ों और विवादों से केवल यही पता चलता है कि आध्यात्मिकता मौजूद नहीं है। धार्मिक झगड़े सदैव छोटी-मोटी बातों पर होते हैं। जब पवित्रता और आध्यात्मिकता आत्मा को छोड़कर शुष्क कर जाती है तब झगड़े होते हैं, उससे पूर्व नहीं।

मैं यह कहता हूं कि जितने मजहब हैं, अगर कोई मस्जिद में जाये तो वह मुसलमान होगा, हिन्दू मन्दिर में जाये तो हिन्दू बने, सिख गुरद्वारे में जाकर सिख बने और बाहर आकर इन्सान बने। मजहब से क्या सीखा है ?

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिन्दी है हम वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा ॥

हमारा करैक्टर होना चाहिए, दुनिया में सारा सिलसिला ठीक हो जाता है।

आप माइनोरिटी कमीशन चाहते हैं। पाकिस्तान से हमारा ही एक आदमी आया है। वह बता रहा था कि वहां क्या हो रहा है। वहां क्या बड़ी तसल्ली से लोग काम कर रहे हैं ? वहां लोग 75 फीसदी हिन्दुस्तान को चाहते हैं। मुझसे उसने यह कहा है। हरिजन मेरे पास आया है और कहता है वहां कहाँ हमें फंसा दिया है ?

लेबनान, इजराइल में सब जगह देखो सब मुसलमान हैं और सब लड़-लड़ मर रहे हैं। दूसरी तरफ देखो जो सिख हैं, जब 4 जिले दे दिये तो लड़-लड़ मर रहे हैं। यह बड़ी गलती की, उनको पहले देना था, नहीं दिया। इनकी डिमांड बढ़ती जाती हैं।

आज 15 करोड़ हरिजन सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं। मगर हमारे बीच कोई लीडर नहीं रहा। जो डिजर्व करता है, उसको देते नहीं हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम आजादी चाहते हो, 1-5 पापूलेशन हो, परमात्मा से प्रार्थना करते हो कि हमें गद्दी मिलनी चाहिए। जो परिचय हैं परमात्मा के उनको ह्यूमैनिटी की लाइफ नहीं चलाने देते हैं। आज ताल्लुक है इन्सान बनने का और काम करने का। यह जो लड़ाई हो रही है, यह किसलिए हो रही हैं। यह करैक्टर नहीं है। कोई नुमायन्दा नहीं है। अगर एम०एल०ए० शानदार हो तो वह लड़ाई नहीं होने देता है।

चैरिटी बिगन्स एट होम।

जो घर में जूतियां खाता है, वह बाहर क्या करेगा। घर में लड़ाई बढ़ रही है तो वह बाहर क्या करेगा ?

जब पाकिस्तान बना था, तो मै वहाँ नरोवा में था। लोग चलने लगे तो मेरे से कहने लगे कि चौधरी साहब चलोगे नहीं ? मैंने कहा नहीं जाना है। आखिर ऐसे हालात हुए कि हमें जाना पड़ा। हमने कहा कि हम जाते हैं, फिर आ जाना है। हम गये, तो मुसलमान थे चढ़ियार गांव के, वह मुसलमान मुझे छोड़ने आये। हमारे पास जितने गहने वगैरह थे, सब उनके हवाले कर दिये, वह कहने लगे कि साहब ले जाईये। हमने कहा कि राह में कोई लूट लेगा। 10, 15 साल तक उन्होंने सारा पैसा वापिस भेजा है। यह जो करैक्टर होता है, जैसा आदमी चाहे बन जाता है। जो मर्जी चाहे करो, कुछ नहीं बन सकता है।

यह जो कहा गया है कि अमीर-गरीब की लड़ाई है, किस ने आगे बढ़ना है ? महात्मा गांधी आगे बढ़े, किसलिए बढ़े क्योंकि वह कहते थे कि दुनिया में कोई ऐसा गन्दे से गन्दा काम वहीं जो कि मैं नहीं कर सकता। सबसे मैं नीचा हूँ।

भला हुआ हम नीच भये,
जब कुल को किया सलाम।
जनम लेंदे घर ऊंचे दे,
डूब मर दे अभिमान॥

अखलाकी तौर पर सिर ऊंचा हो गया।

आप अब क्या कर रहे हैं ? चोर उचक्के लड़ रहे हैं, उनको ठीक करो, जाकर समझाओ, हिन्दू-हिन्दू को समझाये, मुसलमान-मुसलमान को समझाये। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट नहीं करती है। मैं पूछता हूं कि तुम गवर्नमेंट में रहोगे तो क्या करोगे ? हिन्दुस्तान का यह हाल है। यहां जो कहते हैं कि गरीबों को देना है, किसने देना है ? वह खुद भी भूखे हैं, देना किसने है ? जगह के भूखे, पैसे के भूखे। लैंड रिफार्म की कोई बात नहीं हुई अगर यह हो जाता तो कोई सिलसिला न होता। पंजाब में जाकर देख लें, उधर क्यों मरते हैं ?

मैं बडा हैरान हूं कि इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन जब मैं मद्रास में गया तो मैंने देखा कि कौन लीडर था, जिसने यह हालत कर रखी है। क्यों नहीं एक-एक बीघा जमीन उनको मिलनी चाहिए। कभी लड़ाई नहीं की और लीडर बन गये। नारे लगाते हैं जिन्दाबाद ऐसी हालत हो रही है।

मेरा मतलब यही है कि आपको चाहिए कि जितने अमीर गरीब हैं उनमें जहां लड़ाई हो रही है, वह अपोजिशन का कुसूर है और गवर्नमेंट का कसूर है। इसलिये सब मिलकर इस को दूर करें। तभी डेमोक्रेसी चलेगी और सोशलिज्म आयेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बनातवाला के कांस्टीट्यूशन (एमेंडमेंट) बिल, 1982 का स्वागत करता हूँ। मैं शुरू में ही गृह मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी जिस मैनिफेस्टो पर चुन कर आई है, जो वादे आपने इस देश के लोगों के साथ

किये थे, उनके खिलाफ और हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन के खिलाफ आपकी पार्टी के जो संसद-सदस्य यहां पर बोलते हैं, क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं। इस कांस्टीट्यूशन में माइनारिटीज और शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कई गारंटीज और सेफगार्ड्ज दिए गए हैं। आर्टिकल 350 बी में लिंग्विस्टिक माइनारिटीज के लिए गारंटी और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल आफिसर की नियुक्ति का प्रावधान है।

ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के लोगों का मन इस देश को तोड़ने की तरफ-जोड़ने की तरफ नहीं—बढ़ रहा है। मंडल आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस देश में बैकवर्ड कम्युनिटीज के लोगों का परसेंटेज 52 है। शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग कम से कम 22 परसेंट है और माइनारिटीज कम से कम 16 परसेंट हैं—हालांकि वे उससे ज्यादा हैं। आज हिन्दुस्तान की टोटल पापुलेशन का 89 परसेंट हिस्सा बिलो पावर्टी लाइन रह रहा है और 11 परसेंट लोगों का सारे देश की सम्पत्ति और हर कैटेगरी की सर्विसिज पर कब्जा है। जब 11 परसेंट लोग हिन्दुस्तान की हर एक चीज में 89 परसेंट हिस्सा लेते हों, तो यह मुल्क कैसे एक मुल्क कैसे एक रह सकता है ? आज इस 89 परसेंट पापुलेशन को न्याय देने का प्रश्न है।

संविधान बनाने के समय बाबा साहब डा० अम्बेदकर ने कहा था कि अगर हिन्दुस्तान में आर्थिक समता नहीं लाई गई, तो यहां की डेमोक्रेसी मीनिंगलेस हो जाएगी और हिन्दुस्तान एक नहीं रह पाएगा। रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्य, श्री मूलचन्द डागा, अपने आपको बड़ा प्रगतिशील साबित करते हैं, लेकिन वह हिन्दुस्तान की 89 परसेंट पापुलेशन के खिलाफ बोलते हैं।

1931 में गोल मेज कांफरेंस में बाबा साहब डा० अम्बेदकर ने कहा था कि हिन्दुस्तान की आजादी की गारन्टी मैं तब चाहूंगा, जब हिंदुस्तान के उन लोगों को आजादी की गारन्टी दी जाए, जो दोहरी गुलामी के शिकार हो रहे हैं : एक धर्म के ठेकेदारों की गुलामी और दूसरी अंग्रेजों की गुलामी। अगर अंग्रेज हिन्दुस्तान से चले गए, तो यहां के उन करोड़ों लोगों की आजादी की गारन्टी कौन देगा, जो दोहरी गुलामी के शिकार हैं ? अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी एक गुलामी तो खतम हो जाएगी, लेकिन धर्म के ठेकेदारों की दूसरी गुलामी बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज एक डंडा अंग्रेजों के हाथ में है और दूसरा डंडा धर्म के ठेकेदारों, खासकर ब्राह्मण समाज, के हाथ में है। अगर अंग्रेज हिन्दुस्तान से चले गए, तो दोनों डंडे ब्राह्मणों धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चले जायेंगे और देश का सत्यानाश हो जायेगा।

हमारे कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 15 के भाग (1), (2), (3) और (4) में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस आफ बर्थ के आधार पर डिसक्रिमिनेशन का निषेध किया गया है। डिसक्रिमिनेशन को खतम करने की गारन्टी दी गई है, वह खतम नहीं हो रही है, बल्कि ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इस कदर बढ़ रही है कि आज हिन्दुस्तान की स्थिति यह है। कि इन्हीं ग्राउंड्स पर हिन्दुस्तान टूटने जा रहा है। आज हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसलमान समाज में इस कदर जहर फैल रहा है जिसका असर आपने मेरठ में देखा, अलीगढ़, बिहार-शरीफ और दूसरी जगहों पर देखा। हिन्दुस्तान की राजनीतिक पार्टियों के नेता इन्हीं ग्राउन्ड्स पर देश में राज करना चाहते हैं, इन्हीं ग्राउन्ड्स पर टिकट बांटकर इस देश की पार्लियामेंट में

आना चाहते हैं। इसके लिए पं० जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी तक सभी जिम्मेदार हैं। जबकि इस देश में जातिवाद, प्रांविशलिज्म और धर्म पर चलने वाले लोगों को कमजोर किया जाना चाहिए, वे और भी मजबूत हो रहे हैं।

आर्टिकल (17) में एबालिशन आफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई है। फिर मैं नहीं समझता श्री मूलचन्द डागा जी किस ग्राउन्ड पर इन कमीशन्स का विरोध कर रहे हैं? क्या आपने इस देश के 89 परसेन्ट लोगों को संविधान के अनुसार समता दिलाने की कभी कोशिश की है। दूसरी ओर आज इनइक्वैलिटी बढ़ती चली जा रही है। हिन्दुस्तान के शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग जानते हैं, श्री हीरालाल परमार जी बैठे हुए है, वे यहां पर गुजरात की स्थिति के बारे में कई बार बता चुके हैं, आज भी वहां पर शेड्यूल्ड कास्ट पार्लियामेंट के मेम्बर्स हायर कम्युनिटी की चारपाई पर जाकर नहीं बैठ सकते हैं। तब श्री मूलचन्द डागा जी किस मुंह से बात कर रहे हैं? मैं समझता हूं उनको इतना *नहीं होना चाहिए था।

आर्टिकल 39-ए में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात कही गई है। आर्टिकल 46 का भी मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए प्रमोशन आफ एजूकेशन और एकोनामिक इन्ट्रेस्ट्स को प्रमोट करने की बातें कहीं गई हैं। लेकिन आज भी इन सारे आर्टिकल्स को आप ईमानदारी के साथ इस देश के लोगों पर लागू नहीं कर पाए हैं।

बनातवाला जी ने यहां पर माइनारिटी कमीशन की बात कही। जनता पार्टी की 20-22 महीने की सरकार को ही माइनारिटी कमीशन गठित करने का श्रेय जाता है जिसके कि चेयरमैन श्री मीनू मसानी थे। लेकिन इसके साथ-साथ मैं जनता पार्टी की आलोचना भी करना चाहता हूं कि उन्हें माइनारिटी कमीशन के मामले में कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहिए था ताकि माइनारिटी कम्युनिटीज को गारन्टी मिल सकती। आज खास तौर पर मुसलमानों की संख्या इस देश में 16 परसेन्ट है, इस बात को सभी नेता जानते हैं लेकिन आज हिन्दुस्तान की सर्विसेज में जो उनका पर्सेन्टेज है वह केवल 00.2 परसेन्ट है—5 परसेन्ट, 3 परसेन्ट, 1 परसेन्ट या 0.5 परसेन्ट की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। इसी प्रकार से इस देश में शेड्यूल्ड कास्टस की संख्या 22 परसेन्ट से भी ज्यादा है लेकिन हिन्दुस्तान की हायर सर्विसेज में उनका पर्सेन्टेज केवल 3.4 ही है। आप 18 परसेन्ट की बातें करते हैं लेकिन 35 साल की आजादी के बाद भी आज उनका परसेन्ट 3.4 तक ही पहुँच सका है। इसके बावजूद अगर रूलिंग पार्टी और अपोजीशन के लोग शेड्यूल्ड कास्ट्स को लेकर ऐन्टी रिजर्वेशन के आंदोलन में शामिल होते हैं तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती है। हमारे राज्य मंत्री, श्री मकवाना जी के राज्य गुजरात में ऐंटी रिजर्वेशन आन्दोलन चलाया गया। मैं उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए गुजरात गया था, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां पर 1700 लोगों की टांगें तोड़ दी गईं और उनके घरों में आग लगाकर जानवरों तरह से भगा दिया गया। आज भी इस देश में चाहे देहुली कांड हो, पिपरा काण्ड हो, अल्मोड़ा काण्ड हो, वहां पर इतना नरसंहार किया जा रहा है फिर

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

आप किस प्रकार से यहां पर इक्वैलिटी लायेंगे ? आज भी इस देश में घोड़ी पर बारात निकालने पर 18-18 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। फिर भी आज श्री मूलचन्द डागा तथ रूलिंग पार्टी के अन्य लोग माइनारिटी और लिंग्विस्टिक कमीशनों का विरोध करते हैं इससे ज्यादा वे अपनी पार्टी और कांस्टीट्यूशन के प्रति अन्याय और क्या कर सकते हैं ? क्या डागाजी ने यहां पर जो बात कही है वह श्रीमती इंदिरा गांधी पब्लिकली कह सकती हैं ? क्या वे इस सदन में आकर इस प्रकार का बयान देने के लिए तैयार होंगी ? अगर होती हैं तो मैं मान लूंगा कि आप अपनी पार्टी के अनुसार चल रहे हैं।

पी. ए. सी. का जिक्र मैं यहां पर खास तौर पर करना चाहूंगा।

आपका शासन काम्यूनल है, आपका मंत्रालय काम्यूनल है आपके मिनिस्टर काम्यूनल हैं, इस प्रकार आप कैसे काम्यूनलिज्म को खतम कर सकते हैं, इसको कैसे मिटा सकते हैं और माइनारिटीज को कैसे बराबर का दर्जा दिला सकते हैं। जहां पर इस प्रकार के झगड़े होते हैं, हिन्दू-मुस्लिम, उन स्थानों पर जाकर आपके दो मिनिस्टर मरेंगे, पी. ए. सी. की गोली से, तब आप को पता लगेगा। अब तक आपके सारे मिनिस्टरर्स यहां पर बैठ कर बयान देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अहिंसा में विश्वास करता हूं, काम्यूनलिज्म में नहीं।

श्री जगपाल सिंह : यह आज आपने साबित कर दिया है। पार्टी की पालिसी के अनुसार चलना आपका फर्ज है, लेकिन आप मैनिफैस्टो के खिलाफ बोलते हैं। सरकार ने कभी भी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट पर, लिंग्विस्टिक कमीशन की 19वीं रिपोर्ट पर सदन में विचार करने और उसको इम्पलोमेंट करने पर विचार नहीं किया। इन कमीशन्स की जितनी भी रिपोर्टस आई हैं, उन पर कभी आपने विचार करने पर जोर नहीं दिया।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने एग्री किया है, कि डिसकशन होना चाहिए।

श्री जगपाल सिंह : इसलिए मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि संविधान में यह संशोधन होना चाहिए। सदन में इसको पास करके, संविधान में अमेंडमेंट करके, जब तक आप कमीशन को पावर नहीं देंगे कि वह आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही कर सके, उनकी फाइल्स को देख सके, तब तक यह काम नहीं होगा। आज यह पवार ओ. एन. जी. सी. को है। ओ. एन. जी. सी. एक छोटा-सा डिपार्टमेंट है। इस देश के 89 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। जिनको पहनने को कपड़ा नहीं मिलता है, पीने को पानी नहीं मिलता है। जिनको इस देश के अन्दर 18-18 घंटे काम करने के बाद भी खाने को नहीं मिलता है। यह इस मुल्क का दुर्भाग्य है कि काम्यूनल लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता चल रही है।

मैं एक बात शैड्यूल्ड कास्ट के बारे में कहना चाहता हूं। जितना हैरासमेंट शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को हर डिपार्टमेंट में होता है, जो 3.4 प्रतिशत शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उतना किसी और का नहीं होता है। मंत्री महोदय का काम्यूनल रुख होने की वजह से, कास्टिज्म का रुख होने की वजह से शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कोई सुरक्षा और प्रोटेक्शन नहीं है। मैं श्री डागा जी से पूछना चाहता हूँ कि यदि आप इस मुल्क को एक होकर चलाना चाहते हैं

..

श्री मूलचन्द डागा : बराबर, एक ही तो मुल्क है।

श्री जगपाल सिंह : बराबर यदि आप चाहते हैं, तो आपको कहना चाहिए था कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को, माइनारिटीज को, वीकर सैक्शन्स को समता दे दीजिए, यदि आप इन लोगों को समता दे देते तो किसी कमीशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आर्गेनाइजेशन के लोग भी डटकर कहते कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमीशन की जरूरत नहीं है, लिंग्विस्टिक कमीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको बराबर का दर्जा देना चाहते हैं। इसलिए इन कमीशन्स की कोई जरूरत नहीं है।

अंत में मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि वे इस अमेंडमेंड बिल को स्वीकार करें। यदि आप वास्तव में देश की 80 प्रतिशत जनता को ऊपर उठाना चाहते हैं, गरीबी मिटाना चाहते हैं, देश की एकता को मजबूत करना चाहते हैं तो इसको एक्सेप्ट करिए। इस देश की नदियां, पहाड़, खानें इस देश के लोगों के लिए हैं न कि 11 प्रतिशत लोगों के लिए। हमारे पहाड़ और नदियां, सागर इस देश के लोगों के लिए हैं, लोग इनके लिए नहीं हैं। लोग इनके लिए तभी हो सकते हैं, तभी इनके लिए लड़ सकते हैं जब उनको यह विश्वास हो कि खेत में काम करने के बाद उनको रोटी मिलेगी, सागर में काम करने के बाद उनको कपड़ा मिलेगा। तभी वे हिमालय की रक्षा करेंगे जब उन्हें विश्वास होगा कि उनके पेट की भूख मिटेगी।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने साथियों से कहें कि वे इस अमेंडमेंट को यूनेनिमसली पास करवाएं और साबित करें कि रूलिंग पार्टी के लोग सेक्युलर हैं, कम्युनल नहीं हैं, जातिवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर इसको पास नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये सब दुर्गुणी लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगपाल सिंह ने भाषण देते समय एक असंसदीय शब्द का प्रयोग किया था जिसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं रिकार्ड को देखूंगा। म उस असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता।

अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त हुआ। श्री लास्कर अब सभा पटल पर पत्र रखेंगे।

श्री निहार रंजन उठ खड़े हुए

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलने से रह गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर पत्र रखने पर आपत्ति नहीं कर सकते क्योंकि मैं उन्हें रोक नहीं सकता। आप उन्हें केवल नियम 305 (ख) (1) (क) के अधीन अर्थात क्या संविधान, अधिनियम, नियम अथवा विनियम, जिसके अधीन पत्र रखे जा रहे हैं, के उपबन्धों का पालन किया गया या नहीं, के अधीन रोक सकते हैं। परन्तु नियम 350 ग के अधीन आप उनको सभा पटल पर पत्र रखने से नहीं रोक सकते। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। मंत्री महोदय पत्र सभा पटल पर रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह इतनी जल्दी आ गया तो हम कैसे कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रखिये ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपने कारपोरेशन को 6 महीने के लिए भंग करने की अवधि बढ़ा दी···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करना चाहते । श्री लास्कर जी आप इसे सभा पटल पर रखिये ।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचना

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या यू० 11013/3/82-दिल्ली (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक, 8 अक्तूबर, 1982 के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 1980 के आदेश में संशोधन किया गया है, जिससे कि दिल्ली नगर निगम के निरस्त रहने की अवधि को 11 अक्तूबर, 1982 से 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सके ।

(2) अधिसूचना जारी करने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5463/82]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 11 अक्तूबर, 1982 के 11 बजे पुनः समवेत होने हेतु स्थगित होती है ।

6.02 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा सोमवार, 11 अक्तूबर, 1982/19 आश्विन, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———

1982 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिंटर्स नई दिल्ली-2 द्वारा मुद्रित ।